# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] दसवीं विधान सभा के छठे सत्र का नौवां दिवस [संख्या : 25

शुक्रवार,

15 मार्च, 1996

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

## वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक अनुमान) 1996-97 का उपस्थापन

**श्री अध्यक्ष** : माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मंत्री, राजस्थान राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक अनुमान) 1996-97 का उपस्थापन करेंगे।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री)** : श्रीमन् ! आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 1995-96 के संशोधित अनुमान एवं 1996-67 के आय-व्ययक अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं।

2. विकास के वर्तमान कार्यक्रमों एवं नीतियों के चलते 6 वर्ष हो गए हैं। इस अवधि में हमने आम आदमी को हमारी नीतियों का केन्द्र बिन्दु रखा, अप्रत्याशित रूप से विनियोजन बढाया, आर्थिक सुधार किये तथा वांछित नीतिगत परिवर्तन किये ताकि प्रदेश का त्वरित आर्थिक विकास हो और गरीबों के हितों का संवर्धन हो सके। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में 1985-90 के पांच वर्षों की तुलना में 1990-95 की अवधि में प्रदेश में हुई प्रगति का विस्तृत उल्लेख किया गया था। प्रत्येक राजस्थानी इस बात से गौरव महसूस कर सकता है कि राजस्थान में आज प्रति व्यक्ति योजनागत विनियोजन अन्य बड़े राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। वर्षों से राज्य को देश में सम्मानजनक स्थान दिलाने के जो सपने हमने देखे थे उनके पूरे होने के दिन अब आ गए हैं।

3. इस बिन्दु पर भी विचार और विश्लेषण आवश्यक है कि विकास कार्यक्रमों में राज्य की भूमिका क्या हो। हमारे राज्य में आज भी आधारभूत सुविधाओं की कमी है। औद्योगीकरण के साथ-साथ बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर की मांग होती है। सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारने पर विशेष ध्यान दिया है। चूंकि हमारे स्वयं के उपलब्ध सीमित साधनों से त्वरित विकास नहीं किया जा सकता अतः हमने परियोजना के आधार पर विश्व बैंक, सीडा (स्वीडन), ओ० ई० सी० एफ० (जापान), के० एफ० डब्ल्यू० (जर्मनी), सीडा (कनाडा) आदि संस्थाओं से बाह्य

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सहायता प्राप्त करने की चेष्टा की है। सिंचाई के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये नाबार्ड से भी 110 करोड़ रुपये की सहायता लेने का अनुबन्ध किया है। इसके साथ ही रोजगार योजनाओं के माध्यम से भी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिये समेकित रूप से कार्य करने की चेष्टा की है। सड़क, बाईपास व पुल निर्माण के लिये निजी निवेशकों को विनियोग करने हेतु आमंत्रित किया है। हुड़को व अन्य वित्तीय संस्थाओं से भी मदद ली है। इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार आने लगा है और आगामी 2-3 वर्षों में और अधिक सुधार हो सकेगा।

4. आम आदमी को सामाजिक सुरक्षा देने की दृष्टि से सरकार ने शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल आदि सामाजिक सेवाओं के साथ-साथ रोजगार के अधिक अवसर जुटाने के लिए विशेष विनियोग किया है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में उपलब्ध धनराशि का भी अधिकतम उपयोग करने का प्रयत्न किया है। आर्थिक उदारवाद के बदलते परिवेश में भी इन क्षेत्रों में सरकार की विशेष भूमिका रहेगी। शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार अपना प्रथम दायित्व समझती है। वित्तीय कठिनाइयों के होते हुए भी मैंने इन क्षेत्रों में विशेष विनियोग की व्यवस्था की है इससे यह सदन भलीभांति अवगत है। राजकीय उपक्रमों या सरकार के विभागों द्वारा जो सेवाएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध करायी जाती हैं, उनकी पूरी लागत उपभोक्ताओं से लेने के लिये वित्त आयोगों ने निरन्तर अनुशंसा की है। भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय, जैसे जल संसाधन मंत्रालय ऊर्जा मंत्रालय आदि राज्य सरकारों से इस बारे में अनुशंसाएं करते रहे हैं। इस सदन में भी इस विषय पर चर्चा हुई। पूंजीगत आस्तियों के बेहतर संधारण व उपयोग के लिए उनका आधुनिकीकरण व तकनीकी सुदृढ़ीकरण करके इनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना आवश्यक हो गया है अतः मैंने इस बारे में अतिरिक्त प्रावधान उपलब्ध कराया है।

5. मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में आज राजस्थान की गिनती देश के प्रगतिशील राज्यों में की जाती है। नीतिगत परिवर्तन के साथ हमने मानवीय संसाधन विकास का भी विशेष प्रयास किया है। सम्पूर्ण साक्षरता, शिक्षा का सार्वजनीनकरण व तकनीकी शिक्षा पर विशेष विनियोग राज्य के इस मनोरथ को अभिव्यक्त करते हैं। आर्थिक उदारवाद के फलस्वरूप कमजोर तथा पिछड़े वर्गों, लघु एवं कुटीर उद्योगों, छोटे किसानों आदि के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतः हमने उनके हितों का संरक्षण विशेष रूप से किया है। उनके लिये सामाजिक कवच के रूप में सामुदायिक सेवाओं पर विशेष विनियोग किया है तथा उन्हें संरक्षण भी दिया है।

6. केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में की गई करों की कमी से राज्यों को हस्तांतरित साधनों में कमी आई है और इससे राज्यों की वित्तीय कठिनाइयां बढ़ी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

दसवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि केन्द्र सरकार को अपने समस्त करों एवं शुल्कों से प्राप्त राजस्व में से राज्यों को हिस्सा देना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से उन करों में, यथा, आयात शुल्क (Customs duty) एवं कंपनी कर (Corporation tax) में, वृद्धि हुई है जिनमें राज्यों को कोई हिस्सा नहीं मिलता। जिन करों में राज्यों को हिस्सा मिलता है, जैसे आयकर एवं उत्पादन कर, उनमें करों की दरों में कमी आई है। वर्षों पूर्व सरकारिया कमीशन ने भी इसी प्रकार की सिफारिश की थी। केन्द्र सरकार ने दसवें वित्त आयोग की उपरोक्त सिफारिश पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई जा रही विलम्ब की नीति के कारण राज्यों के आर्थिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। दसवें वित्त आयोग ने इस प्रकार के बढ़े हुये डिवीजिबल पूल में से राज्यों को 29 प्रतिशत राशि का अन्तरण करने की सिफारिश की है। मैंने केन्द्रीय सरकार से इस 'वैकल्पिक व्यवस्था' पर शीघ्र ही निर्णय लेने का आग्रह किया है।

7. आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में 8765 करोड़ रुपये का योजनागत व्यय होने कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना के 11500 करोड़ रुपये के विनियोजन के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु हमारे लिये अगले वर्ष केवल 2735 करोड़ रुपये की योजना बनाना पर्याप्त होता परन्तु विकास की वर्तमान गति को बनाये रखने के लिए मैं आगामी वर्ष की योजना फिलहाल 3200 करोड़ रुपये की प्रस्तावित कर रहा हूं। इसके फलस्वरूप हम आठवीं योजना की स्वीकृत राशि 11500 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये से भी अधिक खर्च करेंगे।

8. अगला वर्ष आठवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष है और नवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी का वर्ष भी। आठवीं योजना में हुई अप्रत्याशित वृद्धि से विकास की जो गति बनी उसे नवीं योजना में बनाये रखना होगा। राज्य की नवीं योजना लगभग 25 हजार करोड़ रुपये की होने की सम्भावना है। परियोजनाओं के आधार पर कम से कम 5 हजार करोड़ रुपये की बाह्य सहायता प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य होगा।

9. मैं राजस्थान को एक ऐसे विकसित राज्य के रूप में देखना चाहता हूं जिसमें 2001 ईस्वीं तक कोई निरक्षर नहीं हो व स्कूल जाने की आयु के सब बच्चे स्कूल जाते हों, कोई गांव बिना बिजली के नहीं हो, हर व्यक्ति को पूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, सभी को पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हो तथा राज्य में सभी लोगों को रोजगार मिले। इन क्षेत्रों में राजस्थान महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त कर सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बढ़ता विनियोग तथा तेजी से हो रहा विकास मेरे इस विश्वास का जनक है।

10. विकास की इस महती समग्र दृष्टि (vision) को पूरा करने हेतु अगले वर्ष में निम्न नीति विषयक निर्देश ध्यान में रखे जाएंगे :—

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(i) एक निरन्तर आगे बढ़ने वाली तथा कुशल सार्वजनिक वित्त व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना ताकि वित्तीय संसाधनों में समुचित अभिवृद्धि हो और बढ़े संसाधनों का उपयोग प्रदेश के त्वरित विकास के लिए हो सके।

(ii) नियमों व प्रक्रियाओं के सरलीकरण से प्रशासन सुधार।

(iii) परिवहन, खनन, ऊर्जा और संचार के क्षेत्रों में आधारभूत संरचनात्मक ढांचे (Basic Infrastructure) के विकास हेतु राजकीय निवेश के साथ-साथ निजी निवेश को बढ़ावा देना।

(iv) विकेन्द्रित जनतांत्रिक व्यवस्था हेतु पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों का सुदृढ़ीकरण व उन्हें संसाधनों का प्रत्यायोजन।

(v) राजकीय परिसम्पत्तियों का समुचित संधारण तथा उपयोग।

(vi) जल संरक्षण, एवं उपलब्ध जल संसाधनों का कुशलतम उपयोग।

(vii) आर्थिक सुधारों के चलते समाज के कमजोर वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामाजिक संरचनाओं (Social Infrastructure) यथा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व पेयजल पर विशेष विनियोग।

(viii) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, कृषि विकास, खादी तथा कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना।

(ix) महिलाओं एवं बाल विकास कार्यक्रमों का विस्तार एवं उनकी प्रभावी क्रियान्विति।

**प्रथम राज्य वित्त आयोग :**

11. राज्य वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को राजकीय कोष से अन्तरण के सम्बन्ध में सिफारिश की है कि (i) आगामी वर्षों से इन संस्थाओं को प्राप्त होने वाली अनुमानित राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अपने शुद्ध कर राजस्व का 2.18 प्रतिशत हिस्सा इन स्थानीय निकायों में वितरित किया जाना चाहिए; (ii) इस अतिरिक्त राशि का वितरण जनसंख्या के अनुपात में पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरपालिकाओं के मध्य किया जाना चाहिए; एवं (iii) यह धनराशि दसवें वित्त आयोग द्वारा दी गयी सिफारिशों के फलस्वरूप दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त दी जायेगी।

12. आयोग ने ग्राम पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु दिये जाने वाले अनुदान की वर्तमान दर 5 रुपये प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति व्यक्ति किये जाने की सिफारिश की है। इसी प्रकार पंचायत

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

समितियों को सामान्य प्रयोजन हेतु दिये जाने वाले प्रति व्यक्ति अनुदान को 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपया 25 पैसे करने की भी सिफारिश की है :—

13. आयोग ने नगरपालिकाओं को सामान्य प्रयोजनार्थ अनुदान के रूप में वर्तमान में दी जा रही राशि के अलावा 53 करोड़ 93 लाख रुपये पांच वर्षों में देने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त आर्थिक दृष्टि से कमजोर नगरपालिकाओं की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 5 वर्षों में 10 करोड़ 48 लाख रुपये विकास सहायता देने की सिफारिश की है।

14. मुझे यह कहते हुए खुशी है कि शासन ने प्रथम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को सामान्यतः स्वीकार कर लिया है और तदनुसार वर्ष 1995-96 के संशोधित अनुमानों में पंचायती राज संस्थाओं के लिये 32 करोड़ 95 लाख रुपये तथा नगरीय स्थानीय निकायों के लिए 11 करोड़ 53 लाख रुपये के अन्तरण का प्रावधान कर दिया है। आगामी वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को 50 करोड़ 48 लाख रुपये और स्थानीय निकायों को 14 करोड़ 85 लाख रुपये दिया जाना प्रस्तावित है।

आर्थिक समीक्षा

15. इस वर्ष राज्य में अनावृष्टि एवं अतिवृष्टि के कारण खरीफ के उत्पादन में आशा के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। इससे राज्य घरेलू उत्पाद प्रभावित हुआ है फिर भी त्वरित अनुमानों के आधार पर प्रचलित कीमतों पर राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद 32 हजार 989 करोड़ रुपये का होने की संभावना है जो कि विगत वर्ष से 8.43 प्रतिशत अधिक होगा। प्रचलित कीमतों पर इस वर्ष की अनुमानित प्रति व्यक्ति 6 हजार 810 रुपये की आय, गत वर्ष की प्रति व्यक्ति आय से 6.31 प्रतिशत अधिक है।

वार्षिक योजनागत विनियोजन (1996-97) :

16. तदर्थ रूप से आगामी वर्ष की वार्षिक योजना का आकार 3200 करोड़ रुपये रखा गया है। 1996-97 की वार्षिक योजना में सर्वाधिक वरीयता सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को दी गई है जिन पर 29.60 प्रतिशत व्यय प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा पर 22.92 प्रतिशत, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण पर 14.20 प्रतिशत, कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं पर 9.83 प्रतिशत व उद्योग तथा खनिज पर 3.99 प्रतिशत व्यय प्रस्तावित किया गया है। वार्षिक योजना की कुल राशि का 63 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में व्यय किया जाएगा।

17. चालू वर्ष में बाह्य सहायता से पोषित परियोजनाओं पर 393 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में, अगले वर्ष के लिये 436 करोड़ 32 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इस समय चल रही 13 परियोजनाओं के अलावा 15 नवीन योजनाओं के लिए बाह्य सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

**प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा :**

18. सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत योजना मद में आगामी वर्ष हेतु 375 करोड़ 31 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जो चालू वर्ष के प्रावधान से 63 करोड़ 38 लाख रुपये अधिक है। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि पिछले छः वर्षों से लगातार शिक्षा के बजट को विशेष रूप से बढ़ाया जा रहा है ताकि देश में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य होने का कलंक 2001 ईस्वीं तक मिटाया जा सके।

19. वर्तमान में 5 जिलों में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम तथा 19 जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है। अगले वर्ष में शेष 7 जिलों में भी सम्पूर्ण साक्षरता अभियान प्रारम्भ कर दिया जायेगा ताकि पूरे राज्य को सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का लाभ मिल सके।

20. आगामी वर्ष 500 प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। इससे सारे राज्य में निर्धारित मापदण्ड से गांवों में प्राथमिक शालाएं खोलने का लक्ष्य पूरा हो जायेगा। यह एक महती उपलब्धि होगी। 600 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 85 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर में तथा 70 माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। इसमें से जनसहयोग से 35 माध्यमिक विद्यालय व 20 सीनियर माध्यमिक विद्यालय होंगे।

21. जनसहभागिता के आधार पर विद्यालयों को माध्यमिक व सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की योजना आगामी वर्ष भी जारी रखी जाएगी।

22. बोर्ड की माध्यमिक व सीनियर माध्यमिक परीक्षा परिणामों में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालयों को 50 हजार रुपये तथा प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालयों को 25 हजार रुपये की राशि पुरस्कारस्वरूप प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

23. सबके लिए प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा इसमें गुणात्मक सुधार करने की दृष्टि से सीडा के सहयोग से चल रही शिक्षाकर्मी योजना इस समय 1410 ग्रामों में चल रही है। अगले वर्ष इस योजना को 300 अतिरिक्त ग्रामों में लागू किया जायेगा। लोक जुम्बिश कार्यक्रम अभी 42 विकास खण्डों में चल रहा है, अगले वर्ष इस योजना को 15 नये विकास खण्डों में लागू किया जायेगा।

24. राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये "विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना" लागू किया जाना प्रस्तावित है। दुर्घटना में किसी विद्यार्थी की मृत्यु होने पर या दो अंगों की क्षति होने पर अधिकतम 10 हजार रुपये तथा एक अंग की क्षति होने पर 5 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति इस योजना में बीमा कम्पनी द्वारा की जाएगी।

25. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सरस्वती योजना 8 जिलों में चलाई जा रही है। इस योजना की उपयोगिता और सफलता को देखते हुए इसका पूरे राज्य में विस्तार किया जायेगा तथा अगले वर्ष 1000 नई सरस्वती शालायें प्रारम्भ की जायेंगी। इसके अतिरिक्त 4 हजार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे।

26. विद्यालय भवनों के मरम्मत कार्य में जन सहभागिता को प्रोत्साहित करने हेतु एक नई योजना प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत 50 प्रतिशत राशि स्थानीय समुदाय द्वारा देने पर शेष 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस कार्य हेतु अगले वर्ष 2 करोड़ रुपये का प्रावधान रखने का प्रस्ताव है।

27. संस्कृत शिक्षा के विकास के लिये सरकार प्रयत्नशील है। राज्य में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने एवं संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

28. राजस्थानी भाषा व साहित्य के सृजन एवं प्रकाशन को विशेष प्रोत्साहन देने की दृष्टि से राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी से विमर्श करके प्रत्येक वर्ष राजस्थानी भाषा व साहित्य के संवर्धन की दिशा में किये गये उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कार देने हेतु 5 लाख रुपये की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है।

उच्च शिक्षा :

29. महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आगामी वर्ष 3 नये महिला महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है तथा राजकीय महाविद्यालय, नीमकाथाना को क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है।

**तकनिकी शिक्षा :**

30. मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जयपुर में 180 छात्रों तथा 90 छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण आगामी वर्ष कराया जायेगा। राजस्थान कृषि विश्व-विद्यालय के उदयपुर एग्रो-इंजीनियरिंग संकाय में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार किया जाकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

31. महिला पॉलीटेक्निक संस्थान, जयपुर व कोटा की प्रवेश क्षमता में 50 स्थानों की वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है।

विद्युत :

32. चालू वर्ष में विद्युत तन्त्र के सुदृढ़ीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया। इस वर्ष जनवरी, 1996 तक विभिन्न सब-स्टेशनों पर 808 एम० वी० ए० क्षमता की वृद्धि की गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 226 एम० वी० ए० की वृद्धि हुई थी।

33. मेड़ता में 220 के० वी० का एक सब-स्टेशन चालू कर दिया गया है। बाली एवं बालोतरा में 220 के० वी० के सब-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

स्टेशन का कार्य प्रगति पर है। 132 के० वी० के दो सब-स्टेशन श्री महावीरजी एवं सलूम्बर में चालू किए जा चुके हैं।

34. मथानिया में बनने वाले 35 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्र की परियोजना निर्माण में काफी प्रगति हो चुकी है। ग्लोबल एन्वायरन्मैंटल फेसिलिटी (जी० ई० एफ०) से इस परियोजना हेतु लगभग 150 करोड़ रुपये का अनुदान मिलने की सम्भावना है। इस योजना की प्रारम्भिक तैयारी हेतु जी० ई० एफ० द्वारा 7.50 लाख अमेरिकी डॉलर का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

35. पिछले वर्ष रबी की फसल में लगभग 500 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन उपलब्ध होने की तुलना में इस वर्ष की बिजली की दैनिक उपलब्धि 600 लाख यूनिट रही है। केन्द्रीय विद्युत-गृहों की कुछ इकाइयों के असमय बन्द रहने, राजस्थान अणु विद्युत-गृहों की दोनों इकाइयों के बन्द हो जाने तथा गैस विद्युत-गृहों को आवंटित गैस में कमी से उत्पन्न बिजली की कमी को केन्द्रीय विद्युत गृहों से यथासम्भव ऊंची दरों पर विद्युत क्रय करके पूरा किया गया। विद्युत क्रय की अधिकतम दर—चमेरा से 372 पैसे प्रति यूनिट रही है। इन परिस्थितियों के बावजूद भी इस वर्ष दिसम्बर, 1995 तक गत वर्ष की तुलना में 14.7 प्रतिशत अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराई गई है। इस वर्ष दिसम्बर माह तक 758 करोड़ 40 लाख रुपये की बिजली खरीदी गई है जो पिछले वर्ष खरीदी बिजली से 33.4 प्रतिशत अधिक है। इससे विद्युत मण्डल की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

36. अगले वर्ष 400 के० वी० की दो लाइनें सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह से रतनगढ़ तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। 220 के० वी० के चार सब-स्टेशन हनुमानगढ़, बीकानेर, तिवरी एवं भीनमाल में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है एवं 132 के० वी० के 13 सब-स्टेशन लगाये जाने प्रस्तावित हैं। 33 के० वी० की 1000 किलोमीटर लाइनों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत 700 ग्रामों के विद्युतीकरण का विद्युत् मण्डल के माध्यम से एवं 50 ग्रामों का विद्युतीकरण रेडा के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। 25 हजार कुओं के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

**कृषि :**

37. कृषि क्षेत्र में विकास की गति को और तीव्र करने की दृष्टि से जल के कुशलतम उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा। आगामी वर्ष में 20 हजार फव्वारा सैट लगाने, सिंचाई के लिए 25 लाख मीटर पाइप बिछाने और 50 हजार कुओं के सुधार का लक्ष्य रखा गया है। गंग, भाखड़ा व इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 500 डिग्गियों का निर्माण कराने और उनमें फव्वारा संयत्र लगाने का प्रस्ताव है।

38. किसानों को बागवानी के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आगामी वर्ष में 40

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लाख फलदार पौधों का वितरण किया जायेगा जो इस वर्ष की तुलना में 175 प्रतिशत अधिक होगा। राज्य में पौध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी पौधशालाओं के स्वैच्छिक पंजीकरण की योजया पारम्भ की जाएगी। 'गोपाल योजना' की तरह ही 'उद्यान सखा' योजना लागू की जायेगी ताकि किसानों को फलों के पौधे लगाने व उनकी देखभाल का ज्ञान गांव के ही विशेष प्रशिक्षित व्यक्ति से मिल सके।

39. अगले वर्ष 1500 हेक्टेयर उद्यान क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है, जो कि इस वर्ष के लक्ष्य से तीन गुना है। इसके लिये किसानों को 15 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर का अनुदान निर्धारित सीमा तक दिया जायेगा।

40. जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विकास के लिये इस वर्ष 90 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में अगले वर्ष 125 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

41. कृषि एवं बागवानी की मूल्यवान फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु राज्य कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से शीत-गृह, फसलों के डंठल के औद्योगिक उपयोग, कृषि पेकेजिंग, ग्रेडिंग, निर्जलीकरण आदि की नई इकाइयों के लिये पूंजी अनुदान योजना लागू की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत 20 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 15 लाख रुपये तक का, देय होगा। प्रारम्भ में यह योजना 5 वर्ष के लिए 31 मार्च, 2001 तक चलाई जायेगी।

42. खालों के निर्माण के लिये राजस्थान भूमि विकास बैंक के माध्यम से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, चम्बल परियोजना आदि के सिंचित क्षेत्र के किसानों को ऋण दिया गया था। माननीय सदस्यों को विदित है कि मैंने पिछली विधान सभा में इन ऋणों की वसूली नहीं करने की घोषणा की थी। हमने भारत सरकार व नाबार्ड से इन ऋणों में राहत देने का अनुरोध किया था, पर किसानों के हित में किये गये हमारे इस अनुरोध को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बैंकों से चर्चा करके अब सरकार ने किसानों की ओर से ऐसे ऋणों का भुगतान करने का निर्णय लिया है।

43. इससे पूर्व चम्बल व इन्दिरा गांधी नहर के सिंचित क्षेत्र में परियोजना क्षेत्र में खालों के निर्माण हेतु परियोजना के आधार पर किसानों ने सीधा बैंकों से ऋण लिया था। ऐसे ऋणों में कृषि व ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत 10 हजार रुपये तक की राहत दी गई थी फिर भी, इनमें 1991-92 में लगभग 27 करोड़ रुपये बैंकों का बकाया था। सरकार बैंकों से बातचीत कर इन किसानों को राहत दिलायेगी।

**पशुपालन :**

44. पशु नस्ल सुधार के लिए 'गोपाल योजना' काफी उपयोगी रही है। चालू वर्ष में 240 गोपालों को प्रशिक्षित किया जायेगा जिसके फलस्वरूप गोपालों की कुल संख्या 1251 हो जायेगी।

45. राजस्थान मत्स्य नियमों में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

संशोधन किया जायेगा ताकि जलाशयों को लम्बी अवधि के लिये ठेकों पर दिया जा सके।

सहकारिता :

46. सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की दृष्टि से ग्राम सहकारी सेवा समितियों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने एवं प्रबन्ध समिति में कम से कम एक संचालक महिला प्रतिनिधि के रूप में रखने के लिए नियमों में संशोधन किया जायेगा।

47. साख सहकारी संस्थाओं में बढ़ते हुए असंतुलन की समस्या के समाधान हेतु वर्ष 1992 में प्रारम्भ की गई असंतुलन-निवारण योजना को आगामी तीन वर्षों के लिये और बढ़ाना प्रस्तावित है।

सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण :

48. वर्ष 1996-97 में सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण हेतु (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना एवं सिंचित क्षेत्र विकास के क्षेत्रों को छोड़कर) 264 करोड़ 46 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इससे आगामी वर्ष में 16 हजार 160 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित की जायेगी।

49. हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में घग्गर नदी की बाढ़ की समस्या निरन्तर बढ़ रही है। इस वर्ष भी बाढ़ से काफी हानि हुई थी। अतः राज्य सरकार ने बाढ़ के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए योजना बनाई है। इस योजना के अन्तर्गत नाली बैड में 1000 फीट चौड़ाई का क्षेत्र जल विकास के लिए सीमांकित कर प्रारम्भिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इस पर प्राप्त आपत्तियों का निपटारा कर अन्तिम नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। बाढ़ का पानी इन्दिरा गांधी मुख्य नहर में डालने हेतु एक 'इन्टेक स्ट्रक्चर' बनाया जायेगा तथा घग्घर डाइवरशन चैनल की क्षमता बढ़ाई जायेगी। ऐसे कार्यों पर लगभग 20 करोड़ रुपये राशि का खर्च आयेगा। कुछ आवश्यक कार्य तो जून, 1996 तक तथा शेष कार्य तीन वर्ष में पूर्ण करने की योजना है।

सिंचित क्षेत्र विकास :

50. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचित क्षेत्र विकास हेतु अगले वर्ष 82 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जिसमें से 24 करोड़ रुपये का प्रावधान वृक्षारोपण हेतु निर्धारित है। 71 हजार 500 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि विकास कार्य करवाये जाएंगे तथा 87 किलोमीटर के सड़क निर्माण के प्रस्ताव हैं। इसके अतिरिक्त 7050 रनिंग किलोमीटर में नहर के किनारे वृक्षारोपण, 4 हजार 250 हैक्टेयर में टिब्बा स्थिरीकरण व अन्य वृक्षारोपण के कार्य भी करवाए जायेंगे।

51. चम्बल परियोजना हेतु आगामी वर्ष 13 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जिसमें से 7 करोड़ रुपये राजाड़ परियोजना हेतु रखे गये हैं चम्बल परियोजना क्षेत्र में 2500 हैक्टेयर में भूमि विकास कार्य तथा 200 किलोमीटर ड्रेनों की मरम्मत एवं खुदाई करवाई जाएगी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

52. माही परियोजना में सिंचित क्षेत्र विकास हेतु आगामी वर्ष 75 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इससे 1500 हैक्टेयर क्षेत्र में कच्चे धोरों का निर्माण होगा।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना :

53. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिए अगले वर्ष 146 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसमें 60 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता भी शामिल है। प्रथम चरण में 4 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता अर्जित की जायेगी। दूसरे चरण में 51 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वितरक नहरें बनाकर दोनों चरणों में कुल 45 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता अर्जित की जायेगी।

विशिष्ट योजनायें :

54. राज्य सरकार गांव व गरीब को विकास का केन्द्र-विन्दु मानते हुए अपने संसाधनों का अधिकांश भाग ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर व्यय कर रही है। वर्ष 1991-92 में जहां ग्रामीण विकास कार्यों पर केवल 262 करोड़ रुपये व्यय किये गये वहीं वर्ष 1996-97 में लगभग 775 करोड़ रुपये व्यय करना प्रस्तावित है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रमों व योजनाओं पर 570 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। इससे करीब 11 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित किया जा सकेगा।

55. पिछले दो वर्षों में हमने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विशेष ध्यान दिया है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शालाओं के भवनों तथा ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाली सम्पर्क सड़कों का निर्माण और आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों व पंचायत भवनों का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर प्राथमिकता के आधार पर हुआ है। आगामी वर्ष में राज्य सरकार उपरोक्त प्राथमिकताओं को पूरा करने के साथ-साथ चिकित्सा उपकेन्द्र, आयुर्वेदिक औषधालय, पशु औषधालय, सूखा सम्भावित व मरु क्षेत्र में तालाब, एनीकट, नाड़ी, जोहड़ आदि के निर्माण के कार्य को विशेष प्राथमिकता देगी, ताकि इन क्षेत्रों में भू-जल स्तर भी बढ़े व बरसात के पानी का अधिक से अधिक उपयोग हो सके।

56. मेवात योजना की भांति डांग क्षेत्र विकास की विशेष योजना भी प्रारम्भ कर दी गई है। अगले वर्ष इन दोनों योजनाओं के लिए 7 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

57. गरीबी की रेखा से नीचे के 50 हजार परिवारों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है व गरीबी की रेखा से नीचे के ऐसे किसान जिनके कुएं सूख गये हैं उनके कुएं गहरे कराने हेतु जीवन-धारा योजना के अन्तर्गत 10 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

वन :

58. बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित 86 हजार 900 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं 3 करोड़

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

30 लाख पौधों के वितरण के लक्ष्यों के मुकाबले जनवरी, 1996 तक 95 हजार से अधिक हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं 3 करोड़ 79 लाख पौधों का वितरण कर, लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्राप्त की जा चुकी है।

59. आगामी वर्ष में जापान सरकार के आर्थिक सहयोग से ओ० ई० सी० एफ० योजना के तहत वानिकी विकास परियोजना के अन्तर्गत 15 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में एवं अरावली वृक्षारोपण परियोजना के अन्तर्गत 34 हजार 500 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया जायेगा।

60. ग्लोबल एन्वायरन्मेन्ट फैसिलिटी, अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण तथा विश्व बैंक के सहयोग से भारत सरकार द्वारा भारतीय पारिस्थितिक विकास परियोजना के अन्तर्गत चयनित देश के आठ क्षेत्रों में रणथम्भोर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर को सम्मिलित किया गया है।

पेयजल :

61. पेयजल की समस्या को ध्यान में रखते हुए अगले वर्ष पेयजल को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाएगी। इस हेतु 754 करोड़ 12 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्ताबित है।

62. इस वर्ष 4 हजार 500 गांवों व बस्तियों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। आगामी वर्ष में 5 हजार गांवों व बस्तियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

63. जिन प्राथमिक स्कूलों में 100 मीटर की परिधि में पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं हैं, उनमें चरणबद्ध रूप से पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। इससे लगभग 10 हजार स्कूल लाभान्वित हो सकेंगे।

64. वर्तमान मापदण्डों के अनुसार वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर 5 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों हेतु पाइप्ड पेयजल योजना स्वीकृत की जाती है। अब 4 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों के लिये पाइप्ड जल योजना लिया जाना प्रस्तावित है। इस योजना से लगभग 400 ग्राम लाभान्वित होंगे। ऐसे गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पर पंचायत अथवा ग्रामवासियों द्वारा जनभागिता के रूप में 10 हजार रुपये जमा कराये जाएंगे। ऐसे गांवों में बनायी जाने वाली पेयजल योजनाओं का संधारण जनता जल योजना की तरह ग्रामवासियों द्वारा किया जाएगा। इस हेतु आगामी वर्ष में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

65. वर्तमान में पम्प में टैंक योजना 2 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों के लिये स्वीकृत की जाती रही है। इसको घटाकर 1 हजार 500 की आबादी वाले ग्रामों को इस योजना में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे ग्रामों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पंचायत अथवा ग्रामवासी जनता जल योजना की भांति पेयजल योजना के संधारण करने का अनुबंध करते हैं। अगले वर्ष, इस हेतु एक करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

66. पेयजल की अधिक आपूर्ति के लिये एक लाख से कम जनसंख्या वाले 35 कस्बों में पुनर्गठित योजना का सुदृढ़ीकरण करना प्रस्तावित है।

67. टी०एस०एस० योजना के अन्तर्गत पुराने पम्प सैटों की मरम्मत कर पानी उपलब्ध कराने हेतु एक करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है।

68. जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और भूजल विभाग का आधुनिकीकरण और और सुदृढ़ीकरण (Revitalisation) करने हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

69. अगले वर्ष ग्रामीण विकास कार्यक्रमों व राज्य योजना में पेयजल एवं गंदे जल के निकास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। राज्य के सभी जिलों में आगामी वर्ष तीस जिला तीस काम योजना के अन्तर्गत पेयजल की प्रवृत्ति चयनित की जायेगी। सांसदों से भी अनुरोध किया जायेगा कि वे स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं व नाली निर्माण को विशेष प्राथमिकता दें। 'अपना गांव अपना काम' योजना में भी यही प्राथमिकता रखी जायेगी ताकि पेयजल समस्या के निराकरण हेतु विशेष प्रयास किये जा सकें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

70. सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। चालू वर्ष में 700 उपकेन्द्र खोले गये हैं। प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आगामी वर्ष में 700 नये उपकेन्द्र और खोले जाने प्रस्तावित हैं। ये उपकेन्द्र उन पंचायतों में स्थापित किये जायेंगे जहां कोई प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तथा आयुर्वेदिक, यूनानी या होमियोपैथिक चिकित्सालय नहीं है। 20 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भी खोले जायेंगे।

71. अगले वर्ष सभी जिलों में लाईसेन्स-शुदा रक्त बैंक स्थापित कर दिये जायेंगे। साथ ही 5 चिकित्सालयों में सघन चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जायेंगी।

72. स्वास्थ्यकर्मी योजना के उत्साहजनक परिणाम सामने आये हैं। अगले वर्ष इस योजना को 30 और पंचायत समितियों में लागू किया जाना प्रस्तावित है।

73. दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को ध्यान रखते हुए जयपुर में एक ट्रोमा चिकित्सालय स्थापित किया जायेगा।

महिला व बाल विकास :

74. आगामी वर्ष चार अतिरिक्त जिलों में महिला विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। इसके पश्चात् राज्य के सभी जिलों में यह कार्यक्रम लागू हो जायेगा।

75. ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बच्चों के विकास की योजना (ड्वाकरा) वर्तमान में राज्य की 144 पंचायत समितियों में चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे के चयनित परिवारों की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया जाकर ऋण व अनुदान की राशि से लाभान्वित किया जाता है। आगामी दो-तीन वर्षों में सभी पंचायत समितियों में इस योजना को लागू कर दिया जायेगा। अगले वर्ष 30 नये विकास खण्डों में इस योजना को लागू किया जायेगा। 600 नये महिला समूह गठित कर 9 हजार महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। महिला समूहों द्वारा उत्पादित सामान की विपणन व्यवस्था हेतु राज्य में सुरंगी विपणन केन्द्र भी प्रारम्भ करने योजना है।

76. सरकार द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं तथा नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिये सरपंचों, पंचों, प्रधानों, प्रमुखों, वार्ड सदस्यों तथा अध्यक्षों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने से महिलाओं में एक नई जागृति आई है, उनका सामाजिक दर्जा बढ़ा है तथा प्रशासन व सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी बनी है। महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिये बिना समाज प्रगति नहीं कर सकता। महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर देने के लिये सेवाओं में 20 प्रतिशत आरक्षण किया जायेगा। पुलिस विभाग में यह आरक्षण 10 प्रतिशत होगा।

77. विवाह का बढ़ता व्यय हम सभी के लिये चिंता का विषय है। सामूहिक विवाहों के आयोजन से ही इसकी रोकथाम हो सकती है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तथा विवाहों पर होने वाले व्यय को रोकने के लिये मैं, ऐसे प्रत्येक सामूहिक विवाह के आयोजन पर, जिसमें कम से कम 25 जोड़े शामिल हों, सरकार द्वारा प्रत्येक जोड़े को 1000 रुपये की दर से 25,000 रुपये देने का प्रस्ताव करता हूं।

78. माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे स्वयं भी ऐसे विवाह समारोहों में भाग लेकर इनकी लोकप्रियता बढ़ायें तथा अपनी ओर से अपने-अपने क्षेत्रों में सामूहिक विवाहों का आयोजन कराने की पहल करें।

**समाज कल्याण :**

79. राज्य महिला सदन में आवासिनियों के वैवाहिक पुनर्वास के लिए वर्तमान में दी जाती वाली एक हजार रुपये की राशि बढ़ाकर 5 हजार रुपये किये जाने का प्रस्ताव है।

80. समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में रहने वाली अनुसूचित जाति एवं जनजाति की मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित करने पर एक मुश्त 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव है। इस वर्ग की छात्रा बोर्ड की परीक्षा में योग्यता में प्रथम 20 स्थानों में आती है तो उसे 5 हजार रुपये की राशि दी जाएगी।

81. आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये 20 नये छात्रावास प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इस पर लगभग 50 लाख रुपये व्यय होंगे।

82. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जनजाति के लिये किराये के भवनों में संचालित छात्रावासों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अगले वर्ष 20 छात्रावास भवनों का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है जिस पर कुल 3 करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी।

83. वर्तमान में विकलांगों को अधिकतम 1 हजार 500 रुपये उपकरण सहायता के रूप में प्रदान किये जाते हैं। इस राशि को बढ़ाया जाकर 2 हजार 500 रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

84. दृष्टि-बाधितों के लिए राज्य में संचाचित राजकीय एवं अनुदानित विशेष विद्यालयों में अध्यनरत छात्र/छात्राओं को ब्रेल लिपि की पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य आवश्यक उपकरणों को निःशुल्क वितरण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

85. श्रवण एवं दृष्टि-बाधितों के लिए स्थापित विशेष विद्यालयों के लिए अप्रशिक्षित अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण देने हेतु एक-एक शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र भीलवाड़ा एवं श्रीगंगानगर में स्थापित किए जायेगे।

86. पिछले कई वर्षों से अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये विशेष आर्थिक कार्यक्रम चल रहे हैं। इन वर्गों को राजकीय सेवा में आरक्षण का लाभ भी दिया गया है। इन वर्गों में कुछ जातियां जैसे हरिजन, भंगी, मेहतर वाल्मिकी, सांसी, कंजर, बावरी, कालबेलिये, चाण्डाल, डोम, मदारी, सपेरा, बावरिया, बाजीगर, आदिधर्मी, भील, डामोर, गरासिया व सहरिया आदि ऐसी हैं जिन्हें कल्याण कार्य-क्रमों का पूरा लाभ नहीं मिला है तथा ये लोग आज भी विकास की धारा से पूरी तरह से नहीं जुड़ पाये हैं। इन वर्गों का समुचित विकास न होना हम सबकी चिंता का विषय है। सरकार इन वर्गों के उत्थान के लिये कृत-संकल्प है। इन वर्गों को वर्तमान व्यवस्थाओं का उचित लाभ किस प्रकार मिल सके, इस पर विचार करने के लिये सरकार शीघ्र ही एक आयोग का गठन करेगी।

**सैनिक कल्याण :**

87. राज्य सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं को पेंशन या पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय लिया है। इस हेतु आगामी वर्ष में 77 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जिससे 6 हजार 472 भूतपूर्व सैनिक एवं विधवाएं लाभान्वित होंगी।

88. हमें इस बात का गर्व है सेना व अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत हमारे लोग जम्मू व कश्मीर तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में विघटनकारी तत्वों व आतंकवादियों का सामना कर रहे हैं एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं सुरक्षा कार्यवाही में शहीद हुए प्रत्येक सैनिक के परिवार के लिये 10 हजार रुपये की सहायता देना प्रस्वावित करता हूं।

**जनजाति क्षेत्रीय विकास :**

89. अगले वर्ष जनजाति उपयोजना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

क्षेत्र में 9 नये छात्रावास प्रारम्भ किये जायेंगे तथा 6 नये छात्रावासों के भवन निर्माण के लिये राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

90. बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलों में 'स्वच्छ' के माध्यम से फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्य के लिये अगले वर्ष 1 करोड़ 13 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

91. बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों में स्थिति सहरिया आदिम जाति के विकास के लिये आगामी वर्ष में 98 लाख रुपये व्यय करने की योजना बनाई गई।

**श्रम एवं रोजगार :**

92. पिछले वर्षों में अधिक औद्योगिक विनियोजन से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। माननीय सदस्यों की सामान्य शिकायत रहती है कि स्थानीय व्यक्तियों को उनके क्षेत्र में स्थित उद्योगों में रोजगार नहीं मिल पाता। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि जो उद्यमी राज्य सरकार से उद्योग लगाने के लिये विभिन्न सुविधाएं लेते हैं उनके लिये यह आवश्यक होगा कि वे अकुशल श्रमिकों में 70 प्रतिशत व कुशल श्रमिकों में कम से कम 50 प्रतिशत तक नियोजन स्थानीय लोगों का करें। सरकार के इस निर्णय से राज्य के लोगों को नियोजन के विशेष अवसर उपलब्ध हो सकेंगे और बेरोजगारी की समस्या का हल निकल सकेगा।

**उद्योग :**

93. औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के कार्यक्रम को गति प्रदान करने के फलस्वरूप राजस्थान अब निवेशकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बन गया है और इसके आशातीत परिणाम सामने आये हैं। विभिन्न निवेशकों द्वारा अगस्त, 1991 से अक्टूबर, 1994 के मध्य 15 हजार 291 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश हेतु उद्यमिता ज्ञापन (आई० ई० एम०) प्रस्तुत किये गये थे जो कि बढ़कर दिसम्बर, 1995 तक 22 हजार 753 करोड़ रुपये के हो गये हैं। अब अधिकांश विनियोजन उद्यमिता ज्ञापनों (आई० ई० एम्स०) से परिलक्षित होता है। इन उद्यमिता ज्ञापनों के आधार पर नवम्बर, 1994 से दिसम्बर, 1995 तक प्रदेश में प्रस्तावित विनियोजन में 48.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य में, उक्त अवधि में इन ज्ञापनों में प्रस्तावित निवेश से इंगित वृद्धि प्रतिशत केवल गुजरात और तमिलनाडु से कम है।

94. हम अभी भी आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण को सर्वाधिक महत्व दे रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में अगले वर्ष को 'Quality Infrastructure Year' के रूप में मनाया जायेगा।

95. राज्य सरकार तीव्र औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में बृहत्तर परियोजनाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रोत्साहित करने हेतु कृत-संकल्प है। इसी दिशा में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संयुक्त योगदान से पांच करोड़ रुपये

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की पूंजी द्वारा एक प्रोजेक्ट डवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कॉरपोरेशन का प्रबन्धन निजी क्षेत्र द्वारा बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे के विकास हेतु निवेश आकर्षित करने के लिये किया जायेगा। राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थायें उक्त कॉरपोरेशन में साझेदार होंगी।

96. आगामी वर्ष में कुछ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों जैसे आबूरोड, भिवाड़ी, जोधपुर नीमराना आदि में सामाजिक आधार-भूत सुविधायें यथा—आवास, स्कूल, चिकित्सा सुविधायें आदि विकसित करने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे।

97. निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में एक फ्लोरीकल्चर कॉम्पलेक्स बनाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त एक होजरी कॉम्पलेक्स भी बनाया जाना प्रस्तावित है।

98. राजस्थान में सिरैमिक उद्योग की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए बीकानेर में एक सिरैमिक कॉम्पलेक्स विकसित किया जाएगा।

99. कृषि उत्पादों पर आधारित आधुनिक उद्योगों के विकास की विपुल संभावनाओं को देखते हुए इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में कॉम्पलेक्स विकसित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

100. ग्राम विकास के लिए अकृषि क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से "रूरल नॉन-फार्म डवलपमेंट एजेन्सी" (रुडा) नाम की विशेष संस्था का गठन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत मानपुर-माचेड़ी, भरतपुर और भिवाड़ी में चर्म आधारित उद्योगों के लिए क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। चर्म आधारित उद्योगों के विकास को गति देने की दृष्टि से राज्य सरकार तथा सैन्ट्रल लेदर रिसर्च इन्स्टीट्यूट के मध्य एक मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित किया गया है। साथ ही केन्द्रीय फुटवेयर डिजाइन एण्ड डवलपमेंट इन्स्टीट्यूट का एक केन्द्र जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। ऊन आधारित उद्योगों के विकास के लिए ब्यावर और बीकानेर में कॉम्पलेक्स स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। लघु खनिज बाहुल्य क्षेत्रों में भी लघु खनिजों के विकास हेतु कॉम्पलेक्स बनाये जाएंगे।

101. हस्तकला, हाथकरघा एवं कृषि उद्योग ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें रोजगार और स्वावलम्बन के अधिक अवसर उपलब्ध हैं। इसलिए राजस्थान हाथकरघा विकास निगम द्वारा कोटा एवं बूंदी जिलों में महिला बुनकरों के लिए तथा बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में अनुसूचित जनजाति एवं जालौर तथा सिरोही जिलों में अनुसूचित जाति के बुनकरों के लाभार्थ 3 परियोजनायें हाथ में ली जा रही हैं।

102. खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में 10 हजार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक विशेष रोजगार योजना दौसा जिले में इस वर्ष प्रारम्भ की गयी। इस योजना की उपयोगिता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को देखते हुए उदयपुर, टोंक व जयपुर जिलों में भी ऐसी योजनायें खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से चलाई जायेंगी।

103. कोलायत, तारानगर, बालोतरा, नीमकाथाना, सीमलवाड़ा, सलूम्बर और बीकानेर पंचायत समितियों में एक हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक और योजना प्रारम्भ की जा रही है। खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों के विपणन के लिए 'हाट योजना' लागू की गयी है। खादी एवं ग्रामद्योग के क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु आगामी वर्ष में सांगानेर व पुष्कर में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।

104. आर्थिक उदारवाद और बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा को देखते हुए यह आवश्यक है उद्यमिता विकास व प्रबन्ध प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाये। इस उद्देश्य से जयपुर में उद्यमिता एवं प्रबन्ध विकास संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

105. उद्योगों की स्थापना के लिये कई किसानों को अपनी जमीन से बेदखल होना पड़ता है एवं गांवों के उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी दबाव पड़ता है ऐसे किसानों के लिये वैकल्पिक रोजगार जुटाने व गांवों में सामुदायिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 'रीको' और बड़े उद्योगों की सहायता से, एक कौशल विकास एवं ग्रामीण सुविधा कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

106. जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित है राज्य के 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों के अलावा सभी क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम उद्योगों को पूंजी विनियोजन अनुदान की सुविधा 31 मार्च, 1997 तक उपलब्ध है पिछले वर्ष राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में यह सुविधा एक वर्ष के लिये बढ़ाई गयी थी। यह अवधि 31 मार्च, 1996 को समाप्त हो रही है। ऐसी इकाइयां जिन्होंने चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक 50 प्रतिशत विनियोजन कर लिया है तथा जो 31 मार्च, 1997 से पूर्व उत्पादन में आ जायेंगी को यह सुविधा देने का निर्णय लिया गया है।

107. राज्य सरकार का यह दृढ़ मत है कि उद्योगों की मूल आवश्यकता सुदृढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) है। नई औद्योगिक नीति में भी इन्फ्रास्ट्रक्चर को ही सर्वोच्च महत्व दिया गया है। इसी नीति के अनुसरण में यह प्रस्तावित है कि औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु एक विशेष कोष स्थापित किया जाए। इसके लिये प्रारम्भ में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जिसका उपयोग एक मास्टर प्लान के आधार पर किया जायेगा।

खनिज :

108. खनिज क्षेत्र में वर्ष 1995 हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के विकास का वर्ष रहा है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा बाड़मेर जिले के गिरल क्षेत्र में लिग्नाइट का खनन प्रारम्भ कर उपभोक्ताओं को लिग्नाइट उपलब्ध कराया जा रहा है।

(19)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

विश्व की एक बहुत बड़ी कम्पनी, शैल ऑयल द्वारा बाड़मेर व सांचोर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल व प्राकृतिक गैस की खोज की योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

109. नई खनिज नीति के लागू होने के पश्चात् 29 क्षेत्रों में 10 लाख टन प्रति-वर्ष या इससे अधिक क्षमता के सीमेंट प्लांट लगाने के उद्देश्य से खनन पट्टा अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये गये हैं या भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। इनमें 13 प्रस्ताव खनन पट्टों हेतु हैं जिन पर बड़े सीमेंट प्लांट स्थापित होने की पूर्ण संभावनाएं हैं तथा शेष 16 पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रों हेतु हैं जिन पर भी सीमेंट प्लांट स्थापित होने की आशा है।

110. मार्बल व ग्रेनाइट नीतियों की घोषणा के पश्चात् 30.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मार्बल व ग्रेनाइट की खोज की जाकर 311 प्लाट्स का चयन किया गया है। इन नीतियों के आने के पश्चात् विनियोजन में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

**पर्यटन :**

111. पर्यटन की दृष्टि से 1995 एक सफल वर्ष रहा है। जहां वर्ष 1994 में 47 लाख भारतीय एवं 4 लाख 36 हजार विदेशी पर्यटक राजस्थान में आये वहीं 1995 में 53 लाख भारतीय व 5 लाख 35 हजार विदेशी पर्यटक राजस्थान आये। सितम्बर, 1995 से बड़ी लाइन पर नई पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी चालू कर दी गई है। पर्यटकों में इस रेलगाड़ी को लेकर काफी उत्साह है। शेखावटी क्षेत्र के लिये भी छोटी लाइन पर पर्यटन गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है।

112. जयपुर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की दृष्टि से हवाई पट्टी के विस्तार के प्रथम चरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। अजमेर में दरगाह शरीफ एवं पुष्कर तीर्थ में आने वाले यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से हवाई पट्टी निर्माण हेतु 57 लाख रुपये की स्वीकृति दे दी गई है।

113. विश्व पर्यटन संगठन के सहयोग से जोधपुर में एक होटल प्रबन्ध संस्थान खोलने की योजना बनाई गई है। उदयपुर में फूड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट हेतु नया भवन बनाया जा रहा है ताकि अतिरिक्त पाठ्यक्रम चलाये जा सकें।

114. अगले वर्ष "ग्रामीण पर्यटन" योजना भी प्रारम्भ की जायेगी। इसके अन्तर्गत पर्यटन महत्व के गांवों का विकास किया जाएगा।

115. राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा राज्य में होटल, मनोरंजन पार्क, रिजोर्ट आदि पर्यटन इकाइयां स्थापित करने हेतु भूमि बैंक स्थापित करना प्रस्तावित है।

**यातायात :**

116. राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा अजमेर में संचालित वाहन चालक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रशिक्षण विद्यालय में अब निजी वाहन चालक भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार का एक प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में भी खोला जायेगा। भविष्य में जिला स्तर पर भी वाहन चालक प्रशिक्षण इकाइयों की स्थापना किये जाने की योजना है।

117. राज्य सरकार द्वारा एक परिवहन नीति बनाई जा रही है जिससे जनता को अधिक से अधिक परिवहन सुविधाएं मिल सकेंगी।

**सड़क निर्माण :**

118. इस वर्ष 1800 किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण किया गया एवं 727 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त 845 पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने की स्वीकृतियां जारी की गई। संस्थागत वित्त प्राप्त कर सात उप-मार्गों, एक पुल व एक सुरंग का निर्माण प्रारम्भ किया गया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 63 करोड़ 81 लाख रुपये है।

119. अगले वर्ष के लिये सड़क निर्माण हेतु 454 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तथा 3500 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें बनाने व 900 गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

**स्थानीय निकाय एवं नगरीय विकास :**

120. सहभागिता के आधार पर नगरीय क्षेत्रों में सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये 30 करोड़ रुपये का प्रावधान सहभागी नगर विकास योजना में किया गया था। ईस योजना की उपादेयता को देखते हुए अगले वर्ष भी समुचित प्रावधान किया गया है जिससे एक बड़ी राशि जन-सहयोग व नगरपालिकाओं के योगदान से सामुदायिक सेवाओं के लिये उपलब्ध हो सकेगी।

121. पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत कच्ची बस्तियों के विकास हेतु अगले वर्ष में 3 करोड़ 20 लाख रुपये व्यय किये जाएंगे तथा इससे 40 हजार व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

122. अवैध रूप से 1 जनवरी, 1991 तक बनी कच्ची बस्तियों का नियमन करने के लिए निर्धारित मापदण्डों से सर्वेक्षण का कार्य अगले वर्ष किया जाएगा ताकि इनका शीघ्र ही नियमन किया जा सके।

123. नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत 1996-97 में 10 हजार 370 परिवारों को स्वरोजगार हेतु लाभान्वित किया जाएगा तथा 5 हजार 750 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

124. विकेन्द्रीकरण एवं सरलीकरण के उद्देश्य से नगरीय भूमि के मास्टर प्लान में अंकित भू-उपयोग परिवर्तन के अधिकार संभागीय स्तर पर संभागीय आयुक्तों एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टरों को दिये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त नगर सुधार न्यास शहरी भूमि निस्तारण नियम, 1974 में रियायती दर से आबंटित भूखण्डों के दस वर्ष से पूर्व अन्तरण पर लगे प्रतिबन्ध को भी हटा दिया गया है। साथ ही वर्तमान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में लागू दो-तिहाई निर्माण एवं एक रिहायशी यूनिट निर्माण की शर्त को हटाकर पूर्ण राशि जमा होने पर बिना निर्माण के भूखण्ड की लीज डीड जारी कर पंजीयन कराने का प्रावधान किया जा रहा है।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (औसियां) :** अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर···

**श्री अध्यक्ष :** Please, sit down.

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी :** मैं अर्ज कर रहा हूं···

**श्री अध्यक्ष :** There is no point of order in it. आप बिराज जायं। आज तो बजट का भाषण है। आप बिराज जायं, प्लीज सीट-डाउन।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी :** अध्यक्ष महोदय, बात तो सुन लीजिये।

**श्री अध्यक्ष :** There is no ruling. Please sit down. There is no point of order.

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी :** पाइंट ऑफ आर्डर।

**श्री अध्यक्ष :** There is no point of order in it. Please, sit down.

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी :** अध्यक्ष महोदय, मेरा अधिकार है।

**श्री अध्यक्ष :** I say please, sit down.

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी :** मैं तो बैठ जाऊंगा।

**श्री अध्यक्ष :** आप बैठ जाइये।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी :** लेकिन अध्यक्ष महोदय, प्रोविजन··· (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** यह अभी बजट भाषण हो रहा है। आप बाद में कोई बात रख लेना।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी :** इंटरिम बजट में आप नयी सर्विसेज को नहीं ले सकते।

**श्री अध्यक्ष :** आप बिराज जायं। प्लीज, आप बिराज जायं।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी :** थोड़े नियमों से तो चलिये।

**श्री अध्यक्ष :** कोई नियम नहीं है इसमें। अध्यक्ष का नियम सबसे ऊपर है। There is no 'niyam'. There is no point of order. Please, sit down. बजट भाषण में There is no point of order.

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी :** कैसे नहीं है? अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर।

**श्री अध्यक्ष :** There is no point of order.

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी :** नियमों में है पाइंट ऑफ आर्डर।

**श्री अध्यक्ष :** Your point of order is ruled out. Please, sit down.

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर।

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराज जायं।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, मैं नियमों में कोई बात बोल रहा हूं······(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर। इंटरिम बजट में नयी सर्विसेज का प्रजेंटेशन नहीं हो सकता।

**श्री अध्यक्ष** : अभी आप बिराज जायं।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : पहले इन्हें पूरा करने दें, बाद में आप बोलिये। बिराजिये आप।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : इंटरिम बजट की भी एक सैंक्टिटी होती है। यह कोई खाली बजट है क्या ?

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराज जायं, नरेन्द्र सिंहजी। (व्यवधान) भाटीजी कह रहे हैं, वह अंकित मत करो। कृपया आप शांत रहें। आप बिराज जायं।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : अध्यक्ष के ऊपर कोई रूलिंग नहीं है। आप बिराज जायं।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराज जायं। वह नियम मुझे सब पता है, बाद में बताना, बिराजिये आप।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप बिराज जायें।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : × × ×

**श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली)** : अध्यक्ष महोदय, यह इंटरिम बजट है, अगर पूरा बजट है, अगर पूरा बजट है, अगर पूरा बजट होता तो आप इतना सब कुछ बोल सकते थे। नयी सर्विसेज का आप······(व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक)** : यह पूरा बजट है।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : आप इसमें निश्चित तौर से नियमों की अवहेलना करते हुए नहीं बोल सकते। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये आप।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : नहीं बोल सकते, यह नियम विरुद्ध है।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये आप।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : × × ×

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : आपको यह देखना होगा कि मुख्य मंत्रीजी। जो कुछ

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

बोल रहे हैं, नियमों के साथ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : कृपया, बिराजिये आप। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिये उसके पश्चात् आप बात करना। बिराजिये आप।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : इस तरीके से सदन को माध्यम बनाकर राजस्थान की जनता को गुमराह नहीं कर सकते।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय विपक्ष के मुख्य सचेतकजी से अनुरोध है कि वे अपने··· (व्यवधान)

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : एम० एल० ए० साहिबान को कंट्रोल करें। आप बिराजिये।

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा** (सिकराय) : अन्तरिम बजट है, न कि स्वीकृत बजट··· (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराजिये।

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा** : कोई घोषणा नहीं कर सकते (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराजिये।

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्तरिम बजट है, (व्यवधान) यह तो चुनावी घोषणा किये जा रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : आप इंटरिम बजट लाइये पास करवाइये, हम तैयार हैं लेकिन इस तरीके से भाषण, यह राजनीतिक (व्यवधान)

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्तरिम बजट है। अन्तरिम बजट के अन्दर कोई (व्यवधान)····

**श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्तरिम बजट में डिटेल से बोलने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : मुख्य मंत्रीजी के अलावा कोई नोट नहीं हो। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी के अलावा कोई नोट नहीं हो।

**श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : × × ×

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : × × ×

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : × × ×

**श्री रामनारायण** (नैनवां) : × × ×

**श्री हीरालाल इन्दौरा** : × × ×

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : 125. राज्य की एक लाख एवं इससे अधिक आबादी वाली नगरपालिकाओं की सफाई व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करने हेतु राज्य सरकार आधुनिक उपकरण क्रय करने के लिये 7 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान देगी।

---

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

**राजस्व :**

126. राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु आगामी वर्ष में लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

127. दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिये रिकॉर्ड रूम के निर्माण व उनमें आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये आगामी वर्ष 2 करोड़ 11 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

**देवस्थान :**

128. देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित मन्दिरों के सर्वांगीण विकास हेतु अगले वर्ष 1 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

129. मन्दिरों की सेवा पूजा हेतु वर्तमान 12 लाख रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर अगले वर्ष आठ गुना से भी अधिक अर्थात् 1 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

**उपनिवेशन :**

130. राजस्थान उपनिवेशन (अस्थायी पट्टे) शर्तें, 1955 की शर्त 6 के अधीन गैर-खातेदारों द्वारा देय मालिकाना राशि एवं सरचार्ज राशि माफ करना प्रस्तावित है।

**कानून व व्यवस्था :**

131. चालू वर्ष में पुलिस सुदृढ़ीकरण की महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने हेतु कई प्रभावी कदम उठाये गये, जिनसे नये थानों का खोलना तथा चौकियों की क्रमोन्नति, पुलिस विधि प्रयोगशाला और पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण शामिल है। इसी क्रम में अगले वर्ष राज्य के विभिन्न जिलों में नये थाने, चौकियां एवं वृत्त खोलकर जिला पुलिस का पुनर्गठन एवं विस्तार, यातायात पुलिस बल में वृद्धि एवं राजमार्गों पर मोबाइल पेट्रोलिंग व्यवस्था का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है।

132. दुर्घटनाओं और अन्य मेडीको-लीगल मामलों में अस्पतालों में पुलिस कार्यवाही में कई बार विलम्ब होता है जिससे दुर्घटनाग्रस्त लोगों की चिकित्सा में भी विलम्ब हो जाता है। पुलिस कार्यवाही में विलम्ब कम करने की दृष्टि से अगले वर्ष बड़े जिला मुख्यालयों पर स्थित अस्पतालों में पुलिस चौकियां खोलने का प्रस्ताव है।

133. पुलिस आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के प्रस्तावों हेतु मैं आगामी वर्ष के लिये 35 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करता हूं।

**विधि तथा न्याय :**

134. इस वर्ष 13 नये अपर जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापना की गई है तथा 100 न्यायिक अधिकारियों की नई नियुक्तियां की गई हैं। इससे लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हो सकेगा।

135. न्यायालय भवन निर्माण एवं न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण पर राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 7

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करोड़ 50 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। इतनी ही राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई है। आगामी वर्ष में भी इन निर्माण कार्यों हेतु समुचित राशि की व्यवस्था की जायेगी।

युवा मामले एवं खेलकूद :

136. राज्य में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष शुरू की गयी 'खेल-रत्न' पुरस्कार योजना एवं खेल परियोजनाओं के विकास के लिये चालू की गयी क्रीड़ा संकुल योजनाओं के आशातीत परिणाम सामने आये हैं। इस वर्ष में राज्य के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 13 स्वर्ण पदक, 22 रजत पदक तथा 21 कांस्य पदक प्राप्त किये हैं। इसके अतिरिक्त हाल ही में मद्रास में आयोजित साउथ एशियन फैडरेशन खेलों में राज्य के तीन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक भी प्राप्त किये हैं।

137. आगामी वर्ष में राज्य के तीन जिलों बारां, दौसा एवं हनुमानगढ़ में जिला-स्तरीय खेल संकुलों का निर्माण करवाया जायेगा।

कर्मचारी कल्याण :

138. राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के सभी वाजिब भुगतानों के दायित्वों का निर्वहन करती रही है। इस वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को पांचवें वेतन आयोग की अन्तरिम सिफारिशों के अनुसरण में स्वीकृत अन्तरिम राहत के अनुरूप राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों एवं पेंशनरों को अन्तरिम राहत समय पर स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की व्यवस्था के अनुरूप बोनस भुगतान की गणना एवं दरों में भी संशोधन किया गया है। इन निर्णयों के फलस्वरूप राज्य सरकार पर 240 करोड़ 55 लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार पड़ा है।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल :** × × ×

**श्री अध्यक्ष :** बजट में कोई पाइण्ट ऑफ आर्डर नहीं। (व्यवधान) आप बिराज जायें।

**श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :** × × ×

**श्री अध्यक्ष :** Please sit down. Please sit down. There is no point of order...(Interruptions)...

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** 139. केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी की दरों एवं गणना पद्धति में संशोधन किया है। मैं राज्य कर्मचारियों हेतु ग्रेच्युटी की वर्तमान अधिकतम सीमा 85 हजार रुपये को बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार रुपये करना प्रस्तावित करता हूं। इसके अतिरिक्त राज्य कर्मचारियों को दिनांक 1 जुलाई, 1993 को देय महंगाई भत्ते को ग्रेच्युटी की गणना

---

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हेतु मूल वेतन में जोड़ा जायेगा। दिनांक 1 अप्रैल, 1996 व उसके पश्चात् सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। इस निर्णय से 40 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। व प्रतिवर्ष सेवा-निवृत्त होने वाले लगभग 10 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

140. राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों के पेन्शन दावों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रक्रियाओं में सुधार, सरलीकरण एवं विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से राजस्थान सेवा नियमों के पेन्शन भाग को संशोधित कर नये "राजस्थान सिविल सेवा (पेन्शन) नियम, 1996" बनाये हैं, जिन्हें अगले वित्त वर्ष से लागू किया जाना प्रस्तावित है। नये पेन्शन नियमों में स्वीकृति के समस्त अधिकार कार्यालयाध्यक्षों को दे दिये गये हैं। पूर्व में ये अधिकार पेन्शन निदेशालय को ही थे। अब सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में मृतक कर्मचारी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जिला स्तर पर ही अनुकम्पा निधि से शीघ्र आर्थिक सहायता दी जा सकेगी। इन नियमों में पारिवारिक पेन्शन दरों को भी सुसंगत बनाया गया है तथा कर्तव्य निर्वहन के दौरान मृत्यु होने पर पुलिस, होमगार्ड, यातायात, वन व आबकारी विभागों के कर्मचारियों के मामलों में विशेष पारिवारिक पेन्शन का प्रावधान किया गया है।

141. राज्य सरकार सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के उपलब्ध ज्ञान, सेवा भावना तथा अनुभव का उपयोग करने का विचार रखती है। साक्षरता कार्यक्रम, अस्पताल के मरीजों की देखभाल, उपभोक्ता संरक्षण, विकास योजनाओं, स्वास्थ्य विज्ञान आदि की जनसामान्य को जानकारी देना तथा सामाजिक कुरीतियों का निवारण इत्यादि कार्यों में पेन्शनरों की सेवाओं का स्वैच्छिक आधार पर बिना किसी पारिश्रमिक के उपयोग किया जायेगा। इस कार्यक्रम के संचालन, प्रशिक्षण, सामग्री, प्रकाशन आदि के लिये 20 लाख रुपये का प्रावधान अगले वर्ष किये जाने का प्रस्ताव है।

**जीवन रक्षा व जन कल्याण :**

142. आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के हृदय का वाल्व बदलने की स्थिति में मुख्य मंत्री सहायता कोस से आर्थिक मदद दिये जाने की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है कि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार गरीब, बेसहारा एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों को हृदय का एक वाल्व बदले जाने की स्थिति में 15 हजार रुपये तथा दो वाल्व बदले जाने पर 25 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार की सहायता गुर्दा प्रत्यारोपण के लिये दी जायेगी।

## भाग-II

143. अब मैं, माननीय सदस्यों एवं राज्य की जनता द्वारा उत्सुकता से प्रतीक्षित बजट में कर व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

144. मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि कर नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य का तेजी से आर्थिक विकास करना तथा कृषि, उद्योग एवं व्यापार को नयी दिशा एवं बढ़ावा देना है। राज्य में उपलब्ध कच्चे माल का पूरा उपयोग हो ताकि उत्पादित माल ही राज्य के बाहर जाये एवं मूल्य संवर्धन का पूरा फायदा हमें मिल सके, करों का भार निर्बल, गरीब व असहायक पर कम से कम हो तथा राज्य की आर्थिक बहबूदी में इन्हें भी उचित हिस्सा मिल सके।

145. मैंने गत वर्षों के बजट प्रस्ताव इन्हीं धारणाओं के अनुसार प्रस्तुत किये थे। इसी क्रम में इस वर्ष के प्रस्तावों एवं कर कानूनों और ढांचे को और अधिक सरल व सुसंगत बनाने का प्रयास किया है।

146. कर कानून, नियम एवं प्रक्रिया इस तरह की होनी चाहिये जिससे कर के निर्धारण एवं जमा कराने में आसानी हो, व्यापार एवं उद्योगों का अन्य राज्यों में पलायन न हो तथा कर अपवंचन की प्रवृति को हतोत्साहित किया जा सके। गत 40 वर्षों में कई संशोधनों के फलस्वरूप राज्य का बिक्री कर कानून अत्यधिक जटिल बन गया था। अत: मैंने गत वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय राज्य में यथाशीघ्र नवीन विक्रय कर अधिनियम एवं नियम बनाने की घोषणा की थी। मुझे प्रसन्नता है कि सदन की प्रवर समिति की अनुशंषाओं के अनुरूप हमने 1 अक्टूबर, 1995 से एक नये संक्षिप्त, सरलीकृत, पारदर्शी, कानूनी एवं व्यवहारिक दृष्टि से सुसंगत विक्रय कर कानून को राज्य में लागू कर दिया है। मुझे आशा है कि इससे मुकदमेबाजी कम होगी, ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहन मिलेगा तथा देय कर पूरा राजकोष में जमा होगा।

147. माननीय उच्च न्यायालय में बिक्री कर तथा अन्य करों से सम्बन्धित 2 हजार प्रकरण लम्बित थे। मैंने गत बजट सत्र में ऐसे प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिये अधिकरण गठित किये जाने का प्रस्ताव रखा था। मुझे खुशी है कि राज्य कराधान अधिकरण का गठन किया जा चुका है। इससे कर निर्धारण, वसूली इत्यादि से सम्बन्धित विवाद शीघ्रतर निर्णित हो सकेंगे।

148. राज्य में निर्बाध व्यापार सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य मार्गों पर समस्त परिवहन व वाणिज्यिक कर चैक-पोस्ट दिनांक 1 मई, 1995 से समाप्त कर दी गई हैं। वाणिज्यिक कर निरीक्षकों द्वारा स्वयं के स्तर से निरीक्षण किये जाने पर भी पाबन्दी लगा दी गई है। अब केवल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर ही ऐसे निरीक्षण किये जा सकेंगे।

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

(श्री महेन्द्रकुमार मीणा द्वारा सदन से बहिर्गमन)

---

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 149. मुझे यह जानकारी देते हुये प्रसन्नता हो रही है कि हमने कर व्यवस्था में सुधार के क्रम में सम्पूर्ण देश को नई दिशा देने में पहल करते हुये, दिनांक 1 अक्टूबर, 1995 से राज्य में एक नवीन महत्वाकांक्षी स्व-कर निर्धारण योजना लागू कर दी है। इस योजना के अधीन व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के अनुरूप कर-निर्धारण सम्पूरित किये जाने की व्यवस्था है।

150. गत बजट में घोषित "डीम्ड असेसमेंट स्कीम" का क्रियान्वयन भी उत्साहवर्धक रहा है। अल्पकालावधि में ही इस योजना के अधीन आने वाले व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों को मान्यता देते हुए लम्बित समस्त 92 हजार 178 कर निर्धारण, व्यवहारियों की कार्यालय में उपस्थिति के बिना ही सम्पूरित कर दिये गये हैं।

151. मेरे द्वारा घोषित प्रशमन प्रणाली की "ग्रीन चैनल योजना" के अन्तर्गत ईंट-भट्टे, सर्राफा, मिनी सीमेन्ट प्लांट, हलवाइयों तथा खांडसारी व्यापार को सम्मिलित किया जा चुका है। योजना का विकल्प देने वाले व्यवहारियों को एक निश्चित कर राशि जमा कराने पर कर निर्धारण व निरीक्षण से पूर्णतया मुक्त रखा गया है।

152. यह सही है कि करों से ही राज्य के चहुंमुखी विकास के लिये आवश्यक संसाधन जुटाने में मदद मिलती है। मेरा यह मानना है कि राजस्व आय में वृद्धि करों की दरें बढ़ाकर नहीं अपितु सरलीकृत व युक्तिसंगत कर नियमों की बेहतर पालना कर दी जाए।

153. यद्यपि संगमरमर उद्योग से राज्य में व्यापक औद्योगिक विकास हुआ है लेकिन संगमरमर स्लरी इस उद्योग के कई केन्द्रों के पर्यावरण के लिये एक समस्या बन गई है। इसी प्रकार राज्य के विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थर्मल प्लान्टस् से निकलने वाली फ्लाई-ऐश भी भारी प्रदूषण का कारण बन रही है। इस समस्या के निराकरण के उद्देश्य से मैं संगमरमर स्लरी अथवा फ्लाई-ऐश से बने ऐसे उत्पाद, जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत स्लरी अथवा फ्लाई-ऐश का भाग हो, के विनिर्माण करने वाली लघु, मध्यम एवम् वृहत् इकाइयों के लिए 7 वर्ष तक बिना किसी सीमा के कर मुक्ति प्रस्तावित करता हूं।

154. वर्तमान में शत-प्रतिशत निर्यात करने वाली ग्वार गम इकाइयों को एक सीमा से अधिक पूंजी निवेश पर ही क्रय कर में पूर्ण अथवा आंशिक छूट उपलब्ध है। अब मैं पूंजी निवेश की सीमा को समाप्त करते हुये, दिनांक 31 मार्च, 1997 तक वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने वाली ग्वार गम की नयी इकाइयों को, जो ग्वार गम का शत-प्रतिशत निर्यात करती हों, कच्चे माल की प्रथम खरीद की तिथि से पांच वर्ष के लिये क्रय कर से मुक्त करना प्रस्ताविक कर रहा हूं।

155. राज्य के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न करों में छूट के साथ-साथ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उद्योगों को आधारभूत ढांचागत मूल सुविधाएं तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य की वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण राशि का समय पर भुगतान आवश्यक है। नियत समय पर भुगतान नहीं करने वाली ऐसी औद्योगिक इकाइयों को मैं, बिक्री कर की प्रोत्साहन एवं आस्थगन योजनाओं के लाभ से वंचित करना प्रस्तावित कर रहा हूं। साथ ही उद्योगों में स्थानीय रोजगार सुनिश्चित करने हेतु यह भी प्रस्तावित है कि भविष्य में ऐसी सुविधा उन्हीं उद्योगों को दी जाये जिनमें अकुशल श्रमिकों के नियोजन में न्यूनतम 70% तथा कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50% स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करायें।

156. हमारा राज्य सीमेंट उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। सीमेंट की नई इकाई को कुछ शर्तों के साथ विक्रय कर प्रोत्साहन व आस्थगन योजना, 1987 एवं 1989 का नकारात्मक सूची में से हटा लिया गया था। राज्य के औद्योगिक विकास के वृहत् परिप्रेक्ष्य में यह पाया गया कि यह प्रोत्साहन सीमेंट इकाई के विस्तार के लिये भी मिलना चाहिये। अतः मैं सीमेंट इकाई के विस्तार को भी 1989 की बिक्री कर आस्थगन योजना में सम्मिलित करना प्रस्तावित करता हूं।

157. वर्तमान में ग्रेनाइट तथा संगमरमर की छोटी एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों को ही विक्रय कर प्रोत्साहन अथवा आस्थगन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। राज्य में ग्रेनाइट तथा संगमरमर के विपुल भण्डार उपलब्ध हैं। अतः इनके समुचित दोहन तथा इस उद्योग की वृहत् इकाइयों की राज्य में स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये मैं, सीमेंट इकाइयों के सदृश्य 1989 की विक्रय कर प्रोत्साहन एवं आस्थगन योजनाओं में ग्रेनाईट तथा संगमरमर पर आधारित इकाइयों को भी विक्रय कर छूट/आस्थगन का लाभ दिया जाना प्रस्ताव करता हूं।

158. राज्य में प्राकृतिक स्थिति प्रतिकूल होने के बावजूद भी किसानों का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पाद का बहुत बड़ा भाग कृषि से आता है। कृषि को प्रोत्साहन देने एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये मैं निम्न छूट प्रस्तावित करता हूं :—

(i) कृषि उत्पादन में ट्रैक्टर के महत्वपूर्ण योगदान को दृष्टिगत रखते हुए इनके टायर-ट्यूब्स की कर दर को 6% से कम कर 4% करना प्रस्तावित है।

(ii) कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले 10 अश्व-शक्ति तक के डीजल इन्जिन/सेन्ट्रीफ्यूगल पानी के पम्प तथा 1 अश्व-शक्ति से अधिक क्षमता वाले वाटर पम्पिंग सेट्स में प्रयुक्त पार्ट्स की कर दर को राज्य के कृषकों के हित में 10% से 2% किया जाना प्रस्तावित है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(iii) मुख्यरूप से कृषि कार्यों में प्रयुक्त पी० वी० सी० और एच० डी० पी० ई० प्लास्टिक के पाइप व फिटिंग्स की कर दर को भी घटाकर 6% से 4% किया जाना प्रस्तावित है।

(iv) सोरगम सूडान घास पूर्व में कर मुक्त थी। परन्तु न्यायिक निर्णय से इसे कर योग्य माना जाकर 10% की कर दर निर्धारित की गयी थी। मैंने 1994-95 के बजट प्रस्ताव रखते समय 7 मार्च 1994 से इसे कर मुक्त घोषित कर दिया था। इससे पूर्ववर्ती अवधि के सम्बन्ध में उठने वाले विवादों को समाप्त करने के मन्तव्य से इसे भूतलक्षी प्रभाव से कर मुक्त करना प्रस्तावित करता हूं।

159. मेरी धारणा है कि आर्थिक दृष्टि से समाज के अपेक्षाकृत कमजोर तबके पर कर का भार कम से कम हो। इसको दृष्टिगत रखते हुए मैं, कर की दरों में निम्नानुसार कमी अथवा मुक्ति प्रस्तावित करता हूं :—

(i) 75 रुपये मूल्य तक की डिजिटल घड़ियां अब 6% के स्थान पर 4% से कर योग्य रहेगी।

(ii) बर्फ पर कर दर 10% से घटा कर 2% करना प्रस्तावित है।

(iii) वर्तमान में 4% से कर योग्य पानी वाला नारियल, 6% की दर से कर योग्य कत्था एवं पोस्त-दाना तथा 10% की दर से कराधीन कांगनी को पूर्णतया कर मुक्त किया जा रहा है।

(iv) मूंज से बनी कूंची व जेवड़ी (रस्सी), प्राकृतिक शैसल घास से बनी रस्सी एवं सन से बनी सूतली, जो 10% से कर योग्य है, को जनहित में कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

(v) अग्नि-शामक, जो 6% की दर से कर योग्य है, को कर मुक्त करना प्रस्तावित है।

(vi) सभी प्रकार के वाद्य-यन्त्रों की कर दर मैंने गत वर्ष घटाकर 2% की थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वाद्य संगीत तथा इसके कलाकारों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अब मैं इन्हें कर मुक्त करने का प्रस्ताव कर रहा हूं।

(vii) हस्त-शिल्पकारों एवं कारीगरों के विभिन्न औजारों को मैंने पूर्व में कर मुक्त करने की प्रक्रिया आरम्भ की थी। इसी क्रम में 10% से कर योग्य पेचकस तथा लोहे की छीणी को भी कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

(viii) राज्य के प्रसिद्ध छपाई उद्योग को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैं स्क्रीन डिजाइन, जो वर्तमान में 4% से कर योग्य है, को कर मुक्त करना प्रस्तावित करता हूं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(ix) जनसाधारण द्वारा मकान निर्माण में प्रयुक्त लोहे के कड़े एवं खूंटियां, जो अभी 10% से कर योग्य हैं, को कर मुक्त करना प्रस्तावित है।

160. इन बजट प्रस्तावों की संरचना के समय मैंने गृहणियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा है। इनके द्वारा उपयोग में ली जा रही दैनिक आवश्यकता की निम्न वस्तुओं की मौजूदा कर दरों में कमी किया जाना प्रस्तावित है :—

(i) सभी प्रकार के शिशु-आहार पर कर की दर 6% के स्थान पर 4% प्रस्तावित है।

(ii) सिलाई मशीन पर कर की दर 10% से घटाकर 6% प्रस्तावित की जानी है।

(iii) कटलरी की वर्तमान कर दर को 10% से घटाकर, धातुओं के बर्तनों के बराबर 2% से कर योग्य रखने का प्रस्ताव है।

(iv) गृहणी की दैनिक उपयोगी वस्तुयें यथा घियाकस, झर, रई, नमकदानी साबुनदानी, पोंछा, मैलखोरा, डस्ट-पैन, कपड़े टांगने के हैंगर तथा नली-पापड़, जो वर्तमान में 10% की दर से कर योग्य हैं, को कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

161. जन स्वास्थ्य के हित में विभिन्न जीवन रक्षक दवाइयों को पूर्व में कर मुक्त किया गया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुये एन्टी-पोलियो वेक्सीन, हार्ट-वाल्व एवं पेसमेकर, जिनकी वर्तमान कर दर 10% है, को पूर्णतया कर मुक्त करना प्रस्तावित करता हूं।

162. कुटीर उद्योग, लघु उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिये निम्न प्रकार की छूट प्रस्तावित है :—

(i) हमारा राज्य सरसों के उत्पादन में देश में अग्रणी स्थान रखता है। वर्ष 1994-95 में तिलहन एवं इससे विनिर्मित तेल विनिर्माण की नई नीति आरम्भ की गई थी। इस नीति की समीक्षा से स्पष्ट विदित होता है कि विक्रय कर प्रोत्साहन आदि योजनाओं से लाभान्वित होने वाली इकाइयों की प्रतिस्पर्द्धा में पुरानी औद्योगिक इकाइयां कर दर के भारी अन्तर के कारण रुग्ण होती जा रही हैं। नई और पुरानी इकाइयों की इस खाई को कम करने एवं प्रतिस्पर्धा को संतुलित करने की दृष्टि से मैं तेल विनिर्माण में प्रयुक्त तिलहन के क्रम में नवीन तथा पुरानी दोनों ही प्रकार की इकाइयों पर 2% करारोपण प्रस्तावित करता हूं। विनिर्मित खाद्य तेल की राज्य की कर दर को 6% से घटाकर 4% किया जा रहा है तथा इसकी अन्तर्राज्यीय बिक्री कर की दर को वर्तमान 3% से घटाकर 2% किया जाना प्रस्तावित है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(ii) कर अपवंचन को रोकने के लिए प्रायोगिक तौर पर आज से एक वर्ष के लिये निम्न वस्तुओं पर कर दर कम करना प्रस्तावित है :—

(क) बीयरिंग्स तथा टायर-ट्यूब्स को छोड़कर मोटर वाहनों के पार्ट्स पर कर दर 12% से घटाकर 6%;

(ख) बिजली के स्विच, सॉकेट, सिलिंग-रोज, किट-किट फ्यूज, बल्ब-होल्डर तथा वुडन कैसिंग पर कर दर 12% से घटाकर 6%; एवं

(ग) हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर व डम्पर तथा मोबाइल क्रेन पर कर दर को 4% से घटाकर 2%।

राजस्व आय पर अनुकूल प्रभाव होने पर ही इस व्यवस्था को आगे जारी रखा जायेगा।

(iii) हस्त औजार जैसे प्लायर्स, पिन्सर, कटर्स तथा हथौड़े आदि की वर्तमान कर दर को 10% से कम करके 4% किया जाना प्रस्तावित है।

(iv) मैंने पिछले वर्ष खुली चाय, जो बिना ब्राण्ड की है, पर कर दर 10% से घटाकर 4% की थी। खुली चाय को यदि ब्राण्ड नाम से पैकेट बना कर विक्रय किया जाता है तो 4% के अलावा ब्राण्ड नाम के साथ विक्रय की गई चाय पर 10% कर और लगता था। अब यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में इस पर भुगतान किये गये 4% कर के अतिरिक्त केवल 6% कर ही और देय होगा।

(v) राज्य में सोप-स्टोन पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इसकी वर्तमान कर दर 10% को घटाकर 4% किया जाना प्रस्तावित है।

(vi) प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स की वर्तमान कर दर को 10% से घटाकर 2% किया जाना प्रस्तावित है जिससे कि राज्य के प्लास्टिक उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके।

(vii) वर्तमान में अभ्रक 4% की दर से कर योग्य है। इसके औद्योगिक उपयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मैं इसे कर मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

(viii) स्टेनलेस स्टील से बनी सभी प्रकार की वस्तुओं, सेफ्टीरेजर एवं ब्लेड, बर्तन, कटलरी को छोड़कर, पर कर की दर 16% से कम कर 12% प्रस्तावित है।

(ix) राज्य में विनिर्मित सोने तथा चांदी के आभूषणों के निर्यात को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ऐसे विनिर्माताओं द्वारा एम० एम० टी० सी० से क्रय किये गये बुलियन को गत बजट में कर मुक्त किया गया था। अब यह सुविधा भारतीय स्टेट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बेंक तथा हस्तकला एवं हस्तशिल्प निर्यात निगम से क्रय किये गये बुलियन पर भी उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

(x) राज्य में खल (Oil Cake) के कर मुक्त होने तथा अन्तर्राज्यीय विक्रय में 2% कर होने से आने वाली कठिनाईयों को दूर करने की दृष्टि से खल के अन्तर्राज्यीय विक्रय की कर दर 1% करना प्रस्तावित है।

(xi) नमदा, फेल्ट एवं फेल्ट से बनी वस्तुओं पर केन्द्रीय विक्रय कर की दर 6% से 4% करना प्रस्तावित है।

(xii) गत बजट में मैंने खाद तथा ग्रामोद्योग संस्थाओं द्वारा विनिर्मित समस्त उत्पादों को वार्षिक टर्न-ओवर तीस लाख रुपये होने तक कर से मुक्त करने की घोषणा की थी। खादी ग्रामोद्योग की सहकारी समितियों को और प्रोत्साहन देने की दृष्टि से इनके लिये कर मुक्ति की वार्षिक टर्न-ओवर सीमा को तीस लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

(xiii) वर्तमान में चमड़े से बने फुटवीयर को छोड़कर 100 रुपये मूल्य तक के फुटवीर ही कर मुक्त हैं। मैं अब समाज के गरीब तबकों द्वारा काम में लिये जा रहे प्लास्टिक से बने या ढले जूते-चप्पलों को कर से पूर्णतया मुक्त करना प्रस्तावित करता हूं।

(xiv) वर्तमान में 50 रुपये तक के खिलौने कर मुक्त हैं तथा अन्य समस्त पर 10% कर संदेय है। मूल्य आधारित कर मुक्ति को समाप्त करने की भावना के अनुरूप इस छूट को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। अब समस्त प्रकार के खिलौनों की कर दर 10% से घटाकर 4% की जा रही है।

163. मुझे पूर्ण विश्वास है कि उपर्युक्त जनोपयोगी वस्तुओं के क्रम में इन प्रस्तावों द्वारा प्रदत्त कर राहतों का लाभ, इन वस्तुओं के मूल्य में कमी करते हुये साधारण उपभोक्ता तक पहुंचाया जायेगा।

**मनोरंजन कर :**

164. ऐसे नवनिर्मित सिनेमा-गृह जो 31 मार्च, 2000 तक प्रारम्भ होते हैं, उनके प्रारम्भ होने की तिथि से पांच वर्षों तक मनोरंजन कर से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

**मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क :**

165. वर्तमान में आवासीय, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक भू-खण्ड, मकान आदि के हस्तान्तरण पर सामान्यत: 10% मुद्रांक शुल्क देय है। राज्य सरकार, नगरपालिकाओं, नगर विकास न्यासों, जयपुर विकास

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्राधिकरण एवं राजस्थान आवासन मण्डल के द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्डों के मामलों में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इसको घटाकर 6% किया गया है। इनके अच्छे परिणाम सामने आये हैं। लोगों को बेचान अथवा आवंटन सम्बन्धी दस्तावेज पंजीयन होने से कानूनी तौर पर राहत भी मिली है। इसी क्रम में, आम आदमी उक्त संस्थाओं द्वारा आवंटित सम्पत्ति का पंजीयन अपने नाम पर करा सके, इसको ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित करता हूं कि राज्य सरकार, नगरपालिकाओं, नगर विकास न्यासों, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल एवं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) द्वारा जो भू-खण्ड एवं मकान आवासीय, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटन अथवा नीलामी द्वारा बेचान किये जाते हैं, उन पर इन निकायों से प्रथम आवंटी/क्रेता को आवंटन/विक्रय का पंजीयन करवाने हेतु मुद्रांक शुल्क 10% से घटाकर 6% ही किया जाये, परन्तु यह सुविधा आबंटन करने वाली संस्था के इस आशय के प्रमाण पत्र पर ही देय होगी कि प्रथम आवंटी ने उन शर्तों एवं प्रयोजन का उल्लंघन नहीं किया है जिनके हेतु मूल आवंटन किया गया था। यह सुविधा आवंटन के पश्चात् अगले एक वित्तीय वर्ष में पंजीयन करवाने पर ही उपलब्ध होगी। पुराने सभी मामलों में जहां पर उपर्युक्त सीमा यदि पहले ही समाप्त हो गयी है तो यह छूट दिनांक 31 मार्च, 1997 तक पंजीयन करवाने पर दिया जाना प्रस्तावित है।

166. उक्त संस्थाओं द्वारा समझौते के क्रय अथवा समर्पण से प्राप्त की गई भूमि को राज्य सरकार द्वारा आवाप्त भूमि की भांति ही स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

## भाग-III

**वर्ष 1995-96 के संशोधित अनुमान :**

167. वर्ष 1995-96 में बजटीय घाटा 309 करोड़ रुपये का आंका गया था।

168 चालू वर्ष के दौरान कतिपय अपरिहार्य व्ययों यथा राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान दस प्रतिशत की अन्तरिम राहत की अतिरिक्त किश्त का चुकारा, बढ़ी हुई दरों पर बोनस का वर्ष 1993-94 का एरियर एवं बढ़ी हुई दरों के हिसाब से वर्ष 1994-95 का बोनस का चुकारा एवं अन्य मदों सहित 523 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च के कारण यह घाटा बढ़कर 832 करोड़ रुपये हो जाता, लेकिन राज्य सरकार द्वारा बेहतर संग्रहण तथा वसूली व मितव्ययता के फलस्वरूप 1995-96 के संशोधित अनुमानों में यह घाटा अब 56 करोड़ 85 लाख रुपये ही रहना अनुमानित किया गया है।

169. यहां भी उल्लेखनीय है कि बजट अनुमान 1995-96 के 309 करोड़ रुपये के समग्र घाटे में राजस्व घाटा 824 करोड़ 93 लाख रुपये का अनुमानित था। यह घाटा काफी मात्रा में कम होकर संशोधित

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अनुमानों में केवल 546 करोड़ 60 लाख रुपये का ही रहना अनुमानित है। राजस्व घाटे में यह कमी परिहार्य राजस्व व्यय में कटौती तथा राजस्व आय में वृद्धि के कारण रही है।

170. वर्ष 1995-96 के संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| 1. राजस्व प्राप्तियां | 7750 करोड़ 95 लाख रुपये |
| 2. राजस्व व्यय | 8297 करोड़ 55 लाख रुपये |
| 3. राजस्व खाते में घाटा | (—) 546 करोड़ 60 लाख रुपये |
| जिसमें गैर-आयोजना राजस्व अधिशेष है | 16 करोड़ 60 लाख रुपये |
| 4. पूंजीगत प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित) | 5140 करोड़ 31 लाख रुपये |
| 5. पूंजीगत व्यय | 4650 करोड़ 56 लाख रुपये |
| 6. पूंजीगत अधिक्य | (+) 489 करोड़ 75 लाख रुपये |
| 7. बजटीय घाटा | (—) 56 करोड़ 85 लाख रुपये |

171. चालू वित्तीय वर्ष की वार्षिक योजना का आकार 3200 करोड़ रुपये का है। इस आकार के निवेश को पूर्ण करने के लिये शासन कृत-संकल्प है।

172. वर्ष 1994-95 के वास्तविक लेखों के अनुसार पिछले वर्षों का 8 करोड़ 85 लाख रुपये का घाटा रहा तथा चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 56 करोड़ 85 लाख रुपये का घाटा अनुमानित होने के फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में 65 करोड़ 70 लाख रुपये का बजटीय घाटा रहने का फिलहाल अनुमान है। इस घाटे को भी वित्तीय वर्ष के बचे हुए दिनों में कठोर वित्तीय प्रबन्धन तथा बकाया आदि की बेहतर वसूली के माध्यम से सन्तुलित किये जाने का प्रयत्न रहेगा। मुझे उम्मीद है कि हम चालू वित्तीय वर्ष को एक सन्तुलित बजट के साथ समाप्त कर सकेंगे।

173. राज्य सरकार ने अपने विभागों के परिहार्य व्यय को कम करने तथा उपलब्ध संसाधनों में व्यय की प्राथमिकता निर्धारित करने के उद्देश्य से शून्य आधारित बजट प्रणाली के आधार पर विभागों के व्यय की समीक्षा प्रारम्भ की है। यद्यपि इसकी भावना सारे विभागों के अनुमानों में परिलक्षित होती है परन्तु चालू वित्तीय वर्ष में इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रणाली को गहनता से मूर्त रूप देने के लिए विशेष 12 विभागों को चिह्नित किया गया है। इसके अन्तर्गत की गई समीक्षा के सकारात्मक परिणाम आने प्रारम्भ हो गये हैं।

174. हमारे लिये यह सन्तोष का विषय है कि शासन द्वारा किये गये प्रशासनिक सुधारों और राजकीय मितव्ययता के प्रयासों के परिणाम अब परिलक्षित होने लगे हैं। भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राज्य के लिए 31 मार्च 1995 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की समीक्षा में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि राजस्थान में मुख्य करों की संग्रहण लागत का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है व बिक्री कर के सन्दर्भ में यह पिछले वर्षों से घटकर वर्ष 1994-95 में राष्ट्रीय औसत के बराबर आ गया है।

आय-व्यय अनुमान 1996-97 :

175. अगले वर्ष 1996-97 के आय-व्ययक अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| 1. राजस्व प्राप्तियां | 7514 करोड़ 58 लाख रुपये |
| 2. राजस्व व्यय | 7877 करोड़ रुपये |
| 3. राजस्व घाटा | (—) 362 करोड़ 42 लाख रुपये |
| जिसमें गैर-आयोजना राजस्व अधिशेष है | 84 करोड़ 59 लाख रुपये |
| 4. पूंजिगत प्राप्तियां (लोक लेखों की शुद्ध प्राप्तियों सहित) | 3774 करोड़ 29 लाख रुपये |
| 5. पूंजीगत व्यय | 3550 करोड़ 96 लाख रुपये |
| 6. पूंजीगत आधिक्य | (+) 223 करोड़ 33 लाख रुपये |
| 7. बजटीय घाटा | (—) 139 करोड़ 9 लाख रुपये |

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

176. वर्ष 1996-97 के बजट अनुमानों में सम्मिलित संसाधनों में बाजार ऋण एवं केन्द्रीय आयोजना सहायता की राशि चालू वित्तीय वर्ष के समान स्तर पर अंकित की गई है जबकि गत वर्षों की परिपाटी के आधार पर उक्त दोनों मदों के अन्तर्गत राज्य को योजना आयोग द्वारा 140 करोड़ रुपये की अधिक राशि स्वीकृत किये जाने की सम्भावना है। इस प्रकार वर्ष 1996-97 के अनुमानों में जो बजटीय घाटा 139 करोड़ 9 लाख रुपये का इंगित किया गया है, उसे भी हम उक्त प्रकार प्राप्त होने वाली राशि तथा करों के सुसंगतीकरण द्वारा सन्तुलित कर देंगे।

177. मैंने गत बजट प्रस्तुत करते समय गैर-आयोजना राजस्व घाटे को दो वर्षों में समाप्त कर दिये जाने का संकल्प किया था। तदनुसार, मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए खुशी है कि गैर-आयोजना राजस्व घाट जो चालू वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों में 73 करोड़ 56 लाख रुपये का आंका गया था, न केवल सन्तुलित किया जा चुका है वरन् अब वर्ष के अन्त तक गैर-आयोजना राजस्व घाटे में 16 करोड़ 60 लाख रुपये का अधिशेष अनुमानित है। इसी क्रम की निरन्तरता में वर्ष 1996-97 में गैर-आयोजना राजस्व घाटे में 84 करोड़ 59 लाख रुपये का अधिषेष अनुमानित किया गया है। मुझे सन्तोष है कि इस प्रकार सरकार ने अपने संकल्प की पूर्ति कर दी है।

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी द्वारा सदन में धरना)

178. अगले वर्ष के 3200 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आयोजना व्यय के वित्त पोषण हेतु राज्य के स्वयं के संसाधन 1280 करोड़ 48 लाख रुपये, बाजार एवं संस्थागत ऋण 942 करोड़ 12 लाख रुपये, केन्द्रीय सहायता 488 करोड़ 31 लाख रुपये, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु 350 करोड़ रुपये के संसाधन उपलब्ध होना आंका गया है।

**लेखानुदान :**

179. विधान सभा की कार्यवाही परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में यह प्रतीत होता है कि सदन के पास बजट अनुमान 1996-97 पर विस्तृत रूप से चर्चा कर पारित करने का पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं है अतः मैं सदन के समक्ष फिलहाल अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम चार माह के व्यय की स्वीकृति हेतु लेखानुदान के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। इस लेखानुदान में मांग संख्या—7 निर्वाचन, मांग संख्या—34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत एवं मांग संख्या—45 राज्य कर्मचारियों को ऋण—अनाज ऋण आदि के लिए पूरे वर्ष के लिये वांछित राशि की मांग की गई है क्योंकि इन मदों में होने वाले सामयिक व्यय इन्हीं माहों में होने की सम्भावना है तथा इस व्यय को स्थगित नहीं किया जा सकता है। यद्यपि अनुदान मांगों में प्रस्तावित राशि से नवीन सेवा के लिये कोई व्यय नहीं किया जाएगा तथापि चुनाव, प्राकृतिक आपदाओं से राहत तथा चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत आवश्यक सेवाओं हेतु आवश्यकता पड़ने पर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नवीन सेवाओं पर भी व्यय करने की अनुमति के प्रस्ताव हैं।

180. इस आशा व संकल्प के साथ कि मेरे ये विकासोन्मुख बजट प्रस्ताव राज्य के विकास व जनता के कल्याण में उत्तरोत्तर प्रगति के साधन बनें ताकि राजस्थान देश के अन्य विकसित राज्यों की गौरवशाली पंक्ति में खड़ा हो सके, मैं इन बजट प्रस्तावों को मय लेखानुदान प्रस्ताव के, स्वीकृत करने की सिफारिश के साथ माननीय सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं। जय हिन्द

**श्री अध्यक्ष** : सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.35 बजे एक घण्टे के लिये स्थगित हुई।)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री शान्तिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

### व्यवस्था का प्रश्न

### लेखानुदान एवं आयव्ययक अनुमान प्रस्तुत करने की प्रक्रिया एवं तत्सम्बन्धी पत्रों का सदन पटल पर उपस्थापन एवं उपस्थापन से पूर्व प्रेस को सूचना

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** (वल्लभ नगर) : अध्यक्ष महोदय, इधर भी देख लिया करो उधर-ही-उधर क्या देख रहे हो।

**श्री अध्यक्ष** : आपकी तरफ ही देख रहा हूं मैं तो। माननीय मुख्य मंत्री जी।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष ··· (व्यवधान)

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी) : नेता महोदय, विराजे जायें। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय को भी मालूम है कि एक-दो दिन में चुनाव अनाउन्स होने वाले हैं। आपने जो भाषण दिया है यह चुनाव की आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। आपके पास यह विकल्प था कि पिछले साल के खर्चे के आधार पर चार महीने के लिये वह ले लेते। उसकी जगह आपने एक चुनाव का भाषण दिया है जो आचार-संहिता का खुला उल्लंघन है। द्वितीय, अभी यह विचारार्थ लेने के लिये कह रहे हैं तो भाषण के तुरन्त बाद में सदन की मेज पर रख दी जानी चाहिये थीं यह सब पत्रावलियां। वह रखी नहीं, गयीं हमको मालूम हुआ नहीं, उस पर हम कैसे क्या विचार करेंगे ?······ (व्यवधान)···

**श्री नाथूसिंह** (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : यह कोई उल्लंघन नहीं है।

**एक माननीय सदस्य** : आप अध्यक्ष हो क्या ?

**श्री नाथूसिंह** : बिल्कुल-बिल्कुल। अध्यक्ष महोदय, चन्दनमलजी ने भी इस तरह का

(श्री नाथूसिंह)

एक बार रखा था। इस हाउस के अन्दर। ...(व्यवधान)

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : हमने तो गलती कर दी तो कर दी। आपने एक चुनाव का भाषण दिया है। मुख्य मंत्री महोदय, आपकी जो चुम्बकीय आकर्षण शक्ति थी ना वह धीरे-धीरे क्षीण होती जा रही है, आपके साथ बहुत ही अनुभवी, अपने पूर्व अध्यक्षजी भाभड़ा साहब, चतुर्वेदीजी जैसे व्यक्ति हैं उनसे बजट पेश करवाइये। आप केवल चुनावी भाषण फरमाते हैं। सब बात में ही चुनाव और वो क्षीण हो रही है। क्षमता।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक) : ये जन्म, परण, मरण और चुनाव रुक सकते हैं क्या ? ये तो चालू रहेंगे।

**श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। आज की जो कार्य सूची जारी हुई है उसमें सबसे पहले माननीय वित्त मंत्रीजी का भाषण था उसके बाद में इनको लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करना था। यह सब आज की कार्यसूची में था। माननीय अध्यक्ष जी, वित्त मंत्रीजी का भाषण पढ़ने के बाद में मेरे ख्याल से इधर की आपत्ति को मानते हुये इनको आगे वाले पेपर रखने के लिये मना कर दिया गया, नहीं रखने दिये इनको और सदन की कार्यवाही आपने स्थगित कर दी। इसलिये पहले तो हमें यह जानकारी मिलनी चाहिये कि आपने किसके एतराज को स्वीकार करते हुये माननीय मुख्य मंत्रीजी को रोका और जब यह मामला रुक गया तो अब मामला उलझन में पड़ गया है और जो माननीय विश्नोई जी ने कहा है उस बात को निगाह में रखकर आप अपनी रूलिंग दीजिये और रूलिंग के बाद आगे की कार्यवाही चलाइये। दे ही दो आज रूलिंग।

**श्री रमाकान्त** (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी जो माननीय वित्त मंत्री, मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण प्रस्तुत किया पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज की कार्यसूची में पहला कार्य यही था कि मुख्य मंत्री, राजस्थान राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) उपस्थापित करेंगे। इसके साथ में बजट भाषण सम्मिलित है। तो इन्होंने जो फुल बजट कायदे का होता है वह प्रस्तुत किया है और फुल बजट स्पीच जो होती है वो दी है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह पहली बार इस विधान सभा में नहीं हुआ। वर्ष 1989-90 के अन्दर माननीय शिवचरण जी माथुर ने भी इसी प्रकार का फुल बजट प्रस्तुत किया था।

**श्री शिवनाथ सिंह** : यह सवाल ही नहीं है।

**श्री रमाकान्त** : मेरा निवेदन तो कर लेना दीजिये। जब मैं बोल रहा हूं तो, आप बाद में जवाब देना।

पूरा बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था और इसी प्रकार से बजट भाषण भी था और इसी प्रकार की सारी-सारी बातें थीं। यह पहले 1984-85 में. बृजसुन्दर जी ने भी

(श्री रमाकान्त)

प्रस्तुत किया था। उन्होंने भी फुल भाषण प्रस्तुत किया था और पूरा बजट प्रस्तुत किया था। अब इसके बाद में, पूरा प्रस्तुत करने के बाद में लेखानुदान पर मांग तो अब करेंगे और लेखानुदान पर जब मांग करेंगे उस समय उसके नियम कोई दूसरे हैं जो बात आ जायेगी परन्तु अभी जो प्रस्तुत किया गया है, बजट भाषण प्रस्तुत किया गया है। लेखानुदान पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और प्रस्तुत करना चाहूंगा कि कांस्टीट्यूशन में प्रोवाइडेड फोर है कि पहले पूरा प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके बाद में जो डिस्कशन हैं वो डिस्कशन दो महीने, 4 महीने बाद हो सकते हैं। उसका एक लाभ यह भी है कि माननीय सभी सदस्यों को मौका मिल जायेगा सारे बजट को अच्छी तरह से स्टडी करने के लिये, तो जो इस पर वाद-विवाद होगा, जो इसके अन्दर सारी चीजें होंगी वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से हो सकेंगी क्योंकि इसमें अध्ययन ज्यादा अच्छा हो जायेगा। साधारणतः दो महीने के लिये लेखानुदान मांगते हैं परन्तु जब इसमें प्रोवाइडेड फोर है और यह मैं आप कहें तो प्रेक्टिस एण्ड प्रोसिजर पढ़ देता हूं, इसमें यह बात लिखी हुई है कि चुनाव साल के अन्दर 4 महीने के लिये भी हो सकता है, 3 महीने के लिये हो सकता है, दो महीने से लेकर किसी भी ज्यादा समय के लिये हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल यह है कि यह कहा जाय कि यह चुनाव का वर्ष है, अभी-अभी भारत सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है और भारत सरकार ने ग्रामीण विकास के लिये बहुत बड़ी धनराशि बतायी है कि इतने हजार के बजाय 30 हजार करोड़ों गांवों के अन्दर देंगे तो वो क्या था? वो चुनाव का भाषण था या वो किस प्रकार का भाषण था? तो इसलिये जब बजट फुल आता है तो बजट के अन्दर यह बताया जाता है कि कौन-से हम अच्छे काम करने जा रहे हैं···

**श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, भाषण हो रहा है क्या?

**श्री रमाकान्त** : इस साल के अन्दर हम क्या-क्या काम करेंगे, किस तरह का काम करेंगे। अब चूंकि पहले तो अच्छा काम इन लोगों ने कभी किया नहीं और अब इतना अच्छा बजट आ गया तो इनके पेट में हलचल मच गयी कि इतना अच्छा बजट है तो अब इसका क्या बनेगा, क्या कहेंगे हम लोगों को क्योंकि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कोई चीज छोड़ी ही नहीं है इसके अन्दर किसी वर्ग के लिये किसी भी तरह के लोगों के लिये, प्रत्येक काम के अन्दर इन्होंने विकास की बात कही है। तो अब बजट जो आया है और चुनाव आ रहे हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? काम तो करना ही है इस साल के अन्दर।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : ऐसा है, शर्मा साहब, जब आप नौकरी में थे तब तो हमारी तारीफ करते रहे और अब साइड बदल कर उधर चले गये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जब पाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया तब मेरी कोई इन्टेशन यह नहीं थी कि व्यवधान हो और आपके अपोजिशन में कोई बाधा डालूं। अध्यक्ष महोदय, पहली चीज तो यह है, जैसा आपने फरमाया कि पाइन्ट आफ आर्डर फाइनेंस मिनिस्टर के भाषण में आप उठा ही नहीं सकते, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कानून ही नहीं है। मैं आपको यह बार-बार अर्ज कर रहा था, मुझे याद है, अध्यक्ष महोदय, आज से कम-से-कम दो महीने पहले या डेढ़ महीने पहले मुख्य मंत्री जी का भाषण आया था और फाइनेंस मिनिस्टर साहब के हिसाब से भी ये बोले थे कि चूंकि प्लानिंग कमीशन का पूरा अभी तक खाका अप्रूव्ड नहीं हुआ है राजस्थान के लिए इसलिये हम भी इस पोजिशन में नहीं है, राजस्थान सरकार इस पोजिशन में नहीं है कि पूरे बजट के प्रोविजन क्या रखे जायें और चूंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं इसलिये इन्टरिम बजट पेश करेंगे। उसी के तहत पूरे राजस्थान में एक यह ओपिनियन चली कि पहले इन्टरिम बजट होगा और इलेक्शंस के बाद में पूरा बजट होगा। अब आपने यहां पर पूरा बजट अलाउ कर दिया। तो मैं उस समय आप जो फरमा रहे हैं···(व्यवधान) मैं जो आब्जेक्शन उठा रहा था, मेरा राइट था, अध्यक्ष महोदय, कि मैं पाइन्ट आफ आर्डर उठाऊं और पाइन्ट आफ आर्डर उठाकर सदन का और आपका ध्यान उसके प्रति आकर्षित करूं। अब वो की वो बात पूनमचन्द जी साहब ने फरमायी है। अब सब-जने यही कह रहे हैं और अब भी उस बात को समझें। उस समय आप 5 मिनट सुन लेते तो इतनी बात बढ़ती भी नहीं, इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूं अभी तक भी।

एक दूसरा बिन्दु और है, अध्यक्ष महोदय, कि आपने जब इनको अलाउ नहीं किया यहां बिल पेश करने के लिये तो ये बाहर प्रेस को कैसे बंट गया? जब पुरःस्थापित ही नहीं हुआ है, उसकी इन्फार्मेशन और उसकी बुकलेटस दे दी और फाइनेंस सैक्रेटरी ने बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग भी कर दी, तो मेहरबानी करके इस पर आप रूलिंग देवें।

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक सैकण्ड का समय दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांस्टीट्यूशन के मुताबिक पूरे साल का बजट पेश करना कम्पलसरी है। मैं पढ़कर अर्ज करता हूं आपको, Procedure in Financial Matters. कांस्टीट्यूशन की 112 अर्ज कर रहा हूं मैं आपको, "(1) The President shall in respect of every financial year cause to be laid before both the Houses of Parliament a statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for that year, in this Part referred to as the 'annual financial statements.' (2) The estimates of expenditure embodied in the annual financial statement shall show separately..." the aims required, the sums required, so many things are there. यहां कंफ्यूजन क्या हो, रहा है? पहले जो पेश किया गया है वह फुल बजट है जो कांस्टीट्यूशन के मुताबिक है, वोट-आन-

(श्री रमाकान्त शर्मा)

अकाउंट की बात तो अब आयेगी। वोट-आन-अकाउंट का मामला तो अब प्रस्तुत करेंगे जिसके बारे में चर्चा होगी, जिस तरह से पास करना होगा, पास करेंगे। परन्तु पहले जो बजट पेश कर दिया गया, रख दिया गया है यहां पर और नेचुरली जब रख दिया गया तो बाहर भी चला गया है।

**श्री चन्दनमल बैद** (तारानगर) : उपस्थापन नहीं किया गया है। (व्यवधान) नहीं, खाली पढ़ा गया है उसको उपस्थापित नहीं किया गया है।

**श्री रमाकान्त शर्मा** : बजट भाषण पूरा पढ़ दिया गया है जिसके बारे में चर्चा है।

**श्री चन्दनमल बैद** : पढ़ना उपस्थापित करना नहीं है।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : यह तो सदन के नेता महोदय का भाषण मात्र था। बजट पुरःस्थापित नहीं किया गया है; उसी वक्त एतराज कर दिया गया था क्योंकि आपने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी थी।

**श्री चन्दनमल बैद** : जब उपस्थापित नहीं किया गया तो प्रेस को आपने कैसे बताया और कैसे फाइनेंस सैक्रेटरी ने इसके बारे में प्रेस को सूचना दी? जब हाउस को नहीं बताया गया तो आपने प्रेस को कैसे सूचना दे दी?

**श्री लक्ष्मणसिंह** (भीम) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने एक गंभीर मसला है और मेरा आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन है कि सभी बिन्दुओं पर गंभीरता से और गहराई से विचार करके ही कोई रूलिंग दीजियेगा। ऐसा न हो कि सरकार के कहने से या दबाव से हमको कोई ऐसी रूलिंग दे दें जिसके कारण आगे एक गलत परम्परा पड़ जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बिन्दु उठाना चाहूंगा और आपसे निवेदन है कि कृपया दो-तीन बिन्दुओं पर स्पष्ट रूप से रूलिंग दीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, कॉल एण्ड शकधर की पुस्तक, जो कि हमारे लिये वाइटल गाइड लाइन है, के हिसाब से मेरा पहला पाइंट तो यह है कि इस सरकार को वोट ऑन अकाउंट प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। यह सरकार वोट आन अकाउंट प्रस्तुत नहीं कर सकती है। अगर राजस्थान के अन्दर चुनाव हो रहे होते अगले आने वाले दो-तीन महीनों के अन्दर, तब अगर यह सरकार वोट आन अकाउंट प्रस्तुत करती तो इसका औचित्य भी समझ में आता था लेकिन इस सरकार ने जान बूझकर इस सैशन को डिले किया है। अगर सैशन को यह समय पर प्रारम्भ करती और पूरा बजट आता, उनकी डिमाण्ड्स आती और समय पर ही वह डिमाण्ड्स पारित करती तो इस वोट आन अकाउंट की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिये पहली चीज तो यह कि वोट आन अकाउंट प्रस्तुत क्यों किया जा रहा है और यह मेरे हिसाब से कॉल एण्ड शकधर की पुस्तक के हिसाब से भी गलत है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, वोट आन अकाउंट नार्मली दो महीने के लिये लाया

(श्री लक्ष्मणसिंह)

जाता है। एक्सेप्शनल केसेज में चार महीने के लिए वोट आन अकाउंट लाया जाता है। हम सरकार से यह जानना चाहेंगे कि वोट ओन अकाउंट दो महीने के बजाय चार महीने के लिए क्यों ले रहे हैं ? मैं कॉल एण्ड शकधर से कोट करना चाहूंगा :—

"Normally the vote on account is taken for two months only. But during an election year or when it is anticipated that the main demands will take longer than two months to be passed by the House, the vote on account may be for a period exceeding two months."

यहां पर इलेक्शन से तात्पर्य है उस स्टेट का जहां पर यह वोट आन अकाउंट प्रस्तुत किया जा रहा है। यहां पर कोई इलेक्शन नहीं है इसलिए दो महीने से ज्यादा वोट आन अकाउंट लाने का इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है। यह सरकार स्पष्ट करे कि क्यों दो महीने से ज्यादा का वोट आन अकाउंट ले रही है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा पाइंट है, जब दो महीने से ज्यादा का वोट आन अकाउंट लाया जाता है तो सदस्यों का यह अधिकार है कि वह कटमोशन्स प्रस्तुत करें। कटमोशन्स प्रस्तुत करने के लिए कोई समय नहीं दिया जा रहा है। न इस कार्यसूची में दिया जा रहा है और कल अन्तिम दिवस है। इसमें भी मैं कॉल एण्ड शकधर से यह कोट करना चाहूंगा। I quote :

"Where the vote on account is taken for more than two months, and there is a time lag between the vote on account and the discussion on the main demands, a discussion of the policy relating to the Demands for Grants on account is permitted and cut motions are allowed to be moved to these demands."

कटमोशन्स मूव करने का हमारा अधिकार है। उन कटमोशन्स को मूव करने के लिए हमें कोई समय नहीं दिया जा रहा है। इसके ऊपर भी कृपया आप अपनी रूलिंग दीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा चौथा पाइंट है कि बजट के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने कई न्यू सर्विसेज की घोषणा कर दी है। जब वोट आन अकाउंट लिया जा रहा है तो मुख्य मंत्री जी के क्षेत्राधिकार में, सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं है कि वह कोई न्यू सर्विसेज की घोषणा करें। इसी संदर्भ में कौल एण्ड शकधर ने कहा है, 'It cannot normally be used as a means to obtain Parliament's approval for new services.' अर्थात् आप जो यह न्यू सर्विसेज की घोषणा कर रहे हैं यह तो फुल

(श्री लक्ष्मणसिंह)

फ्लेश्ड बजट के साथ आता है और जिसकी डिमाण्ड्स आप पास करते हैं। आपने एक तरफ तो अपनी न्यू सर्विसेज की घोषणा कर दी है, कटमोशन्स का हमें समय नहीं दे रहे हैं और साथ ही साथ लेखानुदान को पारित करने के लिए यहां पर प्रस्ताव रखा जा रहा है। मेरा आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन है कि इस सरकार के द्वारा जो गलत परम्पराएं डालने के लिए आज लेखानुदान प्रस्तुत किया जा रहा है, इसे रोका जाय और मेरे सारे बिन्दुओं का उत्तर दिया जाय।

**श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा)** : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही प्योरली यह कान्स्ट्रीयूशनल पाइंट है। अब पूरा बजट पेश कर दिया, पूरे बजट पर भाषण दे दिया यह तो आपके देखने की बात थी, आप जो इलेक्शन की आचार संहिता को मानने वाले हैं, उसका आपने क्यों उल्लंघन किया। यह सिर्फ आपके देखने की बात है। मेरी मान्यता यह है कि पूरा पेश हो सकता है और जब पूरा बजट पेश होगा तो जो न्यू सर्विसेज है उनको रखेंगे। यह माननीय मुख्य मंत्रीजी के लिए उचित नहीं था कि वे इस प्रकार करते। लेकिन जब उल्लंघन करने लग गये हैं तो उल्लंघन करते जायें हम उसके लिए कह ही सकते हैं, रोक नहीं सकते। अध्यक्ष जी, मेरा कान्स्टीट्यूशनल पाइंट सिर्फ इतना ही है कि जैसे ही आपने भाषण पढ़ा उसके बाद सम्बन्धित कागजात, पेपर्स यहां ले होने चाहिये थे और उसके लिए आपने आज की लिस्ट आफ बिजनेस में दे दिया था। जैसे ही आपने भाषण पढ़ा, आपने वित्त मंत्रीजी को, मुख्य मंत्री जी को रोक दिया कि आगे की कार्यवाही आप नहीं कर सकते हैं और आपने हाउस को एडजोर्न कर दिया। जब हाउस एडजोर्न हो गया···(व्यवधान)··· और जब एडजोर्न कर दिया तो एक स्थिति ऐसी आ गयी कि एडजोर्न के बाद हाउस के सामने कोई भी न तो बजट की प्रति है, न भाषण की प्रतिलिपि है और न लेखानुदान के बारे में हमको कोई जानकारी है। उस बीच में आपने, मैं नहीं कह सकता कि मुख्य मंत्री जी ने किया, लेकिन आपके अधिकारी ने यहां प्रेस को ब्रीफ कर दिया। जो कागजात व पेपर्स हाउस के सामने नहीं हैं, उस बजट की प्रति हमारे सामने नहीं है। उन सबके ऊपर आपके अधिकारी ने, फाइनेन्स सैकेट्री ने पूरे प्रेस को ब्रीफ कर दिया। मेरे ख्याल से इससे अधिक अनकान्स्टीट्यूशनल काम हो नहीं सकता है और यह सदन का····

**अनेक माननीय सदस्य** : अपमान है।

**श्री शिवनाथ सिंह** : ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इस मामले में आप पूर्णतयः कानून का अध्ययन करके इस प्रकार की रूलिंग दें जिससे आगे के लिए वह परम्परा गलत न पड़ जाय। यह प्योरली कांस्टीट्यूशनल ब्रीच है। हाउस के प्रिविलेज का ब्रीच है। इस पाइंट पर आप हमको पहले रूलिंग दें, उसके बाद आगे की कार्यवाही करें।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी राय दे रहा हूं।···

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : आप दोनों तरफ से रहे हुए हैं।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : इसलिए मैं अपनी राय दे रहा हूं। मेरी राय बहुत निष्पक्ष होगी, आप सुनिए।

सबसे पहले तो माननीय भाटीजी ने जो पाइंट ऑफ आर्डर उठाया है तो वे पाइंट ऑफ आर्डर का रूल 294 पढ़ लें। कभी पाइंट ऑफ आर्डर किसी भाषण के बीच में नहीं उठाया जाता है। पाइंट ऑफ आर्डर तब उठाया जाता है जब हाउस में··· (व्यवधान)···सुनिये आप। पहले मेरी बात सुन लीलिए। एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस की तरफ हाउस जाता है। It is to bring the House in order. कि वह आर्डर में नहीं जा रहा है इसलिए पाइंट ऑफ आर्डर उठता है सामान्यत:। बाकी जो बीच में उठाया जाता है तो वह किसी एलीगेशन में किसी एक तथ्य पेर चैलेंज करने के लिए उठाया जाता है, जनरल नहीं उठाया जाता है। या तो भाषण शुरू करने से पहले यह पाइंट ऑफ आर्डर उठाते कि साहब, यह भाषण होना ही नहीं चाहिये, बजट होना ही नहीं चाहिये···

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : यह गलत व्याख्या कर रहे हैं आप।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : आप मेरी सुन तो लें।

> "A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House and shall raise a question which is within the cognizance of the Speaker.
>
> "(2) A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment :"

स्पीच की बात कर रहे हैं, नाट ए बिजनेस ! आप बैठिए, मेरी बात सुन लीजिये। (व्यवधान)

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : मैं जब हाउस में आया था तभी तो उठाया था।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : खैर, अब उन्होंने जो तथ्य रखा है, वह तथ्य यह रखा कि हाउस में यह पूरा बजट पेश नहीं कर सकते। पहली बात तो यह है कि इस सम्बन्ध में कोई कान्स्टीट्यूशनल बार नहीं है। न आपके रूल्स में है, न कान्स्टीट्यूशन में है। यह गवर्नमेंट की मर्जी पर है कि वह हाउस में इन्टरिम बजट पेश करे या फुल बजट पेश करे। गवर्नमेंट ने तय किया कि हम पूरा बजट पेश करेंगे, पूरा बजट पेश कर दिया। चूंकि कान्स्टीट्यूशन में कोई बार नहीं है इसलिए यह कोई इल्लीगल या अनकांस्टीट्यूशनल नहीं है। इसलिए यह जो बजट पेश हुआ है वह इंटरिम नहीं है।

अब रहा सवाल कि पूरा बजट लागू तब होगा जबकि, अब दुबारा तो बजट पेश

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

होगा नहीं, बजट तो यही रहेगा, डिमाण्ड्स पर डिस्कशन होने के बाद पूरा बजट लागू होगा। जब तक डिमाण्ड्स पर डिस्कशन नहीं हो तब तक के लिए वोट आन अकाउंट मांगा जाय। अब यह आपत्ति उठाई गयी थी कि यह वोट आन अकाउंट दो महीने से ज्यादा क्यों मांगा गया। तो आप सब जानते हैं कि अभी तक इलेक्शन की डेट्स घोषित नहीं हुई हैं, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। सम्भावनाएं चल रही हैं कि इलेक्शन मई के अन्त तक जा सकता है। जब मई के अन्त तक इलेक्शन जा सकता है तो उस हालत में चार महीने ही होते हैं, उससे कम हो ही नहीं सकते। क्योंकि यदि मई में इलेक्शन समाप्त होने हैं तो आप जून में फिर मिलेंगे। तभी जाकर चार महीने तो अपने आप हो गये, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसलिए इस जून में जब पास होगा···(व्यवधान)··· पूरी बात तो सुन लीजिए आप। देखिए, यह भी इम्पेरेटिव (Imparative) नहीं है वोट आन अकाउंट अभी तो, खैर, पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं इसलिये इलेक्शन

(14.00)

ईयर है। केवल आपकी विधान सभा का इलेक्शन हो, वही इलेक्शन नहीं होता है। पार्लियामेंट का इलेक्शन तो सारे हिन्दुस्तान में होगा, राजस्थान में भी होगा। इसलिए चूंकि पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है और राजस्थान उसमें से अलग है, ऐसा नहीं है। जब इलेक्शन सारे देश में हो रहा है तो इट इज इन इलेक्शन। यह है। इसको इलेक्शन इयर ही मानना पड़ेगा? आपको? आपने उसको क्वालिफाई किया है, अपनी मर्जी से किया है। उसमें क्वालिफिकेशन नहीं है कि इलेक्शन मीन्स इलेक्शन फोर ए पर्टिकूलर स्टेट। ऐसा नहीं है इलेक्शन इयर आज पूरे देश के लिए है।

दूसरी बात, जो श्रीमन्, आपने फरमायी थी कि इलेक्शन ईयर में कोड आफ कण्डक्ट का ब्रीच है। किसी भी जगह आप उठाकर दिखा दीजिये कि बिफोर दी पब्लिकेशन आफ दी नोटिफिकेशन यदि कहीं भी हम काम करते हैं तो कोड ऑफ कण्डक्ट का ब्रीच है। यह केवल जुबानी कहने नहीं होता है। पोजिशन लीगल यह है कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक कोड ऑफ कण्डक्ट एप्लीकेबल नहीं है और जबरदस्ती खींचतान करके आप एप्लीकेबल कर रहे हैं। दो दिन में होगा कि तीन दिन में होगा, यह कौन जानता है। नोटिफिकेशन कब जारी होगा, Who know it? यहां कौन अधिकारपूर्वक कह सकता है?

तीसरी बात जो है, महत्वपूर्ण बात है कि स्पीच पेपर लेड डाउन नहीं हो। यह बात सही है, होनी चाहिए। चूंकि अध्यक्ष महोदय ने एडजोर्न कर दिया हाउस, तो यह अध्यक्ष महोदय के अधिकार में है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : यह हमारी भावनाओं का आदर करते हुए नहीं किया है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह बहुत अच्छा

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

किया है क्योंकि यह अध्यक्ष महोदय के अधिकार में है। (व्यवधान)

**श्री चन्दनमल बैद** : माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, आप ही की बात कह रहा हूं। आप ही को सप्लीमेंट कर रहा हूं मैं। (व्यवधान)

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : मेरी सारी बात सुन लीजिये। (व्यवधान)

**श्री चन्दनमल बैद** : जब टेबल आफ द हाउस पर स्पीच नहीं रखी गयी है तो वह स्पीच प्रेस के पास कैसे पहुंची ? (व्यवधान)

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : मैं जवाब दे रहा हूं इसका भी। यह तो ऐसा प्रोसिजरल मामला है कि जिसको रेक्टीफाई करने का अधिकार अध्यक्ष महोदय को है। अध्यक्ष महोदय इसको रेक्टीफाई कर सकते हैं। यह उनके रेजिड्युअरी पावर्स में है आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है।

अब रहा सवाल यह, जो स्पीच यहां से गयी उसमें प्रेस भी इन्वाल्व है। यह स्पीच केवल आपने नहीं सुनी है, यह स्पीच प्रेस ने भी सुनी है और इसलिए जो ब्रीफिंग हुआ है, वह जो स्पीच दी गयी है उसी का ब्रीफिंग हुआ है और यह स्पीच पब्लिश हो चुकी है। आज, मान लीलिये, आप ले डाउन भी नहीं करें तो It will be published in the papers. क्योंकि अब यह दी जा चुकी है और कोई प्रतिबन्ध इस पर नहीं है कि यह पब्लिश नहीं हो। तो यह भी कोई बड़ी भारी इरगुलेरिटी नहीं हो गयी। जो स्पीच सबने सुन ली, प्रेस ने सुन ली, प्रेस में आने वाली है आटोमेटिकली। वह तो क्लेरीफिकेशन था। मान लीजिये, क्लेरीफिकेशन नहीं भी करते तो भी स्पीच तो आती क्योंकि स्पीच सबने सुन ली है। तो इसलिए यह बहुत टैक्निकल छोटी-छोटी बातें हैं जो आप उठा रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण कान्स्टीट्यूशनल मामला नहीं है। मेरा निवेदन है कि ऐसे मामलों में हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

**श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : इसका मतलब यह है कि हाउस के प्रति सम्मान नहीं किया गया है। हाउस के प्रति सम्मान है क्या ? यह हाउस के प्रति सम्मान मानते हो क्या ? इस प्रकार की कार्यवाही को आप हाउस के प्रति सम्मान मानते हो क्या ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री)** : अध्यक्ष महोदय, मैं बता देऊं आपको।

अध्यक्ष महोदय दो तीन बिन्दु उठाये जिनका जवाब माननीय श्री भाभड़ाजी ने दिया है। मैं दो एक बातें इस सम्बन्ध में रखना चाहूंगा। आप लोग सब कान्स्टीट्यूशन के एक्सपर्ट हैं। मैं उतना कान्स्टीट्यूशन के बारे में नहीं जानता लेकिन आपने एक बात पूछना चाहता हूं कि कहीं कान्स्टीट्यूशन में "इंटरिम बजट" इस प्रकार का शब्द है क्या ?

**श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)** : नहीं है।

**श्री शिवनाथसिंह** : नहीं है, नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं है तो इंटरिम बजट की तो बात खतम हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कान्स्टीट्यूशनल, इंटरिम बजट की कोई बात नहीं है, एक। कान्स्टीट्यूशन में है, 'स्टेटमेंट आफ अकाउंटस' "एनुअल स्टेटमैंट आफ अकाउंटस", यह कान्स्टीट्यूशनल मेरे ऊपर पाबन्दी है कि मैं साल के अन्त में या साल के अन्त के पहले महीने में किसी भी समय नैक्स्ट ईयर के लिए पेश करूं। मेरा यह कान्स्टीट्यूशनल राइट है। उस राइट के नाते मैंने स्टेटमेंट आफ अकाउंट्स इस सदन की मेज पर रखे हैं। बजट नाम का शब्द भी कान्स्टीट्यूशन में नहीं है। "एनुअल स्टेटमैंट आफ अकाउंट्स" इसकी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के सामने मैंने इसको रखा है। अब रखने में प्रश्न यह आया कि बजट के साथ मुझे वोट आन अकाउंट के बारे में जो बिल पेश करने चाहिए थे या ये सारे कागज पेश करने चाहिए थे, बजट और वह सब मैं पेश नहीं कर पाया।

अभी विश्नोई साहब ने मेरी बड़ी मदद की। मैं जिस समय रख रहा था उस समय विश्नोई साहब ने कहा कि हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपने स्थगित कर दिया। स्थगित कर दिया उस समय भी आपको जानकारी होगी कि मैंने वह स्थगन बात सुनी नहीं थी और मैं बिल पेश करना चाहता था तो आपमें से किसी ने कहा कि सदन की कार्यवाही तो स्थगित हो गयी। तो इसलिए मैं उसको नहीं पेश कर पाया। तथ्य बता रहा हूं। इसमें कोई मेरी नीयत हो कि मुझे यह बिल पेश नहीं करना है या बजट पेश नहीं करना है, इस प्रकार की स्थिति नहीं थी।

माननीय भाटी साहब ने दो प्रश्न उठाये। उन्होंने आपत्ति और पाइंट आफ आर्डर इस बात के लिए उठाया कि मैंने अगले वर्ष का प्लान, 3200 करोड़ रुपये का प्रावधान जो इसमें रखा है वह मैं नहीं रख सकता। मैं उनकी जानकारी के लिए बता देऊं, अभी तो मेरे पास वह पत्र नहीं है लेकिन आप चाहेंगे तो फाइनेंस कमीशन का लैटर मेरे पास आया हुआ है। मैंने जब शायद आज के चार महीने में कोई तारीख तय की थी, नैक्स्ट ईयर के एनुअल प्लान के ऊपर चर्चा करने के लिए तारीख निश्चित कर दी; हम तैयार भी थे, उस समय फाइनेंस कमीशन का एक लैटर आया था...

श्री चन्दनमल बैद : प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सारी। प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का एक लैटर आया कि अगले वर्ष जो नयी सरकार आयेगी वही इस पर विचार करेगी लेकिन मोटे रूप से जो गत वर्ष की सारी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के आधार पर नैक्स्ट ईयर के प्लान के ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। यह आफिशियल लैटर है, मैंने अपनी तरफ से उसमें कुछ नहीं लिखा है।

एक प्रश्न अभी लक्ष्मणसिंहजी ने उठाया कि इसके अन्दर कटमोशन्स वगैरह नहीं दिये जायेंगे। मैं आपको इतनी जानकारी दे देऊं कि इलेक्शन ईयर में इलेक्शन की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पाबन्दियां लागू होती हैं कोड आफ कण्डक्ट से। कोड आफ कण्डक्ट लागू होता है इलेक्शन का नोटिफिकेशन इश्यू होने से। उसके पहले और अभी तक हम अंधेरे में हैं। किस तारीख को इलेक्शन होगा इसका पता ही नहीं, किस तारीख को इलेक्शन खतम होगा इसका पता नहीं, राजस्थान का इलेक्शन और हिन्दुस्तान की लोक सभा का इलेक्शन किन-किन राज्यों में कई होगा इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने अभी तारीख की घोषणा नहीं की, नोटिफिकेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में नोटिफिकेशन या इसकी आड़ में यह बात नहीं रखी जा सकती और जैसा मैंने कहा कि इंटरिम बजट का कान्स्टीट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है, मुझे पूरे एक वर्ष का फाइनेन्शियल स्टेटमेंट पढ़ना है और सदन की मेज पर रखना है। अब मैं आपको बताऊं कि इंटरिम बजट का कोई प्रोविजन ही नहीं है तो मुझे तो बजट पूरा रखना है। अब पूरे बजट में कई बातें आती हैं तो यह नहीं है कि दूसरा बजट पेश करूंगा। आप यह कहेंगे कि लोक सभा में मनमोहनसिंह जी ने इस प्रकार की व्यवस्था की है। अगर आप मनमोहनसिंहजी की बजट स्पीच पढ़ें तो उसमें भी ऐसी कई बातें हैं जो नये रूप में उन्होंने शामिल की हैं। कई प्रकार के अनाउंसमेंट उसमें हुए हैं। ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहां एक बात कही गयी कि अगला बजट चुनाव के बाद जो नयी सरकार आयेगी वह प्रस्तुत करेगी। वहां चुनाव हो रहे हैं और राजस्थान की विधान सभा के चुनाव नहीं हो रहे हैं। दोनों में अन्तर करना पड़ेगा। वहां चुनाव की स्थिति है, यहां चुनाव नहीं हो रहे हैं। यह सरकार चालू है, चालू रहेगी और इसलिए ही इस सरकार ने अपना बजट पेश किया है, इसमें कोई सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है।

जैसा हरिशंकरजी ने कहा, यह बात सही है कि उस समय मुझे पेपर्स सदन की मेज पर रखने चाहिए थे।

**श्री रामनारायण चौधरी** : वह नहीं रखे गये। क्यों नहीं रखे गये ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं रख ही रहा था, वह जल्दी में नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय व्यवस्था करेंगे उसी हिसाब से मैं कर देऊंगा। इसलिए इसमें कोई आपत्ति की आवश्यकता नहीं थी। मैं ऐसा समझता हूं कि बजट पेश करने का जहां तक सवाल है, यह मैंने ही नहीं किया है, सारी स्टेट्स ने बजट पेश किया है। उसमें आपने एक साल के प्रोविजन्स रखे हैं, क्या-क्या सुविधाएं देने वाले हैं उसका उल्लेख किया गया है, क्या-क्या टैक्स लेने वाले हैं उसका भी उसमें उल्लेख किया गया है। यह नयी कोई बात नहीं है।

अब यह प्रश्न रहा कि हमको उस पर बहस करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं आज लक्ष्मणसिंहजी और कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहें तो मैं पूरे बजट का सेशन चलाने को तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं ?

**अनेक माननीय सदस्य** : हम तैयार हैं।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : हम सब तैयार हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। देखिये, फिर स्थिति यह होगी कि चुनाव की···(व्यवधान)

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : देखी जायेगी, होगा सो होगा। (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मेरी सुन लीजिये आप। यह मत करिये, सबको चुनाव में जाना है। यह चुनाव···(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : उल्टी-सीधी बात कहने की हमेशा आपको आदत पड़ गयी है। (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप बैठ जाओ, आप बीच में मत बोलो। (व्यवधान)

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : हम दोनों काम साथ-साथ कर लेंगे। (व्यवधान

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : देखिये, धारीवालजी चुनाव की हवा चलने के बाद में कौन यहां टिकेगा, इसकी कोई सम्भावना नहीं है।

मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि चुनाव के बारे में जब घोषणा हो जायेगी, आज तो अपन कह सकते हैं कि हम बजट के ऊपर डिस्कशन शुरू कर देंगे, लोक सभा चुनावों की घोषणा के बाद यहां कौन रहने वाला है। उस अव्यावहारिक बात को ध्यान में रखकर इस प्रकार की बात नहीं कहें। हम कोई जाने वाले नहीं हैं। (व्यवधान)

**डा० हरिसिंह (फुलेरा)** : जब हम तैयार हैं तो आप मान क्यों नहीं रहे हैं ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : कटमोशन्स आयेंगे, डिमाण्ड्स आयेंगे। पूरे अप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर चर्चा होगी। कोई मैंने आपका राइट नहीं लिया है। यह एक बार नहीं, कई बार राज्य विधान सभाओं में और लोक सभा में हुआ है। लोक सभा में तो हमेशा बजट पेश करने के बाद में वोट आन अकाउंट लिया जाता है। वोट आन अकाउंट मई के महीने तक चलता है। मई के महीने तक। और मई के महीने में जब सारी डिमाण्ड्स पास हो जाती हैं उस समय बजट का अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है और उस समय तक वोट आन अकाउंट लिया जाता है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कोई नयी बात नहीं है। नया तो इतना कह सकते हैं कि उस समय मैं कागज पेश नहीं कर पाया। इसके लिए मैं अपनी तरफ से क्षमा चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय व्यवस्था कर देंगे उसी आधार पर चलेगा।

**श्री लक्ष्मणसिंह (भीम)** : अध्यक्ष महोदय, दु:ख है कि सरकार की तरफ से, मुख्य मंत्री जी और उप मुख्य मन्त्रीजी मैंने जो स्पष्ट बिन्दु उठाये थे उन बिन्दुओं पर संतुष्ट हमें नहीं कराया। अध्यक्ष महोदय, कौल और शकधर तो ठीक है, हमारे लिये गाइड-लाइन है। यह रूल्स की किताब तो इसी सदन ने

(श्री लक्ष्मणसिंह)

बनायी है। इस रूल्स की किताब के अन्दर आप देख लीजिये जो वोट एण्ड अकाउण्ट का चैप्टर है, क्लोज है लेखानुदान का, उसके अन्दर स्पष्ट प्रावधान है कि इसके अन्दर हमें अपने संशोधन प्रस्तुत करने का अधकार है। रूल 152 के अन्दर लिखा है, "सम्पूर्ण अनुदान को कम करने के लिये या जिन मदों को मिलाकर अनुदान हो उनको कम करके या निकाल देने के लिये संशोधन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।" अब, अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो मुख्य मन्त्रीजी कहते हैं कि बजट है। अब बजट की तो साधारणतया प्रक्रिया होती है कि तीन दिन तक डिस्कशन होता है उसके बाद में यहां पर सरकार की तरफ से जवाब आता है। लेकिन न तो वह चीज की जा रही है, न हमको अपने यहां पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए कटमोशन प्रस्तुत करने के लिए समय दिया जा रहा है। रूल्स स्पष्ट हैं कि इस लेखानुदान के अन्दर भी हमें अपने संशोधन देने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, आप हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। इसे अगर ईगो का प्रश्न बना करके मुख्य मंत्रीजी और सरकार चाहती है कि हम इनकी हां में हां मिला दें तो यह गलत परम्परा पड़ जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि केन्द्र सरकार का जो बजट आया है उसके अन्दर भी सर्विसेज की घोषणा की गयी है। तो उसकी वहां पर भी आलोचना की गयी है। अगर आपने यहां सर्विसेज की घोषणा की है तो हम यहां आलोचना करेंगे आपकी। यह आपको अधिकार नहीं है कि आप यहां पर सर्विसेज की घोषणा कर सकते हैं। इसलिए आप वहां की बात तो वहां छोड़िये। वहां पर उनकी आलोचना करने के लिए आपके सदस्य वहां बैठे हुए थे और यहां पर आपके इस गलत कार्य की आलोचना करने के लिए हम यहां बैठे हुए हैं। सिर्फ उस चीज से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है।

जहां तक मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के अन्दर फुल फ्लेश्ड बजट प्रस्तुत किया गया है और मध्य प्रदेश के अन्दर इस पर डिस्कशन हुआ है। तो क्या राजस्थान के लिए और मध्य प्रदेश के लिए प्लानिंग कमीशन की तरफ से अलग-अलग डायरेक्शन्स आये हैं, इस चीज का भी मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमें अपने कटमोशन देने का अधिकार है। इसका समय बढ़ाया जा करके अगले तीन दिनों के अन्दर हम कटमोशन्स दें और बजट के ऊपर पूरी डिस्कशन हो इसके बारे में मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कुछ विचार करें।

## व्यवस्था

### लेखानुदान एवं आय-व्ययक अनुमान प्रस्तुत करने की प्रक्रिया एवं तत्सम्बन्धी पत्रों का सदन पटल पर उपस्थापन एवं उपस्थापन से पूर्व प्रेस को सूचना

श्री अध्यक्ष : हां, विचार करेंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पूरी बजट स्पीच पढ़ी और उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं

(श्री अध्यक्ष)

लेखानुदान प्रस्ताव की स्वीकृति करने की सिफारिश के साथ माननीय सदस्यों के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं। यह बात पूरी हो गयी।

**श्री किशन मोटवानी** (अजमेर पश्चिम) : यह नहीं कहा है।

**श्री अध्यक्ष** : यह पूरा पढ़ लिया। सुन लीजिये आप, सुन लीजिये आप। सुन लीजये।

**श्री किशन मोटवानी** : यह नहीं लिखा है। मैंने पढ़ लिया। बजट भाषण को मैंने भी पढ़ लिया। "प्रस्तुत करता हूं।" प्रस्तावित करने की बात है। प्रस्तुत करने में और प्रस्तावित करने में अन्तर है।

**श्री अध्यक्ष** : यह पूरा होने के पश्चात् ही मैंने हाउस एडजोर्न किया है। जहां तक वोट एण्ड अकाउण्ट का सवाल है, सन् 1984 में भी इस प्रकार का लिया गया है, सन् 1989 में भी इस प्रकार का लिया गया है। मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं जो उसमें रूलिंग दी गयी थी। सन् 1984 में भी इसी प्रकार का लिया गया था और सन् 1989 में भी लिया गया था। 1989 की आपको सुना देता हूं।

"मैं इन्हीं भावनाओं के साथ राजस्थान के उज्जवल एवं समृद्ध भविष्य की शुभकामना करते हुए वर्ष 1989-90 का बजट अनुमान विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं। मैं सम्पूर्ण मांगें पारित होने तक माह अप्रैल से जुलाई, 1989 के लेखानुदान पारित कराने का प्रस्ताव भी सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं।"

अप्रैल से जुलाई, 1989 तक का उसमें लिया गया था 4 महीने का और यह भी चार महीने का है। सन् 1984 में भी इसी तरीके का लिया गया था। इसलिए इसमें कोई सबस्टेशन की बात नहीं है। मैं आपका पाइंट आफ आर्डर रूल आउट करता हूं।

**श्री लक्ष्मणसिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय बाकी बातें गोलमाल कर गये।

## लेखानुदान (1996-97) सम्बन्धी प्रस्ताव

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लेखानुदान 1996-97 के विवरण में मांग संख्या 1 से 50 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग रुपये 33,93,07,79,000/- (तैंतीस अरब तिरानवे करोड़ सात लाख उन्यासी हजार) मात्र है, व्यय के लिये अनुदत्त कर दी जाय ?

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान 1996-97 के विवरण में मांग संख्या 1 से 50 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग रुपए 33,93,07,79,000/- (तैंतीस अरब तिरानवें करोड़

(श्री अध्यक्ष)

सात लाख उन्यासी हजार) मात्र है, व्यय के लिए अनुदत्त कर दी जाय।

(स्वीकृत)

लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एप्रोप्रिएशन बिल पेश कर रहा हूं, उस पर बोल लीजिये आप।

श्री अध्यक्ष : अब आप इन पर बोल लेना।

विधायी कार्य : राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1996

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या 2) विधेयक, 1996 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या 2) विधेयक, 1996 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

पुरःस्थापित भी करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या 2) विधेयक, 1996 को पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1996

मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1996 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : अध्यक्ष महोदय, इस बार सदन में कुछ विचित्र बातें हो रही हैं। राज्यपाल महोदय से जो अभिभाषण इन्होंने दिलाया वह ऐसा था जैसा कोई चौपड़ पर एक राजनीतिक भाषण दे रहा हो। 1985 से 1990 में क्या किया, 1990 से 1995 में क्या किया उसका एक कंपेरीजन, एक मुकाबला जिस तरीके से कि एक राजनीतिज्ञ चुनाव के भाषण में चौपड़ पर खड़ा होकर करता है ऐसा काम इन्होंने राज्यपाल महोदय से एक राजनीतिक काम करवाया, जो कतई एक गलत चीज थी। आज का भाषण मैंने वित्त मंत्रीजी, जो मुख्य मंत्री हैं, का सुना। उसमें भी सिवाय प्रचार के कुछ नहीं है आने वाले चुनाव के चाहे उसका नोटिफिकेशन नहीं निकला हो, चाहे उसकी घोषणा नहीं हुई हो लेकिन सारा देश इस बात को जानता है कि जुलाई के महीने में जो मौजूदा लोक सभा है उसकी टर्म खत्म होने वाली है और टर्म खतम होने के बाद में उसके चुनाव होने हैं। यह सब

(श्री चन्दनमल बैद)

जानते हैं। इसी बात को मद्देनजर रख करके एक चुनावी भाषण उन्होंने यहां दिया और उसका नाम इन्होंने दिया विकासोन्मुखी भाषण। मैं आपके भाषण के जो आंकड़े हैं उनके बारे में नहीं जाऊंगा क्योंकि वह भाषण तो अभी आपने किया है। इस हिसाब से जब मेरे पास आंकड़े नहीं होंगे तो उसके बारे में मैं क्या कहूं लेकिन नीति सम्बन्धी जो बातें आपने कही हैं उसके बारे मे मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। नीति सम्बन्धी बात खास करके आपने दो कहीं हैं। एक बात जिसको आप बिलकुल भूल गये उसके बारे में भी मैं जिक्र करूंगा।

एक बात तो आपने यह कही है कि फाइनेन्स कमीशन ने यह कहा है कि यह हर मद में से पैसा देने की बजाय भारत सरकार के जितने भी टैक्सेज हैं उन टैक्सेज में 29 परसेंट पैसा राज्य सरकार को दे दिया जाय। पिछली दफा भी आपको याद होगा, आपने यह प्रश्न उठाया था और आपने यह कहा था कि सारी विधान सभा को, पक्ष और प्रतिपक्ष को मिलकर के इसके बारे में प्रस्ताव पास करना चाहिये। उस समय भी उसका विरोध किया था कि आप गलत कर रहे हैं, यह राजस्थान के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं क्योंकि अभी भी फाइनेन्स कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दिया है वह 29 पर्सेंट से ज्यादा है और आप 29 पर्सेंट की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमको जितना पैसा मिल रहा है। उससे कम की हम मांग कर रहे हैं। इसका मतलब तो अपना नुकसान कर रहे हैं। मुझे पूरे आंकड़े तो याद नहीं हैं लेकिन भारत सकार ने, फाइनेन्स कमीशन ने सारे स्टेट्स को जो पैसा दिया है वह 29.156 होना चाहिए था, ऐसा मुझे मालूम है, याद है। अगर 6.156 नहीं है तो 29 पर्सेन्ट से ज्यादा जरूर है उस समय मैंने यह बात कही परन्तु आपने जवाब में यह बात नहीं कही, चुप हो गये। मेरी समझ नहीं आता कि आपके सलाहकार कौन हैं जो इस तरह की बात आपको बारबार सिखाते हैं और राजस्थान के हितों पर कुठाराघात करने की बात करते हैं।

नवीं विधान सभा के वक्त में बड़े जोर शोर से सरकारिया कमीशन की बातें आपने कहीं। आज भी सरकारिया कमीशन की बात करते हैं और कहते हैं कि सरकारिया कमीशन ने जो हमको अधिकार दिये हैं उन अधिकारों को भारत सरकार हमको नहीं दे रही है, इस वास्ते वे अधिकार हमें दिये जाने चाहिये। उस समय भी आपसे कहा था कि आप यह गलत बातें कह रहे हैं, मेहरबानी करके ऐसी गलत बातें मत कहिये। उस समय आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ इन्फ्लूएंस में थे और इन्फ्लूएंस में आकर ऐसी बातें कह रहे थे। जब यहां आपकी सरकारें नहीं रहीं तो आपका मनोबल टूट गया और ऐसी बातें करनी आपने बन्द कर दीं। उसके बाद ज्यों ही महाराष्ट्र में आपके सहयोग से शिव सेना की सरकार बनी तो आपको फिर जोश आया

(श्री चन्दनमल बैद)

और कहते हैं कि नहीं केन्द्र सरकार हमको अधिकार नहीं दे रही है, केन्द्र सरकार हमारे कामों में दखलअन्दाजी कर रही है। अभी परसों ही शिव सेना के मुख्य मन्त्री श्री मनोहर जोशी (ठाणे) (THANE) में एक भाषण दिया, उन्होंने भी यही बात कही है और वह भाषण आपको शायद कहीं से रिले हो गया और आप भी इसी बात पर वापस आ गये।

कल आपने बड़ा जोर शोर से भाषण दिया, मैंने सुना, बड़े चौके-छक्के लगाये। अफसोस है, मैं नहीं था। आदरणीय हीरा लालजी देवपुरा, जो हमारे पूर्व मुख्य मन्त्री हैं, की पत्नी का देहांत हो गया था मुझे वहां जाना पड़ा और आपका भाषण सुनने से वंचित रह गया। अखबारों में उसको पढ़ा है। खैर, उसके बारे में आपने बड़ी लम्बी चौड़ी बातें कीं कि सरकारिया कमीशन की जगह एक नया कमीशन बनना चाहिये और वह कमीशन स्टेट के और सेंटर के अधिकारों की फिर से व्याख्या करे। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि सरकारिया कमीशन की बजाय एक नया कमीशन बने जो स्टेट और सेंटर के अधिकारों की व्याख्या करे। लेकिन आपके-मेरे सोच में फर्क है। आप चाहते हैं कि सरकारिया कमीशन या दूसरा कमीशन बने और स्टेट को ज्यादा अधिकार दे और मैं यह चाहता हूं कि जो दूसरा कमीशन बने तो सेंटर को ज्यादा अधिकार दे क्योंकि मैं इतिहास को देख रहा हूं। मैं इतिहास को देखता हूं कि सोवियत रूस इतना महान् देश था जो दुनिया का एक नम्बर का देश था, उसने अपने स्टेट को स्वायत्तता दी उसका नतीजा आज यह हो रहा है कि आज एक नम्बर से कौन-से नम्बर पर चला गया, सारा देश, सारी दुनिया जानती है इस बात को। युगोस्लाविया का क्या हुआ? आज आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने भी स्वायत्तता दी थी। अगर सेंटर मजबूत नहीं होगा, आज माननीय मुख्य मंत्रीजी, कर्नाटक जो कावेरी नदी का पानी देता है तमिलनाडु को, उसी बात पर कर्नाटक और तमिलनाडु में तलवारें खिच गयीं, आप यह नहीं सोच रहे हैं कि जब सेंटर मजबूत नहीं होगा तो इस देश की क्या हालत होने वाली है। अखण्ड भारत का स्वप्न देखने वाली, अखण्ड भारत की बात करने वाली यह पार्टी इस तरह की बातें करती हैं वह इस वास्ते कि शिव सेना के दबाव में आकर के? आपको सोचना चाहिये इस बात को कि अगर यह देश, दिल्ली मजबूत नहीं रहेगी, हो सकता है दिल्ली आज कांग्रेस के पास है, हो सकता है कल बी० जे० पी० के पास हो, हो सकता है जनता दल के पास हो···

**एक माननीय सदस्य** : जनता दल तो रहा ही नहीं।

**श्री चन्दनमल बैद** : मैं तो एक बात कह रहा हूं। नहीं है, लेकिन मैं एक सपोजीशन कर रहा हूं। सेंटर अगर मजबूत होगा तो निश्चित रूप से यह देश एक रहेगा और हमको इतिहास से सबक लेना चाहिए। सोवियत रूस में जिस तरीके से विश्रृंखलता हुई है, आज वह अलग-अलग हो गया, टूट गया। आज भिखमंगे हो गये, आज अमेरिका

(श्री चन्दनमल बैद)

से ही मांग रहे हैं। जिस अमेरिका को वे दुश्मन समझते हैं उस अमेरिका से ऋण मांग रहे हैं। चीन तो नहीं मांग रहा है। यदि उसने विश्रृंखलता नहीं की होती, उसने अपने आपको अलग-अलग तोड़ा नहीं होता—युगोस्लाविया के अन्दर आज क्या हो रहा है? वहां एक-दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं, बन्दूकें चला रहे हैं। हवाईजहाज से आक्रमण हो रहे हैं।

आज आपकी क्या हालत है? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट तो फिर भी एक मजबूत गवर्नमेंट है, आपकी क्या हालत है? आपको तो पानी दूसरी जगह से मिल रहा है। कुछ पानी पंजाब से मिल रहा है। भाखड़ा का पानी कहां से मिल रहा है? गंग नहर का पानी कहां से मिलता है, इन्दिरा गांधी नहर का पानी कहां से मिलता है, चम्बल का पानी कहां से मिलता है? कल आप ही तो कहते थे जब यहां बैठते थे कि चम्बल में मध्य प्रदेश ने कई बांध बना रखे हैं और वे पानी हमारा रोक रहे हैं। अब उनको ज्यादा अधिकार दे देंगे? आपको ज्यादा अधिकार मिलेंगे तो क्या मध्य प्रदेश को ज्यादा अधिकार नहीं मिलेंगे, पंजाब को ज्यादा अधिकार नहीं मिलेंगे? पंजाब को ज्यादा अधिकार मिल गये तो आज जो हैड वर्क्स उसके पास हैं, उन हैड वर्क्स के बारे में आप रोज-रोज कहते हैं और जिस दिन ज्यादा अधिकार मिल जायेंगे उस दिन तो पानी की एक बूंद भी वे आपको देने वाले नहीं हैं। मध्य प्रदेश को ज्यादा अधिकार मिल जायेंगे तो 5-7-10 बांध और बांध देंगे तब चम्बल का पानी ही बन्द हो जायेगा। बिजली आपको कहां से मिलती है? भाखड़ा से मिलती है, सतपुड़ा से मिलती है, भारत सरकार देती है। तो आपके पास है क्या? ज्यादा अधिकार ले करके आप बड़े खुश होना चाहते हैं। आपको तो यह कहना चाहिये कि जब तक केन्द्र मजबूत रहेगा तो आपको पंजाब से पानी मिलेगा, आपको चम्बल का पानी मिलेगा, आपको भाखड़ा की बिजली भी मिलेगी, आपको सतपुड़ा की बिजली भी मिलेगी। आप ये बातें सोचते नहीं और न मालूम किस बहकावे में आकर कहते हैं। शिव सेना के मनोहर जोशी हैं और बाल ठाकरे हैं जो आपकी अकल निकाल लेते हैं। बम्बई आप जाते हैं और बम्बई से आते ही आप राग अलापने लग जाते हैं। सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं कि क्या बात कह रहे हैं। एक 29 परसेंट की बात कह देते हैं, एक अधिकार ज्यादा देने की बात कह देते हैं।

आज जो बजट पेश हुआ, 1995-96 का जो आपका एस्टीमेट है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1995-96 के एस्टीमेट में आपकी टोटल रेवेन्यू 3240 करोड़ रुपये है और आपको फाइनेंस कमीशन और अनुदान के हिसाब से सेन्टर से मिल रहा है 2741 करोड़ रुपये, जो आपकी आमदनी से करीब-करीब 55 परसेंट और आपकी टोटल रेवेन्यू है उसका 45 परसेंट है। तो भारत सरकार आपको दे रही है और आज आप यहां पर भारत सरकार को खड़े होकर गालियां देते हैं, बुरा कहते हैं। इन्दिरा आवास योजना की तारीफ कर रहे थे।

(श्री चन्दनमल बैद)

कहां से पैसा आ रहा है उस योजना का ? रोजगार योजना की तारीफ कर रहे थे। कहां से पैसा आ रहा है ? जवाहर रोजगार योजना की तारीफ कर रहे थे। कहां से पैसा आ रहा है ? यह सारी आप बातें भूल जाते हैं। कह रहे हैं कि हवाई अड्डा हमने बनाना शुरू कर दिया है। आप बना रहे हैं हवाई अड्डा ? ब्रोडगेज के बारे में आप तारीफ करने लग जाते हैं कि हम ब्रोडगेज ले आये। कौन ले आया ? क्या आप ब्रोडगेज को ले आये। यह सारी बातें आपको सोच समझ कर कहनी चाहिये।

डा० हरि सिंह (फुलेरा) : जाफर शरीफ साहब ने जब जयपुर में उद्घाटन हुआ था तब यह हवाला दिया था, भैरोंसिंहजी शेखावत साहब जब हवाई अड्डे पर मिले थे, तब बोले थे कि हमारी जिन्दगी में तो ब्रोडगेज नहीं आने वाली है, जो आज वे कह रहे थे कि ले आये। आपके सामने ही कहा था जाफर शरीफ साहब ने।

श्री चन्दनमल बैद : यह जो सैंकड़ों, करोड़ों रुपया आपको भारत सरकार से मिलता है उसके लिये भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहिये, आभार प्रकट करना चाहिये। तो धन्यवाद देते नहीं, आभार प्रकट करते नहीं, फाइनेंस कमीशन से पैसा मिलता है उसकी तारीफ करते नहीं। और भारत सरकार हमारे रोड़ा अटका रही है! उसके बारे में भी बाद में बात करूंगा कि रोड़ा अटका रही है कि नहीं अटका रही है। राजस्थान का इन्टरेस्ट इस बात में है कि सारा हिन्दुस्तान अखण्ड रहे, केन्द्र के पास ज्यादा ताकत रहे। उसी से आपका व्यापारी फलेगा-फूलेगा, उसी से आपका भला होगा और उसी से आपको बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा। आपके पास बिजली, पानी के लिये कुछ है नहीं।

आपकी जो योजनाएं थीं उसके बारे में बात करूंगा। बिजली के बारे में, मैंने कल सुना, आपने बड़ा लम्बा चौड़ा भाषण दिया। महामहिम राज्यपाल महोदय से बहुत बातें आपने कहलवायीं। लेकिन आपने बिजली की योजनाओं के बारे में कोई बात नहीं कही, मजबूती की बात नहीं कही, कौन-कौन-सी बिजली की योजनाएं आप ले रहे हैं अगले साल। इस बारे में आपने बात नहीं कही। क्योंकि आप जानते थे कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह गलत बात है। धौलपुर का पांच साल से चल रहा है। क्या हुआ उसका ? पर्यावरण का आपको क्लियरेंस मिल गया, बहुत दिन हो गये उसकी क्लियरेंस मिले हुये, उसका आज तक आपने क्या किया ? चितौड़गढ़ में बिड़लाजी को आपने दी थी योजना, उसकी फाइल आपके पास कितने महीनों से पड़ी हुई है ? उसको अभी तक आपने क्लियर नहीं किया है। बरसिंहसर के आपके टेण्डर होने वाले थे कि इस साल में कम्प्लीट कर देंगे। क्या हुआ उसका ? तो वह काम तो नहीं करेंगे, जो सस्ती मिलने के साधन हैं उनके बारे में तो आप कार्यवाही नहीं करेंगे और महंगी बिजली जहां मिल रही है उसके बारे में जरूर आप कान्ट्रेक्ट पूरा करना चाहते हैं। उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आपकी पार्टी और शिव सेना की पार्टी ने मिल करके जो

(श्री चन्दनमल बैद)

महाराष्ट्र में सरकार बनायी है उसमें नेफ्था पर आधारित बिजली की योजना का डाभोल कम्पनी से समझौता किया है। एक रुपया 86 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से और उसी नेफ्था पर आधारित आपने दूसरी कम्पनी से समझौता किया 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। यह 24 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से, अध्यक्ष महोदय, मैंने हिसाब लगाया। उसके हिसाब से पन्द्रह साल का हजार मेगावाट का कांट्रेक्ट कर रहे हैं तो राजस्थान की जनता को 1520 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। मैंने यह हिसाब लगाया है, यह अगर गलत हो तो मुझे बताइयेगा (व्यवधान)।

**श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)** : जब कोई पाइन्ट रेज करते हैं तो जवाब दे देते हैं, (व्यवधान) मैं जो बात कर रहा हूं उसको सुनिये तो सही। राजस्थान की जनता के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा। सदन के पटल पर रखते नहीं, बहस कराते नहीं···(व्यवधान)।

**श्री लक्ष्मणसिंह (भीम)** : यह कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर चर्चा करना बन्द कर दीजिये···(व्यवधान)।

**श्री चन्दनमल बैद** : आपकी तरफ से जो तीन बातें कही जा रही हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। पहली बात तो आप कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने जो समझौता किया है वह फारेन एक्सचेंज के आधार पर किया है। आपने जो समझौता किया है वह नेफ्था की कीमत के आधार पर किया है। उसकी कीमत किस बात पर निर्भर करेगी? उसकी कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि विदेश में क्या कीमत है। विदेश में रुपये की क्या स्थिति है? हमारा रुपया कमजोर होगा तो नेफ्था की कीमत बढ़ेगी और रुपया मजबूत होगा तो नेफ्था की कीमत यहां कम हो जायेगी। इस तरह आप भी तो फारेन एक्सचेंज और नेफ्था की कीमत पर डिपेंड कर रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार भी। उसमें एक फर्क है। आप कह रहे हैं, आपका ही नोटिफिकेशन है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। यह दो रुपये दस पैसे नहीं है और भी ज्यादा है। आपने लिखा है, एक तो स्थायी लागत होगी 73 पैसे और एक होगी वेरिएबल लागत एक रुपया सैंतीस पैसे। इस 73 पैसे में हर साल डेढ़ परसेंट की बढ़ोतरी होगी। मतलब इस साल जो यूनिट लगेगी वह 73 पैसे की होगी। उसके बाद उन्होंने सारा हिसाब लगाया है, 73 हो जायेगी, 76 हो जायेगी, 78 हो जायेगी। पन्द्रह साल में बढ़कर यह करीब-करीब 30-35 पैसे और बढ़ जायेगी। और 73 पैसे से 100 पैसे हो जायेगी।

वेरिएबल लागत क्या है? आपका नोटिफिकेशन है, मैं पढ़कर सुनाता हूं। दिनांक 1 नवम्बर, 1995 को 1 रुपये 37 पैसे पर यूनिट तथा इसमें वृद्धि उसी अनुपात में होगी जिस अनुपात में नेफ्था की एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिये यदि दिनांक 1 अप्रैल, 1997 को 1 नवम्बर, 1995 की तुलना में नेफ्था की कीमत, रिफाइनरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस 10 प्रतिशत बढ़ गयी है तो 1 अप्रैल, 1997 को रिन्यूअल कास्ट में 10 प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी। मतलब 1 रुपये 37 पैसे की तुलना में नेफ्था

(श्री चन्दनमल बैद)

की जितनी कीमत बढ़ेगी उतनी आपके यहां पर पर यूनिट कीमत बढ़ जायेगी। मतलब यह 2 रुपये 10 पैसे नहीं है।

जिस तरह से महाराष्ट्र में 1 रुपये 86 पैसे की कीमत नेफ्था की कीमत और फारेन एक्सचेंज की हालत पर बढ़ेगी उसी तरह आपकी 2 रुपये 10 पैसे की कीमत बढ़ेगी। इससे साफ जाहिर है कि आपने उनके मुकाबले 24 पैसे ज्यादा के हिसाब से 1520 करोड़ रुपये का राजस्थान की जनता को नुकसान पहुंचाया है।

कल आप कह गये थे, मैंने सुना नहीं, अखबारों में पढ़ा है कि नेफ्था बम्बई से आयेगा और उसकी कीमत राजस्थान में आने से 23 प्रतिशत बढ़ जायेगी। क्या नेफ्था चार्टेड प्लेन से आयेगा? नेफ्था तो ट्रेन कंटेनर्स से आयेगा, उससे 23 प्रतिशत कीमत कैसे बढ़ जायेगी? आपने कहां से हिसाब लगाया? किस कारण से बढ़ जायेगी? सारे सदन को गुमराह करके और भाषण देते हैं जैसे चुनाव ही रहा है, जैसे वोट इसी विधान सभा में पड़ने वाले हैं। वोट तो बाहर पड़ने वाले हैं।

मैं आपको साफ कहना चाहता हूं कि गवर्नर साहब से आपने जो अभिभाषण करवाया है और आज जो आपने चुनावी भाषण दिया है, इन दोनों के आधार पर आप भी चुनाव लड़ेंगे और हम भी चुनाव लड़ेंगे, अगर आप लोक सभा चुनाव में राजस्थान में बहुमत में आ जायें तो हम यह मान लेंगे कि गवर्नर साहब का अभिभाषण और आपका बजट भाषण पास कर दिया, यदि आप बहुमत में नहीं आये तो आपका बजट भी पास नहीं हुआ और गवर्नर साहब का अभिभाषण कराया है वह भी पास नहीं हुआ। आज मेरा आपको चैलेंज है, इसी आधार पर अपन चले चलेंगे।

आपने भ्रष्टाचार की बात की। मुख्य मंत्रीजी, मैं सन् 52 से इस विधान सभा का सदस्य हूं। तीन बार मैं नहीं आया और एक बार बीच में आप नहीं आये। आपने सिवाय दूसरों पर भ्रष्टाचार के चार्ज लगाने के क्या काम किया? कोई दूसरा काम नहीं किया। कभी किसी अधिकारी पर, कभी किसी मिनिस्टर पर भ्रष्टाचार के चार्ज लगाये। नवीं विधान सभा में भरतपुर के माननीय सदस्य रामकिशन जी ने कहा था, आपने जो चार्ज लगाये हैं, आप पावर में हैं, उनकी जांच तो करवा लो। इसके लिये आपने तीन या चार आदमियों की कमेटी बनायी। उस कमेटी ने जांच कर ली। आप बताइये, आपने जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे उनमें से कितने साबित हुये? आप कहते हैं कि चार्ज लगाओ तो सही चार्ज लगाओ। आपने कितने सही चार्ज लगाये थे? एक भी सही चार्ज नहीं लगाया था। उस समय का भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार था और आज आपकी सरकार करने लगी तो भ्रष्टाचार की बात मत करो, भ्रष्टाचार की बात मत करो। भ्रष्टाचार की बात करोगे तो पूंजी निवेश खतम हो जायेगा, पूंजी लगाने वाले नहीं आयेंगे।

माननीय मुख्य मंत्री जी, पूंजी निवेश हो या न हो, राजस्थान की जनता को 15 सौ

(श्री चन्दनमल बैद)

करोड़ रुपये का जो नुकसान देना चाहते हो वह हम नहीं देने देंगे। अगर आप देंगे तो हम इसकी जांच कराने की पुरजोर शब्दों में मांग करेंगे कि सी० बी० आई० इसकी जांच करे। आप इसकी जांच नहीं करायेंगे तो 1991 के भ्रष्टाचार की जांच 1996 में हो सकती है तो 1996 में हुये भ्रष्टाचार की जांच 1998 में भी हो सकती है, यह मत भूलिये। महाराष्ट्र में जिस तरह शिव सेना की सरकार ने कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो डाभोल समझौता किया था उसका पुनरीक्षण किया है, 1998 में कांग्रेस का राज आने वाला है, हम भी आज आप जो समझौता कर रहे हैं, उसका पुनरीक्षण करेंगे और जरूर करेंगे। इस तरह से मुफ्त में 15 सौ करोड़ रुपये का चरका नहीं लगाने देंगे।

65 करोड़ रुपये के हवाला मामले में 115 आदमी फंसे थे, 1520 करोड़ रुपये में कितने लोग फंसे हुए हैं यह सी० बी० आई० बताएगी, दूसरा कोई नहीं बताएगा। हमको डराना चाहते हैं कि आप भ्रष्टाचार की बात मत करो, जैसे मां बच्चों को कहती है कि बच्चों सो जाओ नहीं तो म्याऊं आ रही है। यह म्याऊं मत दिखाइए।

एक माननीय सदस्य : ये मुंगेरीलाल के सपने हैं।

**श्री चन्दनमल बैद** : ये मुंगेरीलाल के सपने हैं या नहीं, यह तो मालूम पड़ जायेगा। अभी तीन महीनों में मैदान-ए-जंग में जा रहे हैं, 25 सीटों का चुनाव है, 13 सीटें जीतकर आ जाओ। इस विधान सभा में आप भी रहेंगे और मैं भी रहूंगा, आप कह देना कि चन्दनमल क्या कह रहा था। 13 सीटें जीत कर हम आ जायेंगे तो ललकार कर कहेंगे। ये मुंगेरीलाल के सपने नहीं हैं। घबराते क्यों हो, तीन महीने की ही तो बात है, सब्र करो।

भ्रष्टाचार की बात आप हमें कहते हैं। हमारे प्रधान मंत्रीजी एक हवाई जहाज में घूमने लगते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं। अखबार में मैंने पढ़ा कि बी० जे० पी० लोक सभा चुनाव के लिए 12 हवाई जहाज और 5 हैलीकाप्टर ले रही है। कहां से आयेंगे ये सब? एक बार मैंने चार्ज लगाया था तो आपके एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हम पांच-पांच रुपए चन्दा लेते हैं। 12 हवाई जहाज और 5 हैलीकाप्टर पांच-पांच रुपए के चन्दे से आयेंगे क्या? सीधी बात है कि हम करें तो भ्रष्टाचार आप करें तो शिष्टाचार? सी० बी० आई० गलत है, सी० बी० आई० पक्षपात से काम कर रही है? यही भैरोंसिंह जी शेखावत हैं, इस विधान सभा में, मुझे याद है, एक बार नहीं पचासों बार सी० बी० आई० की इन्क्वायरी मांग चुके हैं और भ्रष्टाचार की बात कर चुके हैं। आज सी० बी० आई० की इन्क्वायरी गलत हो गयी? उसको गलत मान रहे हैं? क्योंकि श्री लालकृष्ण अडवाणी फंस गए न उसमें। 5 आदमी फंस गए, 5 बी० जे० पी० के फंस गए···।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : यह 5 के लिए परेशान नहीं हैं। इनको तो अडवाणी का ही है।

**श्री चन्दनमल बैद** : ···क्या परेशानी हो रही है? 5 बी० जे० पी० के फंस गये उसमें

(श्री चन्दनमल बैद)

तब तो सी० बी० आई० गलत हो गयी और भ्रष्टाचार 1520 करोड़ रुपये का यहां हो गया तो भ्रष्टाचार की बात मत करो। 25 साल तक आप भ्रष्टाचार की बात करते रहे, हमारी तरफ अंगुलियां उठा-उठाकर कहते रहे। हम परेशान थे ? मैंने सुना है, कल कह रहे थे कि मेरी जांच करा लो, मेरी जांच करा लो। जिस दिन हम आपकी कुर्सी पर आयेंगे तो जांच कराने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे दोस्त हैं, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं और यह मानते हैं कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन अगर किसी का भी भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो उसको हम माफ करने वाले नहीं हैं। आपकी तरह केवल कहकर रहने वाले नहीं हैं, "भ्रष्टाचार को मैं नाक से निकाल दूंगा।" कितनों का निकाला जी ? एक का नाम तो बता दो। किसी चपरासी को पकड़ लिया होगा, किसी × × × इंस्पेक्टर को पकड़ लिया होगा, किसी नायब तहसीलदार को पकड़ लिया होगा। किसी आई० ए० एस० को पकड़ा हो तो बताओ ? किसी मिनिस्टर को पकड़ा हो तो बताओ ? किसी आई० पी० एस० को पकड़ा हो तो बताओ ? खाली बातें करना, भाषण देना, लम्बी चौड़ी लच्छेदार बातें करना—इससे चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। आप कितने भी चुनाव के भाषण दिला दो गवर्नर साहब से, कितने ही चुनाव के भाषण आप दे लो, यह चुनाव के पहले कितनी भी लच्छेदार बातें कर लो। मैं गया बधाई देने के लिये उनको तो मुझे कहा कि देखो, चन्दनमल जी, यह भाषण देखो इसमें कोई गलतियां निकालो। मैंने कहा कि सौ गलतियां हैं इसमें। मैंने आंकड़े नहीं देखे हैं लेकिन मैं कह सकता हूं कि रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में आपने कर्जा बहुत बढ़ाया है। इन्कार कर दीजिये। मैंने तो नहीं देखा, आप बता दीजिये। पूछ लीजिये अपने फाइनेन्स सैक्रेटरी से। कर्जा बढ़ा दिया। केपिटल अकाउन्ट का पैसा रेवेन्यू अकाउन्ट में डाल दिया और कह दिया कि मैंने घाटा कम कर दिया। कर्जा लेकर घाटा कम कर दिया, क्या हुआ ? मेरी तनख्वाह है समझ लीजिये 2 हजार की और मैंने 5 हजार खर्च कर दिया और 4 हजार कर्ज लिया तो कह दिया कि एक हजार बचा लिया मैंने तो। यह कोई बचत हुई क्या ?

माननीय मुख्य मंत्रीजी बड़े जोर से कहते हैं कि हमारा प्रदेश पिछड़ा नहीं रहा, प्रगतिशील हो गया है, 5वें नम्बर पर आ गया है प्रगतिशीलता में। किस बात में आ गया 5वें नम्बर पर ? आपने एक किताब दी है आर्थिक समीक्षा की। यह तीन-चार दिन पहले आ गयी थी। इसका एक छोटा-सा आंकड़ा मैं पढ़कर सुना दूं प्रगतिशीलता का। सकल राज्य घरेलू उत्पाद पिछली साल 1994-95 में बढ़ा 16.59 और इस साल बढ़ा है 3.90 यह प्रगतिशीलता की निशानी है ? माननीय सरकारी मुख्य सचेतक महोदय, यह प्रगतिशीलता की निशानी है आपकी। 16 पर्सेन्ट से 3 पर्सेन्ट पर आ गया। मैं खुद ही पढ़ रहा हूं, देख लो गलत पढ़ गया होऊं तो। चश्मा नहीं लगा रखा है मैंने। आप पढ़ लो।

× × × शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री चन्दनमल बैद)

अध्यक्ष महोदय, एक नये जयपुर प्रोजेक्ट की बात चली थी। बड़ा पैसा खर्च हुआ, बड़ा हल्ला मचा, नया जयपुर बनेगा। प्रोजेक्ट बन गया है, तैयार है। जिनकी जमीनें उसमें आ रही थीं, पहुंच गये। माननीय स्वायत शासन मंत्रीजी, क्या हुआ नये जयपुर प्रोजेक्ट का ? क्यों कैंसिल हो गया ? क्योंकि जमीनों के मालिक आ गये थे आपके पास। जिनकी जमीनें आ रही थीं उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, हम तो मर जायेंगे। कैंसिल, कैंसिल। यह सन्देह है। साबित कब होगा यह ? जब सी० बी० आई० जांच करेगी। हम नहीं कर सकते। हम पुलिस आफिसर नहीं हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी, आप बहुत अनुभवी आदमी हैं, सारे राजस्थान का आपको ज्ञान है, कोई भी मिनिस्टर क्वेश्चन का जवाब देते समय हकलाता है, घबराता है और आप उसका बहुत बढ़िया जवाब दे देते हैं। आपको मालूम नहीं है क्या कि आपके मिनिस्टर ट्रांसफार्स में 20 हजार से लाख रुपया तक खा रहे हैं ? मालूम है आपको। आपको राज चलाना है इसलिये आप उनकी चीजों को बरदाश्त कर रहे हैं। एक आदमी × × × 20 हजार रुपया लेकर ट्रांसफर करवाने के लिये। उसने सोचा कि मिनिस्टर साहब 20 हजार रुपया लेते हैं, तो वह 20 हजार रुपया लेकर गया और कहने लगा कि साहब, मैं यह 20 हजार रुपया लेकर आया हूं मेरा ट्रांसफर करवाने के लिये। कहां जाना चाहते हो ? उसने जगह का नाम बताया। उस जगह की कीमत एक लाख रुपया है, क्या 20 हजार लेकर आये हो। मालूम है आपको ? सब मालूम है आपको। यह सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, नाकारा सरकार है।

बजट में आपने बड़ी बचत कर दी, अभी बता रहे थे आप। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी को छोड़कर एक इस हाउस की कमेटी बनाकर यह पता लगा दीजिए कि राजस्थान में कितने अध्यापकों की जगह खाली है। हजारों अध्यापकों की जगह खाली है। यह क्या बचत है ? मैंने एक बार माननीय शिक्षा मंत्री जी को लैटर लिखा है लेकिन आज तक वह पोस्टें नहीं भरी गयी हैं। मुख्य मंत्रीजी को दो बार पत्र लिख चुका हूं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में डाक्टरों की जगह खाली पड़ी हुई हैं। मुख्य मंत्रीजी ने वह पत्र चिकित्सा सचिव को भेज दिया लेकिन आज तक डाक्टर तो नहीं पहुंचा। डाक्टरों की जगह खाली रख लो, मास्टरों की खाली रख लो, ग्राम सेवकों की जगह खाली रख लो—बचत हो गयी। सारे तहसीलदारों की जगह खाली कर दो, कलेटरों की जगह खाली कर दो, सैक्रेटेरियेट खाली कर दो—बचत ही बचत है। कहां है खर्चा ? मिनिस्टर साहब से पूछते हैं तो वह कहेंगे कि एक भी पोस्ट खाली नहीं है लेकिन मैं कहता हूं कि इस हाउस की कमेटी बना दीजिए 3 आदमी आपके और 2 हमारे आदमी और जांच कर लो, सारे राजस्थान में हजारों पोस्टें मास्टरों की खाली पड़ी हुई हैं।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (शिक्षा मंत्री) : मैं इसके लिये तैयार हूं कि राजस्थान में जो

---

× × × शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित *किया गया*।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

स्वीकृत पद मेरे पास हैं उसमें से कितने पद खाली हैं। मेरी गिनती के हिसाब से 2785 पद खाली हैं। इस बातको मैं कह रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : स्वायत्तशासी संस्थाओं के जो चुनाव कराये गये, जो अधिकार दिये गये, भारत सरकार ने एक संविधान में संशोधन करके दिया, आपने भी इसको मान लिया, बहुत अच्छा किया आपने भारत सरकार की आज्ञा कहीं तो मानी। बहुत अच्छा काम किया आपने। एक फाइनेंस कमीशन बना। उसने एक रिपोर्ट दी। अब उस रिपोर्ट में आप तो भारत सरकार से 29 पर्सेन्ट पैसा मांग रहे हैं, आपके टैक्स का 29 पर्सेन्ट राज्यों को दे दो और आप कितना दे रहे हैं 2 पाइन्ट और समथिंग। वाह भाई वाह। आप मांग रहे हैं 29 पर्सेन्ट और दे रहे हैं 2 पर्सेन्ट। और क्या अधिकार दिये पंचायतों को आपने ? अभी एक सर्क्यूलर निकाला है। पंचायत राज मंत्री जी यहां बैठे हैं क्या ? हां, बैठे हैं। 10-1-96 को आपने एक आदेश निकाला है कि प्रमुख साल में 75 दिन से ज्यादा दौरा नहीं करेंगे, प्रधान साल में 60 दिन से ज्यादा दौरा नहीं करेंगे और सरपंच साल में 24 दिन से ज्यादा दौरा नहीं करेंगे। अब साल में प्रमुख 75 दिन से ज्यादा दौरा नहीं करेगा—मतलब एक महीने में 6 दिन ही हुये, सवा छः दिन ही हुये। और जिस प्रमुख के जुरिस्डिक्शन में 10 पंचायत समितियां हैं वह क्या करेगा ? महीने में एक दिन भी एक पंचायत समिति में नहीं जायेगा। यह पंचायतों को अधिकार दिये हैं आपने। और प्रधान 60 दिन जायेगा और उसके गांव हैं 200। सब जगह काम चल रहे हैं, फेमिन के चल रहे हैं, जवाहर रोजगार योजना के चल रहे हैं, इन्दिरा आवास···

श्री नाथूसिंह : इसके पीछे मंशा क्या है आप समझ गये होंगे।

श्री चन्दनमल बैद : बीच में मत बोलिये। मंशा खराब है आपकी।

श्री नाथूसिंह : आप बोल रहे हैं तो सुनिये फिर।

श्री चन्दनमल बैद : अब वह 200 गांवों में काम देखने जायेगा और साल में 70 दिन से ज्यादा जा नहीं सकता। इसका मतलब साफ है कि आप चाहते हैं कि चुने हुए जन प्रतिनिधि, प्रमुख, प्रधान और सरपंच काम नहीं करें। काम करें ग्राम सेवक, काम करें आपके सरकारी कर्मचारी। यह आपका प्रजातन्त्र में विश्वास है और इसी विश्वास के बल पर आज आप हमसे कहते हैं कि हम प्रजातन्त्र के हामी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब क्या निवेदन करूं···

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर इनकी मेम साहब प्रमुख का चुनाव जीत जातीं तो यह आर्डर नहीं निकालते।

श्री नाथूसिंह : हमने इनका पहले से ज्यादा भत्ता बढ़ाया, दौरे के दिन ज्यादा बढ़ाये हैं। चन्दनमलजी साहब, आप क्या पढ़ रहे हैं ? कम्पेरीजन करिये तुलनात्मक दृष्टि से। क्या गलत कोट कर रहे हो हाउस के अन्दर। आप जैसा सीनियर आदमी यहां खड़ा हो करके इस तरह की गलत बात करेगा, मैं सोच भी नहीं सकता।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सी० ई० ओ० और विकास अधिकारी जब कारों में घूमते हैं तो इनका बिल नहीं बनता और एक चुना हुआ प्रतिनिधि जब अपने क्षेत्र में जायेगा उसका बिल बन जायेगा।

श्री नाथूसिंह : आपको शायद यह पता नहीं है कि विकास अधिकारी कितने विभागों का काम करता है।

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्री महोदय, आपको पता नहीं है।

श्री नाथूसिंह : आप तो नये आये हो, अभी पता नहीं है। पढ़िए अभी।

श्री राजेन्द्र पारीक : नये आये हो और आप ज्यादा आ गये। काम नहीं पड़ा है गांवों में जाने का।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री चन्दनमल बैद : पंचायत राज मंत्री जी, बहुत जल्दी मुख्य मंत्रीजी एक हुक्म निकालने वाले हैं। मुझे मालूम हुआ है कि वह हुक्म निकालने वाले हैं कि एम० एल० एज अपनी कांस्टीट्यूएंसी में साल में 30 दिन से ज्यादा नहीं जायेंगे। यह आदेश निकालने वाले हैं, मैंने सुना है। नहीं निकालने वाले हैं तो बड़ी कृपा है आपकी हमारे पर।

अन्त में मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। माफ कीजियेगा, जैसे आप आधा सच, अर्द्ध सत्य बोलने के आदी हैं वैसे ही आपने माननीय राज्यपाल महोदय से बुलवा दिया। एक उदाहरण देना चाहता हूं। 'पवन ऊर्जा के दोहन के लिए भी अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के आधार पर निजी निवेशकों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।'

श्री नाथूसिंह : आज तो तैयारी से नहीं पढ़ रहे हो।

श्री चन्दनमल बैद : तैयारी से ही पढ़ रहा हूं। नुकसान हो रहा है आपको? "बरसिंहसर, सूरतगढ़ द्वितीय चरण और धौलपुर परियोजनाओं के लिए निवेशकों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिनका परीक्षण अन्तिम चरण में है।" धौलपुर के लिए प्रस्ताव कब मांगे थे? यह गलत क्यों कहा? टेण्डर कब मांगे धौलपुर के लिए? मैंने तो अखबार में टेण्डर मांगे हुए नहीं देखे।

श्री विष्णु मोदी : एम० ओ० यू० कर रखा है।

श्री चन्दनमल बैद : एम० ओ० यू० कर रखा है और यह कह रहे हैं कि प्रस्ताव मांगे गए। "इस महीने के अन्त तक इन पर अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।" माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप उधर चले गए थे, आपने लिखा है, बरसिंह सर, सूरतगढ़ द्वितीय चरण और धौलपुर परियोजनाओं के लिए निवेशकों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिनका परीक्षण अन्तिम चरण में है। इस महीने के अन्त तक इन पर अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा। कब मांगे थे प्रस्ताव? धौलपुर के लिए कब प्रस्ताव मांगे थे? एम० ओ० यू० किया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : मैं बता दूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : अभी बता दीजिए न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाद में बता दूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : बाद में तो मैं जानता हूं, उधर से इधर, इधर से उधर कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चिन्ता मत करो। आप यदि सही बात सुनने के आदी हैं तो मैं जवाब देऊं तो आपकी एक बात में भी तथ्य निकल जाय तो मुझे कह देना।

श्री चन्दनमल बैद : वह तो ठीक है। मैं तो तीन बात कर रहा हूं....।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो चुनाव भाषण पर बजट पेश किया या नहीं किया लेकिन आपके इस भाषण में जो जनता को सुविधाएं मिलने वाली हैं उनको किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी निरस्त करेगी वह योजना है।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं एक बात आपको कहता हूं, मैंने जो आंकड़े दिए हैं आपको, चाहे बिजली के दिए, चाहे फाइनेंस कमीशन के दिए और चाहे और किसी चीज के लिए दिए, उनको अगर आप झूठा साबित कर देंगे तो मैं इस विधान सभा में यहीं खड़े हो करके आपसे माफी मांग लूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको विधान सभा से बाहर नहीं करना चाहता।

श्री चन्दनमल बैद : मैं बाहर नहीं जा रहा हूं। अब बाहर जाऊंगा तो वापस कब आऊंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जैसा व्यक्ति विधान सभा में रहे और इस तरह की गलत बातें कह कर उनको सही करने का मुझे मौका देता रहे, इसलिए मैं आपकी उपस्थिति आवश्यक समझता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं आपसे यह कहता हूं कि मैंने फाइनेंस कमीशन के बारे में, पावर के बारे में...।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जवाब दूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : जवाब तो आप देंगे ही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको एक विश्वास देता हूं कि आपने जितने पाइन्ट्स रखे हैं उन सबका मैं एक-एक का जवाब दूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : जवाब तो आप देंगे लेकिन आपने कहा कि आंकड़े गलत दिए हैं। अगर मैंने फाइनेंस कमीशन और पावर के बारे में कोई भी गलत आंकड़ा दिया है, उसको आप गलत साबित कर देंगे तो यहां खड़ा होकर मैं आपसे माफी मांग लूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (ऊर्जा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो बिजली की दर के लिए, डाभोल के लिए और राजस्थान के लिए कहा है, कल मैं यहां सिद्ध कर दूंगा कि आपने गलत आंकड़े पेश किए हैं लेकिन मैं यह नहीं चाहूंगा कि आप जैसा सीनियर आदमी यहां सदन में माफी मांगे।

श्री चन्दनमल बैद : आप यह साबित करेंगे कि आपने डाभोल से 1.86 में समझौता नहीं किया है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यह साबित करेंगे कि आपने जो आंकड़े दिये हैं वह बिलकुल सही नहीं हैं ।

**श्री चन्दनमल बैद** : अच्छी बात है ।

**श्री रघुवीर सिंह कौशल** : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक रुपया 85 पैसे रेट एक लेमैन के लिए है । आप जैसे सीनियर व्यक्ति जब देखेंगे कि फिक्स्ड कास्ट और वेरिएबल कास्ट क्या होती है, मैं आंकड़ों से सिद्ध करूंगा कि हमारी रेट सबसे कम है, डाभोल से कम है ।

**श्री चन्दनमल बैद** : आपका स्वागत है अगर आप साबित करेंगे तो ।

**श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा । मेरा निवेदन यह है कि···

**श्री भीमराज भाटी (पाली)** : पाइन्ट आफ आर्डर । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 8 मार्च को आपको नियम 157 में विशेषाधिकार हनन का एक प्रस्ताव दिया था । उसमें चेनाराम जी और हंसराम जी ने जो दस्तखत करके दिए थे, मैंने यह निवेदन किया था कि इन दोनों में से कोई न कोई सदस्य जरूर गलत है । उन दोनों में से किसी न किसी सदस्य की गलती की वजह से राजस्थान विधान सभा की गरिमा को ठेस पहुंची है । 15 दिन तक बराबर यह सारे हिन्दुस्तान में प्रकरण गाया गया है···।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये ।

**श्री भीमराज भाटी** : और उसके बाद आज हम लोग जो राजस्थान के इस पवित्र सदन के माननीय सदस्य हैं, उनकी सबकी मर्यादा को ठेस पहुंची है ।

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराजिये ।

**श्री भीमराज भाटी** : कौन गलत है, कौन सही है लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय···।

**श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक)** : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल बिना अध्यक्ष की अनुमति से कोई सदस्य···(व्यवधान)

**श्री भीमराज भाटी** : हमारी, माननीय सदस्यों की गरिमा को ठेस पहुंची है ।······ ···(व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : ···नहीं कर सकता है इसलिए इसको कार्यवाही से निकाला जाय ।

**श्री भीमराज भाटी** : हम माननीय सदस्यों को शर्म से नीचा देखना पड़ रहा है कि राजस्थान विधान सभा में ऐसे सदस्य भी हैं जो कभी कुछ दस्तखत करते हैं, कभी कुछ दस्तखत करते हैं । या तो दस्तखत करने वाले गलत हैं या वह एफिडेविट देने वाले गलत हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : मैं उसको देख लूंगा । आप बिराजें ।

**श्री भीमराज भाटी** : मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, कल विधान सभा समाप्त होने वाली है और विधान सभा समाप्त होने के समय में भी अगर इस तरह के मसले पर···

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराजें । अंकित नहीं करें आप ।

67

**श्री भीमराज भाटी :** × × ×

**डा० हरि सिंह (फुलेरा) :** माननीय अध्यक्ष जी, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि इस सारे प्रकरण में भ्रष्टाचार हुआ है उसकी ही भैरोंसिंह जी जांच करा लें।

**श्री अध्यक्ष :** विराजें आप।

**श्री भीमराज भाटी :** × × ×

**श्री अध्यक्ष :** व्यवस्था देंगे। आप बिराजिये।

**डा० हरिसिंह :** भ्रष्टाचार हुआ। महतो की और वह बात तो छोड़ दीजिये, वह तो दिल्ली की है। वह वाजपेयी जी कह रहे थे कि पैसा तो लिया था और मुकर गया। आप यहां जो भ्रष्टाचार हुआ है, इस राज्य सभा के मामले में, आप तो उसी के लिए कह दीजिए कि मैं जांच करवाऊंगा।

**श्री अध्यक्ष :** विराजिये आप।

**डा० हरिसिंह :** इसका मतलब आप भ्रष्टाचार विरोधी नहीं हैं, **भ्रष्टाचार करवाते हैं।**

**श्री अध्यक्ष :** अंकित नहीं हो।

**डा० हरिसिंह :** × × ×

**श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) :** अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोलने का सबको आह्वान किया है, मैं इस बात का आदर करता हूं। मैंने तो जिन्दगी में किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया नहीं है। मैंने केवल एक बात कही थी उस पर आपने लम्बा चौड़ा भाषण दे दिया कि भ्रष्टाचार की बात करने से हमारी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** मैंने क्यों कहा वह मैं बता दूंगा। उसके बाद में अगर आपकी तसल्ली नहीं हो तो आप कह देना।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** सबके सामने कहा है और मुझे भी जानते हैं कि मैंने कभी किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का व्यक्तिगत आरोप 40 साल में नहीं लगाया है। अगर लगाया हो तो बता दें।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** यह रिकार्ड नहीं होना चाहिए।

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी :** अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड···।

**श्री अध्यक्ष :** अब बाकी क्या रह गया ? बिराजिये आप। शिवनाथ सिंह जी को बोलने दें।

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी :** पाइन्ट आफ आर्डर मेरा है।

**श्री अध्यक्ष :** पाइन्ट ऑफ आर्डर, पाइन्ट आफ आर्डर, सुबह से शाम तक पाइन्ट आफ आर्डर ही चलते रहेंगे क्या ? आप बिराजें। कोई अंकित नहीं करें आप।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी :** × × ×

(15.00)

**श्री अध्यक्ष :** श्री शिवनाथ सिंह जी।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी :** × × ×

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : सबके उत्तर दिए जाएंगे। आप बिराजिये। सबका होगा।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायें। आपने क्या उठाया है, मैं उसको देखकर बात करूंगा। जब तक अध्यक्ष अनुमति नहीं दें, आप इस तरह का उच्चारण यहां नहीं कर सकते। कृपया आप बिराजिये। माननीय शिवनाथ सिंह जी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। यह अंकित नहीं हो रहा है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि जो विशेषाधिकार का प्रश्न है, वह जब आपके पास विचाराधीन है, जब तक आप उसका परीक्षण करेंगे, देखेंगे, उस पर कोई व्यवस्था देंगे उस व्यवस्था से पहले यदि विशेषाधिकार के सवाल पर यहां पर चर्चा शुरू कर देते हैं तो यह अपने आप में विशेषाधिकार हनन है। तो माननीय सदस्य ने जो विशेषाधिकार के सवाल पर यहां पर चर्चा की है, मेरा निवेदन है कि वह अंकित नहीं हो और उसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री अध्यक्ष : अंकित ही नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : मैं व्यवस्था पूछ रहा हूं, आप उस पर कब अपनी व्यवस्था देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप इस पर डिबेट··· ···(व्यवधान)

डा० हरिसिंह : आप कह रहे हैं कि उन्होंने हनन किया है तो आप उनके खिलाफ लाइए।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। माननीय शिवनाथ सिंह जी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने···।

श्री अध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंह जी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अप्रोप्रिएशन पर ? डिमांड्स पर ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसी पर। यह जो विचाराधीन है, उस पर बोल रहा हूं। प्रश्न उठाया गया था भाटी साहब द्वारा। प्रश्न यह है, जो महावीर प्रसाद जी साहब

---

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(69)

श्री पूनमचन्द विश्नोई)

ने कहा कि विचाराधीन है, तो आप स्वयं जानते हैं कि विशेषाधिकार हनन का मामला सर्वाधिक महत्व का होता है और सबसे ऊंची प्रायोरिटी का होता है इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि वह विचाराधीन लम्बे समय तक रह नहीं सकता।

**श्री अध्यक्ष** : जरूर। बराबर। विराजिये आप। जरूर व्यवस्था दूंगा (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र चौधरी** : आप मुस्कराइये।

**श्री अध्यक्ष** : मुस्करा ही रहा हूं। (व्यवधान) व्यवस्था दूंगा, यह कह रहा हूं। विराजिये आप। श्री शिवनाथ सिंह जी।

**श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : अध्यक्ष महोदय, आज सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी कम वित्त मन्त्री जी ने बजट रखा और अपना भाषण भी दिया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आपको पूरा अधिकार था, आपने बजट पूरा पेश किया, कोई उसमें एतराज हो नहीं सकता और आपने चार माह के खर्चे के लिए कुछ राशि मांगी है उसका भी आपको अधिकार है। पूरे बजट पर बात होगी उस वक्त मैं पूरी बात कहूंगा लेकिन इस वक्त संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो बजट प्रावधान रखे हैं, पिछले साल की जो तस्वीर हमारे सामने खींची है और आगे के लिए जो हमें आशा बंधवायी है उसमें जनमानस में आस्था, जनमानस में विश्वास जम नहीं रहा है। पिछली बार बजट पेश करते समय माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने 309 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान लगाया था, उसमें खर्चा 523 करोड़ और बढ़ गया। कुल घाटा होना चाहिए था 832 करोड़ रुपये और मुख्य मन्त्रीजी ने कहा है कि हम मितव्ययता बरतकर इसको 56 करोड़ रुपये पर ले आए हैं। यह मेरा शुरू से आरोप है, यह सरकार बजट के प्रावधान दिखाती है, योजना में अपना खर्चा दिखाती है और साल के अन्त में जब हम देखते हैं तो उसमें कोई खर्चा होता नहीं है और कुल बचत कर लेती है। अपने यहां के राजस्थान के साधन है, उसमें वे बचत कर लेती है। केन्द्र सरकार से जो रुपए आते हैं उसको भी वे डाइल्यूट कर लेती है और कोई खर्चा उसमें कर नहीं पाती हैं और इसी का परिणाम है कि राजस्थान का विकास जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा है। सिर्फ भाषण से, बजट प्रावधान से विकास हो नहीं सकता। इस मामले में हमारी सरकार पूर्णतः विफल रही है और इसलिए हमारी आशंका है कि अगली साल के लिए आपने जो बजट प्रावधान रखे हैं, उनमें भी यह सरकार विफल रहेगी। राजस्थान का विकास करने का इसका मन है नहीं।

मैं दो-तीन चीजों की तरफ आपसे निवेदन करना चाहूंगा। हमारा प्रांत शिक्षा की दृष्टि से हिन्दुस्तान में नीचे बैठा हुआ है। 15वां स्थान हमारा है और माननीय मुख्य मन्त्रीजी बार-बार कहते हैं कि इस मामले में जब मैं देश के दूसरे मुख्य मन्त्रियों के साथ बैठता हूं, मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सिर आपके इस प्रकार के जो प्रयत्न हैं उनसे तो झुकता ही रहेगा। आपने शिक्षा के लिए एक साल पूरा समर्पित किया

(श्री शिवनाथ सिंह)

उसका परिणाम क्या आया ? अभी हमारे शिक्षा मन्त्री जी कह रहे थे कि 2700 स्थान अध्यापकों के रिक्त हैं। इस प्रकार से बचत यदि आप करते हैं तो शिक्षा का मामला कहां बैठ पायेगा ? इस साल के बजट में आपने सिर्फ 500 प्राइमरी स्कूल्स, 600 अपर प्राइमरी स्कूल्स का प्रावधान रखा है। इस गति से हमारी सरकार राजस्थान में निरक्षर जनता को साक्षर करना चाहती है तो मेरे ख्याल से असम्भव है। आपने शिक्षा के मामले में, साक्षरता के मामले में अलग-अलग योजनाएं प्रस्तुत की हैं। पता नहीं, कितनी योजनाएं आपने बना रखी हैं। एक योजना होनी चाहिए थी प्राइमरी एजूकेशन सब बच्चों को मिले। आपने कहीं सहभागी योजना कर दी, कहीं कोई दूसरी योजना कर दी। याद नहीं रहता है उसमें क्या हो रहा है। सब रुपया खर्च होता है बेकार कामों पर। सरकारी अधिकारी जिनको यह काम करना होता है उन सब पर खर्च होता है और शिक्षा का हमको वस्तविक आंकलन करना चाहिए, उसमें एक पैसा खर्च नहीं होता है। आज राजस्थान के भिन्न-भिन्न इलाकों की स्थिति यह है कि बच्चों को तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर तक प्राइमरी स्कूल में जाना पड़ता है। इन सबसे मिलाकर एक ही परिणाम निकालते हैं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी की, हमारी राजस्थान की सरकार की नीति कभी नहीं है कि गांवों के लड़के पढ़ें, योग्य बनें और शहरी इलाकों के लड़कों के बराबर कम्पीटिशन में आएं। माननीय मुख्य मन्त्री जी हमारी ग्रामीण जनता को निरक्षर रखना चाहते हैं। भाषण कितने ही देओ, लेकिन यह काम करने का तरीका एक ही है कि किसी भी तरह से राजस्थान के ग्रामीण इलाके के ग्रामीणों के बच्चे पढ़ नहीं पायें और इसी दृष्टि से आपने सब योजना चला रखी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण साक्षरता का एक कार्यक्रम चला रहे हैं। उसमें अन्तरराष्ट्रीय सहयोग भी है, केन्द्र सरकार का सहयोग भी है, आपका भी सहयोग है। गत जुलाई महीने में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खुले थे। आज तक उनमें एक भी पैसा न पट्टी के लिए दिया गया है, न सामान के लिए दिया गया है। यह जो निरक्षरों को पढ़ाने के लिए चले थे उनको एक भी पैसा नहीं मिला है जबकि उनको 300 रुपये महीने के हिसाब से मिलना चाहिए था। यही सम्पूर्ण साक्षरता का कार्यक्रम है ? ढोल पीटे जा रहे हैं, मीटिंग हो रही हैं और अधिकारी लोग जीपों में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ बच्चे कहते हैं, हमें पढ़ाओ, हमें मास्टर दो। दूसरी तरफ कहते हैं कि बच्चों, तुमको पढ़ायेंगे नहीं, हम प्रचार करेंगे और एक वातावरण बनायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रांत में शिक्षा का वातावरण बना हुआ है और खास तौर से वह इलाका जिसमें पढ़ाई के लिए लोगों में मन है, वहां एक भी पैसा बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च नहीं हो पाया है और सब दिखावे पर खर्च हो रहा है। हमारा पड़ौस का सीकर जिला है। उसको 12 महीने पहले सम्पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया था। केन्द्र की टोली आयी और केन्द्र की टोली ने यह परिणाम निकाला कि जो आंकड़े पेश किए गए थे, जो सर्टिफिकेट दिए गए थे, गलत हैं दुबारा उस सीकर जिले

(श्री शिवनाथ सिंह)

को साक्षरता के कार्यक्रम में लिया गया। इस प्रकार के हमारे आंकड़े हैं।

(15.10)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष पदासीन)

अजमेर जिले का आप देख लीजिए। अजमेर जिले में सम्पूर्ण साक्षरता का कार्यक्रम, आप कहते हैं, पूरा हो चुका और जब मस्टर रोल बनते हैं तो उनमें सब अंगूठे टिके रहते हैं। इसलिए, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो इस प्रकार के आंकड़े बजट में दिखाए गए हैं, सब फर्जी हैं और इनमें कोई तथ्य है नहीं।

दूसरी बात, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने करों में घोषणायें की हैं। दो तरह की, तीन तरह की करों में घोषणायें की हैं—एक उद्योग के लिये, दूसरा व्यवसाय के लिये और तीसरा कन्ज़्यूमर्स के लिये। उद्योग के लिये जो घोषणायें की गयी हैं उनका फायदा उनको पूरा मिलेगा। व्यवसाय-व्यापार में जो घोषणायें की गयी हैं, कहीं सेल्स टैक्स में कमी की गयी है, उनका फायदा उनको पूरा मिलेगा। लेकिन कन्ज़्यूमर्स के लिये जो घोषणा की गयी है, कंघे में दो पैसे कम कर दिये, बल्ब में एक पैसा कम कर दिया, इनका कोई भी प्रभाव, इनका कोई भी असर, कोई भी लाभ कन्ज़्यूमर्स को मिलने वाला नहीं है। यह सब ऊपर की बातें हैं। राज्य सरकार में आप आमदनी की कमी कर सकते हैं लेकिन सब यह जो व्यापारी आदमी हैं, बीच के आदमी हैं इसको खा जायेंगे और कन्ज़्यूमर्स हैं—उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। बीच के दुकानदार इसको खा जाएंगे। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की राहत देने का कोई मतलब नहीं है और बिना मतलब राज्य के खजाने को खाली कर यह कन्ज़्यूमर्स को इसलिये दिया गया है कि इनको उद्योगों को राहत देनी थी, इनको व्यवसाय को राहत देनी थी। इस बहाने से उसमें कमी की गयी है।

आज खेती के लिये आपने कहा है कि कृषकों को फायदा देने के लिये हमने टायर पर सेल्स टैक्स कम कर दिया, हमने हल पर टैक्स कम कर दिया, बिजली की मोटर में लगने वाले सामान पर टैक्स कम कर दिया। उसका कोई फायदा कन्ज़्यूमर्स को, किसानों को नहीं मिलने वाला है, सिर्फ किसानों का नाम है। सब उन लोगों को, दुकानदारों को, बीच के आदमी को मिलेगा। इसलिये, माननीय उपाध्यक्षजी, यदि कोई योजना आप बनाते हैं, मेरा निवेदन है सरकार से, उसमें इस प्रकार की योजना बने, जिसका सीधा असर कन्ज़्यूमर पर पड़े। कृषि के सम्बन्ध में एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आज कृषि को जो आप राहत देने की बात करते हैं, उसके लिये रुपया खर्च करने की बात करते हैं, यह एक दिखावा है। आज किसान को सबसे बड़ी आवश्यकता बिजली की है। आप कहते हैं कि हमने इतने कुओं को बिजली दे दी। आपने दे दी, संख्या ठीक हो सकती है लेकिन उनकी हालत क्या है? जिनको आपने बिजली दी है, उन कुओं को, बिजली मिलती है क्या? वह बिजली नहीं मिलती है, दिन भर वह खड़े रहते हैं। इसलिये यदि व्यवस्था में सुधार किया जाय,

(श्री शिवनाथसिंह )

तो व्यवस्था का सुधार किसान को फायदा पहुंचायेगा, संख्या की गिनती में बढ़ोतरी किसान को कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाली क्योंकि बिजली के उत्पादन में तो आपके बढ़ोतरी हुई नहीं है और कुओं की संख्या आपने बढ़ा दी है तो बिजली है उतनी ही मिलेगी। मैं यह नहीं कहता कि आज सब किसानों को बिजली मिल जाय। नहीं मिल सकती। जो आपके पास बिजली है वही देंगे, उतनी ही किसान को मिलेगी। लेकिन उसकी व्यवस्था में सुधार करने का आपका मन नहीं है और आपका विद्युत मण्डल किसानों की खाल उतारने में लगा हुआ है।

पिछली बार माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि मैं नर्सरी योजना बन्द कर दूं, एक पोल-दो-पोल योजना बन्द कर दूं ? यह सब स्टंट इसलिए रचा गया कि उन लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हो। आज एक लाख रुपया खर्च होकर नर्सरी के कनेक्शन मिल जाते हैं। यह कुलक्स को, जो बड़े किसान हैं, जिनके पास अनाप-शनाप पैसा है उनको फायदा पहुंचाने के लिए है और आम जो काश्तकार हैं, बिजली लेना चाहते हैं, गरीब हैं, शिड्यूल कास्ट के हैं, ट्राइब के हैं, छोटे काश्तकार हैं उनको महरूम रख रहे हैं। 82 से लोगों की एप्लीकेशन्स पड़ी हुई हैं जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में आप नहीं दे रहे हैं और जितना बिजली का उत्पादन होता है वह सब नर्सरी, वन पोल, टू पोल में आप दिए जा रहे हैं। उन लोगों का क्या होगा जो 82 से आपकी वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं। और फिर इतना ही नहीं, हर कनेक्शन के पीछे पांच हजार रुपए रिश्वत ली जा रही है। यदि कोई शिकायत करते हैं तो सुनवाई करने वाला कोई है नहीं और रोजाना बिजली बोर्ड के जो सर्क्यूलर्स हैं वह बदलते रहते हैं। अब एक नया सर्क्यूलर निकाला है कि जिन लोगों को एक पोल, दो पोल में कनेक्शन मिल गया, हमारी स्थिति आज ठीक नहीं है, तो चार महीने पहले, छह महीने पहले कनेक्शन लिए थे आज उनको नोटिस जा रहे हैं कि आपका कनेक्शन वन पोल और टू पोल वाला अब नर्सरी में परिवर्तित किया गया है। नर्सरी में हम मांग नहीं रहे हैं, नर्सरी में हम लेना नहीं चाहते हैं, वन पोल और टू पोल में आपने हमको कनेक्शन दे दिया और उसके बाद आप कहते हैं कि आपका कनेक्शन हमने नर्सरी में कन्वर्ट कर दिया है, यह कहां का न्याय है ?

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपका अधिक समय नहीं लेता हुआ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, यह जो बजट पेश किया गया है और बजट भाषण दिया गया है, चुनाव की दृष्टि से दिया गया है। देने का उनको अधिकार है क्योंकि वह सत्ता में हैं और सत्ता वाला व्यक्ति चाहे जो घोषणा कर सकता है। लेकिन उसकी परीक्षा 31 मार्च, 1997 को होगी कि तब कितने अचीवमेंट्स इनके होंगे। मेरा इतना ही निवेदन है कि बजट में वह प्रावधान किए जायं और वही प्रावधान रहने चाहिए जिनको हम धरती पर उतार सकें। यह सिर्फ बातूनी बजट है और एक दिखावा है। इसमें कोई तथ्य नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसको हम स्वीकार करें तो ठीक है, नहीं

(श्री शिवनाथसिंह)

स्वीकार करें तो ठीक है, लेकिन पीड़ा हमको जरूर है।

**श्री महावीरप्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) :** पीड़ा अन्दर से है या बाहर से है, सच बताओ।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) :** एक मिनट में कहूंगा, दो-तीन बातें ही कहनी हैं। एक तो यह है कि जो रीको वगैरह लैण्ड एक्वायर करता है वह बेशकीमती जमीन होती है, वह भी सिंचित और सिंचित भूमि समतल और उसकी टैक्सचर ठीक बनती है 25-30 साल में। आम तौर से शिकायत यह आती है शहरों और कस्बों के पास जो बढ़िया से बढ़िया जमीनें हैं उनको रीको एक्वायर करता है। क्यों करता है ? उनको तो चाहिए सड़क, बिजली, पानी, जो कहीं भी दो मील दूर ही ले जाया जा सकता है। तो बंजड़, कंकरीली, पथरीली, ऐसी जमीन के अन्दर उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। यह क्यों नहीं किया जा रहा, एक बात।

दूसरी बात, हमारे यहां भी थी और मेरे ख्याल से कई प्रदेशों में बाहर भी है कि जो वरिष्ठतम आर० ए० एस० और आर० पी० एस० अधिकारी हैं इनको जिला कलक्टर और जिला पुलिस अधिकारी पहले लगाया जाता था। अब क्यों नहीं लगाया जा रहा ?, वह लोग जनता के ज्यादा नजदीक होते हैं, ज्यादा अनुभवी होते हैं और उनके बहुत सी गलतफहमियां नहीं होती हैं। आई० ए० एस० और आई० पी० एस० जो सीधे आते हैं, उनसे बहुत अच्छे हैं, बहुत योग्य हैं, इसमें दो राय नहीं, लेकिन उनको शुरू से एक ही पाठ पढ़ाया जाता है, चाहे सिनेमा में देख लीजिए, राजनेता बताएंगे तो सफेद टोपी पहने हुए चोर हैं। मुख्य मन्त्री बना हुआ है, अपराधियों को शरण दे रहा है। इसके सिवाय कोई विषय हो तो मुझे बता दीजिए। हमेशा यह है और मध्यम वर्ग की यह कुण्ठा है, जिसमें आई० ए० एस० और आई० पी०एस० भी शामिल हैं कि हम इतने होशियार और इतने सुपीरियर हैं, लेकिन हमको नादान, मूर्ख, अनपढ़ इनके नीचे काम करना पड़ता है। यह उनकी कुण्ठा रहती है। इसका परिणाम यह है कि वह दस-पन्द्रह साल में जब फुटबाल बनाए जाते हैं, इधर से उधर कुदाते हैं, ट्रांसफर्स होते हैं, तब जाकर वे ठीक से काम करने लगते हैं। बहुत से सदस्यों का अनुभव है कि एम० एल० एज० को घण्टा-घण्टा, दो-दो घण्टा जिलाधीश बाहर बिठाए रखते हैं कि साहब मीटिंग में बैठे हैं। काहे की मीटिंग्स हैं, इतनी क्या मीटिंग्स हैं, कोई अन्तरराष्ट्रीय मीटिंग हो रही है कि एम० एल० एज्० पांच मिनट मिल नहीं सकते। चुने हुए लोग जो उनसे ऊंचे हैं वारण्ट आफ प्रीसिडेंस में, उनको बाहर बैठाए रखते हैं। खैर, चुने हुए के हाथ में वैसी हमारी नासमझी से, जिसमें कांग्रेस भी भेली है, कुछ भी नहीं है। सरपंच से लेकर एम० पी० तक कुछ भी हाथ में नहीं है। क्योंकि हमने नकल की और प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर में सब कुछ उनके ही हाथ में सौंप दिया। लेकिन कम से कम हमारी इज्जत बनी हुई रहनी चाहिए, इतना ही निवेदन है।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री विष्णु मोदी।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** (उप मुख्य मन्त्री) : माननीय विश्नोईजी ने अभी रीको के बारे में कहा। रीको की जनरल पालिसी यह है कि जहां पड़त जमीन मिलती है उसी को एक्वायर करता है और यदि मान लीजिए···

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : सभा की क्या राय है ? बढ़िया से बढ़िया जमीन लेता है या नहीं ?

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : आप मेरी बात सुन लीजिए। यदि कोई इस तरह की जमीन एक्वायर करता भी है···

**श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट निवेदन करूं···

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : पहले मेरी बात तो हो जाय।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : एक मिनट। मैं इसी सन्दर्भ में कह रहा हूं आपको मेरी बात का भी····

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : बोलिए, बोलिए।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आज सुबह स्वयं उपस्थित होकर माननीय उप मुख्य मन्त्रीजी को इसी सम्बन्ध में सीकर की पीड़ा से अवगत कराया।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : सब जगह की पीड़ा एक-सी है।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : इस वक्त सीकर के रीको ने अपने जो प्रपोजल्स भेजे हैं, उनकी स्थिति ऐसी है कि उन काश्तकारों के पास मुश्किल से पांच-पांच बीघा जमीन है, किसी के पास दस बीघा जमीन है और वर्षों से उनका पूरा परिवार उसी से पेट पाल रहा है, ऐसी जमीन को रीको एक्वायर करने के लिए वहां से प्रपोजल्स यहां भिजवा दिये हैं। कल ही यहां से उसके लिए प्रपोजल्स मूव हो जाएंगे और उसके बाद सिवाय इसके कि वह हाई कोर्ट में जाकर अपनी उस जमीन के बारे में दरख्वास्त करें, उनके पास और कोई चारा नहीं बचता। क्योंकि कलक्टर और जितने भी बड़े अधिकारी हैं वे तो स्वयं इस बात से बंधे रहते हैं कि कोई प्रपोजल चला गया उसमें वे अपनी तरफ से सिर दर्द क्यों पालें। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो काश्तकार अपनी छोटी-छोटी भूमि पर अपने स्वयं के परिवार का पेट पालते हैं उन काश्तकारों को उस जमीन से बेदखल करना कतई गैर-कानूनी ही नहीं बल्कि अमानवीय दृष्टिकोण होगा। मेरा निवेदन है कि जिस जमीन के बारे में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यह बाजोर के पास में एक्वायर की जा रही है। वह जमीन एक्वायर नहीं की जाकर उससे 4-5 किलोमीटर आगे ही सरकारी भूमि करीब 300 एकड़ पड़ी हुई है, ऐसी जमीनों पर किया जाय। एक तरह से पालिसी बना दी जाय कि जो छोटे-छोटे काश्तकारों की जमीन है वह नहीं लेंगे। इसी तरह से, आपकी एजूकेशन को लीजिए। मोदी इन्स्टीट्यूट लक्ष्मगढ़ में है···

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया बिराजें।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : उसके पास में छोटी-छोटी जमीन के जो काश्तकार हैं उनकी जमीन को उन्होंने एक्वायर कर लिया।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया सरकार का उत्तर सुन लें। बिराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मोदी इन्स्टीट्यूट का मामला है उन्होंने वहां पर एक तरह से बिजनेस लगा रखा है। वह कोई सेवा का काम नहीं कर रही है। बावजूद इसके उसकी जमीन को एक्वायर किया जा रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी से, उप मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन है कि रीको जो इस तरीके से जमीन एक्वायर करती है उस पर उनको छूट देकर सरकारी जमीनें ही लेने की कृपा करें।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर आने से पूर्व हमें अवसर दीजिए।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं जनरल बात बता रहा हूं। मेरे ध्यान में जब इस तरह की जमीनों की बात लायी जाती है, बहुत-सी जगह को डि-एक्वायर किया है और उसके लिए प्रक्रिया भी है। यह हो सकता है कि कलक्टर भले ही रिपोर्ट भेज दें, लेकिन जब सैक्शन-4 का नोटिस···

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरी बात तो सही है न ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, बिलकुल। देखिए, मैं आपकी बात के बारे में कई बार पब्लिकली कह चुका हूं कि किसानों की कीमत पर हम औद्योगीकरण नहीं चाहते I have told it. इसलिए जब किसी मामले में इस तरह की बात हमारे ध्यान में आती है तो उस पर जरूर एक्शन लेते हैं। होता क्या है कि कलक्टर जब सैक्शन-4 का नोटिस जारी करता है तो उस पर जो उस समय आपत्ति करने का मौका होता है, लोग आपत्ति करते नहीं हैं और जैसा पारीक साहब ने मुझे जबानी कह दिया, कह देते हैं। मैंने इनसे कहा आप लिखित में तो भिजवाइये कि वहां पर यह हो रहा है। जब तक आप लिखित में नहीं भिजवायेंगे···

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं तो लिखित में भिजवाऊंगा ही।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, तो लिखित में भिजवायेंगे तो निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। खाली जबानी कह दिया, एक परेशानी यह होती है।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय उप मुख्य मन्त्रीजी, आप एक निर्देश विभाग को जारी कर दें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : किया हुआ है। मैं आपको बता चुका हूं।

श्रीमती कमला : ऐसा कोई निर्देश उनको नहीं है। वे स्वविवेक से अगर कर लें तो कर लें वरना निर्देश नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं कह रहा हूं कि निर्देश रीको को है कि जहां पर खाली पड़त जमीन मिलती हो वहां पर किसानों की सिंचित या असिंचित जमीन एक्वायर नहीं की जाय। मगर, मान लीजिए, किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा होता है तो ध्यान में लाया जाना चाहिए। आप ध्यान में लाएंगे नहीं और फिर···

श्री उपाध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उप मुख्य मन्त्री महोदय, काश्तकार बंटा हुआ होता

(श्री राजेन्द्र पारीक)

है। जमीन जो एक्वायर होती है उसमें 50 काश्तकार होते हैं। वह तो बंटा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपने ध्यान आकर्षित कर दिया। अब इस समय वाद-विवाद नहीं होगा। अब आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप इस सम्बन्ध में निर्णय ले लें। आपकी तरफ से ही निर्देश जारी कर दें कि ऐसी जमीनों को एक्वायर नहीं किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइए। श्री विष्णु मोदी। आप शुरू करिए।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी सदन में, जो चार माह का वोट ऑन अकाउण्ट लाया जा रहा है उसका मैं विरोध करता हूं आर मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इन मांगों को पारित नहीं करें। इसलिए नहीं करें, कि जो पहला बजट माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने पेश किया था उसको शिक्षा को समर्पित किया था और दूसरा स्वास्थ्य को समर्पित किया था और तीसरा किसको समर्पित किया यह मेरी तो कुछ समझ में आया नहीं।

पहला बजट शिक्षा को समर्पित किया। आज शिक्षा की स्थिति है कि टीचर नहीं, स्कूल भवन नहीं और वहां सुचारू रूप से पढ़ाई नहीं। उसके बावजूद मैं एक आंकड़ा आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं कि हमारी स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है। उसमें स्कूल से निकलकर यूनिवर्सिटी तक मात्र तीन प्रतिशत विद्यार्थी ही पहुंचते हैं। शिक्षा को समर्पित होने के बावजूद मास्टर नहीं, स्कूल क बिल्डिंग नहीं और उसके ऊपर केवल तीन प्रतिशत विद्यार्थी स्कूल से निकलकर यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाते हैं। यह तो पहले बजट की दशा हुई।

दूसरा बजट, जो, स्वास्थ्य को समर्पित है उसकी यह हालत है, अभी माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने एक नये अस्पताल की कोई नींव रखी थी उसमें उन्होंने खुद ने अपनी यह पीड़ा महसूस की कि अस्पतालों में बिस्तर नहीं, दवाई नहीं, डाक्टर नहीं, चारपाई नहीं। यह दूसरे बजट की हालत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहे गवर्नर का अभिभाषण हो, चाहे पहला बजट हो, चाहे दूसरा बजट हो या तीसरा बजट हो, माननीय मुख्य मन्त्रीजी हमेशा अपनी आठवीं पंचवर्षीय योजना के आकार का बहुत ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने 11 हजार इतने करोड़ की योजना पास करायी और अब अन्तिम चरण में, इसमें भी लिखा है, हम 500 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च करेंगे। आज राजस्थान की स्थिति यह है कि 85 प्रतिशत पैसा शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य और सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में चला जाता है। यह जो पंचवर्षीय योजना का आकार है। इसके बारे में माननीय विश्नोई जी ने ठीक तरह से बताया था कि रुपये का अवमूल्यन हुआ है, इंफ्लेशन बढ़ा है इसलिए आकार बढ़ा है। इसमें दो हैड्स जो हैं, को, एक है एग्रीकल्चर, पिछले चार साल में हमने उस पर करीब-करीब तिगुनी राशि, जो राशि पहले खर्च हुई, उससे तिगुनी राशि खर्च की और उसका नतीजा यह निकला कि हमारा जो 77 मीट्रिक टन

(श्री विष्णु मोदी)

अनाज का उत्पादन था उसमें मात्र 22 लाख टन उत्पादन बढ़ा पाए। तिगुना खर्चा करने के बाद में उस प्लान के आकार का ढिंढोरा पीटने वालों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या गुणात्मक सुधार की भी बात करते हैं या आप खाली क्वांटेटिवली जो आपका बढ़ा हुआ है उसका जिक्र करते हैं ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के अन्दर हमने सौ प्रतिशत ज्यादा खर्च किया और उसका नेट रिजल्ट निकला कि हम तीन लाख हैक्टेयर से ज्यादा भूमि सिंचित नहीं कर सके। खाली क्वांटेटिवली बात करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान आपके कहने मात्र से कोई विकासशील बनने वाला नहीं है। यहां एक "इन्वेस्ट्यूर एक एक्जीबिशन" लगी थी जो होटल इण्डस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल की थी। उसमें गुजरात व अन्य सब स्टेट्स के पैवेलियन लगे थे। राजस्थान का भी बहुत अच्छा पैवेलियन लगा था। गुजरात के पैवेलियन में जब मैं गया तो देखा कि जब से लिबरलाइजेशन पॉलिसी आयी है, 1991 से जुलाई 1995 तक पूरे हिन्दुस्तान में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ। उसमें अकेले गुजरात राज्य में 19 प्रतिशत इन्वेस्टमेंट हुआ और महाराष्ट्र में 16 प्रतिशत हुआ। उसके बाद में आन्ध्र प्रदेश का नम्बर था, उसके बाद तमिलनाडु का था और पांचवां नम्बर मध्य प्रदेश का था। महाराष्ट्र और गुजरात को मिलाकर 37 प्रतिशत इन्वेस्टमेंट था और इन पांच राज्यों को छोड़कर बाकी समूचे देश में 32 प्रतिशत इन्वेस्टमेंट हुआ। वह फिगर लेकर मैंने माननीय मुख्य मन्त्रीजी को चिट्ठी लिखी कि हमारे राजस्थान में इन चार सालों में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। तो माननीय भाभड़ा साहब का पत्र आया कि मैंने सैक्रेटरी को लिख दिया है, वे आंकड़े आपको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन आज तक भी वे आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए। मान्यवर, जहां तक विनियोजन की बात करते हैं तो उसमें आपकी यह स्थिति है आप क्वांटेटिव बात कर रहे हैं, क्वालिटेटिव का सोच तो अभी तक आया ही नहीं है।

जहां तक राजस्थान में इन्वेस्टमेंट का सवाल है, उसके सम्बन्ध में मैं आपको एक छोटा-सा निवेदन करना चाहता हूं। किशनगढ़ में, अजमेर में एक मार्बल का एरिया डवलप हुआ। रीको के पास कोई एरिया नहीं बचा था। और बाकी की जमीन को ग्रीन बैल्ट में दिखा रखा था लेकिन उस ग्रीन बैल्ट को इण्डस्ट्रीयल लैण्ड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बावजूद भी आज तक वहां पर 35 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फैक्ट्री का एडवांस दे रखा है, फाउण्डेशन कर रखा है लेकिन रीको के अधिकारियों ने माननीय भाभड़ा साहब को पढ़ा दिया कि इनसे डवलपमेंट चार्जेज लेना है, नहीं तो हमारी दुकान बन्द हो जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि रीको कैटेलिस्ट बने, रीको फाइनेंस करे, लेकिन रीको सिर्फ जमीन का व्यापार करके अपना मुनाफा कमाए, तो प्रदेश के अन्दर प्रगति नहीं होने वाली है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में लम्बी-चौड़ी बातें की हैं क्योंकि यह चुनाव का साल है। केवल तीन महीने में हम चुनाव

(श्री विष्णु मोदी)

में जाने वाले हैं। मुझे कल मौका मिला था और मैं अपनी तैयारी करके आया था। 1989 में जब विनियोग विधेयक की बात हो रही थी। तब का माननीय मुख्य मन्त्रीजी का करीब-करीब दो घण्टे का भाषण होगा, क्योंकि मुझे पढ़ने में ही 40-45 मिनट से ज्यादा लगे और उसमें भी मैंने कई बातें जो फालतू थीं उनको मैं छोड़ता जा रहा था तब इतनी देर लगी, और उस वक्त भी उन्होंने वही सब बातें कहीं थीं कि किसानों के कर्जे माफ करेंगे, हम यह करेंगे, वह करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन्हीं मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं, जो बिजली की बात कर रहे थे कि हमारा हाइडल प्रोडक्शन कम हो गया, हमारा यह प्रोडक्शन कम हो गया, उन्हीं मुख्य मन्त्रीजी ने कहा है कि आज बिजली के दाम नहीं बढ़ा सकते और उन्हीं भैरोंसिंहजी, जो आज मुख्य मन्त्री हैं, ने गवर्नर के भाषण में लिखा है कि हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल और जो उसके उपभोग करने वाले हैं वे आपस में विचार-विमर्श करके अपनी प्राइस तय करें। जब एक बार झुंझुनूं में 2 पैसे यूनिट बिजली की दर बढ़ी थी तब उन्होंने लाश नहीं जला देने के लिये आन्दोलन चलाया था जिसमें एक आदमी की जान भी गयी थी और वहीं आज जो नर्सरी की योजना लागू की, उसमें दाम बढ़ा दिये। अभी माननीय शिवनाथ सिंहजी निवेदन कर रहे थे कि एक पोल और दो पोल की योजना में जो सैक्शन हुए उनके कनेक्शन भी नर्सरी के अन्दर कन्वर्ट कर दिये गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की और विशेषकर हमारे मुख्य मन्त्रीजी की कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है और प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में तो उनका विश्वास ही नहीं है। आज इस सदन की शायद 71वीं या 72वीं बैठक है। यह सदन अपना आधा कार्यकाल पूरा कर चुका है। इसमें एक साल के अन्दर 60 बैठकें होनी चाहिये और मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय को, मुख्य मन्त्री महोदय को, राज्यपाल महोदय को लिख-लिख कर थक गया।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सदन में किसी भी इम्पार्टेन्ट चीज पर डिस्कशन कराना ही नहीं चाहते। सारी नीतियां बना दीं—यह हमारी खनिज नीति है, यह हमारी मार्बल नीति है, यह हमारी सड़क नीति है, यह हमारी औद्योगिक नीति है, अब हमारी परिवहन नीति आने वाली है, यह कृषि नीति आने वाली है, यह पर्यटन नीति है लेकिन एक भी नीति पर इस सदन के अन्दर आज तक चर्चा नहीं कराई। जयपुर में दंगे हुए, टिबरेवाल आयोग की रिपोर्ट यहां पर आखिरी दिन ले करा दी लेकिन उसके ऊपर भी आज तक बहस नहीं कराई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर बिजली की कमी है और जो समझौते करके माननीय मुख्य मन्त्रीजी रोज ढोल पीटते रहते हैं कि अब हम आकाश से बिजली लाएंगे, अब हम पाताल से बिजली लाएंगे, अब हम वहां से बिजली लाएंगे, कोई बिजली नहीं आने वाली है और जिस सोलर बिजली की बात करते हैं,

(श्री विष्णु मोदी)

हिन्दुस्तान और राजस्थान में नहीं, जितनी कम्पनियों ने, जितने मेगावाट के समझौते किये हैं उतने मेगावाट तो आज दुनिया के किसी भी कोने में सोलर से बिजली बनती ही नहीं है। पूरी दुनिया में सोलर से उतनी बिजली बनती ही नहीं है जो यहां बनाने की बात कर रहे हैं। यह सिर्फ चुनाव के कारण, सिर्फ लोगों को भुलावे में डालने के अलावा कुछ नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर के अन्दर क्या हुआ? पहले जोर-जोर से अपने यहां हांकते हैं कि हमने ग्लोबल टेण्डर इन्वाइट किये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि धौलपुर में आपने कौन-सा ग्लोबल टेण्डर इन्वाइट किया है। धौलपुर में आपने एम० ओ० यू० किया है। धौलपुर में एम० ओ० यू० आपने कोयले के आधार पर किया। आपको एन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो मिली थी वह कोयले के आधार पर मिली थी लेकिन एक ही पैन-स्ट्रोक में, मेरा इसमें आरोप है कि इसको नेफ्था के ऊपर बदल दिया। पहले कोल के आधार पर आपने एम० ओ० यू० किया और फिर पता नहीं वे कोई गोयनका या और कोई बताते हैं, यहां जयपुर आये, क्लोज डोर मीटिंग हुई, किसके साथ हुई, और उसके बाद उसी दिन एक पैन-स्ट्राक में उसको नेफ्था पर कन्वर्ट कर दिया। तो उसके अन्दर खाली गोलमाल है।

बरसिंहसर लिग्नाइट प्लांट की बात करते हैं। सवा दो साल हो गये मुझे इस सदन में आये हुए, पहले भाषण से मुख्य मन्त्रीजी से सुन रहा हूं। पहली बार भाषण किया, जब वोट ऑफ कांफिडेंस ले रहे थे, कि मैं समझौता करने वाला था कि मेरी सरकार को बरखास्त कर दिया। फिर उससे आगे बढ़कर कहा कि उन लोगों को मैंने बुला रखा है, वे बैठे हैं और 2-4 दिन में ही समझौता करने वाले हैं। लेकिन पूरे सवा दो साल हो गये। माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, इसी सत्र में मैंने एक सवाल किया था बरसिंहसर लिग्नाइट, कपूरडी और जालिपा के बारे में, जिसमें ये चार हजार और कुछ मेगावाट बिजली की बात करते हैं कि इतनी बिजली हम प्राइवेट सैक्टर से लेने वाले हैं। उसमें ढाई हजार मेगावाट तो लिग्नाइट पर आधारित है। उस लिग्नाइट के आधार पर बरसिंहसर में तो अभी 220 की एक, 120-120 की दो यूनिट की खाली क्लियरेंस है हमारे पास और टेण्डर किया है वह 240-240 की दो यूनिट का किया है उसकी क्लियरेंस भी नहीं है हमारे पास और जालिपा और गुढ़ा की तो क्लियरेंस ही नहीं लाये हैं जिसकी बात करते हैं हम चार हजार मेगावाट लेकर आएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर बरसिंहसर लिग्नाइट का फैसला भैरोंसिंहजी की सरकार पहले कर लेती तो पहले उसके पास ऑफर थी। एक रुपये 70 पैसे और अभी आंकड़े उन्होंने बताये नहीं, फाइनल इवेल्युएट नहीं हुआ है, अब वह बिजली तीन रुपये और ढाई रुपये से कम नहीं पड़ने वाली है। राजस्थान की जनता को इनके फैसला नहीं करने के कारण से जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वह राजस्थान की जनता को सदियों तक भुगतना पड़ेगा।

(श्री विष्णु मोदी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की जो स्थिति है, आज लड़कों की परीक्षाएं हो रही हैं और गांव-गांव के अन्दर देखें, गांव से आने वाले माननीय सदस्य हैं, आज हर गांव में यह शिकायत है कि स्कूल में जाने वाले लड़कों को पढ़ाई के वक्त बिजली नहीं मिलती है। आज किसानों को बिजली नहीं मिलती। इस सदन में मैं आपके माध्यम से आज निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा पिटा हुआ तो उद्योगपति है, उद्योग-धंधे में लगा हुआ आदमी है। बांसवाड़ा जिले के अन्दर जो इण्डस्ट्रियल कनेक्शंस हैं उनके ऊपर राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने पिछले दो माह में 10 करोड़ की बकाया निकाली है। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि परसों अजमेर बन्द था। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से पूरा राजस्थान त्राहिमाम्-त्राहिमाम् कर रहा है और मैंने तो पहले भी कहा था कि मुख्य मन्त्रीजी, आप वर्तमान चेयरमैन साहब को रखना, आपको लोक सभा के चुनाव में ही पता लग जायेगा कि आपके राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की क्या स्थिति है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के समक्ष ये जो अनुदान की मांगें रखी गयी हैं उसका मैं विरोध करता हूं और सदन से निवेदन करता हूं कि इनको मंजूर नहीं किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री हरिसिंह, (कुम्हेर)।

**श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट रखा है और बजट रखने के पश्चात् चार माह के लिये लेखानुदान प्रस्तुत करते हुए एप्रोप्रिएशन बिल रखा है, जिस पर आप चर्चा करा रहे हैं, उस एप्रोप्रिएशन बिल का और उस बजट का मैं विरोध करता हूं।

यह बजट महज एक छलावा मात्र है राजस्थान के लिये। राजस्थान की गरीब जनता, विशेष तौर से राजस्थान का किसान इस बजट को देखकर पूर्ण निराशा में होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि पूर्वी राजस्थान के साथ जो सौतेला व्यवहार गत दिनों से चला आ रहा है उस सौतेले व्यवहार में इस बजट में और बढ़ोतरी हुई है।

मैं चर्चा करना चाहता हूं, यमुना जल के सम्बन्ध में। यमुना जल के समझौते के ऊपर मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत ही प्रचार और प्रसार किया इस बात का कि कांग्रेस सरकार पिछले 50 साल से जो काम नहीं कर सकी वह इन्होंने किया और समझौता किया। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं कि पिछले 50 सालों से यह बात चली आ रही थी कि राजस्थान का हक बनता है, यमुना जल के अन्दर राजस्थान के किसानों का, राजस्थान की आम जनता का हिस्सा था, करीब-करीब तय हो चुका था, मुख्य मन्त्री जी ने उसमें आगे बढ़कर के समझौता तो कराया लेकिन उस समझौते का लाभ अभी तक राजस्थान को नहीं मिल पाया है और राजस्थान की जनता को, विशेष तौर से भरतपुर जिले को उस यमुना जल का लाभ मिले, इसके लिये सरकार

(श्री हरिसिंह)

कुछ भी नहीं कर रही है। राजस्थान का जो समझौता हुआ है, मैं आपका ध्यान उसकी ओर आकर्षित कराना चाहता हूं और आपके माध्यम से इस सदन का कि इस समझौते के अन्दर...।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरिसिंहजी, विनियोग लेखानुदान विधेयक पर आप विचार प्रकट कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : एप्रोप्रिएशन बिल है, और बजट के ऊपर लेखानुदान है। लेखानुदान के बाद एप्रोप्रिएशन बिल है जिसमें सिंचाई की डिमाण्ड है। सिंचाई की डिमाण्ड से यमुना जल का भी ताल्लुक है। यमुना जल के सम्बन्ध में जो काम इस सरकार को करने चाहिए, जो प्रोविजन सिंचाई के कामों के लिये करने चाहिए, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि राजस्थान का जो पूरा शेयर बनता है वह है 1.119 बी० सी० एम० का। उसमें उन्होंने साल भर के अन्दर बांटा है, श्रीमन्, जुलाई के महीने में 0.963 बी० सी० एम० पानी मिलेगा, नवम्बर में 0.070 बी० सी० एम० पानी मिलेगा, मार्च के महीने में 0.086 पानी मिलेगा और कुल-मिलाकर 1.119 बी० सी० एम० पानी मिलेगा। अब इस पानी को, अव्वल तो जितना मिलना चाहिये था उतना लेने के लिये राजस्थान सरकार प्रयास नहीं कर रही है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो नहरें इस पानी को लेने के लिये हैं, उनकी क्षमता बढ़ाने के लिये मैंने अनेक बार इस सदन में निवेदन किया है। उनकी क्षमता बढ़ाने के लिये राजस्थान सरकार को बजट अलाट करके तुरन्त गति से कार्यवाही करनी चाहिये। अब आप देखें, 300 क्यूसेक्स पानी भरतपुर फीडर के अन्दर आ सकता है। उसकी क्षमता है 300 क्यूसेक्स की जब वह बनी थी लेकिन उसके अन्दर 70-75 क्यूसेक्स पानी भी नहीं आ सकता। यही हाल गुड़गांवा कैनाल का है। गुड़गांवा कैनाल के अन्दर 500 क्यूसेक्स पानी आ सकता है लेकिन आज उसकी क्षमता 500 क्यूसेक्स से घटकर मुश्किल से 100 क्यूसेक्स रह गयी होगी। पानी गुड़गांवा कैनाल के अन्दर जो आता है, पहले यू० पी० के अन्दर कुछ चलता है, फिर हरियाणा के अन्दर चलता है, उसके बाद राजस्थान में आता है। हम यह निवेदन करना चाह रहे हैं कि अगर आप यमुना जल को आसमान से लटका और खजूर में अटका देना नहीं चाहते हैं तो आपको यमुना से सीधा राजस्थान में पानी लाने के लिये अपनी एक कैनाल बनानी चाहिये। उसके लिये आपने सर्वे के आर्डर्स भी दिये हैं। सर्वे के लिये आपने इस साल के अन्दर पांच लाख रुपये का अलाटमेंट भी किया है। कोई वेपकोर्स फर्म है, उसके लिये आपने आदेश दिया है लेकिन उसके बाद कोई कार्यवाही हो नहीं रही। पानी जो आता है वह इस कदर पोल्यूटेड पानी आता है कि राजस्थान के अन्दर उस पानी से फसलों को कोई लाभ नहीं होता, एक बात तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि पिछले साल में बाढ़ आयी और बाढ़ के आने के बाद में जो नुकसान हुआ सिंचाई के बांधों

82



(श्री हरिसिंह)

का, असेम्बली में मैंने प्रश्न पूछा था उसका जो उत्तर मिला उसके हिसाब से 323 बांध और नहरें टूटी हैं। 323 बांध और नहरें टूटने से नुकसान कितना हुआ ? सात करोड़ एक लाख रुपये चाहिये उसको ठीक करवाने के लिये। अब उसके अगेंस्ट में आज हम यह देख रहे हैं कि जहां कहीं पर भी हमारी मोरी, छोटे-मोटे बांध टूटे हुए थे उसकी मरम्मत का काम भी शुरू नहीं हुआ है। आने वाली बरसात की तैयारी हो गयी है, दो तीन महीने बाद में। उस काम को करने के लिये न तो इस बजट में कोई प्रावधान है और न अब जो आप लेखानुदान ला रहे हैं उसके अन्दर कोई प्रावधान है और न आगे चलकर आप प्रावधान करना चाहते हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतने इम्पार्टेन्ट काम, सिंचाई के ऊपर इस बजट में सरकार द्वारा जो अनदेखी की जा रही है उसको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

तीसरी बात मैं आपसे फेमिन के काम के लिये निवेदन करना चाहता हूं। जिन गांवों के अन्दर बाढ़ से नुकसान हुआ वे अभावग्रस्त घोषित हुए। 101 गांव तो मेरे कुम्हेर तहसील के अन्दर हैं जो अभावग्रस्त घोषित हुए। यानि कुम्हेर में जितने गांव हैं उसमें से 95 पर्सेण्ट गांव के अन्दर तबाही हुई। 101 गांव अभावग्रस्त घोषित हो चुके हैं। पूरे जिले के, 101 तो मेरे क्षेत्र के हुए और इतने ही गांव आप और समझ लें, 200 गांव और होंगे, इन 200, 225 गांवों में अभी जो फैमिन के काम स्टार्ट हो रहे हैं उनमें जो लेबर की स्ट्रेंथ है वह कितनी मंजूर हुई ? एक हजार आदमी की। अब आप मुलाहिजा करें कि दो सौ गांवों में अगर एक हजार आदमी की स्ट्रेंथ फेमिन के काम करने के लिये होगी तो एक गांव के अन्दर पांच आदमी बंट में आते हैं। क्या फेमिन के काम कर पायेंगे ? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो अभावग्रस्त घोषित हुए और फिर अब ओले पड़ गये। ओलों के अन्दर तबाही हो गयी पूरी। कुछ गांवों के अन्दर···

**श्री उपाध्यक्ष** : यह मसला कल आ रहा है शायद।

**श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : अब कल दुबारा थोड़े ही बोलूंगा मैं इस मसले पर। एक ही बात है जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के सामने यह मसला आ जाय। जो गांव अभावग्रस्त घोषित हुए उनमें फैमिन के काम स्टार्ट करने के लिये बहुत कम सरकार ने स्ट्रेंथ दे रखी है। दो सौ गांवों में कम से कम बीस हजार आदमी के लिये तो आप एम्प्लायमेंट दें। एक गांव में सौ आदमियों को तो आपको एम्प्लायमेंट देकर चलना चाहिये। पी० डब्ल्यू० डी० मन्त्रीजी बैठे हुए हैं, आपने इसी हाऊस में इस बात का वादा किया था कि जितनी सड़कें टूट गयी हैं उनको उसी पुरानी हालत में लाने के लिये हम जून, 1996 तक प्रावधान कर देंगे। उसके अगेंस्ट में आपने प्रावधान किया उसमें मुश्किल से पेच वर्क हमारे क्षेत्र के अन्दर हो पाया है। तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि सरकार ने इसके अन्दर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा स्पष्ट रूप से आरोप है कि सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान के साथ में एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वहां की तरक्की के

(श्री हरिसिंह)

लिये, वहां की इण्डस्ट्रीज के लिये, वहां के किसानों के लिये, जिस पर आजकल ज्यादा ध्यान जा रहा है, कृषि बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड इण्डस्ट्रीज आनी चाहिये, उसके सम्बन्ध में भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। हमारी पेयजल के सम्बन्ध में तमाम स्कीमें रुकी पड़ी हैं। चम्बल की योजना बनी थी, चम्बल से भरतपुर जिले के लिये पानी लेने के लिये और जो केन्द्रीय सरकार को भेजने की बात थी, वह ड्राप की जा रही है। यमुना से डीग और कुम्हेर के लिये पानी लाने के लिये 300 क्यूसेक्स पानी का यू० पी० गवर्नमेंट से समझौता हो चुका है, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तो मेरा एक स्पष्ट आपसे निवेदन है कि इस प्रकार का जो सौतेला व्यवहार पूर्वी राजस्थान के साथ किया जा रहा है उसको सरकार बन्द करे और जो योजनाएं हमारी खटाई में पड़ी हुई हैं, जो काम वहां होने चाहिये, वे काम सरकार प्रारम्भ करें। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रतनलाल जी ताम्बी।

**श्री रमाकान्त** : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों को भी मौका दिया जाय।

**श्री परसादीलाल मीणा** : आप राज चला रहे हो, मौका दे दिया।

**श्री रमाकान्त** : इसके बाद चांस दे दीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : जो बोलना चाहते हैं, कृपया, नाम भिजवा दें।

**श्री रमाकान्त** : अब आप लिख लीजिये।

**श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने आज अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया। यह सही है कि बजट भाषण में केन्द्रीय सरकार और प्रदेश की सरकार पर चुनाव की छाया थी। दोनों जगह छाया बराबर थी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने गत बजट भाषण में 309 करोड़ का घाटा बताते हुए यह आशा व्यक्त की थी कि घाटे को भी कुल मिलाकर मितव्ययता के साथ और अधिक आय का प्रयास करके पूरा किया जायेगा। वह प्रयास तो दूर की बात रही, घाटा पहुंच गया 832 करोड़ रुपये तक। एक ओर हम देश में प्रगतिशील प्रान्तों की श्रेणी में खड़ा होने का दावा करते हैं और दूसरी ओर हमारा घाटा बढ़ता जा रहा है। कल्याणकारी राज्य होने की बात जब हम करते हैं और 2001 तक हम शिक्षा सबको देने की बात भी करते हैं तो उस स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रावधान यहां प्रस्तुत किये गये हैं, वे काफी निराशाजनक हैं। 1989-90 में यहां पांच हजार प्राथमिक विद्यालय और शिक्षा केन्द्र बन्द कर दिये गये थे। उसके बाद अनेक ढाणी और गांव बन गये। मजरे बड़े थे, गांव बन गये और उसके बाद स्कूलें जो खोली गयीं तो 250 की जनसंख्या के मापदंड के आधार पर भी अभी हमारे प्रदेश में स्कूलें नहीं खोली गयी हैं। केवल मात्र पांच सौ प्राथमिक विद्यालय अगले वर्ष खोले जायेंगे। जहां पांच हजार विद्यालयों की आज के दिन आवश्यकता है और पांच सौ

(श्री रतनलाल ताम्बी)

हम खोलेंगे तो इन तीन-चार वर्षों में हम कितने खोल पायेंगे ? इसलिये हमारा यह बजट प्रावधान अपर्याप्त है और इससे शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं हो पायेगा। मैं समझता हूं कि इस मामले में सरकार ने शिक्षा की दृष्टि से अभी तक राजस्थान को पिछड़ा रखने का निश्चित रूप से इसमें संकेत दिया है। इसी प्रकार 600 मिडल स्कूल पूरे राजस्थान में होंगे। अब मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आज के दिन कम से कम बीस मिडल स्कूल मापदंड के अनुसार खोलने की आवश्यकता है। अब मुझे एक दो मिडल स्कूल आप देंगे तो अगले वर्ष दूसरे गांवों की रखी तैयारी हो जाती है। यह शिक्षा को समर्पित बजट की बात हम कर चुके या करेंगे और 2001 तक सबको शिक्षा की बात करेंगे तो इस तरह के प्रावधानों से हम पूर्ति नहीं कर पायेंगे और असन्तुलन बढ़ा चला जायेगा और पिछड़ा राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता। 83 सैकण्डरी स्कूल आप राजस्थान में खोलेंगे। अगर एक कांस्टीट्यूएंसी में एक सैकण्डरी स्कूल आप नहीं खोलें तो क्या राजस्थान् का विकास हम करने जा रहे हैं ? इसलिये इस प्रकार के प्रावधान अपर्याप्त हैं। 70 सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे क्या होने वाला है ? एक ओर हम महिला शिक्षा में बहुत पीछे हैं। राजस्थान के आंकड़े इस बात के सबूत देते हैं कि महिला शिक्षा में देश में हमारा 15-16वां से भी नीचे स्थान है। ऐसी स्थिति में हमारी नीति स्पष्ट होनी चाहिये कि इतनी महिला शिक्षा की प्राथमिक शालायें खोलेंगे, इतने महिला स्कूलें खोलेंगे, सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल खोलेंगे। उनकी अलग से व्यवस्था इस बजट के प्रावधानों में नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में राजस्थान 2001 में साक्षर हो जाय, यह केवल मुंगेरीलाल के सपने जरूर हो सकते हैं, पर्याप्त रूप से नहीं हो पायेगा।

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्रीजी बहुत प्रयत्न करते हैं, नयी-नयी बातें लागू करने के लिए अध्यापकों का कोपभाजन होना पड़ रहा है और जनता का भी कोपभाजन होना पड़ रहा है। अब शहरी स्कूलों की स्थिति यह हो गयी कि एक पारी में स्कूल नहीं चलेगी। अभी दो-दो पारियों में चल रही हैं। उनके लिए भवनों की कोई व्यवस्था नहीं है। इस बजट प्रावधानों में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी है। गांवों के लिए कुछ योजनाएं हैं, जवाहर योजना भी है, दूसरी अकाल की योजनाओं से भी काम हो सकते हैं पर शहरों की ऐसी हालत है कि सहभागी योजना के अलावा रास्ता नहीं है। अब सहभागी योजना में शेखावाटी के शहर, दक्षिणी राजस्थान के बाहर और भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़ में तो बड़ा अन्तर है। यह आपको मालूम है। वहां सहभागी योजना का लाभ मिल नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में शहरी विद्यालयों के निर्माण के बारे में सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है।

गत वर्ष यह कहा गया था कि बजट स्वास्थ्य के लिए समर्पित है। 700 उप-स्वास्थ्य केन्द्र आपने खोले, इस साल भी 700 ही खोलेंगे तो क्या समर्पित हुआ बजट ? राजस्थान में एक-एक निर्वाचन

(श्री रतनलाल ताम्बी)

क्षेत्र में कम से कम 10-10, 15-15 उप-केन्द्रों की मांग है। तो हमारी एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, 500 की जनसंख्या का गांव जहां कहीं भी है उसमें सब-सेण्टर होगा, 2000 की जनसंख्या कहीं है तो वहां प्राइमरी हैल्थ सेण्टर होंगे, 10,000 की जनसंख्या के आस-पास का गांव होगा तो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होंगे। यह हमारे प्रदेश की नीति स्पष्ट रूप से आनी चाहिए। यह मैंने पहले भी सुझाव दिया है और आज मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं।

मैं इस मौके पर विशिष्ट योजना के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं। यह बताया गया कि विशिष्ट योजना में इस चालू वर्ष में 262 करोड़ रुपये हैं और अगले वर्ष 775 करोड़ रुपये का प्रावधान है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा प्रावधान है मगर इस सदन के सदस्यों ने बारबार मांग की है, आप ब्यूरोक्रेट्स के आधार पर शासन चलाना चाहते हो, आप जनतांत्रिक व्यवस्था को एक ओर स्वीकार करते हो और दूसरी तरफ आपने ऐसी स्थिति पैदा कर रखी है कि एक विधायक को निर्बन्ध राशि में पांच लाख रुपये होंगे, तीस जिला तीस काम में पांच लाख रुपये होंगे, संस्थाएं बढ़ रही हैं, निर्माण कार्य की लागत बढ़ रही है और जब आपने 262 करोड़ से 775 करोड़ का प्रावधान किया है तो मेरी मांग यह है कि आप पांच-पांच लाख के बजाय 15-15 लाख निर्बन्ध राशि में और 15-15 लाख तीस जिला तीस काम देवें। मुख्य मन्त्रीजी, जब तीन गुना इसमें प्रावधान कर रहे हैं तो क्या कष्ट हो रहा है ? एक और भजनलालजी की हरियाणा के अन्दर आलोचना करते हैं और कहते हैं हम उनसे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। वहां 20 लाख रुपये एक योजना में हैं। राजस्थान में भी 15-15, 20-20 लाख रुपये का प्रावधान निर्बन्ध राशि और तीस जिला तीस काम में करना चाहिए।

मेरा यह भी निवेदन है कि इस बार राजस्थान में राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने की बहुत कोशिश की गयी, कई नायब तहसीलें खोलीं, कई उप-खण्ड खोले, कई ए० सी० एम० कोर्ट खोले उस सबके बावजूद अगले वर्ष भी आप 10 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहे हैं। मैं इसके मौके पर निवेदन करना चाहता हूं कि जब राजस्थान का निर्माण हुआ उस समय जिलों की जनसंख्या...

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आप समाप्त करें।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : दो-चार मिनट और।

उप-खण्डों की जनसंख्या, तहसीलों की जनसंख्या को देखें और आज के हालात में इतना क्षेत्र हो जाता है, जनसंख्या बढ़ी हुई होती है तो नायब तहसीलें बनने का सवाल है, ए० सी० एम० कोर्ट का सवाल है और उप-खण्ड अधिकारियों के कार्यालय बनने का सवाल है, इस मामले में भी मैं समझता हूं कि काफी कोताही बरती गयी है। मेरा यह निवेदन है कि अगले वर्ष के लिए भी जो प्रावधान रखा गया उसमें इस बात की अभी से व्यवस्था की जाय कि नयी-नयी तहसील बनें, नये ए० सी० एम० कोर्ट बनें, नायब तहसील की व्यवस्था की जाय। यह बात कहते हुए मैं पेयजल की बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। 754 करोड़ 52 लाख का प्रावधान आपने किया।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

राजस्थान में खारे पानी की और फ्लोराइड युक्त पानी की बहुत समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार यदि जागरुकता से पानी को जनजीवन के लिए आवश्यक मानते हुए योजना तैयार करे तो समूचा राजस्थान राजीव गांधी मिशन योजना के अन्तर्गत काफी लाभांवित हो हो सकता है। राज्य सरकार से मेरा अनुरोध है, सुझाव है कि इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं उनको चयनित करके उनमें ज्यादा से ज्यादा सुधार किया जाना चाहिए। शहरों में और गांवों में भेदभाव की बात आप बारबार कह रहे हैं। आप कहते हैं कि हम 65 प्रतिशत, 70 प्रतिशत पैसा गांवों के लिए देते हैं। मान्यवर, आपने आज यह घोषणा की है, 11 रुपये प्रति व्यक्ति पंचायत राज संस्थाओं को दिया जायेगा। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप शहर और गांव में भेदभाव नहीं करें। नगरपालिका में 26 रुपये प्रति व्यक्ति आप देते हैं तो गांव के लोगों ने क्या अन्याय किया है कि आप 11 रुपये दे रहे हैं उनको। इसलिए मेरी यह मांग है कि शहर और गांव में समानता रखी जाय और इस विषमता को समाप्त करें। आप गांव व गरीब को गणेश मानने की जो बात बारबार कहते हैं, इस बात को साकार करने के लिए यह आवश्यक है कि शहर और गांव में अन्तर नहीं हो, इस बात का भी आप प्रावधान करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बात समाप्त करने से पहले खनिज सम्पदा और उद्योगों के बारे में बात कहना चाहूंगा : खनिज सम्पदा का जहां तक सवाल है, खनिज सम्पदा राजस्थान में विपुल है। उसका ज्ञानिक ढंग से सर्वेक्षण हो और उसके आधार पर नए-नए क्षेत्र डवलप किए जायें। इसमें कहीं पर्यावरण आड़ा आ रहा है, कहीं फोरेस्ट की नीति आड़ी आ रही है। तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार को सुझाव देकर बात करनी चाहिए। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं कि वन भूमि तो रिकार्ड में लिखा हुआ है, वहां एक भी वृक्ष नहीं है, पहाड़ ही पहाड़ हैं। ऐसे क्षेत्रों को वन भूमि से निकालकर दूसरे क्षेत्र में जोड़ कर खनिज सम्पदा का विकास किया जाय, यह मेरा निवेदन है।

यह चुनावी बजट भाषण एक तरह से मैंने कहा है, सभी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हमारे प्रदेश में सरकार है, उसने राजस्थान की जनता से वादा किया था, राजस्थान की बात कहना चाहता हूं, यहां के चुनाव घोषणा-पत्र में लिखा था कि यदि भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा तो राजस्थान में चुंगी समाप्त की जाएगी, बिक्री कर समाप्त किया जाएगा। अब चुनाव के मैदान में आप जायेंगे, राजस्थान की जनता आपसे पूछेगी, घोषणा-पत्र की पंक्तियों को बारबार आपके सामने लाकर खड़ा करेगी इसलिए मेरा आग्रह है कि इस चुनाव की पृष्ठभूमि में जो आपने यह सब प्रावधान रखे हैं उसमें राजस्थान में चुंगी समाप्ति का और बिक्री कर समाप्ति का जो वादा जनता से आपने किया है उसको पूरा करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।**

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान की मांगें पेश की गयीं, बड़े दुख की बात है उसमें कहीं किसान, युवाओं और उद्योगों के बारे में स्पष्ट बात नहीं कही गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री में 6000 मजदूर काम करते थे, मुख्य मन्त्रीजी ने उन मजदूरों के दुख-दर्द के बारे में कुछ भी नहीं कहा। मुख्य मन्त्रीजी पिछली बार 1991 में आज से पांच साल पहले सवाईमाधोपुर पधारे थे और उस समय गए थे जब लोक सभा के चुनाव थे। कांग्रेस (आई) की तरफ से मैं प्रत्याशी था और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में आप वहां गए थे। उन्हीं मजदूरों के बीच में आपने यह कहा था, आपने भाषण दिया था सभा के अन्दर कि सवाईमाधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री में मैं धुआं निकाल दूंगा लेकिन तुम कांग्रेस का धुआं निकाल दो। यह बात माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कही थी और इसी बात से प्रभावित होकर कुछ हजार वोटों से आपका कैंडिडेट जीत गया और मैंने हार स्वीकार कर ली। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के × × × मुख्य मन्त्री ने जनता के बीच में कहा था कि मैं आगे आने वाले समय में सीमेंट फैक्ट्री के अन्दर धुआँ निकाल दूंगा लेकिन आज तक धुआं नहीं निकला। आज भी बजट था लेकिन बजट में उन्होंने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया। माननीय उद्योग मन्त्रीजी यहां विराजमान नहीं हैं, मुख्य मन्त्रीजी भी चले गए, इसलिए उनसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी वह सुन रहे हों। माननीय हमारे चतुर्वेदीजी विराजमान हैं जिनकी बात की मैं कद्र करता हूं जो कहते हैं वह करते हैं, इनकी बात की मैं कद्र करता हूं। मेरे क्षेत्र में अभी चक्का जाम था, किसानों के बारे में आप जो घोषणा करके आए थे ट्रांसफार्मर देने की और दूसरी 18 लाख की स्कीम की, दोनों आपने करवा दीं इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी जो पाँच साल पहले × × × बोल कर आये थे और अब फिर दुबारा लोक सभा के चुनाव आ गए फिर···

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह × × × शब्द निकाला जाय।

श्री उपाध्यक्ष : × × × शब्द निकाला जाय। × × × शब्द एक्सपंज।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : असत्य बोलने वाले, माननीय मुख्य मन्त्री जी जो असत्य बोलने वाले हैं दुबारा फिर लोक सभा के चुनाव आ रहे हैं, अब वह जनता के बीच में जाकर क्या मुंह दिखायेंगे। इसलिए, मुख्य मन्त्रीजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां सुन रहे हों, माननीय चतुर्वेदीजी यहां सुन रहे हैं, आप मुझे आश्वस्त करेंगे इस बात के लिए कि राजस्थान में सवाईमाधोपुर का जो सीमेंट उद्योग है उसको आप चालू करवायेंगे। हमारी माननीय मन्त्री महोदया भी यहां विराजमान हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सवाईमाधोपुर से जीत करके आयी हैं और सरकार में मन्त्री बन कर बैठी हुई हैं, आपका भी पत्ता साफ हो जाएगा अगर आपने इसमें ध्यान नहीं

× × × शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप)

किया तो। इसलिए आप इस बात के लिए ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप समाप्त करें।

(16.00)

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी मंत्री महोदया और माननीय मंत्रीजी को निवेदन करूंगा कि सवाईमाधोपुर की जो सीमेंट फैक्ट्री है, जिसमें 6,000 मजदूर काम करते हैं, उसको चालू करवाया जाए। (व्यवधान)

श्री पराक्रम सिंह : कांग्रेस का धुआं निकाल कर आयी हैं ये।

श्री रामस्वरूप : अभी एक आदेश जारी हुआ है उद्योग विभाग से कि वहां की तमाम पुरानी मशीनरियों को बेच दिया जाय, वहां की जितनी भी जमीन है उन सबको बेच दिया जाय और वहां दीवाला निकालने को तैयार हो रही है। उसकी सब जमीन-जायदाद बेच रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उसको बेचें नहीं। जो 6,000 मजदूर उसमें काम करते हैं उनके बच्चों का क्या होगा? उनकी रोजी-रोटी का क्या होगा? 6-6, 7-7 साल से भूखे मर रहे हैं। रोजी-रोटी यह सरकार तो दे नहीं सकती, इतना बड़ा असत्य क्यों बोलती है। मैं निवेदन करूंगा सदन के माध्यम से कि आज माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात को स्पष्ट करें। मंत्री महोदया, जो बिराज रही हैं, वह क्या कर रही हैं उसके लिए? "होई वही जो विधि-विधाना।" क्या जवाब दोगी आप सवाईमाधोपुर के अन्दर जाकर? इसलिए आप स्पष्ट करें कि आपने क्या किया है मंत्री बनी हैं उसके बाद में। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी इस बात के लिए मेरा साथ दें और इस सीमेंट फैक्ट्री को चालू करवायें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री रामस्वरूप : एक आखिरी निवेदन है। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी भी बिराजमान हैं। मेरे क्षेत्र में सड़कें बन गयी हैं, गिट्टी की सब सड़कें तैयार हो गयीं, मैंने प्रश्न लगाया उसमें जवाब आया अब डम्पर के अभाव में कार्य बन्द कर दिए गए हैं। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय मंत्री जी, आप डम्पर का अभाव मत आने दो। यह कलंक तो आपके मत लगने दो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : कुछ डम्परों की व्यवस्था केन्द्र से हो तो निश्चित रूप से फायदा होगा। आप इसमें सहायता करवायें।

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि निश्चित रूप से फायदा किया जायेगा। डम्पर आप जल्दी दें। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमाकान्तजी शर्मा।

श्री रमाकान्त (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण जिस समय हो रहा था उस समय मैं दोनों तरफ देख रहा था।

(श्री रमाकान्त)

सबके मन के अन्दर बहुत खुशी दिखाई दे रही थी। विपक्ष का प्रत्येक व्यक्ति बड़ा प्रसन्न था और अब उसको कहा जाता है कि चुनावी भाषण है यह। मेरा निवेदन यह है, भारत सरकार का तो चुनावी भाषण हो सकता है क्योंकि वहां पर जो आज पार्टी है वह दुबारा सरकार में आये कि नहीं आये इसलिये उन्होंने अपने चुनाव से पूर्व एक भाषण दिया बजट के अन्दर और वह क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं उसके अन्दर बताया नहीं, वह चुनावी भाषण हो सकता है। परन्तु राजस्थान सरकार का जो इस समय का बजट भाषण है, वह चुनावी भाषण कैसे हो सकता है, क्योंकि राजस्थान सरकार तो अगले तीन वर्षों में भी यहां की यहां मौजूद रहेगी और राजस्थान सरकार की जो परफारमेंस पिछले बजट के फलस्वरूप रही है वह सामने है। जो कुछ वादे किये जिस भी बजट के अन्दर, वह सारे के सारे बजट के अन्दर पूरे किये गये हैं।

11,500 करोड़ रुपये की जो पंचवर्षीय योजना थी उस पंचवर्षीय योजना के अन्दर अगले साल के अन्दर कितना रुपया खर्च करवायें, पहले से ही निर्धारित है। 3 वर्ष से, 4 वर्ष से जानते हैं कितना रुपया खर्च होगा, उसी रुपये को अब अगले साल, जो बचा हुआ है, के अन्दर खर्च किया जा रहा है। सिर्फ अन्तर इतना है, दृष्टि का अन्तर है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कोई वर्ग नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ी। प्रत्येक काम के अन्दर, प्रत्येक बात के अन्दर ध्यान दिया है चाहे वह मानवीय मूल्यों की बात हो, चाहे मानवीय विकास की बात हो, चाहे गांवों के विकास की बात हो, चाहे बिजली के विकास की बात हो। हर और ध्यान दिया गया है। कोई चीज नहीं छोड़ी है वह ईर्ष्या मन के अन्दर पैदा हो रही है अन्यथा चुनावी भाषण कैसे कहा जा सकता है।

भारत सरकार तो कह सकती है कि अबकी बार 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करेंगे, 3 लाख करोड़ रुपये खर्च करेंगे और ज्यादा खर्च करेंगे क्योंकि उन्हें तो पता नहीं कि अगली बार आयेंगे कि नहीं आयेंगे। हम तो मौजूद हैं यहां पर। हमारी परफारमेंस बता रही है और परफारमेंस इतनी बढ़िया बता रही है कि कहां अगले साल के अन्दर हम 2,735 करोड़ रुपये ही खर्च कर देते हैं तो काफी था उसके बारे में भी सोचा गया कि 3,200 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे और जबकि बजट के अन्दर घाटा जो बढ़ रहा था उसको घटाया गया है। यह एक ऐसी परफारमेंस है जिसको चुनावी भाषण कहना बहुत गलत बात है।

अभी यहां कहा गया कि सेण्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिये। कौन नहीं चाहेगा? केन्द्र हमारा सशक्त हो, केन्द्र हमारा बहुत सशक्त रहना चाहिये। यहां कोई मंशा ऐसी नहीं कि केन्द्र अशक्त रहे या केन्द्र कमजोर रहे। केन्द्र सशक्त होना चाहिये हमारी सुरक्षा के मामले के अन्दर। आज कश्मीर के अन्दर जो तमाशे हो रहे हैं उसकी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। केन्द्र कमजोर हो रहा है। हम चाहते हैं कि केन्द्र इतना ताकतवर हो कि कश्मीर की समस्या का समाधान करे।

(श्री रमाकन्त)

केन्द्र बहुत सशक्त होना चाहिये आन्तरिक सुरक्षा के अन्दर। पुरूलिया का जो कांड हो गया है, वह नहीं होना चाहिये। केन्द्र बहुत ताकतवर होना चाहिये कि हमारे रुपये का जो अवमूल्यन हो रहा है डालर के मुकाबले के अन्दर, वह नहीं हो। रशिया की और यूगोस्लाविया की जो बातें बतायी गयी हैं, वहां की स्थिति और यहां की स्थिति वह नहीं है। हम तो हमारे केन्द्र को बहुत ताकतवर चाहते हैं आन्तरिक सुरक्षा के अन्दर, हमारे रुपये के मामले के अन्दर इन सब मामलों में सुरक्षित चाहते हैं।

कहा तो यह गया था जो वहां पर कर है, जो डिविजिबपूल है, उस पूल के अन्दर कस्टम ड्यूटी व कारपोरेट टैक्स का जो पैसा है उस पैसे में से भी हमको 29 पर्सेन्ट मिलना चाहिये। इतनी साधारण अर्थमैटिक है कि अब जिसका 29 पर्सेंट मिल रहा है उसके अन्दर यदि कस्टम ड्यूटी व कारपोरेट टैक्स को जोड़ दिया जाय तो जो धनराशि मिलेगी राज्यों को, वह ज्यादा मिलेगी। इसलिये 29.18 का या 29.12 का उदाहरण देना मेरी समझ में नहीं आता कि साधारण अर्थमैटिक क्यों गड़बड़ की जा रही है। इसमें कोई केन्द्र को कमजोर करने की बात नहीं है। फिर एक उदाहरण दे दिया गया यहां पर कि पंचायतों को 2.18 ही दिया जा रहा है और वहां 29 पर्सेंट मांग रहे हैं। सारे राज्य विकास का कार्य कर रहे हैं। हम लोग सड़क बनाते हैं, हम लोग बिजली का काम करते हैं, हम लोग शिक्षा का काम करते हैं, हम लोग स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं, इन सब पर खर्च करने के लिये सारे राज्यों के पास में जो पैसा चाहिये, वह सेण्टर जो कर हमारे जाते हैं उनमें से 29 पर्सेंट मिलना चाहिये जिससे कि हम विकास काम और ज्यादा कर सकें। यहां पंचायतें न तो कोई सड़क बनाती हैं, न कोई पेयजल का काम करती हैं। एक समय आयेगा, शायद हो सकता है 50 साल बाद में, 30 साल बाद में जब पंचायतें बड़ी सशक्त हो जायेंगी, वह इंस्टीट्यूशन भी बहुत सशक्त हो जायेंगी तो 2.18 से 4 हो जायेगा, 5 हो जायेगा, 20 पर्सेंट भी हो सकता है। यह जो कार्य राज्य सरकार कर रही है यदि यह कार्य उन संस्थाओं के पास चले जायेंगे, जब वह इतनी प्रौढ़ हो जायेंगी तो उस समय इस चीज की बात सोची जा सकती है। परन्तु आज जो सिम्पल बात थी कि वहां पर जो रुपया कस्टम ड्यूटी का और कारपोरेट टैक्स के अन्दर आता है उनमें से हमको 29 पर्सेंट मिलना चाहिये, हमें और ज्यादा पैसा मिलता है, सारे राज्यों को पैसा मिलता है, मैं समझता हूं उसको यहां सदन के अन्दर कन्फ्यूज करने की कोशिश की गयी है।

मैं बिजली के बारे में दो शब्द कहूंगा और ज्यादा बात नहीं कहूंगा। बड़े अफसोस की बात है, कहां एनरान का मामला महाराष्ट्र का, जहां पर 2,000 मेगावाट का प्लांट लगने जाना है और 2,000 का अगले फेज के अन्दर लगेगा, 4,000 मेगावाट होगा और कहां यहां पर मामला 100 मेगावाट का। साधारण से साधारण आर्थिक चीजों को जो समझने वाला है, स्टूडेंट है इकानामिक्स का, वह स्केल आफ इकानामी को सब समझता है। आप 2,000 कमीज खरीदने जायं बाजार के अन्दर और

(श्री रमाकान्त)

आप 100 कमीज़ खरीदने जायं, एक ही भाव मिलेगी क्या ? यदि 2,000 कमीज खरीदने जा रहे हैं तो उसका भाव दूसरा होगा, 100 कमीज खरीदने जायेंगे तो उसका भाव दूसरा होगा। कहां 100 मेगावाट की बात है और कहां 2,000 मेगावाट की बात है। वहां की परिस्थितियां वहां का रॉ-मैटीरियल, वहां की सारी की सारी स्थितियां भिन्न हैं। यहां जो भिवाड़ी के अन्दर लगेगा या अलवर के अन्दर लगेगा 100 मेगावाट का, यहां स्थिति भिन्न है और फिर दूसरी चीजें, जो इक्विपमेंट्स हैं वह भिन्न हैं। 2,000 मेगावाट का बॉयलर, 2,000 मेगावाट की टरबाइन, 2,000 मेगावाट का इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, उसकी इक्विपमेंट्स की शक्ल ही नहीं, उसकी सारी की सारी टेक्निक एकदम बिलकुल डिफरेंट और यहां जो 100 मेगावाट का लगेगा वो नेफ्था के ऊपर लगेगा, केवल नेफ्था काम लिया गया है, इसलिये दोनों की एक ही चीज हो, मैं समझता हूं जो छोटी-मोटी इकानामिक्स समझता है वह भी इस प्रकार की बात नहीं कह सकता कि वहां 1.86 है और यहां 2.10 है। फिर यह बात समझ नहीं आती, 2.10 की सारे वर्ल्ड ओवर डर करके रेट आयी है, कोई दे न आज 2.10 से कम, कौन मना कर रहा है। 2.10 पर दिया जायेगा तो उसमें यह कहा जा रहा है कि 15,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो जायेगा, 20,000 करोड़ रुपये का हो जायेगा। यह कल्पनाएं वास्तविकता से बहुत दूर हैं।

नर्सरी योजना के बारे में एक शब्द कहा गया। नर्सरी योजना कोई थोपी हुई योजना नहीं है। कई बार कह दिया गया, यह तो वालेन्टरी योजना है। जिसके पास पैसा हो, वह क्यों अननेसेसरी डीजल पर पैसे खर्च करे या क्यों बैलचलाये ? जो पैसा खर्च करता है उसे एक ही साल में, दो साल में रिटर्न मिल जाता है इसलिये वह दे देता है लग जाती है बिजली नर्सरी योजना के तहत। यह नहीं है कि हरेक को कहा गया कि नर्सरी योजना में ही आपको जाना पड़ेगा। वन पोल टू पोल वालों को भी नहीं कहा गया है कि आपको नर्सरी योजना ही आप्ट करनी पड़ेगी। नर्सरी योजना एक आप्शन है। आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी प्रगति कर सकते हैं, किसी न किसी प्रकार से अपने रिसोंसेज जुटा सकते हैं तो आपको उसका लाभ मिल जायेगा।

एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, बहुत लम्बी बात नहीं करना चाहता हूं। अभी माननीय मोदीजी ने कहा कि बरसिंहसर की एक साल पहले ही कर देते तो बहुत बढ़िया आर्थिक उन्नति हो जाती। कई बार बताया गया है कि चाहे बरसिंहसर हो, चाहे दूसरी जगह हो, चाहे लाइमस्टोन की बात हो, वर्षों तक हमारी एप्लीकेशंस भारत सरकार के पास पेंडिंग रहती हैं। अभी दो दिन पहले मैंने निवेदन किया था कि राजस्थान स्टेट मिनरल्स एवं राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल्स दोनों की एप्लीकेशन लिग्नाइट के लिए पड़ी हुई हैं इस बात के लिए कि यहां पर पावर हाउस लगायेंगे लेकिन वो सेंक्शन नहीं करती। सेंक्शन करने में 2-2, 3-3 साल लगा दिये जाते हैं और यहां बात कही जाती है, "पहले ही फैसला हो गया होता

(श्री रमाकान्त)

तो" माननीय मुख्य मन्त्रीजी के यहां पर आर्थिक विकास के लिए जितने फैसले जल्दी से जल्दी हो रहे हैं वह आपके सामने हैं कि किस प्रकार प्रगति के अन्दर बहुत ज्यादा तेज गति के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर बहुत स्पष्ट है ? 1985-90 में क्या हुआ और 1990-95 के अन्दर क्या हुआ।

मैं इतनी बात कह करके जो बजट के अन्दर बातें कही गयी हैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री अमराराम (धोद)।

**श्री अमराराम (धोद)** : उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक किसान की बात कही गयी है, घोषणाएं जरूर बजट में की जाती हैं, पिछली बार भी यह घोषणा की गयी थी कि 25 हजार किसानों को कनेक्शन दिये जायेंगे लेकिन 25 हजार की बात तो छोड़ दीजिये, पिछले वित्तीय वर्ष 1994-95 में जिन किसानों ने प्रायोरिटी के पैसे जमा कराये थे उनको आज तक कनेक्शन नहीं मिले। बिजली मंत्रीजी विधान सभा में यह कहते हैं कि सामान की कोई कमी नहीं है, एडवांस में है और किसान जब बिजली बोर्ड के अधिकारियों के पास जाता है तो उत्तर मिलता है कि सामान नहीं है चाहे वह चूरू के डूंगरगढ़ तहसील का मामला हो, चाहे सीकर तहसील का मामला हो। यह जो 25 हजार, 26 हजार गिनाये जा रहे हैं, ये वो नर्सरी के कनेक्शन हैं जिनमें पैसे लिये गये। बिजली बोर्ड की आज यह हालात हो गयी है, जहां हम किसान की बात कर रहे हैं, बिजली बोर्ड को जो कार्य करने चाहिए उसका पैसा भी किसान से लेने की बात की जा रही है। वन पोल और टू पोल का पैसा जमा कराया गया उसके बाद उनको नर्सरी के नोटिसेज दिये गये। बड़ी जद्दोजहद के बाद वापस कुछ कनेक्शनों को वन पोल टू पोल कनेक्शन करने के लिए आर्डर निकाले गये। उन आर्डर्स के साथ यह आर्डर निकाला गया कि 650 रुपये पर एच० पी० हिसाब से किसान जमा करायेगा क्योंकि वह फीडर ओवरलोडेड है। ओवर-लोडेड किसान के कारण नहीं है, बोर्ड ने कनेक्शन दिये इसलिए हुई। करोड़ों रुपया किसानों से वसूल किया जा रहा है। जिनका एक साल पहले वन पोल और टू पोल में पैसा जमा हो गया है, जिनके कनेक्शन हो गये उनको भी आप जबरदस्ती नर्सरी में कनेक्शन देना चाहते हैं। इसमें एक नहीं, चाहे एडवांस सिक्योरिटी के नाम से हो, चाहे ऑडिट के नाम से हो, और मुझे तो यह लगता है कि यही स्थिति रही तो किसान से बिजली बोर्ड के जे० ई० एन० और ए० ई० एन० से बात करने की भी फीस यह बोर्ड आने वाले कुछ ही दिनों में तय कर देगा।

एक सबसे बड़ी समस्या है, जो ट्यूबवैल से किसान सिंचाई करते हैं, राजस्थान में जिस-जिस इलाके में सिंचाई ट्यूबवैल से और कुओं से होती है, बिजली से होती है, करीब-करीब वह इलाके डार्क जोन घोषित कर दिये गये हैं, चाहे वह सीकर की 8 पंचायत समितियों में से 7 पंचायत समितियां

(श्री अमराराम)

हों, चाहे झुंझुनूं हो, चाहे नागौर हो, चाहे जयपुर हो, तमाम जिले डार्क जोन घोषित कर दिये गये हैं। उनमें रहने वाले गरीब किसान न अपने कुएं बना सकते हैं, न लोन ले सकते, न पम्पिंग सैट ले सकते। इस बजट में उनके लिए वाटर रिचार्ज करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नर्सरी में जिसके पास पैसे होंगे वह कनेक्शन ले लेगा, कुएं भी बना लेगा, पम्पिंग सैट भी खरीद लेगा लेकिन आज जो 45 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं वह न कुएं बना सकते हैं, न बिजली लगा सकते हैं। उनके लिए इसमें कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। जहां तक पैसे का सवाल है, बजट जरूर अलाट किया जाता है लेकिन सीकर जिले का उदाहरण ले लीजिये, सीकर जिले में चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और एक करोड़ रुपया वापस किया जा रहा है, क्योंकि न वहां एस० ई० बैठता है, न एक्स० ईएन० है। वह सात दिन से ज्यादा आपकी नीतियों के कारण नहीं बैठता। पहुंचने से पहले उसका ट्रांसफर हो जाता है। पूरे जिले में गांव और शहर में त्राहि-त्राहि मच रही है और उस पानी का उपयोग नहीं होता। केवल मात्र घोषणाएं होती हैं। जो पैसे जमा हैं वह चाहे किसी भी योजना में हो, वह चाहे पानी के हों, सुनिश्चित रोजगार योजना के हों, अनटाइड के हों, पूरे जिले के विधायकों ने पैसे दिये उसका अभी तक 10 प्रतिशत कार्य नहीं हुआ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

जहां तक शिक्षा का सवाल है, मैं दो ही बात कह करके···

**श्री नन्दलाल मीणा** (राज्य मंत्री, श्रम) : बजट बहुत बढ़िया है।

**श्री अमराराम** (धोद) : केवल घोषणाएं बढ़िया हो सकती हैं। जहां तक शिक्षा की बात है, शिक्षा मात्र···(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : सबसे ज्यादा स्कूल आपके खुलवाये गये हैं।

**श्री अमराराम** (धोद) : आप जहां तक शिक्षा की बात कर रहे हैं, घनश्यामजी, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक प्राइमरी स्कूल खोली थी और वह भी, पंचायती राज मंत्रीजी बैठे हुए हैं, इन्होंने वापस ले ली। राजस्थान में आप घोषणाएं कर रहे हैं। 237 पंचायत समितियां हैं, 237 समितियों में से एक मात्र धोद पंचायत समिति ऐसी है जिसका भवन आज तक नहीं बना है। चाहे वे इधर बैठने वाले जो पहले राज कर रहे थे, चाहे आप राज कर रहे हैं, 237 में से 236 के भवन हैं और पंचायत समिति धोद का आज तक भवन नहीं बना है।

जहां तक आप गरीब की बात करते हैं, ग्राम पंचायत शाहपुरा में नौ साल पहले जिन गरीबों ने, जिन हरिजनों ने मजदूरी की थी, नौ साल से आज तक उनका पेमेंट नहीं हुआ। मैं इस विधान सभा में तीन दफा रख चुका, कलक्टर के पास कह चुका, मंत्रियों को कह चुका, वह जो भ्रष्ट सरपंच उनकी मजदूरी डकार गया, न यह सरकार

(श्री अमराराम)

निकालना चाहती है और उस सरपंच को बराबर तीन साल से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। हजारों रुपये गरीबों के 22 रुपये के हिसाब से थे नौ साल से आज तक अटके पड़े हैं। वो गरीब चक्कर काट रहे हैं जिन्होंने 22 रुपये में सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी की थी।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आप समाप्त करें।

**श्री अमराराम (धोद)** : यह जो बजट है इसमें केवल घोषणाएं हो सकती हैं, वो चुनाव के लिए हो सकती हैं लेकिन आम गरीब के लिए इसमें कोई प्रोवीजन नहीं है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री भंवरसिंह डांगावास।

**श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बजट पेश हुआ है वह राजस्थान के चहुंमुखी विकास का द्योतक है। गत वर्ष जो बजट पेश हुआ उसका सारा पैसा हर क्षेत्र में सही ढंग से उपयोग किया गया उसी आशा से हम यह मानते हैं कि इस बजट में जितना भी बेसिक प्रावधान रखा जायेगा उसको सही ढंग से काम में लिया जाकर राजस्थान का विकास किया जायेगा (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)** : (व्यवधान) तोते उड़ाओ आप।

**श्री भंवरसिंह डांगावास** :

रोक दूंगा मैं प्रवंजन जो प्रलय का गीत गाता।
मोड़ दूंगा थाह नदी की नाश का जो संदेश लाता,
ध्वंस का डंका बजा कर मत डराओ तुम मुझे,
आज नव निर्माण का ये स्वर रुकने न पाये।

तो इस तरह से डराने की चेष्टा नहीं करें।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : (व्यवधान) मूंछों से तोते उड़ाओ आप।

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : वित्त आयोग की रिपोर्ट में ग्रामीण विकास के लिए गत वर्ष जो 4 रुपये प्रति व्यक्ति था उस राशि को पहले अंतरिम राहत देकर 5 रुपये किया गया और आज 11 रुपये प्रति व्यक्ति किया गया है। एक साल के अन्दर करीबन तीन गुणा राशि बढ़ा कर ग्रामीण विकास के लिए रास्ता बनाया है। सारे गांवों में इस बजट की 65% राशि खर्च कर गांवों का विकास करने की चेष्टा की गयी है।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि खनिज के अन्दर और घरेलू वस्तुओं के लिए सेल्स टैक्स में वास्तव में बहुत अच्छी कमी करके राहत दी है परन्तु···

**श्री विष्णु मोदी** : कौन से खनिज में दी है ?

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : आप बजट पढ़िये। बाद में बात करेंगे आपसे।

**श्री विष्णु मोदी** : जिस खनिज में है उसमें टैक्स आता ही नहीं।

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : कृषि के सम्बन्ध में सिर्फ टायर-ट्यूब में सेल्स टैक्स में कमी की गयी है। मेरी प्रार्थना है कि

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

ट्रैक्टर ट्राली के अन्दर इस टैक्स को कम किया जाय तो वह राहत अच्छी रहेगी। इसी तरह से पम्पिंग सैट्स में सिर्फ पार्ट्स के ऊपर सेल्स टैक्स में राहत दी है जबकि पम्पिंग सैट्स पर ही सैल्स टैक्स में राहत दी जानी चाहिये।

गत वर्ष हमारे क्षेत्र में और जहां कहीं भी कपास बोयी गयी वहां कपास और रायडे की दवाइयां इतनी महंगी हुई हैं कि वह लेना गरीब किसानों की पहुंच के बाहर था। अतः यह प्रार्थना है कि इसको सैल्स टैक्स से मुक्त किया जाकर जो वस्तुएं किसान की खेती के लिए काम आती हैं दवाइयां वगैरह, इनको असेन्शियल कमोडिटीज एक्ट के अन्दर लेकर इनकी प्राइसेस फिक्स की जानी चाहिए ताकि जो निर्माण करता है वह अनाप-शनाप हमारे से धन न लूटे और काश्तकार को राहत मिले।

केन्द्र सरकार उर्वरक के भाव, कहां से कहां ले गयी और राहत दी है तो फैक्ट्रियों को दी है हजार रुपये प्रति टन की, किसानों को नहीं दी है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने, मुझे याद पड़ता है जब मैं राजनीति में नहीं था, डेढ़ रुपये प्रति कट्टे की राजस्थान सरकार की ओर से राहत दी थी वैसी ही अगले सत्र में यदि प्रति कट्टा यूरिया और डी० ए० पी० में राहत मिले तो किसान कुछ राहत महसूस करेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आप समाप्त करें या स्पीड बढ़ाएं।

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : मैं अन्तिम प्रार्थना यह करना चाहता हूं कि शिक्षा में सिर्फ पांच सौ पाठशालाएं खोलने से गांवों की बढ़ती हुई आबादी को पूरी राहत नहीं मिलेगी इसलिए प्राथमिक पाठशालाएं और बढ़ायी जानी चाहिए। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री राजेन्द्र पारीक।

**श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से और आज इस बजट भाषण के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन यहां पर पेश किया गया। सरकार का अपना यह दायित्व है और जमाना भी प्रतिस्पर्धात्मक है और इस प्रतिस्पर्धा के जमाने में सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बी० जे० पी० की, वह अपना स्वरूप दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश करेगी और इसमें हम एतराज करेंगे तो एतराज वाली बात तो कोई मानेगा नहीं और करने का औचित्य नहीं है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिस्पर्धा का जमाना है है यह बात बड़ी जायज है। जो कुछ हम आंकड़े यहां पर पेश करने जा रहे हैं उन आंकड़ों के साथ हमें यह भी देखना होगा कि तात्कालिक परिस्थितियां क्या थीं, उस वक्त की जनसंख्या क्या थी, उस वक्त की प्राथमिकताएं क्या थीं, उस वक्त की मान्यताएं क्या थीं, उस वक्त की जरूरत क्या थी, उस वक्त की शिक्षा क्या थी। हमने बिना इन सब बातों को सोचे एक ऐसा आंकड़ा पेश कर दिया कि कृषि में उस वक्त यह होता था, शिक्षा में उस वक्त यह होता था, स्वास्थ्य में उस वक्त यह होता था और आज हम यह करने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र पारीक)

महोदय, जिस अनुपात में हमारी जनसंख्या बढ़ी है, जिस अनुपात में जनसंख्या का यह सैलाब उमड़ा है उसको देखते हुए आपके लिए इतना ही कहना मुनासिब होगा, "जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा।" जनसंख्या का लावा आपके इस बढ़ते हुए विनियोजन को लील जायेगा। इसमें कहीं कोई रुकावट की या कहीं कोई सोच की बात ही नहीं है।

आपने बजट का विनियोजन बढ़ा दिया, आपने खर्चे बढ़ा दिए, हर मद में आपने अपनी प्राथमिकताएं बढ़ा दीं, ज्यादा से ज्यादा खर्चा आपने किया। लेकिन हमें तो सबसे पहले यह सोचना होगा, भ्रष्टाचार की खूब बातें होती हैं, आज भ्रष्टाचार से बड़ा सवाल यह है, मुख्य मन्त्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपका प्रशासन भ्रष्टाचारी हो या न हो वह तो आप जानें और यह सदन तय करे लेकिन आप इतना जरूर तय कर दें कि आपका प्रशासन उत्तर-दायी हो। उत्तरदायित्व के अभाव में प्रशासन की जो गत बन रही है, आपके लाखों, करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद जो समस्याएं हमारे सामने मुंह बाये खड़ी हैं उन समस्याओं का कहीं अन्त यदि बिना उत्तर-दायी प्रशासन के आपको मिलता है तो मैं समझता हूं कि यह सोच उस कबूतर की तरह से है जो बिल्ली को सामने देखकर अपनी आंखें इसलिए बन्द कर लेता है कि शायद बिल्ली मुझे नहीं देख रही है लेकिन हकीकत में बिल्ली उस कबूतर को देख रही है और उस कबूतर को अपना भक्षण बना लेती है, कबूतर को खा जाती है। आज हमारी स्थिति यही है हम उत्तरदायित्व के अभाव में हैं। कल्याणकारी सरकार के सामने मूलभूत जो बातें हैं, जिनका जन साधारण से सम्बन्ध है वह चन्द समस्याएं हैं, पानी की हो, बिजली की हो, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की हो। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, आम आदमी आपके इस बजट को आंख उठाकर भी नहीं देखता। उसको इस बात का पता है कि बजट में करों में कमी, राहत केन्द्रीय सरकार दे या राज्य सरकार दे, आपकी इस राहत का लाभ उस आम उपभोक्ता तक तो पहुंचना नहीं है। यह आपने जो दी, यह सूचना हम तक है, कल मीडिया इसको बड़े-बड़े, लम्बे-चौड़े आंकड़ों में छाप देगा। सरकार खुश हो रही है कि हमने इतनी राहत दे दी, हमने इतनी छूट दे दी और हम यह सोच कर कि सरकार ने राहत दे दी अब तो बोल भी क्या सकते हैं, इस बजट में हमारे सामने विरोध करने के लिए कुछ है नहीं लेकिन हकीकत में उस आम उपभोक्ता को जाकर यह पूछें कि आज के दिन जिस वस्तु की कीमत यह है उसमें राज्य सरकार के इतना कर कम करने के बावजूद उसकी कीमत में कमी हो गयी या उसने उससे कम पैसा दिया हो। आप स्वयं भी, उपाध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा के बाहर जाते हैं, गांवों में जाते हैं, आम आदमी से आपका मिलना-जुलना है, आम आदमी की तकलीफ हर आदमी जानता है, व्यक्तिश: जानता है कि करों में दी गयी राहत का सही लाभ उस आम उपभोक्ता तक जाते-जाते नगण्य हो जाता है और कीमतें अपने हिसाब से बढ़ती हैं। तो सरकार को वह कीमतें बढ़ाने से पहले पूछते

(श्री राजेन्द्र पारीक)

हैं कि उनमें वास्तविक उत्पादनों की कीमत क्या है और वह यह कीमत क्यों ले रहा है, उसके पीछे उसका क्या लोजिक है। यह भी आपको वह पूछने नहीं जाते हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, करों में दी गयी राहत का तो एक अपने आपमें खुश होने जैसी बात है। मैं तो राहत उसी को मानता हूं कि आपने एक रुपया किसी भी मद में खर्च करने के लिए किसी को अधिकृत किया, उस एक रुपये का सही लाभ आपके उस आम उपभोक्ता तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, सवाल इस बात का है। और यह हकीकत है कि यह एक रुपया उस तक नहीं पहुंच रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बड़ी पीड़ा है और हकीकत जानिये मन में बड़ी टीस है इस बात की कि राज्य सरकार की जो घोषित योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम हैं उन पर भी निचले स्तर पर बैठा हुआ अधिकारी सांप की तरह से कुण्डली मारे बैठा रहता है। उस कार्य को पूरा नहीं करवाता। और तो और, आपके सामने एक महीने के बाद गर्मी की भीषणता आयेगी, आज जो गर्मी है उससे आप अन्दाज लगाइये कि आगे आने वाले एक महीने बाद इस गर्मी की क्या भीषणता होगी, चुनाव का दौर शुरू हो जायेगा उस वक्त आप पेयजल सम्बन्धी समस्याओं के बारे में खर्च करने में आनाकानी करेंगे और चुनाव की आचार संहिता आपके आड़े आ जाएगी। कहीं आप हैण्डपम्प नहीं लगा पाएंगे, कहीं आप पानी की समस्या से रूबरू नहीं हो पाएंगे। पिछली बार भी यह बात उठी थी, आपकी जो स्वीकृत योजनाएं हैं उन पर आपका वहां पर बैठा हुआ अधिकारी काम नहीं करता। मैं आपको अपने क्षेत्र के बारे में बताऊं। हमारे सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय स्वयं उस कमेटी के अध्यक्ष थे और इनके जिम्मे यह डाला गया था कि आप प्रभारी मन्त्री हैं। मन्त्रीजी की खुद की मौजूदगी में एस० ई०, चीफ इन्जीनियर, एक्स० ई०एन०, ए० ई० एन० सारे के सारे अधिकारी उपस्थित थे। इनके सामने जो कुछ भी योजनाएं स्वीकृत हुईं, इनके सामने जिन बातों के लिए हां की गयी, आज भी, उपाध्यक्ष महोदय, वह योजनाएं वैसी की वैसी पड़ी हैं और उन गांवों में पैदल जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि सीकर जैसे बड़े जिले में एक्स० ई० एन० की पोस्ट नहीं है। पिछले दिनों चार जगह एक्स० ईएन० का ट्रांसफर हो गया और आज सीकर जैसे बड़े जिले में एक्स० ईएन० को एडीशनल चार्ज दिया हुआ है। खेतड़ी के एक्स० ई एन० के पास है सीकर का चार्ज।

**श्री उपाध्यक्ष :** अब आप समाप्त करें।

**श्री राजेन्द्र पारीक :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं न तो कोई इर्रेलेवेंट बात कर रहा हूं, न मैं ऐसी बात कर रहा हूं जिससे इस सदन की गरिमा गिर रही हो। आपके सामने मैं एक ऐसी समस्या रख रहा हूं जिसका कल आपको सबको सामना करना पड़ेगा। मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस बात पर संकोच करता हूं कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ यहां पर यदि कोई बात कहता हूं तो न केवल

(श्री राजेन्द्र पारीक)

मेरी गरिमा पर ठेस पहुंचती है बल्कि उस अधिकारी की गरिमा के खिलाफ भी बात उठती है लेकिन मन की पीड़ा जब आदमी के सिर के ऊपर से गुजर जाती है तो आदमी बोले बिना रहता नहीं है और मैं ऐसे अधिकारियों को इस सदन के माध्यम से मुख्य मन्त्री महोदय की जानकारी में नहीं लाऊं तो मैं समझता हूं कि मैं अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता बरत रहा हूं। मैंने स्वयं उपस्थित होकर माननीय पी० एच० ई० मन्त्री महोदय को निवेदन किया कि मन्त्री महोदय, आपके यह एडीशनल चीफ इन्जीनियर, मिस्टर ओ० पी० गोयल आपकी पूरी योजनाओं को लील जाएंगे, क्रियान्वित नहीं होने देंगे इन्होंने जिस तरह भ्रष्टाचार का ताण्डव कर रखा है। सीकर में इन्होंने आठ इंच की पाइप भिजवायी है वह पाइपें इतनी लोअर कैटेगरी की हैं, लो स्टैण्डर्ड की हैं, आप इनकी जांच करवाइये। माननीय मन्त्री महोदय ने मेरी स्वयं की मौजूदगी में एक्स० ई० एन० को, एस० ई० को, एडीशनल चीफ इन्जीनियर को और चीफ इन्जीनियर को, सबको बुलाकर न केवल एक बार बल्कि तीन बार हिदायत दी कि आप इन पाइपों की जांच करवा कर मुझे अवगत करवाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल इन पाइपों की जांच का नहीं है। सवाल इस बात का है कि करोड़ों-अरबों रुपये की स्वीकृत योजना है किन्तु सीकर पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहा है। किसके ऊपर हम जिम्मा डालें ? किसको उत्तरदायी ठहराएं ? माननीय मन्त्री महोदय ने पैसा दे दिया, सरकार का वहां पर पैसा खर्च हुआ और बावजूद इसके जनता वहां पानी के लिए तरसती रहे तो किसको उत्तरदायी ठहरायें, किसके गिरहबान को हम पकड़ें ? कल आपका चुनाव आ जाएगा और कोई इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं इस बात के लिए न केवल मन्त्री महोदय को दोषी ठहराता हूं बल्कि मैं तो कहता हूं कि दोष मेरा है कि मैंने ऐसे अधिकारी को अपने क्षेत्र में जाने के बाद नंगा नहीं किया और नौबत यहां तक आयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ कैसा भी चार्ज लगे, कैसा भी केस दर्ज हो, दोषी अधिकारी को नंगा करने का हमें अधिकार है और हम ऐसे अधिकारी को नंगा कर देंगे। तकलीफ इस बात की ही नहीं है कि वह अधिकारी सरकारी तन्त्र के साये में पल रहा है, वह अधिकारी स्वयं उस ठेकेदारी प्रथा में लिप्त है जहां से पाइप सप्लाई होते हैं। ऐसे अधिकारी जो स्वयं पाइप की सप्लाई करते हैं आपने उनको इतना चार्ज देकर बैठा रखा है। ऐसे अधिकारियों से आप किस बात की···।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब कृपया समाप्त करें। आपने अपना उत्तरदायित्व निभा लिया।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : मैंने आपको इस पीड़ा से अवगत करा दिया, पूरे सदन को इस पीड़ा से अवगत करवा दिया। मन्त्री महोदय स्वयं यदि यहां पर मौजूद होते तो आपकी मौजूदगी में मैं उनसे पूछता कि यदि मैं असत्य भाषण कर रहा हूं कि उनकी मौजूदगी में स्वयं उन्होंने जांच के निर्देश नहीं दिए थे तो मुझे आप इस सदन की सदस्यता से बरखास्त करें और नहीं तो वह इस बात का

(श्री राजेन्द्र पारीक)

जिम्मा लें। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को किस का प्रेशर है, कौन इसके पीछे हैं, कौन-सी ऐसी ताकत है जो मन्त्री महोदय के इतने निर्देश के बावजूद वह जांच नहीं करवा रहे··· (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मीना अग्रवाल। कृपया विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : उस पर सांप की तरह कुण्डली मार कर बैठे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं अधिक समय आपका नहीं लूंगा। मैं चन्द बातों के लिए आपका ध्यान आर्षित करना चाहता हूं।

स्वास्थ्य में, मेडिकल सेवाओं में मैं अपने तहेदिल से न केवल मुख्य मन्त्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा बल्कि स्वास्थ्य मन्त्री का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि इन्होंने जो सेवाएं आज एस० एम० एस० अस्पताल में दी हैं, भले ही सूक्ष्म रूप से ही हो लेकिन उसका स्वरूप निश्चित रूप से सुधरा है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी जिस तरह से बाहर के दानदाताओं को प्रेरित करके जयपुर में कैन्सर इन्स्टीट्यूट के लिए पैसे की जो व्यवस्था की है उसके लिए उन्हें मैं तहेदिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं स्वयं इस कैन्सर के मामले में बम्बई में गया हूं और बम्बई में मैंने जो पीड़ा भोगी है इस बीमारी के माध्यम से, मैं आपके माध्यम से दोनों महानुभावों का सदन के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन साथ-साथ निवेदन करना चाहता हूं···

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद के बाद तो बैठ जाना चाहिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं, मैं तो एक लम्बे अरसे बाद खड़ा हुआ हूं। पहले तो ठाकुर हुआ करते थे बिलकुल उदार। एक पुरोहित किसी ठाकुर से कुछ मांगता तो वह जागीर और जमीन दे देते थे लेकिन मेरे यह मूंजी ठाकुरै पाती आया हुआ है। यह 10 मिनट का समय देने में भी कंजूसी बरतता है। इसलिए आप शांत हृदय से मुझे सुनें। मैं इतनी इर्रेलेवेंट बात नहीं कर रहा हूं। इर्रेलेवेंट बात करूंगा तो मैं बैठ जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी स्तर पर इन स्वास्थ्य सेवाओं पर जो कुछ खर्च हो रहा है वह तो बहुत अधिक है लेकिन एक तो मूलभूत समस्या है सफाई की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले मेंआप करोड़ों-अरबों रुपये खर्च करके बढ़िया से बढ़िया मेडिसिन उपलब्ध करवा दें, आप शानदार एयर कण्डीशन उपलब्ध करवा दें लेकिन स्वास्थ्य के मामले में यदि इन अस्पतालों की हालत और ढांचा आपने नहीं सुधारा तो आपकी सारी की सारी योजनाओं का रिजल्ट जो निकलेगा वह बिलकुल जीरो निकलेगा। एक मरीज को बढ़िया से बढ़िया दवाइयां दीजिए लेकिन उसके इर्द गिर्द वातावरण आप दूषित रखिये तो वह कहां से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेगा ? मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन सरकारी अस्पतालों में एक तो जितने भी आपके इंस्ट्रमेंट्स हैं, चाहे एक्स-रे मशीन हो, चाहे सोनोग्राफी हो, चाहे केटस्केनिंग हो, इन सबमें जिस तरह से

(श्री राजेन्द्र पारीक)

आज अस्पताल के इर्द गिर्द व्यापारीकरण हुआ है उसकी वजह से यह मशीनें खराब रहती हैं और आम आदमी को इसकी वजह से तकलीफ होती है। इन पर यदि आप मानीटरिंग करेंगे, विशेष रूप से वाच करेंगे तो, मैं समझता हूं, आप इस राजस्थान की जनता का बहुत बड़ा भला करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आपको धन्यवाद। बैठिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : दूसरा, यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कैरोसिन की और अधिक क्वांटिटी राजस्थान को दिलवाने की भी जानकारी दी है लेकिन आज शहरी और ग्रामीण उपभोक्ता के बीच में जो खाई का निर्माण हुआ है, बहुत गलत है। आज आम उपभोक्ता, जो गांवों में रहने वाला है, चाहे कैरोसिन की बात हो, चाहे गेहूं की बात हो, चाहे चीन के वितरण की व्यवस्था हो उसके साथ बड़ा पक्षपात किया जा रहा है। इसलिए इस मामले पर जरा गौर फरमायेंगे।

एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं। बजट भाषण में चुंगी के मसले पर एक शब्द कहीं नहीं कहा गया। मैं चुंगी समाप्त करने के बारे में या और किसी के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। यह सरकार का अपना नीतिगत मामला है। सरकार ने यदि अपने चुनाव घोषणा पत्र में घोषणा करके इसकी पूर्ति नहीं की तो यह दोष तो सरकार का है, सरकार जाने इस बात को। मैं जो निवेदन करना चाह रहा हूं वह यह है कि पिछले दिनों चुंगी के मामले में, चुंगी की ठेका प्रथा के मामले में जिस तरह का स्वरूप बना उससे पूरे राजस्थान प्रदेश में एक असमंजस की स्थिति खड़ी हो गई। भाजपा के अध्यक्ष है वह अखबार में सुबह स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाजपा की सभी नगर परिषद और नगरपालिकाओं के अध्यक्षों को मैं निर्देश देता हूं कि वह चुंगी प्रथा को समाप्त करें······ (व्यवधान) ऐसी की ऐसी हालत कांग्रेस के अध्यक्षों की थी। कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय निर्देश जारी कर रहे हैं कि जितनी······ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मीना अग्रवाल। आप कृपया दो मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि चुंगी के मसले में चुंगी माफ करें या नहीं करें लेकिन चुंगी में ठेका प्रथा के खिलाफ···

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपको कदम उठाना चाहिए। एक तरफ शराब के ठेकेदार, दूसरी तरफ आपके रायल्टी के ठेकेदार वहां पर बैठा दिए, तीसरी तरफ आपका अभी आबकारी का जो कानून आया है उसमें एक-एक शहर में चार-चार, पांच-पांच ठेकेदार आपने बैठा दिए उनका झगड़ा तो अभी निपट ही नहीं रहा है ··(व्यवधान) पूरे शहर की व्यवस्था को बिगाड़ कर रख देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि चुंगी ठेका प्रथा को समाप्त···

**श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण बहुत ही सुन्दर है। बजट में किसी तरह का कोई कर नहीं बढ़ाया गया है। बजट में कर को कम किया गया है···(व्यवधान) सभी विभागों के लिए इतना सुन्दर बजट है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूं।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : की जाए और एक नीतिगत प्रश्न मानते हुए सरकार स्वयं निर्णय लें। आपने मुझे समय दिया, शांति से सुना उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

**श्रीमती मीना अग्रवाल** : सबसे बड़ी विशेषता बजट में यह रही है कि महिलाओं को रोजगार देने के लिए सेवा में 20 प्रतिशत का और पुलिस विभाग में 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया है, महिला को पैरों पर जो खड़ा किया है मजबूती से या तो राजा राम मोहन राय या विद्या सागर ने इसके लिए संघर्ष किया या आज हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने महिलाओं के बारे में सोचा। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूं। इसके साथ-साथ मुख्य मन्त्रीजी ने एक बहुत बढ़िया काम इस बजट में किया है कि सामूहिक विवाह करके बजट में आर्थिक मदद देने का प्रावधान रखा है। इस बजट से परिवार में खुशी की लहर घूमेगी, बजट से मंहगाई ही नहीं रहेगी और फिजूल खर्चे नहीं होंगे। सामूहिक विवाह में आपस में मिलाप होगा। यह इतना सुन्दर बजट है, इतना अच्छा है। बच्चे, महिला, पुरुष सभी में इस बात से खुशी की लहर आयेगी। मुझे आपने थोड़ा-सा समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करती हूं कि हमारे मन्त्रिमण्डल में महिला को भी जोड़ दिया जाय।

### सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1996 के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन की राय से सदन का समय बढ़ाया गया। श्री रघुवीर सिंह कौशल।

## विधेयक पर विचार

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** (उर्जा मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, आज माननीय बैदजी ने यह आरोप लगाया कि 1500 करोड़ रुपया राजस्थान की जनता का ज्यादा लिया गया है···(व्यवधान) मैं यह आशा करता था कि माननीय चन्दनमलजी बैद जैसे सीनियर समझदार व्यक्ति एक अखबार की न्यूज के आधार पर यह आरोप नहीं लगाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय 1 रुपये 85 पैसे अखबार में आ गयी होगी लेकिन जब कभी किसी यूनिट की कास्ट निकाली जाती है तो इसमें दो तरह की कास्ट होती है। एक होती है फिक्स्ड कास्ट, एक होती

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

है वेरियेबल कास्ट। फिक्स्ड कास्ट फिक्स रहती है और वेरियेबल कास्ट पास थ्रू होती रहती है। इसमें लिक्विड फ्यूअल वगैरह आता है। जैसे-जैसे फ्यूअल के चार्जेज बढ़ेंगे तो यह वेरियेबल कास्ट बढ़ती चली जायेगी। लेकिन जो रेट देखी जाती है असली, वो देखी जाती है फिक्स्ड कास्ट पर। यदि हम फिक्स्ड कास्ट देखें तो टेक्नो इकानामिक दृष्टि से जो रेट निकाली गयी है, जो केन्द्रीय ऊर्जा प्राधिकरण ने रेट निकाली है, जो साल्वे साहब ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस में भाषण दिया है वह दिया है कि डाभोल की फिक्स्ड कास्ट 1 रुपया 22 पैसा और वेरियेबल कास्ट 1 रुपया 18 पैसा, जो कास्ट होती है 2 रुपया 40 पैसा। हमारी फिक्स्ड कास्ट 81 पैसा है (व्यवधान)।

**श्री उपाध्यक्ष** : बीच में नहीं बोलेंगे। कृपया बिराजें। माननीय मोदीजी आप बिराजें। बाद में पूछना आप बिराजें।

**श्री विष्णु मोदी** : एक मिनट, एक मिनट। एक व्यवस्था दे दीजिए आप।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप बिराजें। आसन पैरों पर है। माननीय मोदीजी, यह अंकित नहीं होगा। आसन की अवहेलना करके आप बोल रहे हैं इसलिये यह अंकित नहीं होगा।

**श्री विष्णु मोदी** : × × ×

**श्री उपाध्यक्ष** : यह अंकित होगा ही नहीं। यह अंकित नहीं होगा।

**श्री विष्णु मोदी** : × × ×

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजें। यह अंकित नहीं होगा।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा था कि फिक्स्ड कास्ट 1 रुपया 22 पैसा सी० ई० ए० ने निकाली है। हमारी फिक्स्ड कास्ट है 81 पैसा हमारी वेरियेबल कास्ट है 1 रुपया 37 पैसा उनकी वेरियेबल कास्ट है 1 रुपया 18 पैसा क्योंकि सी कोस्ट पर है। तो जो बात देखी जायेगी, क्योंकि जो महंगाई के साथ जुड़ी चीज है वह अपने आप पास थ्रू होती चली जायेगी, बढ़ती चली जायेगी, उसमें किसी का कोई बस नहीं चलता लेकिन फिक्स्ड कास्ट हमारी 81 पैसा है और उनकी 1 रुपया 22 पैसा है, पहली बात। दूसरी बात, इसका डालर से सम्बन्ध है। राजस्थान का डालर से सम्बन्ध नहीं है, रुपये में सारा सौदा है। 'रुपये में है' डालर में नहीं है। डालर में साढ़े 31 रुपये पर यह कास्ट आंकी गयी है। आज यदि 35 रुपया मान लिया जाय तो यही 1 रुपया 22 पैसा की···

**श्री चन्दनमल बैद** : मान ले क्यों? 34 रुपये है।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : 34 रुपये मान लें।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यह 31 रुपये डालर के हिसाब से है।

**श्री चन्दनमल बैद** : 30 रुपये।

---

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : 31 रुपये। (व्यवधान)।

**श्री चन्दनमल बैद** : 32 रुपये है और आज डालर की प्राइस 34 रुपया है। आप किसको गुमराह करना चाहते हैं ? जो आदमी रोज तैयारी करता है, पढ़ता है उसको गुमराह करना चाहते हैं आप।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : ठीक है, ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि यदि यह कास्ट 50 रुपया हो जायेगी तो कास्ट कितनी चली जायेगी डालर की ? राजस्थान में इसमें डालर का सम्बन्ध नहीं रखा, आप इस बात के लिये एप्रीशियेट नहीं कर रहे हैं हमको।

**श्री चन्दनमल बैद** : नेफ्था की प्राइस डालर पर निर्भर नहीं करेगी ? क्या तालियां बजा रहे हो आप। मेघवालजी, तालियां बजा रहे हो। नहीं नेफ्था की प्राइस डालर से सम्बन्ध नहीं रखती है ?

**श्री कैलाश मेघवाल** : मैं बिलकुल ठीक तालियां बजा रहा हूं।

**श्री चन्दनमल बैद** : तालियां ही बजाते रहोगे जिन्दगी भर।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : मान्यवर, आप जो बात कह रहे हैं वह बिलकुल ठीक है। इसीलिये मैंने यह समझाने की कोशिश की है कि फिक्स्ड कास्ट अलग है और वेरियेबल कास्ट अलग है। वेरियेबल कास्ट में नेफ्था की कीमत आती है, जो वहां बढ़ेगी वह यहां भी बढ़ेगी। लेकिन फिक्स्ड कोस्ट पर डालर का, अखबारों में दो समाचार आये हैं, एक में आया है कि 100 प्रतिशत डालर में है और एक में आया है 70 प्रतिशत। यदि 70 प्रतिशत भी मान लिया जाय तो डालर की कीमत 4 रुपये बढ़ते ही 23 पैसे कीमत बढ़ती है। यह 2 रुपये 40 पैसे तो वह की कीमत है जो सी० ई० ए० ने निकाली है। लेकिन जैसे-जैसे डालर की कीमत बढ़ेगी वैसे-वैसे यह कीमत बढ़ती चली जायेगी और यह 3 रुपये तक होगी। मान्यवार, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा आपसे···

**श्री कैलाश मेघवाल** : इसलिए तालियां बजा रहा हूं मैं।

**श्री चन्दनमल बैद** : यह गलत फहमी है। यह गुमराह कर रहे हैं।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : आप गुमराह कर रहे हैं। आप मुझसे प्रश्न कीजिए। (व्यवधान)

**श्री चन्दनमल बैद** : वह इस आधार पर हुआ है कि डालर की प्राइस और नेफ्था की प्राइस पर आधारित है। आपका भी नेफ्था और डालर पर आधारित है I can discuss it across the table. यह बिलकुल गलत कह रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और गलतफहमी में डाल रहे हैं। आपकी प्राइस भी नेफ्था और डालर पर आधारित है। क्योंकि नेफ्था की मार्केट प्राइस डालर पर निर्भर रहती है।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : आप मेरा निवेदन सुन लें।

**श्री चन्दनमल बैद :** क्या निवेदन सुन लें ? आपको कोई ज्ञान ही नहीं है। क्या सुनूं आपकी बात।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल :** खैर, ज्ञान का ठेका तो केवल आपका है और किसी का नहीं है।

**श्री चन्दनमल बैद :** मेरा है। जिसका नहीं है मैं क्या करूं।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल :** मैं जो बात कह रहा हूं वह यह कह रहा हूं कि डालर की कीमत बढ़ेगी तो नेफ्था की कीमत बढ़ेगी। लेकिन मैं जो दोनों अलग-अलग करके बता रहा हूं फिक्स्ड कास्ट वेरियेबल कास्ट में नेफ्था की कीमत बढ़ेगी तो यहां भी बढ़ेगी और वहां भी बढ़ेगी लेकिन फिक्स्ड कोस्ट राजस्थान में हमेशा 81 पैसा ही रहेगी। उनकी डालर में 70 पर्सेन्ट कोस्ट फिक्स्ड कोस्ट की डालर से बढ़ेगी। मेरा निवेदन यह है, मान्यवर···

**श्री चन्दनमल बैद :** फिक्स्ड प्राइस में आपका डेढ़ पर्सेंट हर साल नहीं बढ़ेगी ?

**श्री रघुवीरसिंह कौशल :** डेढ़ पर्सेंट तो सबका बढ़ेगा। लेकिन डालर के साथ नहीं बढ़ेगा।

**श्री चन्दनमल बैद :** आपका बढ़ेगा, उनका क्यों बढ़ेगा ?

**श्री रघुवीरसिंह कौशल :** डेढ़ पर्सेंट की बात अलग है।

**श्री चन्दनमल बैद :** अलग क्या है, इसी में है। यह आपका एग्रीमेंट रहा डेढ़ पर्सेंट बढ़ने का।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल :** आप मेरी बात सुनिये तो सही। यह डेढ़ पर्सेंट तो फिक्स्ड दोनों का बढ़ेगा, लेकिन डालर के साथ में····

**श्री चन्दनमल बैद :** नहीं, दोनों का नहीं बढ़ेगा। केवल आपका बढ़ेगा। उनका एग्रीमेंट लाइये, इतनी बातें कर रहे हैं आप। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एग्रीमेंट मंगाइये, डाभोल से उन्होंने जो एग्रीमेंट किया है। आपका एग्रीमेंट तो यह है। मेरी बात सुनिये। देखिये, जुबानी बात से काम नहीं चलेगा। यह बहुत क्रिटिकल पाइंट आ गया। यह बहुत क्रिटिकल पाइंट है। मेहरबानी करके एक काम कीजिए, आप डाभोल के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट किया है उसकी कापी मंगा लीजिए, आपकी कापी यहां पर मौजूद है, दोनों कॉपियों को मिला लीजिए, अगर आप सही हैं तो मैं माफी मांगूंगा और मैं सही हूं तो आप माफी मांगिये।

**श्री कैलाश मेघवाल :** माफी तो आपको ही मांगनी पड़ेगी।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल :** मान्यवर, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप प्रश्न कीजिए, मैं जवाब देने को तैयार हूं। यह सी० ई० ए० का टेक्नो इकानामिक एग्रीमेंट है।

**श्री चन्दनमल बैद :** मैं महाराष्ट्र सरकार का एग्रीमेंट देखना चाहता हूं। आप जबरदस्ती क्यों बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार का एग्रीमेंट हिन्दू अखबार में आया है जो मोस्ट प्रेस्टीजियस अखबार है हिन्दुस्तान का।

(105)



श्री रघुवीरसिंह कौशल : इसमें क्या आया है ?

इसमें लिखा है एक रुपया 86 पैसा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : एक रुपया 86 पैसा कीमत नहीं मानी गयी है।

श्री चन्दनमल बैद : तो फिर लाइये, एग्रीमेंट मंगाइये। यूं जुबानी बात क्यों कर रहे हो ? एग्रीमेंट मंगा लीजिए। कहिये आदेश जी से, आपके सैकेट्ररी साहब बैठे हैं, फैक्स से मंगा लें, कल ही यहां आ जायेगा। आप और हम बात कर लेंगे। आप सही होंगे तो मैं माफी मांगूंगा, मैं सही हूं तो आप माफी मांगेंगे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यदि माननीय बैदजी सी० ई० ए० की रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री चन्दनमल बैद : यह कुछ नहीं है। यह फालतू कागज है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह साल्वेजी का स्टेटमेंट है, साल्वेजी का। उनकी रेट इससे डेढ़ी आयेगी। अब आप तर्क से नहीं जीत रहे हैं तो आप कहते हैं कि उनका वह मंगाएं। यह केवल राजस्थान सरकार जिसने आशय पत्र की सारी कॉपियां पत्रकारों को दी हैं। आपको एक निवेदन और कर दूं···

श्री चन्दनमल बैद : एक बात और बता दीजिए कि इस 1520 करोड़ रुपये में कितने आदमी शामिल हैं। यह और बता दीजिए आप।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : 1520 करोड़ में कितने लोग शामिल हैं यह तो केन्द्रीय मंत्रिमंडल से पता लगा लीजिए, कितने मंत्री हैं।

श्री चन्दनमल बैद : सी० बी० आई० बतायेगी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उससे लगा लीजिए। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं, 2 रुपये 10 पैसे की रेट में आप कितने प्रोजक्ट लाते हैं ? राजस्थान सरकार लगाने को तैयार है। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं +++ नहीं हूं। किसी+++ से कहिये, मैं +++ नहीं हूं किसी का।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : राजस्थान के इन्टरेस्ट में तो सोचते हैं आप ?

श्री उपाध्यक्ष : +++ शब्द निकाला जाय। +++ शब्द निकाला जाय। यह शब्द रेफरेंस में कहा है, उसको निकाला जाय। यह मेरी व्यवस्था है कि इसको निकाला जाय।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, यह मैंने अपने लिए कहा है कि मैं किसी का +++ नहीं हूं जो मैं लाऊं। इसमें क्या है ? जो +++ होगा वह लायेगा।

---

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित नहीं किये गये।

1̶0̶6̶



श्री रघुवीरसिंह कौशल : आपने किसके लिए कहा है +++ (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो लाभांश का द्योतक है। +++ शब्द प्रयोग करना तो लाभांश को दृष्टिगोचर करना है, लाभांश का द्योतक है। यह कोई असंसदीय भाषा या शब्द नहीं है। यह तो लाभांश को बताता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। आप बिराजें।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इतना ही तो कहा है कि मैं किसी का +++ नहीं हूं जो लाऊं, किसी +++ से मंगाइये आप।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आसन पैरों पर है। आप बिराजिए।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : जिन्होंने +++ की है वे ही +++ को समझेंगे। राजस्थान के इण्टरेस्ट में जो काम किया जाता है उसको +++ कोई समझता है तो मुझे उसके लिए कुछ कहना नहीं है। लेकिन राजस्थान के इण्टरेस्ट को आपके विरोध करने से हम समाप्त नहीं करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : 1520 करोड़ रुपये का राजस्थान की जनता को नुकसान पहुंचाना अगर राजस्थान का हित है तो अहित क्या है ? बताओ आप।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आपकी तकलीफ यह है कि राजस्थान में प्रोजेक्ट क्यों आ रहे हैं, आपके जमाने में क्यों नहीं आये। इसलिए आप हर चीज का विरोध करते हो और मुझे अफसोस है यह तो··· (व्यवधान)

श्रीमती कमला : उदारीकरण के कारण से, उदारीकरण के कारण से।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उदारीकरण के कारण से आ रहे हैं, एक मिनट ठहरो यदि··· (व्यवधान) सुनो तो सही। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : डायरी बताओ डायरी, उसमें किस-किसके नाम हैं लाभांश में।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : जैसाकि मैंने पहले कहा, महाराष्ट्र में बी० जे० पी० ने मैनीफेस्टो में कहा कि एनरान से जो समझौता किया गया है उसको हम सरकार में आते ही रद्द करेंगे। उसको रद्द किया और उसके बाद उसमें कमेटी बैठाई और उसके बाद उसका फ्यूअल चेंज किया उसके बावजूद अगर आप यह कहते हैं कि तीन रुपये पचास पैसे दाम हैं तो आपने महाराष्ट्र में जो किया, देश के साथ अन्याय किया। पावर प्रोजेक्ट्स के अन्दर इण्टरेस्ट नहीं बढ़ा, उस सबके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ अन्याय किया है। आप जो समझौता करने वाले हैं, आप जो फिक्स्ड कास्ट की बात कर रहे हैं, आपने लिखा कि क्या वह नया यूनिट होगा ? आपने य

+++अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री विष्णु मोदी)

भी छूट दी कि चाहे वह पुराना सेकण्ड हैण्ड ही निकल आये, चाहे वह पांच साल चले या दो साल चले। आपने फिक्स्ड कास्ट के अन्दर भी घोटाला किया है, आपने वेरियबल कास्ट के अन्दर भी घोटाला किया है। आपने राजस्थान की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा किया है जो कि आज तक कभी नहीं हुआ है।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मोदीजी बहुत जोश में बोल रहे हैं।

**श्री विष्णु मोदी :** आपने बहस नहीं करायी, आपने सदन के पटल पर कागज नहीं रखे। आप पत्रकारों को दे सकते हैं लेकिन आप सदन को बाईपास करते हैं। (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह कौशल :** आप जोश में क्यों आ रहे हो, सुन तो लेओ। (व्यवधान) मैं जवाब दे रहा हूं, आप जवाब नहीं सुनना चाहते।

**श्री विष्णु मोदी :** मेरी पीड़ा है तो यह कि आप सदन को बाईपास करते हैं।

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** पर्यावरण मंत्रीजी संतुलन तो बनाये रखें।

**श्री उपाध्यक्ष :** कृपया व्यवधान नहीं।

**श्री रघुवीर सिंह कौशल :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत जोश में बोल रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं, माननीय सदस्य मेरे पास आये थे और मुझे आकर कहा, आप इन्टरनेशनल काम्पीटिटिव बिडिंग कर रहे हैं, राजस्थान को अंधेरे में रखना चाहते हैं, बहुत समय लगेगा, आप एम० ओ० यू० कीजिये। मैंने इनको ओब्लाइज नहीं किया, एम० ओ० यू० नहीं किये। मैंने इन्टरनेशनल काम्पीटिटिव बिडिंग किया।

**श्री विष्णु मोदी :** यह बिलकुल गलत स्टेटमेंट है। मैंने कभी भी जाकर यह नहीं कहा कि आप एम० ओ० यू० करें। आप गलत बयान कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विष्णु मोदीजी +++ करना चाहते थे, मंत्रीजी ने इनकी +++ नहीं चलने दी इसलिए वह यहां पर जोर-जोर से बोल रहे हैं। हवाला में इनका नाम आना चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय। यह +++ करना चाहते थे। (व्यवधान)

**श्री विष्णु मोदी :** ···(व्यवधान) क्या किया धौलपुर में आपने ? (व्यवधान)

**श्री रघुवीरसिंह कौशल :** आप जो धौलपुर की बात कर रहे हैं न ·· (व्यवधान)

**श्री विष्णु मोदी :** मैं तो सभी बात कर रहा हूं। आप बिलकुल गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि आप ग्लोबल टेण्डर नहीं करें। यह आप सरासर गलत बयान कर रहे हैं। आपने ग्लोबल टेण्डर किया, आपने अच्छा काम

---

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(108)



(श्री विष्णु मोदी)

किया। आप एम० ओ० यू० करें, अच्छा काम करें लेकिन जनता को, आगे आने वाली पीढ़ी को उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े, वह काम करें आप।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की सलाह बिलकुल मानकर चलता हूं। मैं इनकी सलाह बिलकुल मानता हूं। मैं इनकी सलाह को सोबर भी मानता हूं और संजीदगी से भी मानता हूं लेकिन इनको हाउस में आने के बाद क्या हो जाता है, यह पता नहीं लगता। यह बाहर बहुत अच्छी सलाह देते हैं और यदि धारीवालजी··· (व्यवधान) बैठ जाओ, बैठ जाओ।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली)** : मैंने तब भी आपसे कहा था और जब आपने यह कहा था कि नकाब उठाकर चेहरा दिखवाऊंगा और पारदर्शिता पूरी लाऊंगा। अब यह सारा झगड़ा आज खड़ा है कि नहीं। मेरी सलाह मान लेते आप कि हमें दिखा दो, दिखा दो। व्यवधान।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि कास्ट देखने में दो बातें अलग-अलग होती हैं। फिक्स्ड कास्ट और वेरियबल कास्ट। हमारी फिक्स्ड कास्ट इतनी कम है कि डाभोल की जहां एक रुपया 22 पैसा बिना डालर के हैं; यदि डालर जोड़ लें जो सी० ई० ए० ने···(व्यवधान)

**श्री विष्णु मोदी** : किसके कहने से रखना चाहते हैं? (व्यवधान) क्यों इस हाउस को गुमराह करना चाहते हैं? डाभोल की कितनी मेगावाट की योजना है, आपकी कितनी मेगावाट की योजना है इस बात की आप कम्पेयर कर लीजिये। (व्यवधान)

**श्री चन्दनमल बैद** : हम आपकी बात को नहीं मानते। आप असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान) आप एग्रीमेंट मंगाइये।

**श्री विष्णु मोदी** : आप इस हाउस को गुमराह कर रहे हैं।

**श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता के हित में जो बिजली का समझौता किया है, यह नहीं चाहते कि राजस्थान की जनता को बिजली मिले इसलिए आज ये सारे +++। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान की जनता के हित में जो कुछ किया है, उसके ये घोर विरोधी हैं। यह नहीं चाहते कि राजस्थान की जनता का कोई भला हो।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया विराजें, बैठ जायें।

**श्री चन्दनमल बैद** : आप जब पैदा नहीं हुए थे, मैं यहां पर एम० एल० ए० और मिनिस्टर था, मुझे सिखा रहे हो आप। 1500 करोड़ रुपये का गबन किया है, उसका हम जवाब चाहेंगे।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : आपको हम जवाब देंगे, आपमें जवाब सुनने का साहस चाहिए।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री चन्दनमल बैद :** 1500 करोड़ रुपये का जवाब लेकर ही रहेंगे हम आपसे।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल :** आप जब जोश में भाषण दे रहे थे, चारों तरफ घूम-घूम कर आरोप लगा रहे थे तब तो हम नहीं बोले बीच में। अब आपको अगले तर्क का जबाव सुनने के लिए आपमें साहस नहीं है।

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** भ्रष्टाचार के बारे में आपके बारे में कहा जाता है तो आप क्यों नहीं सुनते ? आप जवाब दीजिये। आपको बौखलाने की क्या आवश्यकता है ? मैं पहले ही कह चुका हूं कि पर्यावरण मंत्री संतुलन में रहें। (व्यवधान)

**श्री चन्दनमल बैद :** एक रुपये पिचहेत्तर पैसे। उसको क्यों छिपा रहे हो आप ? एग्रीमेंट रखिये पटल पर।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल :** मैं जबाव दे रहा हूं उसको सुनने का साहस रखिये आप और फिर चार्ज लगाइये तब मानूंगा कि आप चार्ज लगा रहे हैं।

**श्री चन्दनमल बैद :** मैं हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करता हूं, आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एग्रीमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट का एग्रीमेंट, ये जो दो एग्रीमेंट हुए हैं उनको सदन के पटल पर रख दीजिये। आप सही हैं तो आपका झण्डा उठाकर आपकी जय-जयकार करूंगा और मैं सही हूं तो आप माफी मांगोगे।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल :** आपने हाथ जोड़कर कहा है, मुझे शर्म आती है। (व्यवधान) सुन तो लो।

**श्री चन्दनमल बैद :** आपसे कहा न खतम करो बस बात, एग्रीमेंट मंगा लो दोनों। ये बैठे हैं आपके अफसर, फैक्स से मंगा लेंगे। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को फैक्स कर देंगे कि एग्रीमेंट भेज दो, आ जायेगा। आपकी गवर्नमेंट है वहां पर (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** उपाध्यक्ष महोदय, यह सुनने को तैयार ही नहीं हैं। (व्यवधान)

**श्री चन्दनमल बैद :** बोलो मत। अभी मैं बता दूंगा बहुत सी बातें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** रहने दीजिये आप।

**श्री चन्दनमल बैद :** रहने क्यों दूं, सही बात बोलूंगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** यह कोई बात है क्या ? आप जवाब सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

**श्री चन्दनमल बैद :** रहने क्यों देते हो ? अभी तो बैठ जाओ आप। ज्यादा मत उछलो आप।

**श्री विष्णु मोदी :** इससे पता लग जाएगा कि आपकी बी०जे०पी० ने इस देश के लिए क्या किया।

**श्री रघुवीर सिंह कौशल :** माननीय मोदीजी, आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी महाराष्ट्र सरकार ने जो रेट कम कराई है, वह आपको अच्छी लगी। इसका मतलब यह है कि पहले में कुछ गड़बड़ थी और वह गड़बड़ी आपको याद आ रही है।

श्री विष्णु मोदी : वह तो आपके चीफ मिनिस्टर जोशी ने क्लीन चिट दी है शरद पंवार को। यह तो महाराष्ट्र का मामला है इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता। आपने महाराष्ट्र के साथ जो यह एग्रीमेंट किया है, यह पहले वाले एग्रीमेंट से खराब एग्रीमेंट है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस बात पर बोल रहा हूं उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं माननीय चन्दनमलजी। वह वेरियबल कास्ट है। आपने हाथ जोड़कर जो कहा है, हमें आशय-पत्र प्राप्त नहीं हो रहे हैं, आशय-पत्र महाराष्ट्र का आते ही दोनों कापी आपके पास भेजूंगा, मेरे अधिकारी को भेजूंगा। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : सदन की मेज पर रख दीजिये, मुझे जरूरत नहीं है। मेरे पास तो है। मेरे ऊपर मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आपके पास है तो मैं आपको चुनौती देता हूं, आप दोनों का कम्पेरीजन करके बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आप सदन की मेज पर रखिये। सब आ जायेगा अभी। (व्यवधान) दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा अभी। भैरोंसिंहजी को मालूम है, क्या है इनका एग्रीमेंट। यह मनोहर जोशी से बात करके आए हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि दोनों एग्रीमेंट इनके पास हैं तो मेरी चुनौती है, दोनों रखें और यह सिद्ध कर दें कि राजस्थान की रेट ज्यादा है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं तो खुलेआम कह रहा हूं, यह रहा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : हिन्दु अखबार से नहीं देखा जाता। मैं साल्वेजी का स्टेटमेंट बता दूं अखबारों में। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बैदजी से निवेदन करता हूं, वह एक्सपर्ट हैं, जब उन्होंने यह कहा है मेरे पास हैं दोनों, जब एग्रीमेंट हैं और मन्त्री महोदय ने चुनौती दी है तो ऐसा कौन-सा कारण है कि आप हाउस में नहीं लाना चाहते ? या तो यह गलत बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : यह कोई चुनौती नहीं है। मेरे पास कोई चीज है और मैं हाउस में रखूं यह कोई जरूरी नहीं है। आप मंगाइये। आप सरकार में है, मंगाइये आप।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कह रहे हैं, मैं लाया हूं। राजस्थान की सरकार ने किया है एग्रीमेंट। (व्यवधान) राजस्थान की सरकार इसको हाउस में रखना नहीं चाहती। इससे बड़ा घोटाला हो नहीं सकता। राजस्थान का एग्रीमेंट आप राजस्थान के हाउस में नहीं रखना चाहते। आप नहीं रखते हो और चन्दनमलजी से रखवाना चाहते हो।

(श्री अमराराम (धोद))

महाराष्ट्र का नहीं, आप तो राजस्थान का रखिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया बिराजें अमराराम जी। आप बैठिये।

**श्री अमराराम (धोद)** : आप राजस्थान का एग्रीमेंट तो करिये।

(17.00)

**श्री चन्दनमल बैद** (तारानगर) : जिस दिन हम उधर होंगे, उस दिन हम टेबल पर रखेंगे। आप आज टेबल पर रखें। (व्यवधान) आप इधर आ जाओ...।

**श्री रघुवीर सिंह कौशल** (ऊर्जा मन्त्री) : आप परमानेन्ट वहीं बैठे रहो आप वहीं अच्छे लगते हो।

**श्री चन्दनमल बैद** : जिस दिन हम आयेंगे हम टेबल पर रखेंगे, आज आप टेबल पर रखें।

**श्री राधेश्याम** (गंगानगर) : जब आप खुद ही एग्री कर रहे हैं फिर रखने में कहां परेशानी है। (व्यवधान)

**श्रीमती कमला** (बैराठ) : माननीय मन्त्री महोदय, क्या यह सम्भव है कि आपके पास महाराष्ट्र का एग्रीमेंट नहीं है? और यह बिलकुल सम्भव है कि जब आपके पास में महाराष्ट्र का एग्रीमेंट है तो फिर आपको रखने में क्या आपत्ति है? यह कौन मानेगा कि आपके पास में नहीं है और अब आप मंगायेंगे। आपके पास में मौजूद है।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो चार्ज लगाए, हमने सुने चुपचाप। अब मैं जवाब दे रहा हूं तो इनमें सुनने का साहस नहीं है। (व्यवधान) कभी कोई खड़ा हो जाता है, कभी कोई खड़ा हो जाता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्री महोदय ...(व्यवधान) सारे माननीय सदस्य...

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानून की मंशा में नान प्रोडक्शन आफ डाकूमेंट्स के अगेंस्ट में एडवर्स इन्फरेन्स दिया जाना चाहिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (राज्य मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : हाउस को आर्डर में लाओ। (व्यवधान)

**श्री लक्ष्मण सिंह** (भीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे घोटाले की जांच के लिए हाउस की एक कमेटी गठित कर दी जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : मन्त्री महोदय, एक मिनट।

**श्री राधेश्याम** (गंगानगर) : आप बिलकुल साफ हो, सही हो तो कागज रखने में क्या दिक्कत है? (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : इसके लिए तो एक कमेटी बनाई जाए। यह बहुत बड़ा घोटाला है। नान प्रोडक्शन आफ डाकूमेंट्स है तो एडवर्स इन्फरेन्स तो आपके अगेंस्ट में ड्रा किया जाएगा।...(व्यवधान)

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : कहां का एग्रीमेंट?

**श्री राधेश्याम (गंगानगर)** : आप साफ बिलकुल हो, सही हो तो कागज रखने में क्या दिक्कत है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय राधेश्यामजी। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं...।

**श्री राधेश्याम (गंगानगर)** : यह तो कोई इलजाम ही नहीं है, अगर आप साफ हैं तो कागज रखने में परेशानी क्या है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं...।

**श्री चन्दनमल बैद** : सारे बड़े-बड़े अफसर आपके बैठे हुए हैं, किसी को भी चिट भेजकर कह दीजिए कि फैक्स से मंगवा लो आ जाएगा। कल सुबह टेबल कर देना आप...।

**श्री उपाध्यक्ष** : चन्दनमलजी + + + बिजली पर बहस है ?

**श्री चन्दनमल बैद** : देखिए, सारी बात इस बात पर बोइल डाउन हो गयी कि महाराष्ट्र का एग्रीमेंट क्या हैं और राजस्थान का एग्रीमेंट क्या है। यह बोइल डाउन हो गयी ना। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एग्रीमेंट अच्छा है तो आप गलती पर हैं और अगर आपका एग्रीमेंट अच्छा है तो हम गलती पर हैं। यही तो बात बोइल डाउन हुई ना ? इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ? आप अफसरों को कह दीजिए कि फैक्स से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट डाभोल के साथ किया है वह मंगाकर टेबल पर रख दें। बस, खतम हुई बात इसमें ज्यादा बहस करने की जरूरत क्या रही ?

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : यह रही, आपने जो चार्ज लगाए हैं उनका जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए और महाराष्ट्र का एग्रीमेंट मंगाकर वह भी आपकी सेवा में पेश कर देंगे।

**श्री चन्दनमल बैद** : नहीं-नहीं, जरूरत नहीं है। आप टेबल पर रखिये। मेरी सेवा नहीं चाहिए मुझे। मेरी सेवा मत कीजिए आप। मेरी सेवा करने के लिए मेरे दो बेटे हैं। आप यहां रख दीजिए। (व्यवधान)

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा यह कास्ट इतनी ज्यादा है...

**श्री उपाध्यक्ष** : मेरा एक निवेदन है माननीय सदस्यों से कि वह आसन को बाई पास नहीं करें। कृपया आसन की तरफ मुखातिब होकर बोलें।

**श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)** : सारा सदन इस बात से उद्वेलित है कि महाराष्ट्र के और राजस्थान गर्वमेंट के जो समझौते हैं वे सदन की मेज पर रख दें। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : नहीं, इस बात की अनुमति की जरूरत भी नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये, माननीय सदस्य।

---

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : राजस्थान के अस्तित्व का सवाल है। राजस्थान के हितों का सवाल है। हर माननीय सदस्य इस बात के लिए अधिकृत है इसमें और किसी बात की आवश्यकता नहीं है, दोनों कॉपी सदन के पटल पर रखवायें, सारा झगड़ा खतम हो जायेगा अपने आप ही। एक छोटी सी बात के लिए सारा सदन उद्वेलित हो रहा है।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : महाराष्ट्र का एग्रीमेंट आने के बाद में रख दूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : अच्छी बात है, आप बैठिये।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : और तीसरी बात यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि डालर से सम्बन्धित होने के कारण 15 साल में इसकी रेट कितनी ऊंची होगी क्योंकि वेरियवल कास्ट तो पास थ्रू होगी। उनकी भी उतनी ही बढ़ेगी और हमारी भी उतनी ही बढ़ेगी। लेकिन फिक्स्ड कास्ट जो हमारी 81 पैसा है वह केवल डेढ़ पर्सेन्ट ही केवल बढ़ेगी और उनका डालर से सम्बद्ध होने के कारण वह रेट डेढ़ी और दुगुनी हो जाएगी। तीसरी बात ये हमारे जो प्रोजेक्टस हैं···

**श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)** : आपने प्रिडिक्ट कर दिया कि डालर ऊपर जायेगा।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : आप सुनो तो सही क्यों + + +

**श्री विष्णु मोदी** : डालर ऊपर ही जाएगा, ये आपने कर दी कि घोषणा।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : हां।

**श्री विष्णु मोदी** : आप कन्ट्रोल करते होंगे डालर की प्राइस को जो आपने घोषणा कर दी···

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : आपके बस की बात नहीं है।

**श्री विष्णु मोदी** : कि इतना हो जायेगा, इतना हो जाएगा। इसमें सदन में बात करो कि राजस्थान की जनता को यहां से मैसेज जाए कि यह हो जाएगा वह हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : तीसरी बात यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जेस्टेशन पीरियड उनका 30 महीने से लेकर 36 महीने है। हमारा जेस्टेशन पीरियड एक साल से लेकर डेढ़ साल है। इस डेढ़ साल में, दो साल में डालर के हिसाब से···

**श्री विष्णु मोदी** : कोई कम्पेरिजन है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मोदी जी, कृपया बार-बार व्यवधान नहीं।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : मैं माननीय बैदजी के लिए बताना चाहता हूं कि यह 13 जनवरी का साल्वे जी का स्टेटमेंट 'फाइनेन्शियल एक्सप्रेस' में पढ़ लें।

**श्री चन्दनमल बैद** : कौन-से अखबार में निकला है ?

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : फाइनेन्शियल एक्सप्रेस में 13 जनवरी को।

**श्री चन्दनमल बैद** : मेहरबानी करके वह अखबार यहां टेबल पर रखिए।

---

+ + +शब्द अभिव्यक्ति अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अब आप पढ़ लें, वह भी रख देंगे।

श्री चन्दनमल बैद : हां, वह टेबल पर अखबार रखिए। जबरदस्ती नोट करके ले आए हैं। उस अखबार को टेबल पर रखिए, उस अखबार को हम पढ़ेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : अब आप बैठ जायं, बहुत सुन लिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, समाप्त करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बैदजी को एक सूचना दे रहा हूं कि मुझे अभी-अभी समाचार मिला है, हमने जब बातचीत की है टेलीफोन से कि हरियाणा की प्रति यूनिट कास्ट दो रुपये चालीस पैसा और यू० पी० की दो रुपया पचपन पैसा आयी है और इसमें डालर इनवाल्व है। इसमें डालर इनवाल्व है और राजस्थान ने अपने समझौते में कहीं विदेशी विनियम की बात नहीं की है। यह यू० पी० गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट तो आपकी ही हैं इस समय में।

श्री चन्दनमल बैद : मैं तो आपकी गवर्नमेंट को आपसे ही मिला रहा हूं। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का ले आइए और राजस्थान की गवर्नमेंट का रख दीजिए। आप, चतुर्वेदीजी, माफ कीजिए आप बीमार हैं और ज्यादा बीमार हो जाएंगे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय, मैंने कह दिया कि मंगाकर दे देंगे। इसको बार-बार आप क्यों कहते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : बस, खतम हो गयी बात।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : हां, तो कह देंगे उसको रख देंगे।

श्री चन्दनमल बैद : महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एग्रीमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट का एग्रीमेंट, अपने अफसरों से कह दीजिए। टेबल पर रख दें बस।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : हां तो कह दिया। सदन में कह दिया। आप बार-बार इसको रिपीट क्यों कर रहे हैं ? अब आपने कहा, मैंने जवाब दे दिया उसका।

श्री चन्दनमल बैद : आप हां भर लीजिए कि कल रख दूंगा। आप हां भर लीजिए।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : कल नहीं आएगा तो मैं कल नहीं रख सकता। लेकिन मंगाकर आपको जरूर दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : हां, आ गए···

श्री रघुवीरसिंह कौशल : कल का कल आ जाए जरूरी नहीं है। एक बात और आयी, माननीय हरिसिंहजी महुआ कह रहे थे कि वह तो दिग्विजय सिंहजी ने 100 से 400 करोड़ का करवाया है···

श्री राजेन्द्र पारीक : यह मामला महाराष्ट्र से यहां तक नहीं पहुंचेगा। राजस्थान का तो रखो, बाकी का तो देखा जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, पारीक साहब।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात आयी थी कि दिग्विजय सिंहजी के कहने से 400 करोड़ रुपये हुआ है। यह माननीय मुख्य मन्त्रीजी, राजस्थान ने 15-11-95 को पत्र लिखा और स्वयं दिल्ली गए थे। साल्वेजी का 17 तारीख को उत्तर आ गया कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं। 28 दिसम्बर को यह आदेश आ गया। तो यह दिग्विजय सिंहजी नहीं थे, यह भैरोंसिहजी शेखावत थे जिनके कारण से यह हुआ है। इसलिए मैं यह कहता हूं, अब ये कहते हैं कि कौन-कौन-से प्रोजेक्टस आ रहे हैं, क्या-क्या प्रोजेक्टस आ रहे हैं, मान्यवर, यह बरसिंहसर, यह सूरतगढ़, यह धौलपुर इस महीने नहीं तो 15 अप्रैल तक तीनों आ आएंगे और आपको और ज्यादा कष्ट होगा। अभी तो केवल कुछ प्रोजेक्टस से ही हो रहा है।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा है कि 31 मार्च, 97 में सूरतगढ़ आएगा और आप 15 अप्रैल बता रहे हैं। आप सही हैं या वह सही हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चन्दनमलजी।

श्री चन्दनमल बैद : वह तो कह रहे हैं कि 31 मार्च, 97 आएगा और आप कह रहे हैं कि 15 अप्रैल में आ जाएगा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : किसने कहा है कि यह 97 में आ जाएगा?

श्री चन्दनमल बैद : उन्होंने कहा है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सूरतगढ़ में जो हमारा एक पावर प्लांट चल रहा है वह 97 में आएगा।

श्री चन्दनमल बैद : वह मुख्य मन्त्रीजी कह रहे हैं कि 31 मार्च, 97 में आएगा। यह आपने कहा कि नहीं कहा? आप में से कौन असत्य बोल रहा है?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : वह तो जो प्रोजेक्ट चल रहा है वह पूरा हो जाएगा 250 मेगावाट का।

श्री चन्दनमल बैद : वही तो मैं कह रहा हूं कि वह कह रहे हैं कि 31 मार्च, 97 में आएगा और आप कह रहे हैं कि 15 अप्रैल, 96 में आएगा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आप सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री चन्दनमल बैद : गलत यह कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : कोई गलत नहीं है। आपके समझने में अन्तर है।

श्री चन्दनमल बैद : देखिये, जब आप विरोधी दल के नेता थे और दो मिनिस्टरों के स्टेटमेंट में जब डिफरेन्स होता था तो आप एक मिनिस्टर को कहते थे कि इस्तीफा दें। तो चीफ मिनिस्टरजी सही हैं कि यह ऊर्जा मन्त्रीजी सही हैं, यह बताइये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आप सुन तो लें। आप जवाब तो सुन लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में जो मार्च, 97 बताया है वह जो हामरा

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

पावर प्रोजेक्ट चल रहा है वह कम्प्लीट हो जाएगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा उसके लिए कहा है और मैं कह रहा हूं, 250-250 के दो 500 मेगावाट के प्रोजेक्ट जिनका अभी पी० पी० ए० बगैर, नेगोसिएशन चल रहा है, यह 15 अप्रैल तक आ जायेंगे। बरसिंहसर का जायेगा और आपको बहुत कष्ट होगा इतना तो मैं जानता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आप समाप्त करें।

**श्री चन्दनमल बैद** : धौलपुर आ गया, चित्तौड़ आ गया। सब आ जायेंगे, सब आ गए। बैठ जाओ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री)** : उपाध्यक्ष महोदय, वोट आन एकाउण्ट के सम्बन्ध में जिस प्रकार की चर्चा हुई, माननीय सदस्य जो कई वर्षों से इस विधान सभा के सदस्य हैं वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि वोट आन अकाउण्ट पर इस प्रकार की चर्चा नहीं होती। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब भी कई बार वोट आन अकाउण्ट आए हैं और वोट आन अकाउण्ट को तत्काल हमने पारित किया है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि चर्चा करें पर चर्चा की है उस कारण से मैं जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की तो खुशी है कि माननीय सदस्यों ने बजट में जो राहत दी गयी है उस पर कोई चर्चा नहीं की···

**श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)** : वोट आन अकाउण्ट पर की है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप बीच में नहीं बोलें। देखिये, मोदीजी, आप बोलेंगे तो चौगुना मैं भी बोलूंगा। न मैं इन्टरप्शन से डरता, न आपके व्यवधान से मेरे भाषण का क्रम टूटेगा। आप करना चाहें तो कर लें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जैसे मैंने आपकी बात सुनी है उस तरह से सुनने की क्षमता भी आपमें होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस दृष्टि से कह रहा था कि बजट में जनता के लिए जो रियायतें दी हैं, सुविधाएं दी हैं उसका आपने कहीं भी ज़िक्र नहीं किया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर चर्चा आयी कि बजट के अन्दर बिजली के सम्बन्ध में यह कहा गया, कर्जे के सम्बन्ध में कहा गया कि राजस्थान की सरकार ने जो रेवेन्यू डेफिसिट था उसको बैंक कर्जा लेकर पूरा किया। यह कई प्रकार की बातों का उल्लेख इसमें आया है। फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों का और 29 पर्सेंट के डिवोल्यूशन का एरिया बढ़ाया जाय, उस सम्बन्ध में माननीय बैदजी ने पिछले सत्र में भी कहा था और कल भी उसी बात को रिपीट किया है। मैं इन सब बातों का जवाब देऊंगा लेकिन मैं एक बात अभी तक समझ नहीं पाया कि जो पावर प्रोजेक्टस के मामले में माननीय बैदजी ने और कई माननीय सदस्यों ने कई प्रकार की आपत्ति की है। बैदजी, इस बात के लिए तो आप मेरी बात को स्वीकार करेंगे कि विधान सभा का जिस दिन सत्र आरम्भ हुआ था, मैंने आपसे और विपक्ष के नेता माननीय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

परसरामजी मदरेणा, दोनों से यह कहा था आप इन सारे पावर प्रोजेक्ट्स को खुद देख लें, हम कहीं गलती कर गए तो हम उसको दुरुस्त करने लिए तैयार हैं।

**श्री चन्दनमल बैद** : आदर्श किशोर, फाइनेंस सैक्रेटरी को कहा था कि इनको दिखा देना। क्या उन्होंने दिखाया ? यह आप उनसे पूछिए।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : चन्दनमलजी, बीच-बीच में टोकिये मत।

**श्री चन्दनमल बैद** : टोका नहीं है। आपने कहा कि देख लीजिये तो हमने इन्कार किया क्या देखने के लिए ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मेरी सुनिये। देखने से आप कम से कम यह समझे होंगे कि हमारी नीयत किसी प्रकार के कागज को छिपाने की नहीं है। मैंने आपसे यही कहा था कि आप और परसरामजी, ये सारे जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको देख लें। अभी आप 2 रुपये 10 पैसे वाले पावर प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहे थे। मैंने तो यहां तक कहा था कि आप बरसिंहसर को भी देख लें, धौलपुर वाले मामले को भी देख लें, जालिपा और कपूरड़ी के सम्बन्ध में जो हमने इन्टरनेशनल काम्पीटिटिव बिडिंग के आधार पर टेण्डर इन्वाइट किए हैं उनको भी देख लें। मैंने इस आधार पर कहा था कि राजस्थान बिजली समझौतों से कोई एक साल के लिए नहीं बंध रहा है, वर्षों तक इसका असर राजथान की जनता पर पड़ेगा इसलिए अगर कहीं भूल हो तो अपन आपस में बैठकर उस भूल का किस प्रकार से निराकरण किया जाय वह निराकरण कर सकते हैं। हमारी तरफ से किसी भी प्रकार के कागज को छिपाना या कागज छिपाने की कोई बात आती तो मैं समझता हूं उस समय कहना आपके मुंह से शोभा देता कि इसमें राजस्थान की जनता पर इतना अतिरिक्त भार पड़ेगा। बिना देखे ही अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि 'हिन्दू' के अन्दर छप गया कि डाभोल के पावर प्रोजेक्ट पर क्या रेट आयेगी। आप यह भी कह रहे हैं कि पी० पी० ए० यहां पर पेश किया जाय। मैं आपको बिलकुल साफ कह रहा हूं कि जिस दिन आपसे मेरी चर्चा हुई थी उसी चर्चा पर मैंने मनोहर जोशी और गोपीनाथ मुण्डे को एक बार नहीं कई बार कम से कम 10 टेलीफोन किए होंगे कि आपके जो फाइनल एग्रीमेंट्स हुआ है, जिसको आप पी० पी० ए० कहते हैं वह पी० पी० ए० मेरे पास भेज दें तो उस पी० पी० ए० के आधार पर हम इन सबका एक तुलनात्मक विवरण तैयार कर लें और वह तुलनात्मक विवरण आपको व राजस्थान की जनता को जानकारी के लिए दे देते हैं। आप केवल 'हिन्दू' में लिखा उस आधार पर कह रहे हैं। मैं आज भी कह सकता हूं कि पी० पी० ए० मेरे पास नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूं कि पी० पी० ए० मेरे पास नहीं है लेकिन आपने बार-बार इस सदन में कहा कि पी० पी० ए० मेरे पास है लेकिन मैं सदन की मेज पर क्यों रखूं ?

**श्री चन्दनमल बैद** : पी० पी० ए० का मैंने नहीं कहा, मैंने एग्रीमेंट का कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा है।

श्री चन्दनमल बैद : पी० पी० ए० का नहीं कहा है, मैंने एग्रीमेंट का कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा है कि फाइनल एग्रीमेंट की कापी मेरे पास है।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने 'फाइनल' शब्द यूज नहीं किया है। मैंने कहा कि एग्रीमेंट की कापी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने यूज किया है। आपने एग्रीमेंट के लिए कहा है कि जो एग्रीमेंट महाराष्ट्र की सरकार ने डाभोल पावर प्रोजेक्ट के लिए किया है उस एग्रीमेंट की कापी मेरे पास है। मेरे पास नहीं है। मैं आज कह सकता हूं, मेरे पास पुराने कागजात जरूर हैं।

श्री चन्दमल बैद : मंगवा लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मंगवा लूंगा और आप विश्वास रखें, आप कहेंगे कि हाउस की टेबल पर तो मैं हाउस की टेबल पर रखूंगा, सारे मैम्बर्स को सर्क्यूलेट। तो फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह कोई व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। यह राजस्थान की जनता की बहबूदी से सम्बन्धित है। राजस्थान में बिजली का उत्पादन किस प्रकार से हो उस बिजली के उत्पादन कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसी स्थिति में आप सार्वजनिक रूप से चर्चा का विषय बनायें और यह कहें कि इसमें 1500 या 1200 करोड़ का घाटा होगा, मैं ऐसा समझता हूं कि इतनी अकल तो मेरे में भी भगवान की कृपा से है कि राजस्थान में 1500 करोड़ रुपये का घाटा इसमें होता है तो मैं निश्चित रूप से इस प्रकार के पावर प्रोजेक्ट को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं रहूंगा। (व्यवधान) देखिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह बीच में गड़बड़ न करें। देखिये, मोदीजी, अब आप ज्यादा व्यवधान न करें इतने में ही···(व्यवधान) मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय ···(व्यवधान) कोई धमकी किसी को नहीं दे रहा हूं। मोदीजी को मैं क्या धमकी देऊंगा, मोदीजी को मैं धमकी देने वाला नहीं हूं, ये मेरे सारे कागज देखते रहते हैं, मैं इनको क्या धमकी देऊंगा। मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसी स्थिति में इन पावर प्रोजेक्ट्स के मामले···(व्यवधान) अब देखिये, दो प्रकार के प्रश्न आये थे, कल मैंने उनका उल्लेख भी किया था, आप यहां पर नहीं थे। आपको मालूम है कि भारत सरकार ने एम० ओ० यू० के थ्रू फास्ट ट्रेक प्रोजेक्ट की एक योजना बनायी है। आठ फास्ट ट्रेक प्रोजेक्ट इसमें लिये गये हैं। एक उसमें डाभोल का प्रोजेक्ट भी था। डाभोल का प्रोजेक्ट पूर्व महाराष्ट्र सरकार ने मंजूर किया है। आज वह रेट 3 रुपये 40 पैसे या 3 रुपये 37 पैसे की गिरकर एक रुपया 85 पैसे आई। तो आप एक तरफ तो इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने डाभोल प्रोजेक्ट जो कांग्रेस पार्टी के शासन में मंजूर किया गया था उसको रिजेक्ट करके महाराष्ट्र के लिए बहुत उचित काम किया है।

श्री विष्णु मोदी : महाराष्ट्र की सरकार

(श्री विष्णु मोदी)

ने जो पहले फ्यूयल था उसको चेंज करके नेफ्था किया।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। इन्टरप्शन अंकित नहीं होगा। व्यवधान जो बीच में किया जा रहा है वह अंकित नहीं होगा।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो आप स्वीकार कर रहे हैं, चाहे नेफ्था हो, चाहे कोल हो, आप इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं···(व्यवधान) आप जो बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूं····

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : इन्टरप्शन अंकित नहीं होगा। इन्टरप्शन अंकित नहीं होगा।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका मतलब यह है कि डाभोल का प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्वीकार किया था, यदि मैं मोदी जी की बात···(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन के नेता बोल रहे हैं, बीच-बीच में इन्टरप्शन कर रहे हैं, मैंने कहा कि नयी परम्परा है, मैं इस नयी परम्परा का विरोध करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मोदीजी के भाषण से यह समझा हूं, कि डाभोल का पावर प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र की पूर्व सरकार ने मंजूर किया था वह वाजिब है।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : × × ×

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक मामूली-सा प्रश्न किया है। उनके भाषण से ऐसा लगता है कि पूर्व सरकार ने डाभोल के सम्बन्ध में जो समझौता किया था वह सही किया था। उसके मुकाबले यह 2.10 वाला प्रोजेक्ट कहां आता है इसका अंदाज आपने लगाया है? मैं इतना ही कह रहा था कि उसके मुकाबले 3 रुपये 34 पैसे, आई० एम० सब्जेक्ट टू करेक्शन, 3.34 या 3.37 रुपये की रेट आती थी, वहां 2 रुपये 10 पैसे की रेट आती है, इसका आप कम्पेरिजन करें तो लगभग डेढ़ रुपये का अन्तर एक यूनिट में आता है।

मुझे इस बात की खुशी हुई कि इस सदन में कोई माननीय सदस्य तो ऐसा मिला है जिसने डाभोल पावर प्रोजेक्ट को जिस रूप में स्वीकार किया गया है उसको सही माना है और उस प्रोजेक्ट को उसी रूप में लाने की व्यवस्था चाहते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय चन्दनमलजी बैद कह रहे थे कि पावर प्रोजेक्ट्स के मामले में कागज नहीं भेजे। मैंने सारे एल० ओ० आई० की कॉपीज और

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

शायद सन सोर्स के सम्बन्ध में जो पावर पर्चेज एग्रीमैंट किया है, उसकी कॉपी मदरेणाजी को भेजी है। मैं उसकी कॉपी को छिपाकर या रहस्य बनाकर नहीं रखना चाहता। लेकिन इस मामले में आपको इतना तो नहीं कहना चाहिए था कि इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है। हो सकता है कि इस केलकूलेशन में आप सही हों, मैं सही होऊं और हो सकता है कि कोई और एक्सपर्ट मिल जाय जो हम दोनों को गलत सिद्ध कर दे और कह दे कि यह केलकूलेशन सही है लेकिन इसमें कोई इंटीग्रिटी या मोटीवेशन का प्रश्न आ जाय तो मैं आपसे यह बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और मैं समझता था कि चन्दनमलजी पावर प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में इस प्रकार की बात नहीं करेंगे। (व्यवधान)

**श्री चन्दनमल बैद** (तारानगर) : मैं तो अभी भी यह होल्ड करता हूं कि चरका लगाया है, भ्रष्टाचार हुआ है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : ठीक है, आप कुछ भी समझें। राजस्थान में जो पावर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एक माननीय सदस्य ने चित्तौड़ का नाम लिया, शायद बरसिंहसर और धौलपुर का नाम लिया। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह अच्छी तरह से जानते होंगे कि धौलपुर पावर प्रोजेक्ट, बरसिंहसर पावर प्रोजेक्ट, माण्डलगढ़ पावर प्रोजेक्ट, चित्तौड़ पावर प्रोजेक्ट, ये सारे 1984 में बनाये गये थे और तब शिवचरणजी माथुर मुख्य मंत्री थे। ये सारे पावर प्रोजेक्ट तब बनाकर भारत सरकार को भेजे गए थे। मैं तो 1990 में आया हूं। 6 वर्ष तक इन पावर प्रोजेक्ट्स को कांग्रेस सरकार ने परस्यू करके अप्रूव कराया? आज यहां कहते हैं कि यह पावर प्रोजेक्ट समझौता तीन वर्ष पहले मंजूर हो जाता तो रेट कम आती, चार वर्ष पहले मंजूर हो जाता तो यह रेट कम आती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1984 में जब अपने पावर प्रोजेक्ट बनाए उस समय ये मंजूर हो जाते तो ये 1 रुपया 85 पैसे या 2 रुपये 10 पैसे, इससे भी आधी रेट पर मंजूर कर लिये जाते। उस समय दिल्ली और यहां कांग्रेस की सरकार थी, ये प्रोजेक्ट मंजूर क्यों नहीं कराये?

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि धौलपुर पावर प्रोजेक्ट के मामले में भारत सरकार एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस नहीं दे रही थी, हमने एनवायरमेंटल क्लीयरेंस ली है। सूरतगढ़ पावर प्रोजेक्ट, जहां आज काम चल रहा है, की प्लानिंग कमीशन ने अप्रूवल नहीं दी थी, वह मैंने ली है। रघुवीरसिंहजी ने जैसा कहा, वह सही है कि सूरतगढ़ पावर प्रोजेक्ट के लिए मैंने क्लीयरेंस ली थी उसके बाद धौलपुर में भी इसी प्रकार की स्थिति थी कि 1993 में वह क्लीयरेंस वापस ले ली, मैं जब वापस आया तो हो सकता है 1994 की जनवरी या दिसम्बर में वह क्लीयरेंस भी वापस ली और उस पर काम चलाया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पावर प्रोजेक्ट्स के मामले में इस प्रकार का वातावरण बनाने की आवश्यकता नहीं है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हम सब यह जानते हैं कि राजस्थान में बिजली की कमी है और हाइडल पावर भी जनरेट नहीं हो सकती। हम यह भी जानते हैं कि तीन सौ मेगावाट आर० ए० पी० पी० की बिजली जो पिछले दो वर्ष से बन्द पड़ी है, वह चालू नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में हमारा लक्ष्य राजस्थान में पावर जनरेट करने का है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में इतना बड़ा को-आपरेशन कोई दे नहीं सकता। मैंने स्वयं जिस समय भी एल० ओ० आई० हुए हैं, लीडर आफ अपोजिशन को भेजे हैं। अभी एक ही पी० पी० ए० किया, उसकी भी कापी भेजी है। किसी भी पार्टी से पी० पी० ए० होगा या एल० ओ० आई० हमने तैयार किये हैं, उनमें छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सदन के माननीय सदस्यों को उनकी कॉपी दे दी जायेगी और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

हमें अभी पी० पी० ए० मिला नहीं है और 'हिन्दू' में समाचार छप गया, उसको लेकर राजस्थान में पावर प्रोजेक्ट की रेट पर क्वेश्चन किया जा रहा है यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पी० पी० ए० को देखने के बाद राजस्थान में हमने जो एग्रीमेंट किया है, उन दोनों में अन्तर होता तो आपका बोलना ठीक था। मैं समझता हूं कि आप इस प्रकार के प्रचार से हम वही स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि राजस्थान में प्राइवेट इंवेस्टमैंट नहीं हो और बिजली की समस्या का समाधान नहीं हो। इसलिये मैं इस बात को यहीं समाप्त करता हूं····(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : बिल्ली आयी, बिल्ली आयी वाली बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्ली आयी, बिल्ली आयी—आपको यही दर्द हो रहा है कि राजस्थान की जनता में विश्वसनीयता बढ़ रही है, राजस्थान में बिजली का उत्पादन करने के लिये यह सरकार बहुत प्रयत्न कर रही है और कामयाब होगी। तो राजस्थान की बिजली की समस्या का समाधान होगा। आपकी कोशिश है कि हमारे काल में एक यूनिट भी बिजली पैदा न हो ताकि राजस्थान आने वाले 5-6 वर्षों तक अंधेरे में डूबा रहे। न किसान को किसी प्रकार की सहूलियत मिले, न किसी प्रकार का औद्योगीकरण हो और उसके मार्फत नवयुवकों को रोजगार मिले, आपका यह काम मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं। आप यह क्यों बोल रहे हो और क्यों नहीं बोल रहे हो, इसके पीछे कारण साफ है, इरादे साफ हैं।

दूसरा प्रश्न जो माननीय चन्दनमलजी बैद ने बड़े जोर से उठाया···

श्री चन्दनमल बैद : मैंने अखबार में पढ़ा। कल आपने कहा कि बम्बई से नेफ्था जयपुर में आने में उसकी कीमत 23 प्रतिशत बढ़ जायेगी। कैसे बढ़ जायेगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 23 पैसा।

श्री चन्दनमल बैद : वह कैसे बढ़ जायेगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो हिसाब लगाया है। आप जानते हैं कि हिसाब कैसे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लगता है। अभी कांडला से नेफ्था हम लाये नहीं हैं लेकिन हमने केलकूलेशन बनाया है कि कांडला से जो नेफ्था आयेगा उस पर यह कास्ट आयेगी। यह कास्ट मेरी तरफ से बनायी हुई नहीं है। सारी रेट्स की जानकारी की है और उन रेट्स के आधार पर यह बात है। ऐसी स्थिति में इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यह 22 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है। लेकिन उन रेट्स के आधार पर आप चुनौती दें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने जो भाषण दिया था उसमें यह कहा था कि आज देश में 65 करोड़ रुपये के कारण सारी राजनैतिक व्यवस्था पर एक कलंक लगा है। उस आधार पर मैंने एक निवेदन किया था कि यदि आप विधान सभा में और विधान सभा के बाहर ठोस और प्रामाणिकता के आधार पर कोई चार्ज लगायें उसका तो स्वागत है लेकिन केजुअल वे में चार्ज लगायेंगे तो निश्चित रूप से आज के एटमास्फीयर, जिसमें विदेशों में यह कहा जा रहा है कि हिन्दुस्तान संसार का सातवें नम्बर का भ्रष्ट देश है, में एक एडीशन होगा। यह नहीं कहा कि आप भ्रष्टाचार की चर्चा मत करो लेकिन वह प्रामाणिकता के आधार पर करें। आप यह न समझें कि विधान सभा में कोई भी मामला उठाना हमारा प्रिविलेज है और कोई हमसे क्वेश्चन नहीं कर सकता। इस प्रिविलेज का दुरुपयोग न हो, इस दृष्टि से मैंने कहा था। आप खुले चार्ज लगायें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह ध्यान रखें कि हम इस एटमास्फीयर में कोई अनर्गल बात तो नहीं कर रहे हैं।

दूसरा प्रश्न माननीय वैदजी ने उठाया कि मैंने मुख्य मन्त्री बनने से पहले कोई चार्ज लगाए थे, उनका क्या हुआ। मैं ऐसा समझता हूं कि इस सदन के कई माननीय सदस्यों को और खास तौर से औसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात की ·· (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (औसियां) : आपने मेरा नाम लिया तो मैं टोकूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका नाम नहीं ले रहा। आप टोक लेना। आप बैठ जाय। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं··· (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मुझे पता है, भैरोंसिंह साहब, कि 16 मार्च, 1994 को आप पर नियम 119 के तहत चार्ज लगाया और उसके बाद आपके दिर्देश पर सरकार ने···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरी बात तो सुनें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपके और मेरे बीच में 34 केसेज हुए हैं। यह तो अपन देख लेंगे····(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह आप देख ले ओ। मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप जब भी मुझे पुकारेंगे···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं पुकारूंगा।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपको मेरे से बात करनी हो तो चेयर के थ्रू करिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, चेयर के थ्रू करूंगा। आपको याद होगा कि सदन में मैंने एक बार एक आरोप लगाया था।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं···(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक अरोप लगाया था, I am subject to coreection, हो सकता है 84 का मामला हो या 85 था, या 82 था मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने एक आरोप लगाया था कि राजस्थान कैनाल पर चानन वाला हैड से लेकर नाचना की तरफ जाती जो नहर है उस नहर के मामले में जो राजस्थान कैनाल का निर्माण हुआ उस पर लाइनिंग का काम बहुत घटिया था। आप उस समय मंत्री थे राजस्थान कैनाल के। मैंने उस समय आरोप लगाया। आप बड़े उछल पड़े और उछल पड़ने के बाद कई दिनों तक यह विधान सभा में चला और चलने के बाद में सरकार ने कहा कि हम जांच करेंगे। आपने कहा कि रत्ती भर भी भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन उस समय यह तय हुआ कि राज्य सरकार इसकी जांच करेगी। राज्य सरकार की जांच करने का मौका आया तो सरकार बदल गयी और दूसरे इरिगेशन मिनिस्टर आ गये राजस्थान कैनाल के। यह भी मैं कहना चाहता हूं कि 45 इंजीनियर्स को एक साथ राजस्थान की विधान सभा में सस्पैण्ड करने की घोषणा की थी···

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : 194।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 194 इंजीनियर्स को सस्पैण्ड करने की घोषणा की थी। यह घोषणा किस आधार पर की थी? आपने जिन इंजीनियर्स को नेकनीयती का, ईमानदारी का और कर्मठ काम करने का सर्टिफिकेट दिया उन 194 इंजीनियर्स को सस्पैण्ड किया, पहला तमाचा तो उस समय लगा जिस समय इस प्रकार की व्यवस्था हुई थी। उपाध्यक्ष महोदय, अब फिर मैं कहना चाहता हूं चाहे उस समय की सरकार ने इस सारे मामले की जांच···

श्री चन्दनमल बैद : आपने कहा कि मैंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया। तो मेरे उन लैटर्स को आप सदन की मेज पर रख दीजिए कि मैंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया। मैंने हार्डवर्क का सर्टिफिकेट दिया था। उन्होंने मेहनत की इसका सर्टिफिकेट दिया था। मैंने नेकनीयती और ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया और, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, दूसरी बात, आपने जांच कराई मेरी बदनीयती और बेइमानी निकली क्या उसमें?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी मैं कहां बदनीयती बता रहा हूं? मैं आपकी नहीं कह रहा हूं···

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, मेरी बदनीयती निकली क्या उसमें?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं आपकी कहां व्यक्तिगत बता रहा हूं।

**श्री चन्दनमल बैद** : फिर मुझे तमाचा कहां लगा रहे हैं आप ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं आपकी नहीं कह रहा हूं।

**श्री चन्दनमल बैद** : नहीं मुझे तमाचा कहां लगा रहे हैं आप ? यह तमाचा आपको ही लग रहा है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : चन्दनमलजी, मैं इतना हलका नहीं हूं कि आपकी तरह से मैं चार्ज लगा दूं। मैं इतना हलका नहीं हूं। मैंने देखा है। आप जो यह कह रहे थे कि भ्रष्टाचार को नाक में से निकाल लूंगा, मैं उसी एक प्रकरण में एक उदाहरण आपको ही दे रहा हूं। जिस समय राजस्थान कैनाल में यह सारी लाइनिंग की जांच हुई, आप मानेंगे नहीं, उस समय भी मैंने चार्ज लगाया था कि इस लाइनिंग में इतनी जबरदस्त कैवैटी है कि साढ़े अट्ठारह हजार क्यूसेक्स अनुसार जिस दिन इस नहर में पानी आ जायेगा यह नहर टूट जायेगी और आसपास के गांव जलमग्न होकर तबाह हो जायेंगे। उस समय आपने इस बात को नहीं माना। उस समय आपने इसका विरोध किया। आपने यहां तक कहा था कि कोई कैवैटी नहीं है। आपने यहां तक कहा था कि लाइनिंग में कोई गड़बड़ी नहीं है। मैंने प्रमाण सहित इस विधान सभा में रखा, आपने इसको स्वीकार नहीं किया और उसके बाद में जब जांच हुई, कुरूप साहब ने इसकी जांच की, उसके बाद में लोरिया साहब ने जांच की और जांच करने के बाद नतीजा क्या निकला है कि उसमें? उपाध्यक्ष महोदय, करीब 44 अभियन्ताओं के विरुद्ध सी० सी० ए० रूल्स के अन्तर्गत कार्यवाही की और प्रोविजनल दन्डादेश जारी किये जा चुके हैं। इनमें से 2 मामलों राजस्थान लोक सेवा आयोग से सहमति भी प्राप्त हो चुकी है 5 प्रकरण परामर्श हेतु आयोग के विचाराधीन हैं और शेष एक प्रकरण भी अन्तिम स्तर पर है। इन विभागीय जांचों में 26 अभियन्ताओं को राज्य सेवा से पृथक करने और शेष को पेंशन व वार्षिक वृद्धि रोके जाने के दण्ड दिये जाने हैं। अब मैं पूछना चाहता हू कि आपके कारनामे थे जिसके कारण से राजस्थान कैनाल की यह हालत हुई।

**श्री चन्दनमल बैद** : लाइनिंग मैंने की थी क्या ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं। आपने लाइनिंग नहीं बिछाई। मैं जानता हूं, आपने लाइनिंग नहीं बिछाई। आप भी लाइनिंग नहीं बिछा सकते और मैं भी लाइनिंग नहीं बिछा सकता। आप भी राजस्थान नहर का निर्माण नहीं कर सकते और मैं भी नहीं कर सकता। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज उस राजस्थान कैनाल की। जिस प्रकार की स्थिति आपके जमाने में हुई है वह राजस्थान कैनाल राजस्थान के लिए खतरे का संकेत दे रही है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप दूसरों पर अंगुली उठाने के पहले अपने कलेजे को देखिये कि आप जहां-जहां रहे थे वहां पर किस-किस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रकार की अनियमितायें हुई और उन अनियमितता करने वालों को आपने प्रोटेक्शन दिया, उनके खिलाफ तत्काल कोई कार्यवाही नहीं की। आज, उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह कह रहे हैं···

**श्री चन्दनमल बैद** : मैंने क्या प्रोटेक्शन दिया ? मैंने कभी आपको फोन किया ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : नहीं किया।

**श्री चन्दनमल बैद** : फिर क्या प्रोटेक्शन किया ? और दस साल में उस नहर में कितनी टूट-फूट हुई ? 10 साल में कहीं नहर टूटी ? कहीं पानी बहा ? कहीं जलमग्न हुआ ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं आपको बता दूं पूरा पानी ही नहीं आया। उपाध्यक्ष महोदय, पूरा पानी आये तब टूटने का सवाल पैदा हो। अभी तक पूरा पानी ही नहीं आया। तो मैं तो आपसे केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी पर चार्ज लगायें तो सोच समझकर लगायें। आप भी मंत्री रहे हुए हैं। (व्यवधान) कोई फेर बेर नहीं है। मैं इस फेर के चक्कर में नहीं हूं, चन्दनमलजी, मैं जवाब भी देना जानता हूं और लोगों ने क्या-क्या राजस्थान के मंत्री पद पर रहकर काम किये हैं उसकी मुझे किताब देखने की आवश्यकता नहीं है, मेरे कम्प्यूटर में सब कुछ फीड किया हुआ है, जिस समय आप चाहेंगे मैं बोल कर बता दूंगा।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी कैनाल की जो चर्चा हुई, रामसिंह कमीशन किसने बैठाया, मुख्य मंत्रीजी को पता है। उन्होंने क्या एक्शन लिया और हमने क्या लिया उसमें मुझे विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, इसका हमें पता है और मुख्य मंत्रीजी को भी पता है। जो चन्दनमलजी ने बात फरमाई, कि आप छोटे-मोटे पर तो एक्शन ले लेते हैं। आप अलवर से आये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी शायद कभी न कभी जानकारी ली होगी, अलवर युवराज काण्ड हुआ था जिसमें वर्तमान फाइनेन्स सैक्रेटरी फंसे थे और उसमें फंसाने वाले कौन थे ? मुख्य मंत्रीजी, जब यहां विराजमान थे। आज वही आदर्श किशोर सक्सेना, फाइनेन्स सैक्रेटरी हैं और इनके खास एडवाइजर हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने। फंसाने में तो मेरा हाथ नहीं है। क्योंकि उस समय···

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : आपके भाषणों की कापियां मेरे पास पड़ी हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : कापी रख कर बता देना उपाध्यक्ष महोदय, उस मामले की ज्यूडीशियल इन्क्वायरी हुई। यह मामला था 1975 की इमरजैन्सी का। आदर्श किशोर सक्सेना 75 या 76 में अलवर में कलेक्टर थे उस समय महाराजकुमार की डैथ हुई। महाराजकुमार की डैथ के बाद में ज्यूडीशियल इन्क्वायरी हुई और ज्यूडीशियल इन्क्वायरी में उनको दोषी माना गया था। मैं आज इन्कार नहीं करता कि नहीं माना था। लेकिन इसी सदन में चर्चा गई थी, मैंने इसी सदन के सामने पूरा विवरण रखा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

था और विवरण रखने के बाद में इसी सदन ने मेरी बात से सहमति प्रकट की और सहमति प्रकट करने से आदर्शकिशोर सक्सेना बचे हैं। आज आप यह समझें कि मैं किसी आदमी पर कोई एक आरोप लगा दे और उसे मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ा देऊं, यह इतनी ताकत मेरे पास नहीं है। न्याय व्यवस्था के आधार पर ही किसी आदमी को मैं सजा दे सकता हूं, न्याय-व्यवस्था के आधार पर ही मैं कोई अग्रिम कार्यवाही कर सकता हूं लेकिन व्यवस्था के विपरीत जाने का अधिकार न तो मुझे लेजिस्लेचर ने दिया है और न मुझे मानवीय आधार के ऊपर इस प्रकार का कोई अधिकार मिला है।

यहां पर चन्दनमलजी बैद आरोप लगा गये। मैं वही हलकेपन की बात कर रहा हूं कि हलके-फुलके चार्ज नहीं लगाये जायें कि एक मंत्री के पास कोई आदमी गया और उसने कहा कि 20 हजार रुपये मैं लेकर आया हूं, ट्रान्सफर कर दो। उन्होंने कहा कि 20 या 30 यह तो पोस्ट डेढ़ लाख की है। चन्दनमलजी, आपकी हिम्मत हो तो मैं समझता हूं नैतिकता का तकाजा है कि आप इसी मामले की जांच के लिए आर० एस० बी० आई० में प्रिवेन्शन आफ करप्शन एक्ट के मातहत मुकदमा दर्ज करवाते। अगर आप में नैतिकता थी तो आप लोकायुक्त के सामने इस प्रकार की शिकायत करते। यह मामला झूठा है और प्रिविलेज का दुरुपयोग करते हुए आपने इस प्रकार का चार्ज लगाया है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि किसी मंत्री के बारे में आप बता दीजिए, किस मंत्री ने पैसा लिया, मैं जांच कराऊंगा और जांच कराने के बाद में आपको किस प्रकार से संतोष हो इसकी बात करूंगा। मैं इसी उदाहरण को इसलिए ले रहा हूं कि हलके-फुलके चार्ज लगाने से काम नहीं चलेगा। हमें व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना हो, व्यवस्था में कोई जांच की विशेष प्रक्रिया निर्धारित करनी हो उसके सम्बन्ध में आप बात करते हुए कोताही करते हैं। आपने प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट के प्रावधानों कभी चुनौती नहीं दी। लोकायुक्त के सम्बन्ध में आपने कभी कुछ नहीं कहा। आज यहां उपयोग करते हैं, यहां विधान सभा में कह रहे हैं 20 या 30 हजार रुपये दे दिये। मैं समझता हूं कि यह हलकी बात अगर आपके मुंह से निकलती है तो आपको दुख हो या नहीं, मुझे निश्चित रूप से दुख होता है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं....

**श्री चन्दनमल बैद** : 25 साल में आपने जितने चार्ज लगाये थे वह कितने एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट में ले गये? कितने आपने लोकायुक्त को भेजे? मेरे को ही शिक्षा दे रहे हो। आप भी अपने गिरेहबान में झांककर देखो। कितने लोगों को ले गए आप?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : बैठ जाइये आप।

**श्री चन्दनमल बैद** : आप कितने लोगों को ले गये एन्टीकरप्शन में? आप कितने लोगों को लोकायुक्त के पास ले गये?

(श्री चन्दनमल बैद)

आपने कितने लोगों की जांच कराई और बताइये 3 आदमियों की कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसमें आपने क्या किया ?

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : आप सुनने की क्षमता तो रखो ।

**श्री चन्दनमल बैद** : खूब क्षमता है मेरे में ।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : मैंने भी सुना है आपको ।

**श्री चन्दनमल बैद** : बैठा हुआ हूं, जाऊंगा नहीं ।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : एक राजस्थान नहर की चपत लगी उसी में उछल गये आप ।

**श्री चन्दनमल बैद** : मेरे को कोई चपत नहीं लगी ।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : क्या तमाशा हुआ ।

**श्री चन्दनमल बैद** : मेरा कोई कसूर नहीं है ।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : नहीं कोई कसूर किसी का नहीं है । किसका कसूर है ?

**श्री चन्दनमल बैद** : मेरा कोई कसूर नहीं है । मैंने किसी की सिफारिश नहीं की 90 से 96 तक । मैंने कोई सिफारिश की, हो तो बताइये आप ।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : मिनिस्टर की कांट्रीब्यूटरी नेग्लीनेंस है । इस प्रकार के मामले में कांट्रीब्यूटरी नेग्लीनेंस के लिए मैं आपके ऊपर चार्ज लगाता हूं और इस सदन में चार्ज लगाता हूं । इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज ऐसी स्थिति में आप लोगों पर अंगुली उठा दें···

**श्री चन्दनमल बैद** : उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि कोई सिपाही अगर हवालात में किसी को मार दे तो कांट्रीब्यूटरी नेग्लीजेंस कैलाश मेघवाल की है ? इनकी है क्या ? इस्तीफा देंगे ये ?

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : मैं हवाले का जिक्र कर रहा हूं, बैठ जाइये ।

**श्री चन्दनमल बैद** : हवालात में कोई सिपाही मर जाय, हवालात में कोई कैदी मर जाय तो कांट्रीब्यूटरी नेग्लीजेंस इनकी है ? मैं हवालात की कह रहा हूं···

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : आप सुनिये तो सही । हवालात का ही जिक्र करूंगा ।

**श्री चन्दनमल बैद** : क्या बात कर रहे हैं आप ? जबरदस्ती एक समां बांध रहे हैं कांट्रीब्यूटरी नेग्लीजेंस, कंट्रीब्यूटरी नेग्लीजेंस ···(व्यवधान) सारे के सारे मंत्रिमंडल के आ गये ।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : ठीक है, मान ली । (व्यवधान) ठीक है, मान ली आपकी बात ।

**श्री चन्दनमल बैद** : मान ली क्या ?

(श्री चन्दनमल बैद)

किसी अस्पताल में कोई रोगी मर जाय तो राजेन्द्र राठौड़ इस्तीफा देंगे ?

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आप बैठिये। चन्दनमलजी, बिराजिये।

**श्री चन्दनमल बैद** : क्या बिराजें, गलत बात कह रहे हैं। बोलेंगे नहीं ? जबरदस्ती मेरे पर चार्ज लगा रहे हैं, बोलूंगा नहीं मैं ? यह कोई बात हुई क्या ? जबरदस्ती मेरे पर कांट्रीब्यूटरी नेग्लीजेंस का चार्ज लगा रहे हैं। (व्यवधान) आपकी कांट्रब्यूटरी नेग्लीलेंस नहीं है ?

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह जिक्र किया गया···

**श्री चन्दनमल बैद** : मगर यह तीनों दे देंगे, राजेन्द्रजी राठौड़ इस्तीफा दे देंगे, मेघवालजी इस्तीफा दे देंगे···

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : हां, दे देंगे, दे देंगे। आप कोई इस्तीफा मत दीजिये बैठे रहिये और सदन के सदस्य रहिये। (व्यवधान) भाटी साहब, मुझे थोड़ा-सा बोलना है, ज्यादा नहीं। थोड़ा-सा बोलूंगा।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : उपाध्यक्ष जी, बार-बार मुख्य मन्त्रीजी इन्दिरा गांधी कैनाल का जिक्र कर तो···

**श्री उपाध्यक्ष** : बार-बार व्यवधान नहीं। कृपया बिराजें।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : यह कह सकते हैं तो मैं भी कह सकता हूं। इन्होंने चार्ज लगाया है····

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजिये।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : नहीं, नहीं, इन्होंने चार्ज लगाया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : भाटी साहब, आप बैठिये।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : या तो आप इसको एक्सपंज करिये ? चार्ज लगाया है तो इम्प्लीमेंट करिये···

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : आपके ऊपर चार्ज नहीं है। आपने इंक्वायरी की है।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : आपने इन्दिरा गांधी कैनाल मंत्रियों के खिलाफ यहां पर चार्ज लगाया है।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया है।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : हां, तो लगाइये न। आप चार्ज हम लोगों के खिलाफ लगाइये। कमला जी भी थीं, चन्दनमलजी भी थे, मैं भी था। हिम्मत हो तो लगाओ ना।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : अब मैं निवेदन करना चाहता हूं····

**श्री चन्दनमल बैद** : माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने मेरे पर चार्ज लगाया। आपने

(श्री चन्दनमल बैद)

मेरे ऊपर कंट्रीब्यूटरी नेग्लीजेंस का चार्ज लगाया है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मेरे केस चलाइये आप। केस चलाइये मेरे पर आप, मैं फेस उसको करूंगा।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। (व्यवधान)

**श्री चन्दनमल बैद :** इतने बड़े चार्ज लगाते हो···(व्यवधान)

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी :** आपने, मुख्य मंत्रीजी, यह कहा है कि कलेक्टिव रेस्पांसिबिलटी है। (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** उपाध्यक्ष महोदय, सुनने की क्षमता नहीं है। (व्यवधान)

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी :** आप करिये न केस। मेरे पर केस चलाइये।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं।

**श्री चन्दनमल बैद :** मेरी कांट्रीब्यूटरी नेग्लीजेंस है तो मेरे पर केस लगाइये आप। (व्यवधान)

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी :** आपने इन्दिरा गांधी नहर मंत्रियों के खिलाफ बात कही है। (व्यवधान)

**श्री चन्दनमल बैद :** ऐसा हल्का चार्ज लगाते हैं आप। ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे मुझे।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी :** आप लगाइये केस।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** आपने तो सस्पेंड किये हैं। (व्यवधान)

**श्री चन्दनमल बैद :** मेरा कंट्रीब्यूटरी नेग्लीजेंस रहा है, मेरे पर केस चलाइये।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं, आपने सस्पेंड किए। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, आपने जांच करवाई।

**श्री चन्दनमल बैद :** लोकायुक्त के पास जाइए आप। मेरे पर चार्ज लगाइये। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** अब आप बिराजें, आपने अपनी बात कह दी।

**श्री चन्दनमल बैद :** अदालत में केस चलाइये।

**श्री उपाध्यक्ष :** अब आप बैठ जायं, माननीय सदस्य।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी :** यह कोई मजाक की बात थोड़े ही है, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री चन्दनमल बैद :** लोकायुक्त में जाइये, अदालत में जाइये, मेरे पर केस लगाइये। घबराते क्यों हो आप ?

**श्री उपाध्यक्ष :** बैठिये आप।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : जब तक यह चार्ज विथड्रा नहीं करेंगे, नहीं बैठेंगे। या केस दर्ज करिए हम लोगों के खिलाफ। हम खड़े रहेंगे। यह क्या मतलब हुआ। जो हो, जिसको ब्लेकमैल करना चाहें कर लें। यह कोई मजाक समझ रखी। और हर समय ××× आप केस करिए नहीं तो चार्ज विथड्रा करिए। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : यह बहुत हलका चार्ज लगाया है, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी को कहिए कि विथड्रा करें।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : आप एक्सपंज करवाइये कार्यवाही से। वरना हमने आरोप लगाये हैं, मुझे परसों मुख्य मंत्रीजी ने बुलाकर कहा कि पर्यटन निगम में स्टील की जो खरीददारी हुई है, वाकई उसमें घोटाला है और मैं सजा दूंगा। मैं आपसे उस वक्त यह मांग कर सकता था कि आप पर्यटन मंत्रीजी को हटाइए। कंट्रीब्यूटरी जिम्मेदारी इसमें नहीं बनती थी ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप मांग कर लेना।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : बात क्या करना ? बात कर ली। (व्यवधान)

**डा० हरिसिंह (फुलेरा)** : माननीय मुख्य मंत्रीजी, मेरा आपसे एक निवेदन है। (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की जबान सुनने की क्षमता नहीं है। (व्यवधान)

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : आप इस तरीके से एक ईमानदार व्यक्ति के खिलाफ अगर चार्ज लगाने की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने चूड़ियां नहीं पहन रखीं, मुख्य मंत्री महोदय।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप चार्ज लगाना जानते हैं लेकिन जबाब सुनने की क्षमता नहीं है।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : चोरों का प्रोटेक्शन आप करो, अपराधियों को संरक्षण बी०जे०पी० दे और फिर चार्ज आप हम पर लगाओ। (व्यवधान)

**डा० हरिसिंह (फुलेरा)** : आपसे मेरा व्यक्ति निवेदन है कि आज आप···

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : किस-किस के घोटाले हैं, किस-किस को हटाओगे आप इनमें से। (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, यहां पर कहा गया है, यहां पर जयपुर के मास्टर प्लान···(व्यवधान)

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सदन से रिक्वेस्ट है कि सर्वसम्मति से आप हमारे खिलाफ केस लगाइये नहीं तो वह चार्जेज विथड्रा करिये।

---

××× अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सम्बन्ध में जो कहा उसको मैं विथड्रा करता हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपने मंत्रियों के बारे में फरमाया है। मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, मुख्य मंत्रीजी, आपकी प्राब्लम यह है, मैं आपको एक सलाह दे देता हूं, आप हरेक चीज, मेहरबानी करके, पर्सनली मत लीजिए, थोड़ी हिम्मत रखिये अपोजिशन सहने की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है। अब आप बैठिए। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक जिक्र किया गया···आप सुन तो लो डाक्टर साहब···

डा० हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप सदन के नेता हैं, आपकी शालीनता, सदन के नेता की शालीनता होनी चाहिए। आज आप सदन के नेता हैं और सदन के नेता की एक शालीनता होती है, आप उसको मत खोइये। अपोजिशन के लीडर की तरह मत बोलिए।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : मुख्य मंत्री बहुत बुद्धिमान हैं लेकिन आज चक्कर में फंस गये। आप कैसे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाइए।

श्री हरिसिंह : अब आप अपनी पुरानी आदतों को भूल जाइए अब आप मुख्य मंत्री नहीं थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यहां जिक्र किया गया जयपुर के विस्तार के सम्बन्ध में। कोई जयपुर के लिए मास्टर प्लान बनाया गया था, आपका चार्ज यह है कि भू-माफियाओं के दबाव में उस मास्टर प्लान को रोक दिया गया। यही चार्ज है ना ? अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आप चिढ़ेंगे नहीं। चिढ़ेंगे इसलिए नहीं कि 1981 में आपने रूल्स बनाए और उन रूल्स में आपने सोसायटी को एग्रीमेंट-टू-सैल की परमिशन दी। राजस्थान में भू-माफिया पैदा करने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो उन नियमों की है और उन नियमों को बनाने वाली सरकार की है। सरकार में जो मंत्री बैठे थे उनकी है जिन्होंने सारे राजस्थान में भू-माफिया पैदा कर दिए। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीमेंट-टू-सेल के कारण अगर सरकार ने लैण्ड एक्वीजिशन का नोटिस दिया उस जमीन का एग्रीमेंट-टू-सेल हो गया। सरकारी जो जमीन थी उसका एग्रीमेंट-टू-सेल हो गया, किसी काश्तकार की जमीन थी उसका एग्रीमेंट-टू-सेल कर लिया, गोचर भूमि थी उसका एग्रीमेंट-टू-सेल कर लिया, स्कूल के खेलने के ग्राउण्ड थे उसका एग्रीमेंट-टू-सेल कर लिया और माफियाओं ने जमीन पर कब्जा कर लिया। यह हमारी सरकार थी जिस सरकार ने माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की, मुकदमे बनाये, गिरफ्तार किया और सरकार की जमीनों पर, इस प्रकार की गैर मुमकिन जमीनों पर जिन्होंने कब्जा किया उन जमीनों को हमने वापस लिया और लेने के बाद में मुकदमे आज भी अदालत में चल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं···

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : धरमीचन्द जैन को आपने जेल भेजा था ?

श्री चन्दनमल बैद : न्यू जयपुर के प्रोजेक्ट को आपने···(व्यवधान)···यह बता दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बताऊं कि आप हर चीज पर चिढ़ रहे हैं। आपने चार्ज लगाया उस समय से मैं सुन रहा हूं···

श्री चन्दनमल बैद : चिढ़ नहीं रहा हूं, सही बात कह रहा हूं। मैं आपको अगर बताऊंगा तो आप चिढ़ेंगे। मेरे को आपने कांट्रीब्यूटरी नेग्लीजेंस का अपराधी बताया है, मैं कहता हूं आप मेरे पर केस लगाइए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है। आपने कर दिया तो ठीक है। सुन लिया मैंने।

श्री चन्दनमल बैद : आप केस चलाइए मेरे ऊपर। I will face it लेकिन मैं न्यू जयपुर की बात करता हूं आप अलग बात कर रहे हैं···

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मुख्य मंत्रीजी, यह तीसरी बार हो गयी है, आपने कलेक्टिव रेस्पौंसिबिलिटी की बात कही है। आप किसी मन्त्री पर आरोप लगाइये पर आप यह जो बार-बार कह रहे हो कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मन्त्री, हम भी वहां बैठे हैं तो···(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बोलूंगा क्यों नहीं ? आप पर नहीं कह रहा हूं। आप पर नहीं हैं, आप विश्वास करके चलिये। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था···

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मुख्य मन्त्रीजी, जितना आप कलेक्शन करना जानते हैं, हम भी जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजस्थान का विस्तार हो रहा है। इनमें कोई सन्देह नहीं। राजस्थान में नये नगर की व्यवस्था हमको करनी है, इसमें कोई सन्देह नहीं। जब नये नगर का प्रयोजन आया तो कई किसान मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि हमारी जमीन इसमें आ रही है, हमारी रोजी-रोटी इससे चली जायेगी इसलिए इसको थोड़ा री-कास्ट करिये और री-कास्ट करने के बाद अगर किसान आज जो रोजी-रोटी कमा रहा है उस किसान की किसी प्रकार से भूमि बच जाय, उसके बाद में इसमें परिवर्तन करके इसको लागू करिये। वह अभी खतम नहीं हुआ है। वह इस परिवर्तन की स्टेज पर है। इसलिए आपको भू-माफियाओं का डर है कि उनके दबाव से हमने सब कुछ कर दिया है, इसमें किसी प्रकार की वास्तविकता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा, मैं आज इस सदन से अपेक्षा करता था, इस सदन से··· (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल मीणा : पांच हजार काश्तकारों ने अभी भी मीटिंग की है और उन्होंने कहा है कि अगर नये जयपुर की घोषणा की तो काश्तकार कभी नहीं बख्शेंगे इस मामले को। काश्तकार अभी इस मामले को लेकर धरना देने वाले हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : आप जो बोल रहे हो, आप भू-माफियों के दबाव में बोल रहे हो और यह जो नये जयपुर की घोषणा की वकालत करने वाले सारे के सारे भू-माफिया हैं, मैं जानता हूं इस बात को भू-माफिया आप हो और भू-माफिया जो नया जयपुर बसाना चाहते हैं तो हैं। (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल मीणा : काश्तकार कभी भी इस मामले में बख्शने वाले नहीं है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके यहां तो ठेकेदारी व्यवस्था पनप गयी। आप भू-माफिया की बात करते हो, ठेकेदार बना लिए, हर जगह कर दिया, लाभांश की बात कर ली और आप अच्छे प्रशासन की बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये जोशीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जोशीजी, आपका सब पता है, सारा पता है। (व्यवधान) नये जयपुर का प्रारूप ही नहीं बना। यह कहने वाली ही +++ जो कहते हैं कि नये जयपुर का प्रारूप बना।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको मन्त्रिमण्डल में नहीं लिया जाएगा, आप चिन्ता मत कीजिए। आप मन्त्रिमण्डल में शामिल नहीं होने वाले हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं मन्त्रिमण्डल में नहीं···(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : कोई प्रीमियम, बोनस नहीं मिलेगा +++ बात कहने का (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां मैं कह रहा हूं, मन्त्रिमण्डल में नहीं गया, मन्त्रिमण्डल में इस पर विचार नहीं किया। आप यहां यह कह रहे हैं। मन्त्रिमण्डल में गया, नहीं गया।

उपाध्यक्ष महोदय, अब तीसरे प्रश्न की ओर आना चाहता हूं···(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बातें बन्द करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन कर रहा था, बजट में जनता के लिए कई राहत की घोषणाएं की गयी हैं। उस राहत की घोषणा करने से पहले आपको हवाला कांड का जिक्र किया और एल० के० आडवाणी का नाम लिया···

श्री चन्दनमल बैद : 29 प्रतिशत की बात नहीं की है आपने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह है मेरे पास, मैंने नोट की है।

श्री चन्दनमल बैद : हां, वह नोट है तो बोलो फिर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बोलूंगा, आपके कहने से थोड़ा ही बोलूंगा। जवाब दूंगा अपने हिसाब से।

श्री चन्दनमल बैद : मेरे कहने से ही बोलो। फिर किसके कहने से बोलोगे?

---

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं सब जवाब दूंगा। आपका एक-एक पाइंट मेरे पास लिखा हुआ है, मैं एक-एक का जवाब दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं कि हवाला कांड के सम्बन्ध में आपने आडवाणीजी का नाम लिया। यदि बलराम जी जाखड़ का नाम लेते तो क्या सिर दर्द होता ? माधव राव सिंधिया का नाम लेते तो क्या पेट में दर्द होता था ? क्या विद्याचरण जी शुक्ल का नाम लेते तो हाथों में दर्द होता था ? क्या आप बूटा सिंहजी का नाम लेते तो जीभ लड़खड़ाती थी ? (व्यवधान)

**श्री चन्दनमल बैद** : आडवाणीजी का नाम लिया तो आपके सिरदर्द हो गया।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप सुन लीजिये। आपने···

**श्री चन्दनमल बैद** : नहीं, आडवाणीजी का नाम ले लिया तो आपके सिरदर्द हो गया।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप विराजिये, बैद जी। इनका यदि नाम ले लेते तो आपकी कोई जीभ लड़खड़ा रही थी ? कोई जीभ नहीं लड़खड़ा रही कि आपने केवल आडवाणी जी को लेकर एक जिक्र कर दिया। मुझे तो इस बात का खेद है कि आज कई मन्त्री हवालात में बैठे हैं और हवालात में इसलिए बैठे हैं कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम के आदमियों को सहयोग दिया। कई आदमी···(व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड (शेरगढ़)** : इसमें तो आपका एम० एल० ए० तस्करी में पकड़ा गया। (व्यवधान) बृजमोहन का हाथ है। (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं कह रहा हूं, खेतसिहजी···(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आपके तो मैम्बर आफ पार्लियामेंट बैठे हैं। आपका तो क्लीन बोल्ड हो गया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपकी पार्टी का तो क्लीन बोल्ड हो गया सेंटर विकेट हवाला कांड में। (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मेरी बात सुनिये। मैं अभी इस बात को छिपा नहीं रहा हूं। जिन लोगों ने भी इस तरह के धंधे किए हैं, वे जेल में फंस गए हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इस बात की है कि हवाला कांड 1991 में आया और 1993 में किसी सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक लिटिगेशन के रूप में एक लिटिगेशन पेश की। लिटिगेशन पेश करने के बाद में 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर सीरियसली कंसीडर करना शुरू किया और कहा कि एक-एक मामले में सब कागज लेकर आप हमारे पास रखो। रखने के बाद में यह सारी कार्यवाही, किसी को चार्जशीट दी, किसी को और दिया। यही नहीं किया। 1991 से लेकर यह सब जानकारी होते हुए भी, 1995 में जानकारी होते हुए भी ये मन्त्रिमण्डल में क्यों बैठे रहे ? (व्यवधान) ये मन्त्रिमण्डल में क्यों बैठे रहे ? दाऊद के आदमियों को संरक्षण दिया वे आदमी वहां क्यों बैठे रहे ? आज ऐसी स्थिति में···

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : लालकृष्ण आडवाणीजी बैठे रहे। आपके आडवाणीजी

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

को जब मालूम पड़ गया था तो इस्तीफा पहले क्यों नहीं दे दिया उन्होंने ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** अब आप डिस्टर्ब मत करो। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** बिराजिये। व्यवधान नहीं डालें, माननीय सदस्य।

**श्री अमराराम (धोद) :** आडवाणीजी को क्यों अध्यक्ष बना रखा है ? अब हटवा दो। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** शैलेन्द्र महतो को गोदी में बैठाकर लाए थे, मुख्य मंत्री महोदय ···(व्यवधान)

**श्री विष्णु मोदी :** देश की सारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को···(व्यवधान) कि पांच साल तक संसद में किसी ने चर्चा नहीं की। (व्यवधान) संसद में भी चर्चा नहीं की। न भारतीय जनता पार्टी ने की, न जनता दल ने की···

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री मोदी जी।

**श्री विष्णु मोदी :** अगर सरकार चुप बैठी थी तो इस देश की सारी राजनैतिक व्यवस्था टेलीकाम पर बहस कर सकती है, और किसी बात पर बहस कर सकती है····

**श्री उपाध्यक्ष :** आपका गला खराब हो गया। आप बिराजिये।

**श्री विष्णु मोदी :** संसद को चलने नहीं दे सकती है लेकिन हवाला कांड पर तो उस संसद में भी बहस नहीं की।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय मोदीजी, आप बिराजिये।

**डा० हरिसिंह (फुलेरा) :** दिल्ली की बात तो कर रहे हो, बीजेपी के भीनमाल के एम० एल० ए० का क्या हाल है, मुख्य मन्त्रीजी ? (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** वह ले लेंगे। सबका नाम आयेगा।

**डा० हरिसिंह :** तो बता दीजिये।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** जो भी गड़बड़ करेगा, वह फंसेगा।

**डा० हरिसिंह :** राजस्थान को तो बता दीजिये, आप दिल्ली की बात कहे जा रहे हो।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** जो भी गड़बड़ करेगा, वह फंसेगा। वह चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जनता दल का हो। जो भी गड़बड़ करेगा···

**श्री उपाध्यक्ष :** आप बिराजिये, डाक्टर साहब।

**डा० हरिसिंह :** आपको यह कष्ट हो रहा है कि आडवाणीजी का···(व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कम से कम किसी पर चार्ज लगाने से पहले··· (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अश्वमेध घोड़ा कहां गया ? अश्वमेध घोड़ा जो पूरे भारत में घूम रहा था, वह कहां गया ? वह तो घास खा गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने एक बात कही थी कि अगर कोई आदमी बोले और उसके पहले अपना मुंह शीशे में देख ले तो उसके बाद शायद बोलने के बारे में वह गम्भीरता से विचार करेगा। यह कहकर मैं इस चैप्टर को खतम करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर किसानों के सम्बन्ध में और महिलाओं के सम्बन्ध में हमने जो काम किए, उन कामों के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं हुई। मैं, बैदजी, आपके बारे में तो समझ सकता हूं कि किसानों को कोई रियायत दी जाय, उससे आप ज्यादा खुश नहीं हैं और खुश इसलिए नहीं हैं कि आपने अपने शासनकाल में जब भी आप मन्त्री रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, किसानों पर किसी न किसी प्रकार का टैक्स लगाया है और आज मेरी सरकार है, 1990 से लेकर आज तक किसानों के ऊपर टैक्स लगाने का तो सवाल ही नहीं, किसानों को मैंने राहत ही राहत दी है। उसके ऊपर आपको बड़ा दुःख है। इसमें मुझे कोई समस्या ऐसी नहीं लगती। मैंने किसानों का कर्जा माफ किया, आप बड़े दुःखी हुए। मैंने किसानों का लगान माफ किया, आप बड़े दुःखी हुए। मैंने सिंचाई के कुओं पर सीमांत कृषकों का लगान माफ किया, उससे आप बहुत दुःखी हुए। इसी प्रकार से खालों की कीमत किसानों की मैंने माफ की, उसके कारण से आप बड़े दुःखी हुए। चम्बल कमांड एरिया में जो बैटरमेंट लेवीज और दूसरी चीजें वसूल की जा रही थीं, उनको खतम किया, आप बड़े नाराज हुए। आपकी इस नाराजगी का असर मेरे ऊपर तो कम से कम नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार तो किसानों को अपना एक आधार मानकर राजस्थान की राजनीति और आर्थिक नीति बनाने की चिन्ता कर रही है। मैं इसी आधार पर यह निवेदन करना चाहूंगा···

श्री चन्दनमल बैद : नर्सरी जिन्दाबाद। स्कूल नर्सरी में। बिजली का कनेक्शन नर्सरी में। सब नर्सरी का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां नर्सरी जिन्दाबाद। मैंने खतम की थी और कांग्रेस पार्टी ने कहा था इसको चालू रखो।

डा० हरिसिंह : आप जो काम कर रहे हैं, वह +++ किसान समझते हैं इसको।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जिक्र किया गया पंचायतों का, कि पंचायतों को हमने पंगु बना दिया। उन चीजों को मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि 13-13 वर्ष तक आपने पंचायतों के

+++अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चुनाव नहीं कराए। मैं उन आरोपों को रिपीट नहीं करना चाहता कि आपने 8-8 वर्ष तक चुनाव नहीं कराये पंचायतों के…

श्री चन्दनमल बैद : पंचायतों को भंग नहीं किया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 13 वर्षों तक, यह हिन्दुस्तान में एक रिकार्ड है, हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य में चले जायें, आपको इस बात की जानकारी मिलेगी कि 13 वर्षों तक पंचायतों के चुनाव नहीं हो, इस प्रकार की स्थिति किसी भी राज्य में नहीं थी। मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पंचायतों के 13 वर्ष तक चुनाव नहीं कराकर गांव वालों की बहुत चिन्ता की। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन जानता है कि मैं जब पहली बार मुख्य मन्त्री बना था, उस समय पंचायतों को 25 पैसा आदमी के हिसाब से अनुदान मिलता था। फिर मैं मुख्य मन्त्री बना तो मैंने 2.50 रुपया किया और 2.50 रुपये के बाद में अब मैंने पांच रुपया किया और अब बजट में जो घोषणाएं की हैं उससे आप अन्दाज लगा लें कि पंचायतों को हम किस प्रकार से आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, यह उसकी व्यवस्था में है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जिस समय यह पंचायती राज विधेयक आ रहा था तो मैंने एक संशोधन पेश किया। माननीय सदस्यों को याद होगा, वह संशोधन इस बात का पेश किया कि महिलाओं का रिजर्वेशन हमने कर दिया। कई महिलाएं यदि अनपढ़ हुई और किसी गांव में कोई पढ़ी-लिखी महिला नहीं मिली तो महिलाओं का रिप्रेजेन्टेशन उसमें नहीं होगा। मैंने एक संशोधन किया, उस समय कई माननीय सदस्यों ने कहा कि आप यह संशोधन इसलिए करना चाहते हैं कि महिलाएं अनपढ़ हैं और महिलाएं उम्मीदवार के रूप में आपको उपलब्ध नहीं होंगी। मैं समझता हूं, संशोधन अच्छा किया। उसी संशोधन के कारण जिला परिषद में, पंचायत समितियों में और ग्राम पंचायतों में हजारों की संख्या में महिलाएं जीतकर आयी हैं और जीती हुई महिलाओं को जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनमें जागृति है, उनमें काम करने की क्षमता है, वे ज्ञानवान हैं और गांव की परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझकर इसका संचालन कर सकती हैं। मैंने इसी आधार पर आज जब महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की तो मैं समझता था कि चन्दनमलजी बैद किसानों के तो विरोधी हैं ही, महिलाओं के विरोधी क्यों साबित हो रहे हैं। उस समय दो शब्द अगर महिलाओं पक्ष में कह देते तो अच्छा रहता लेकिन आपमें से किसी माननीय सदस्य ने इसके ऊपर किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया। हमने यह व्यवस्था की और इस व्यवस्था के नाते परिणाम अच्छे निकलेंगे तो मैं आज कहता हूं कि यह रिजर्वेशन बढ़ेगा और पुरुष और महिला, आज इनमें जिस प्रकार से जनसंख्या का अनुपात है उस अनुपात के आधार पर काम करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय…

श्री चन्दनमल बैद : …और वहां से मैं जीतकर आता हूं। आप कितना ही प्रचार

(138)



(श्री चन्दनमल बैद)

कीजिए, कोई आपको सुनने वाला नहीं है। आप भाषण देने गए थे, मुंह की खाकर आए हैं।

(18.00)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल ठीक कह रहे हैं, मैं भाषण देने गया था और आप थे। आप एक तय कर लो, राजस्थान में स्थान तो आप तय करो, मैं भी चलता हूं और आप भी चलें, वहां देख लेना दोनों, किसकी जय-जयकार करते हैं, चन्दनमलजी की करते हैं या मेरी करते हैं। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि यह जनता की ठेकेदारी न मेरी है, न जनता की ठेकेदारी आपकी है।

श्री चन्दनमल बैद : यानि आपकी है किसानों की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं मानता। मैं खुद इन्कार कर रहा हूं, जनता की मेरी ठेकेदारी नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, मुझे आप किसान विरोधी बता रहे हैं न ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आप सुनिये।

श्री चन्दनमल बैद : किसानों के वोटों से जीतकर आता हूं और मुझे किसान विरोधी बता रहे हैं आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, अब बैठ जाइये आप।

श्री चन्दनमल बैद : मेरी कांस्टीट्यूएंसी में नब्बे प्रतिशत किसानों के वोट हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है।

श्री चन्दनमल बैद : ठीक है क्या ? फिर कैसे किसान विरोधी बता रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मान लिया मैंने, आप नाराज क्यों हो रहे हैं। (व्यवधान) आप बैठ जाइये।

श्री चन्दनमल बैद : अभी किसान विरोधी बता रहे हैं, फिर कुछ और विरोधी बता देंगे। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठहर जाओ +++ बोलने तो दो।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : और आप एक जगह से चुनाव नहीं लड़ते, यह तो अपनी एक जगह से खड़े होकर किसानों से चुनकर आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में निवेदन किया था कि मुझे हस्तक्षेप न करें तो मैं अपना भाषण जल्दी समाप्त कर दूं, लेकिन बार-बार हस्तक्षेप हो रहा है इसके कारण से मेरा

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भाषण लम्बा हो रहा है, मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं ।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, आप चलाओ न देर तक ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इसी आधार के ऊपर यहां पर चर्चा की गयी सेण्टर और स्टेट के रिलेशन्स की । चन्दनमलजी, शायद आपको याद नहीं होगा, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने मांग की थी कि सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट तुरन्त लागू की जाय और मैंने उसका समर्थन किया था । आपको शायद यह भी याद नहीं होगा कि सरकारिया कमीशन ने जो सारी व्यवस्थाएं दी थीं, जो रिकण्डेशन्स की थीं, उन रिकमण्डेशन्स के लिए राजस्थान की तत्कालीन सरकार द्वारा भारत सरकार को चिट्ठी लिखी गयी कि सरकारिया कमीशन की रिकमण्डेशन्स को जल्दी से जल्दी स्वीकार किया जाय । आज उस रिकण्डेशन्स को स्वीकार करते हैं तो राजस्थान में कई अधिकार मिलते हैं और राजस्थान में साथ-साथ आमदनी के जरिए बढ़ते हैं । आज वैसी स्थिति में आप सरकारिया कमीशन को बिलकुल कण्डेम कर दें, इसकी आवश्यकता नहीं है । आज भी हमारी मांग होनी चाहिए कि सरकारिया कमीशन ने जो कुछ भी रिकमण्डेशन्स उस समय की थी, उसकी बात की जाय । आपने यह कहा कि जब मैं बम्बई जाता हूं और मनोहर जोशी से मैं पूछ कर आता हूं, मनोहर जोशी कहते हैं उस समय सेन्टर और स्टेट के रिलेशन्स की बात करता हूं । मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि मैंने एन० डी० सी० की मीटिंग में जिस समय कोई मनोहर जोशी नहीं थे, कोई मेहता गुजरात के चीफ मिनिस्टर नहीं थे, बाकी के भी नहीं थे, उस समय यह कहा था कि सेन्टर-स्टेट रिलेशन्स को नए सिरे से देखने के लिए सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो और नया कमीशन अपाइन्ट करो ताकि आज के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र और राज्य की सरकारों के बीच में किस प्रकार के सम्बन्ध रहें । इससे मतलब यह नहीं है कि मैं केन्द्र सरकार को कमजोर करना चाहता हूं । इसका मतलब यह भी नहीं है कि मैं केन्द्र सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों में कोई डिवोल्यूशन करना चाहता हूं । मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि स्टेट के पास है क्या ? आप तो वित्त मन्त्री रहे हैं और वित्त मन्त्री के नाते आप जानते हैं कि स्टेट के रिसोर्सेज क्या हैं । अगर रिसोर्सेज धीरे-धीरे डिप्लीट होते गए तो उसका परिणाम यह निकलेगा, या तो हमें सारी हमारी व्यवस्था भारत सरकार के हाथ में सुपुर्द करनी पड़ेगी या हम राजस्थान का जो विकास करना चाहेंगे वह विकास नहीं कर पायेंगे । इसीलिए मैं जब बार-बार कहता हूं कि आपने फाइनेंस कमीशन के 29 प्रतिशत के डिवोल्यूशन की बात कही, यह सही है कि फाइनेंस कमीशन ने जो हमें दिया है, और हम यदि 29 प्रतिशत का टोटल पुल बनाने की बात करते हैं और उसमें कोई कमी आयी तो मैं इतना अन्धा नहीं हूं और इतना बेवकूफ नहीं हूं कि राजस्थान का जो हिस्सा मिले उस हिस्से में किसी प्रकार की कमी मैं करवाकर स्वीकार करूंगा । मैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह चाहता हूं कि एक बार सेन्टर गवर्नमेंट के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको पूल किया जाय, उसमें भी वैकल्पिक व्यवस्था का शब्द प्रयोग किया गया है, उसे पूल करने के बाद में हमें देखना पड़ेगा कि राजस्थान को इससे कितना ज्यादा मिलता है। ज्यादा मिलता है तो निश्चित रूप से लेंगे वरना फाइनेंस कमीशन ने जो कह दिया, यह फाइनेंस कमीशन कोई पैसा नहीं देता है, इस धोखे में कोई नहीं रहे, यह भारत सरकार से जो भी हमें ग्रांट-इन-एड या डिविजिबल पूल बनता है, उसमें से किस फार्मूले के आधार पर स्टेट्स को डिवोल्यूशन किया जाय, वह फार्मूला निश्चित करता है। यहां यह चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि फाइनेंस कमीशन ने क्या दे दिया और फाइनेंस कमीशन ने क्या नहीं दिया। फाइनेंस कमीशन केवल गाइड-लाइंस तय करता है उन गाइड-लाइंस के आधार पर हमको पैसा मिलता है। इस आधार पर, मैं समझता हूं, यदि आप उचित होंगे और मैं अनुचित हूं, तो आपके उचित और अनुचित होने का प्रश्न नहीं, राजस्थान के जो हित में होगा, आपकी सलाह से मैं वहीं करूंगा। आपसे भी मैं जानकारी कर लूंगा, जिस समय भारत सरकार कोई फार्मूला, वैकल्पिक फार्मूला बनाकर लाएगी, आप और मैं दोनों बैठेंगे और बैठने के बाद जो नतीजा निकलेगा, उसी आधार पर मैं निश्चित रूप से काम करूंगा, यह मैं आपको विश्वास देता हूं और सदन को भी विश्वास देता हूं। लेकिन आज सेन्टर-स्टेट रिलेशंस को लेकर आप कहीं पानी का जिक्र करने लग गए, कहीं बिजली का जिक्र करने लग गए, कहीं और चीजों का जिक्र करने लग गए। इसमें कहां पानी आ गया, कहां बिजली आ गयी? अभी पिछले दिनों में जब नेशनल वाटर पालिसी के ऊपर जिक्र हुआ था, मैं आज भी कहता हूं, मैंने कल भी कहा था कि राजस्थान लैण्डलाक्ड स्टेट है, यहां कोई नदियां नहीं हैं, यहां राजस्थान में पानी नहीं है और इसलिए पानी को नेशनल असेट माना जाय, यह एक नेशनल असेट है, इसको असेट के रूप में स्वीकार कर जिन राज्यों में पानी के स्रोत नहीं हैं, उन राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर पानी दिया जाय। मैं समझता हूं कि इस आधार को आप भी स्वीकार करेंगे। जो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, उस स्थिति के कारण मैं चाहता था कि यह राष्ट्रीय सम्पत्ति है और राष्ट्रीय सम्पत्ति का बंटवारा उन राज्यों में किया जाय, जिन राज्यों में इस राष्ट्रीय सम्पत्ति के अभाव के कारण लोगों को पीने के पानी का कष्ट होता है, सिंचाई की समस्या उनके सामने खड़ी होती है। यह सब बातें मैंने वहां भी रखी थी, आज भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि जो चीज हमारे पास नहीं है, उसको नेशनल असेट के रूप में मानने से हमें निश्चित रूप से फायदा होगा। यह मैं भी जानता हूं, आपने कहा कि अभी कावेरी का विवाद चला और कावेरी का विवाद अगर भारत सरकार सशक्त नहीं होती तो कावेरी का विवाद नहीं निपटाती। आप जानते हैं कि कावेरी का विवाद वर्षों से चल रहा है। आप यह भी जानते हैं कि कावेरी के सम्बन्ध में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में एक बहुत पुराना समझौता हुआ है। वह समझौता अब तक चल रहा है। वह समझौता चलेगा।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उस समझौते में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उसी समझौते के आधार पर एक इन्टर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया। फैसला देने पर कर्नाटक की सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया। वह गयी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि यह राजनीतिक मसले सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाए जायं और राजकीय स्तर के ऊपर उनका निर्णय लिया जाय। वह तो मजबूरी से फैसेला हुआ है, इच्छा से फैसला करने की स्थिति भारत सरकार की नहीं थी। अगर इच्छा से ही फैसला करने की शक्ति हो तो आपने भी कोशिश की है और मैंने भी कोशिश की है, कांग्रेस सरकार ने भी कोशिश की और मैंने भी कोशिश की कि जो पंजाब का बाइफरकेशन का एक्ट हुआ था, उस एक्ट में पंजाब के तीनों हैडवर्क्स भाखड़ा-व्यास मैनेजमेंट बोर्ड को दिये जाने चाहिए। आपने भी कोशिश की, मैं नहीं कहता कि आपने कोशिश नहीं की। आपने कोशिश की और हमने कोशिश की। अगर भारत सरकार ही फैसला करना चाहे तो बी० बी० एम० बी० के कब्जे में यह तीनों हैडवर्क्स क्यों नहीं देती? भारत सरकार ने फैसला किया 1984 में और 1984 में फैसला करके यह कहा कि रावी, व्यास और सतलज नदियों के पानी से पैदा होने वाली बिजली में राजस्थान का कितना हिस्सा है। राजस्थान का हिस्सा तय करने के लिए यहां पर शिवचरणजी माथुर का स्टेटमेंट है कि 15 दिन में यह मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया जायेगा। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करेगी और वह इसका फैसला करेगा। 1984 का फैसला है, 1984 का फैसला आज तक लागू नहीं किया। फैसला किया आप लोगों ने। राजस्थान को बिजली के अन्धेरे में डालने का फैसला यदि कोई हुआ है तो 1984 का समझौता हुआ है। उस समझौते को लागू करवाने के लिए, उस समय हरिदेवजी जोशी ने भी चिट्ठियां लिखी थीं, शिवचरणजी माथुर ने भी चिट्ठियां लिखी थीं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं। आप यह कहते हैं कि भारत सरकार को कमजोर करने की आवश्यकता नहीं। भारत सरकार ताकतवर है तो क्यों नहीं इस मामले को रेफर करके राजस्थान के हिस्से की बिजली हमको दिलाती? उस समय...

**श्री चन्दनमल बैद :** हमारा इन्टरेस्ट इस बात पर है कि सेण्टर गवर्नमेंट को और मजबूत किया जाय।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** बताया न। यह आज कमजोर है क्या? आज कमजोर है?

**श्री चन्दनमल बैद :** हर बार आप कहते हैं कि हमारी बात नहीं सुनती है, यह नहीं करती, वह नहीं करती। आप उसको और मजबूत कीजिए।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** नहीं-नहीं, यह मैं नहीं कह रहा। जिस समय...

**श्री चन्दनमल बैद :** और मजबूत कीजिए; और अधिकार दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, कर रहा हूं मजबूत, बहुत कर रहा हूं। एक बात और सुन लीजिए। कितनी केन्द्र सरकार मजबूत है. इस बात को तो आप अच्छी तरह से मन में जानते हैं। 1981 का एग्रीमेंट जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच हुआ और भारत सरकार के सान्निध्य में हुआ, यह पानी के बंटवारे का है, 0.6 मिलियन एकड़ फीट उस समझौते के कारण से पंजाब को दिया। इस सदन के माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं, हमने तीन दिन तक इस लाबी में बैठ कर भूख हड़ताल की कि आप यह 0.6 मिलियन फीट पानी जो पंजाब को दे रहे हैं, यह पानी वापिस नहीं आयेगा। मैंने इस सम्बन्ध में भारत सरकार को कई बार लिखा कि हमारे में वाटर कैपेसिटी, वाटर यूटिलाइजेशन कैपेसिटी डवलप हो गयी, कैरिंग कैपेसिटी नहरों की हो गयी है, यह पानी हमको वापिस देओ, आज तक भारत सरकार ने उस पर एक काम भी, रत्ती भर काम भी नहीं किया। इसी तरह से 1984 का एग्रीमेंट हुआ उसमें इस सदन में आश्वासन दिया गया था शिवचरणजी माथुर की ओर से कि मैंने इन्दिराजी से बातचीत की है और इन्दिरा जी ने यह कहा कि जब तक आपको बिजली नहीं मिले इन तीनों चारों परियोजनाओं से उस समय तक आपको भारत सरकार के जितने भी ऊर्जा उत्पादन करने के सेंट्रल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से कम्पेनसेट किया जायेगा। एक किलोवाट बिजली हमको नहीं मिली। अब आप उस केन्द्र को ताकत देना चाहते हैं जो राजस्थान की बिजली खा गया, उस केन्द्र को मजबूत करना चाहते हैं जो राजस्थान का पानी खा गया, उस केन्द्र को आप मजबूत करना चाहते हैं जिसने राजस्थान को किसी प्रकार के नेशनल असेट्स के अन्दर हिस्सा नहीं दिया। मैं समझता हूं, मैं कमजोर और मजबूत करने के विवाद में नहीं जाना चाहता। मैं स्वयं भी चाहता हूं कि नेशन की इंटीग्रिटी और यूनिटी के नाते सेण्टर गवर्नमेंट मजबूत होनी चाहिए लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि अकेली सेण्टर गवर्नमेंट मजबूत हो गयी तो ये विधान सभाएं और ये सरकारें म्यूनिसिपैलिटी की हालत में पहुंच जायेंगी, ये पंचायत समितियों की हालत में पहुंच जायेंगी। इनका भी अस्तित्व बना रहे, इस दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि इनको भी साधन मिलें और उन साधनों के आधार पर इस प्रकार की बात चलती रहे। (व्यवधान) मैं आज भी कहता हूं, मैं इस पक्ष में हूं। मैं आज तक भी कभी इस पक्ष में नहीं रहा कि सेण्टर गवर्नमेंट कमजोर हो जाय।

श्री चन्दनमल बैद : आपको ज्यादा पावर मिलेंगे तो पंजाब को मिलेंगे, हरियाणा को भी मिलेंगे, मध्य प्रदेश को भी मिलेंगे। फिर आपकी क्या हालत होगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काहे की ?

श्री चन्दनमल बैद : आप तो यह पैरवी कीजिए कि सेण्टर गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा पावर मिले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : यह राजस्थान के

(श्री चन्दनमल बैद)

इण्टरेस्ट में है, इसको समझिए। आप मुण्डे के और दूसरे लोगों के बहकावे में मत आइए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। न मैं मुण्डे के बहकावे में आता, न मैं जोशी जी के बहकावे में आता। ये जितने सेण्टर स्टेट रिलेशंस के मैटर हैं, चन्दनमलजी, आज तो आपने अचानक मामला उठाया इसलिए मैं कुछ कह नहीं सका···

श्री चन्दनमल बैद : नहीं-नहीं, आपने कल उठाया था तब मैंने उठाया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, मैंने मान लिया।

श्री चन्दनमल बैद : आपने आज अपने भाषण में उठाया तो अचानक कैसे हुआ? आप जिक्र नहीं करते तो मैं भी जिक्र नहीं करता। आपने जिक्र किया, मैंने कर दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा ठीक है। मान गया, मैं मान गया। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं जितने भी सेण्टर स्टेट रिलेशंस के मैटर हैं, मैंने केवल अपने पास नहीं रखे हैं, सारे स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर्स को मैंने चिट्ठियां लिखी हैं और चिट्ठियां लिखने के बाद चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे अपोजिशन की गवर्नमेंट हो, मेरी बात को सिद्धान्ततः इन्होंने स्वीकार किया है और स्वीकार करने के साथ ही इस बात की मांग पर बल दिया कि सेण्टर स्टेट रिलेशंस को नए परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए एक कमीशन अपाइंट किया जाना आवश्यक है। मेरा दृष्टिकोण यह नहीं है कि केन्द्र कमजोर हो। केन्द्र कैसे कमजोर होगा? आज केन्द्र के पास फौज है, आज केन्द्र के पास बी० एस० एफ० है, आज केन्द्र के पास बारे पैट्रोलियम प्रोडक्टस और बाकी के सब चीजें केन्द्र के कब्जे में हैं। आज हम कोई प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस लेना चाहें तो हमें केन्द्र की अनुमति लेनी पड़ती है। राजस्थान में अब आप बिजली का प्रसंग ला रहे थे। मैं दुबारा नहीं लाना चाहता लेकिन उदारीकरण में, पहले राजस्थान में प्राइवेट सैक्टर में एक यूनिट बिजली पैदा करने का हमको अधिकार नहीं था, एक यूनिट भी पैदा नही कर सकते थे। यहां माननीय सदस्य बोल रहे थे कि लिग्नाइट तो वर्षों से पड़ा है। लेकिन उनको जानकारी है कि लिग्नाइट और कोल पर प्राइवेट सैक्टर में बिजली पैदा करने की हमको छूट नहीं थी।

श्री चन्दनमल बैद : कहीं नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहीं नहीं थी।

श्री चन्दनमल बैद : सारे हिन्दुस्तान में ही नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कह रहा हूं, सारे हिन्दुस्तान में नहीं थी। मैं नहीं कहता कि हमें ही नहीं थी। आज यदि यह छूट होती तो हम उस क्षेत्र में विकास कर सकते थे, ऊर्जा के उत्पादन में हम भी आगे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बढ़ सकते थे लेकिन परमिशन नहीं थी। इसी आधार पर मैं निवेदन कर रहा हूं कि चाहे यह ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे खनिज का क्षेत्र हो, जो भारत सरकार ने अधिकार ले रखे हैं जिनके कारण से स्टेट का डवलपमेंट रुका हुआ है उस डवलपमेंट को चालू करने के लिए भारत सरकार इन प्रश्नों के ऊपर गम्भीरता से चिन्तन करे, यही मेरा कहना था। इसको दूसरी तरह से नहीं लें कि मैं केन्द्रीय सरकार को बिलकुल इतना कमजोर कर दूं कि इसकी नेशनल इंटिग्रिटी और यूनिटी के ऊपर किसी प्रकार की आंच आ जाय। जितने आप इस सख्ती के साथ हैं उतनी ही मैं सख्ती के साथ हूं। अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी कहा गया....

**श्री शिवनाथसिंह** : अब तो सब ठीक हो गया, साहब।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं एक निवेदन करूं। नहीं, अभी ठीक नहीं हुआ। आपको तसल्ली भी नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने टैक्स कम किये। एक माननीय सदस्य मुझे कहने लगे कि आपने क्या छोटे-छोटे आइटम ले लिया, मैंने कहा, कौन से छोटे आइटम ले लिए? उन्होंने कहा कि मैल-खोरा पर भी आपने टैक्स हटाया। मैंने कहा, मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? उस सरकार के ऊपर इल्जाम लगाओ कि इतना दिखावा निकल गया था उस सरकार का कि उसने मैल-खोरा के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, मैंने उसकी मुक्ति कर दी। अब मैल उतारो आराम से, खूब रगड़ो शरीर को, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि घाटा 800 करोड़ रुपये पहुंच गया था। यह घाटा किस प्रकार से बढ़ा। बजट स्पीच को आप देखेंगे तो सरकारी कर्मचारियों को बोनस कितना दिया, ग्रेचुएटी कितनी दी, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हमको क्या देना पड़ा, इन सबके कारण से खर्चा बढ़ा है। यह अनएस्पेक्टेड खर्चा है और अब पे-कमीशन की जब रिपोर्ट आएगी तब राजस्थान को और खर्चा करना पड़ेगा। हो सकता है आपके दिमाग के अन्दर सरकारी कर्मचारियों का विरोध हो और इस विरोध के कारण से आप यह कहें कि आपने इस प्रकार की व्यवस्था क्यों कर दी, उसका तो मुझे कोई कहना नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के जो वाजिब हक हैं, राजस्थान की सरकार उनको देगी और देने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर...

**श्री चन्दनमल बैद** : इन भाषणों से सरकारी कर्मचारी बहकावे में आने वाले नहीं हैं।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : अब वोट मिल गए, अब बैठो न। अब जीत गए आप। आपने काश्तकारों के वोट ले लिए, महाजनों के वोट के लिए, सरकारी कर्मचारियों के वोट ले लिए। अब बाकी रहा क्या? बिराजो।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : कोई रहा नहीं,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

खेतसिंहजी, मैं यह इल्जाम नहीं सुनना चाहता कि मेरे किसी पाइंट का उत्तर नहीं दिया गया। मैं केवल यही कहना चाहता हूं···

श्री रामस्वरूप : एक मिनट, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बाद में पूछ लेना।

यहां पर जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने 500 प्राइमरी पाठशालाएं खोलीं। आपको मालूम है कि प्राइमरी पाठशालाओं के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित है। मापदण्ड यह है कि रेगिस्तान का क्षेत्र हो, चाहे ट्राइबल का क्षेत्र हो, इनमें डेढ़ सौ की आबादी है और डेढ़ सौ की आबादी और बाद में ढाई सौ की आबादी, इस तरह की आबादी है। हमने सारे गांवों का सर्वेक्षव कराया। करने के बाद में केवल 500 प्राथमिक पाठशालाएं खोलने से इस मापदण्ड के आधार पर राजस्थान में कहीं प्राथमिक पाठशालाएं खोलने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप ढाणियों के हिसाब से कहेंगे, जो ढाणियां राजस्व गांव में आ गयीं वे निश्चित रूप से इस परिधि में आती हैं। जो ढाणियां राजस्व गांव में नहीं आयीं उनके बारे में कह नहीं सकता, लेकिन उनमें भी हमने शिक्षाकर्मी योजना, लोक जुम्बिश योजना और बाकी की इस प्रकार की योजनाएं चालू की हैं।

एक माननीय सदस्य ने यहां जनसंख्या वृद्धि के मामले में बहुत कुछ कहा। मैं समझता हूं, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सीकर के हो, मैं सीकर का हूं। आप मेरा मन समझते हैं और आपने मन समझकर यह कहा कि आप चाहे कितना ही विकास का काम करो, यदि यह जनसंख्या इसी प्रकार से बढ़ती गयी तो सारे विकास के कामों को न्यूट्राइज कर देगी। मैं इसको सिद्धान्ततः स्वीकार करता हूं। लेकिन आप यह जानते हैं चाहे किसी माननीय सदस्य ने कहीं भी मेरा भाषण सुना हो, मैं कोई स्थान नहीं छोड़ता जहां प्रौढ़ शिक्षा की और शिक्षा की बात नहीं करता और जहां पर परिवार नियोजन की मैं बात नहीं करता। मेरा और आपका अगर एक सिद्धान्त सबका मिल जाय तो निश्चित रूप से एक वातावरण बनेगा। मैंने कानूनी व्यवस्था भी की है। उस व्यवस्था के आधार पर भी जनसंख्या किस प्रकार से कम की जाय उसकी बातें की हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस वोट ऑन अकाउण्ट के मामले में इतनी लम्बी चौड़ी चर्चा करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। मुझे खेद है कि पहले मुझे डेढ़ घण्टा बोलना पड़ा और अब डेढ़ घण्टा बोलना पड़ा। मैं चन्दनमलजी को निवेदन करना चाहूंगा कि यह सारी आपको क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। तीन घण्टे आपने मुझे बेगार दी है और इस बेगार का आपको एवजाना चुकाना पड़ेगा। मैं आपके घर जाऊंगा या आपके साथ होटल में जाऊंगा और वहीं पर आपको खाना खिलाकर इस तीन घण्टे की क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री चन्दनमल बैद :** आप मेरी जाकिट तो वापिस दे दो। जिस जाकिट के कारण इतना जोरदार बोले हो, वह जाकिट तो मेरी वापस दे दो।

**श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) :** मुख्य मंत्री महोदय, सीमेंट फैक्ट्री के बारे में कुछ नहीं कहा।

**श्री भैरोंसिह शेखावत :** रामस्वरूपजी, एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, यहां जाकिट का जिक्र किया गया। चन्दनमलजी कह रहे हैं कि यह जाकिट उनकी है।

**श्री चन्दनमल बैद :** हां, है।

**श्री भैरोंसिह शेखावत :** मैं ऐसा समझता हूं कि मैं जाकिट यह पहनकर नहीं आता तो चन्दनमलजी इतना हल्ला मेरे ऊपर नहीं करते। यह इस जाकिट का दोष है। आप कहें तो मैं उतार कर फैंक दूं।

**श्री रामस्वरूप :** माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, सीमेंट फैक्ट्री के बारे में कुछ नही कहा।

**श्री भैरोंसिह शेखावत :** हां, सीमेंट फैक्ट्री के बारे में नहीं कहा। रामस्वरूप जी, बहुत अच्छी बात उठायी आपने। सीमेंट फैक्ट्री का मामला, आप जानते हैं, बहुत वर्षों से है। हमने कोशिश की कि सीमेंट फैक्ट्री का मामला बी० एफ० आई० आर० में गया बी० आई० एफ० आर० से फिर जहां अपील होती है उस अपीलेट कोर्ट में गया। अपीलेट कोर्ट में जाने के बाद में बैंक्स को जो सैक्रिफाइस करनी थी, वह बैंक्स की सैक्रिफाइस करने में देरी हुई। अभी दस दिन पहले बैंक्स के और जिनको यह फैक्ट्री चलानी है उनके बीच में समझौता हुआ है। मैं चुनाव के पहले-पहले यह व्यवस्था कर दूंगा कि सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री चालू हो जाए।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1996 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री भैरोंसिह शेखावत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1996 को पारित किया जाय।

## विधेयक का पारण

**श्री भैरोंसिह शेखावत :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1996 को पारित किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1996 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1996 पारित किया गया ।

सदन की बैठक दिनांक 16 मार्च, 1996 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.21 बजे शनिवार, दिनांक 16 मार्च, 1996 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)